लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र
Fourth Session

Preservation
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं
Vol. XVII contains Nos. 51 to 61

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्यः एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 58—मंगलवार 7 मई, 1968/17 वैशाख, 1890 (शक)

No. 58—Tuesday, May 7, 1968/Vaisakha 17, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1677.	पाकिस्तान द्वारा भारतीय होटलों के शेयरों का जब्त किया जाना	Confiscation of Shares of Indian Hotels by Pakistan	999–1003
1678.	रिजर्व बैंक के सेवा निवृत्त गवर्नर श्री पी० सी० भट्टाचार्य	Shri P. C. Bhattacharya, Retired Governor of Reserve Bank	1003–04
1679.	कम्पनी सचिव डिप्लोमा	Diploma of Company Secretaryship	1004–06
1681.	गया के निकट रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Pilfering of Railway Property near Gaya	1007–10
1682.	रेलवे में लागू नियमों का संशोधन	Amendment of Rules in Force on Railways	1010–13
1683.	वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry	1014–17
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या S. N. Q. No.			
32.	युगोस्लाविया में कुश्ती क्लिनिक	Wrestling Clinic in Yugoslavia	1018–20

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1680.	केन्द्रीय वक्फ परिषद्	Central Wakf Council	1020–21
1684.	भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन	Amendment of Indian Railways Act	1021–22
1685.	मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल कम्पनी	M/s. Standard Drum and Barrel Co.	1022–23
1686.	हैवी इंजीनियरिंग प्लांट तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	Heavy Engineering Plant and Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur	1023

***किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।**

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1687.	चित्तरंजन लोको वर्क्स प्लांट	Chittaranjan Loco Works Plant	1023–24
1688.	अनिवार्य निर्यात	Compulsory Exports . .	1024
1689.	मेहसी में साल्टपैट्रे तेल शोधक कारखाना	Saltpetre Refinery at Mehsi .	1024–25
1690.	श्रृंगार-सामग्री के सम्बन्ध में भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानक	I.S.I. Standards for Cosmetics .	1025
1691.	टूल तथा अलाय स्टील की रद्दी का निर्यात	Exports of Tool and Alloy Steel Scrap	1025–26
1692.	लक्खीसराय स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Luckeesarai Station	1026
1693.	राज्य व्यापार निगम द्वारा मनुष्य के बाल का निर्यात	Export of Human Hair by S.T.C.	1026–27
1694.	खेतरी तांबा परियोजना	Khetri Copper Project . .	1027
1695.	काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Coffee Board Employees	1027–28
1696.	उत्तर प्रदेश में कारखाने	Factories in U. P. . .	1028
1697.	रद्दी लोहे के निर्यात के लिये नकद सहायता	Cash Assistance for Scrap Exports	1028–29
1698.	ढोल बनाने वाले कारखाने	Barrel Manufacturing Units	1029
1699.	हथकरघा उद्योग में संकट	Crisis in Handloom Industry .	1030
1700.	कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान	Donations by companies to political parties . . .	1030–31
1701.	कलकत्ता तथा दिल्ली के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ी	Electric train between Calcutta and Delhi . . .	1031
1702.	भारतीय मानक संस्था	Indian Standards Institution	1031
1703.	विदेशों में आम के अचार की मांग	Demand for Mango pickle in foreign countries . . .	1031–32
1704.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन का भारत के निर्यात पर प्रभाव	Impact of UNCTAD on India's Exports	1032–33
1705.	भारतीय रेलवे का प्रशिक्षण स्कूल	Training Schools on Indian Railways	1033
1706.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation . . .	1033–34

अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos. — UNSTARRED QUESTIONS

9813.	कोटा डिवीजन में स्टेशन मास्टरों द्वारा काम करने से इनकार	Refusal to work by Station Masters on Kotah Division .	1034

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9814.	सरकारी प्रकाशन	Government Publications	1034–35
9815.	महताब समिति	Mahatab Committee . .	1035
9816.	आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 के अन्तर्गत मुकदमे	Prosecutions under Imports and Exports (Control) Act, 1947 .	1035–36
9817.	ऊन का आयात	Import of Wool . .	1036
9818.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम	Minerals and Metals Trading Corporation . . .	1037
9819.	कोरट्टी के निकट रेल गाड़ी की दुर्घटना	Train Accident near Koratty .	1037
9820.	रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Railway Lines into Broad Gauge . .	1038
9821.	रुपये के अवमूल्यन के बाद की अवधि में निर्यात	Exports in Post-Devaluation Period	1038–39
9822.	केलों का निर्यात	Export of Bananas . . .	1039
9823.	तामिलनाड में लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास	Development of Small Scale and Cottage Industries in Tamilnad	1039
9824.	तामिलनाड में बुनाई मिलों के लिये लाइसेंस	Licences for Weaving Mills in Tamilnad	1039–40
9825.	दिल्ली से रोहतक तक रेलगाड़ी	Train from Delhi to Rohtak	1040
9826.	रेलवे में आधुनिक ढंग के सुरक्षा यंत्र	Sophisticated Safety Devices on Railways . . .	1040–41
9827.	नवपद से पारलाकिमिडी तक और पारलाकिमिडि से गुणपुर स्टेशनों के बीच बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel between Naupada-Parlakimidi and Parlakimidi Gunupur Station .	1041–42
9828.	हावड़ा, खुर्दा रोड और वाल्टेयर डिवीजनों में बी० टी० एम० और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला	Transfer of B.T.M. and Class IV Workers in Howrah, Khurda Road and Waltair Divisions	1042
9829.	जूतों का निर्यात	Export of Shoes . .	1042–43
9830.	ग्रेफाइट की आवश्यकता	Requirement of Graphite	1043
9831.	सवाई माधोपुर में पाये गये खनिज पदार्थ	Minerals Found in Sawai Madhopur	1043–44
9832.	अनुसचिवीय कर्मचारी	Ministerial Staff . . .	1044
9833.	खादी ग्राम उद्योग भवन, नई दिल्ली की कर्मचारी कल्याण निधि	Workers' Benefit Fund of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi . . .	1044

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9834.	खादी ग्रामोद्योग भवन में मिलावटी शहद की बिक्री	Sale of Adulterated Honey in Khadi Gramodyog Bhawan	1044–45
9835.	नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में अंशदायी भविष्य निधि की सुविधाएं	C.P.F. Facilities in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi	1045
9836.	खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Employees of Khadi Gramodyog Bhawan . .	1045
9837.	आयात, लाइसेंस	Import Licences . .	1045–46
9838.	आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import Licences .	1046–47
9839.	आयात लाइसेंस	Import Licences . .	1047–48
9840.	खामगांव-जालना रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण	Survey for Khamgaon-Jalna Rail Link	1048
9841.	देहरादून एक्सप्रेस	Dehradun Express . . .	1048
9842.	रूस को रेलवे माल डिब्बों का सम्भरण	Supply of Railway Wagons to USSR	1049–50
9843.	केरल में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Kerala	1050
9844.	जेनेवा में व्यापार तथा विकास बोर्ड की बैठक	Meeting of Trade and Development Board in Geneva . .	1050
9845.	तिरुवैशम्बूर में उच्च दबाव वाला बायलर संयंत्र	High Pressure Boiler Plant, Triverumbur . . .	1051
9846.	काजू का निर्यात	Export of Cashewnuts .	1051–52
9847.	केरल में रबड़ के बागान	Rubber Plantations in Kerala .	1052
9848.	सियालदाह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और पुलिस के बीच मुठभेड़	Clash between Passengers and Police at Sealdah Station .	1052–53
9849.	कृषि उपकरणों के सीमा-शुल्क मुक्त उपहार	Customs free Gifts of Agricultural implements . . .	1053
9850.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earnings from UNCTAD-II . . .	1053–54
9851.	सहकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in Co-operative Sector	1054
9852.	कलकत्ता की एक रासायनिक फैक्टरी में आग लगने की घटना	Fire in Chemical Factory, Calcutta	1054

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9853.	फाउन्डरी फोर्ज प्लान्ट	Foundry Forge Plant . .	1054-55
9854.	भारत-अफगानिस्तान व्यापार	Indo-Afghan Trade . .	1055-56
9855.	मैसर्स भारत फ्रीट्ज वग्नर लिमिटेड	M/s. Bharat Fritz Werner Ltd.	1056
9856.	कोआपरेटिव काटन मिल, बुलन्दशहर	Co-operative Cotton Mill, Bulandshahr . . .	1056-57
9857.	पठानकोट से जवानवालानगर तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge Line from Pathankot to Jawanwala City . .	1057
9858.	सहरसा जिला में पुरानी रेलवे लाइनों को पुनः चालू करना	Reopening of old lines in District Saharsa	1057
9859.	गुजरात में फ्लूराइड के निक्षेप	Deposits of Fluoride in Gujarat	1057
9860.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों की बिक्री के लिये एजेंसी	Agency for Sale of H.M.T. Watches	1057-58
9861.	शालीमार स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के कमर्शियल क्लर्क	Commercial Clerks of Shalimar Station (S.E. Rly). . .	1058-59
9862.	लौह अयस्क का मूल्य ढांचा	Price Structure of Iron Ore .	1059
9863.	सलाहकार संगठन	Consultancy Organisations .	1059-60
9864.	औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति	Industrial Licensing Policy .	1060-61
9865.	भारतीय रेलों में बुकस्टाल	Bookstalls on Indian Railways .	1061-62
9866.	"डाई राउरकेला डैंचेन" नामक पुस्तक	Publication entitled 'Die Rourkela Dentchen' . . .	1062
9867.	दुर्गापुर में जाली कारखाने	Ghost Factories at Durgapur .	1062-63
9868.	लक्खीसराय स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त के आरम्भिक तथा अन्तिम प्रतिवेदन	Preliminary and Final Report of Commissioner of Railway Safety on Luckeesarai Accident	1063-64
9869.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की घड़ियां	H.M.T. Watches . .	1064
9870.	स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल रिफाइनरी	Standard Vaccum Oil Refinery .	1064-65
9871.	कच्चे माल का नियतन	Allotment of Raw Materials .	1065
9872.	तेल तथा तारकोल के ढोलों का निर्माण	Manufacture of Oil Barrels and Bitumen Drums . .	1065
9873.	सिगनल इन्टरलाकिंग मेन्टेनर	Signal Interlocking Maintainers	1066
9874.	उज्जैन में सिंहस्थ मेले में जाने वाले दर्शकों को रेल की रियायत	Rail Concession to Visitors to Sinhasth Fair at Ujjain .	1066

अता० प्र० संख्या U. S. Q. o.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9875.	लक्खीसराय स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Luckeesarai Station	1066–67
9876.	सूती कपड़ा उद्योग	Textile Industry . .	1068
9877.	कलकत्ता की मेहसी बटन इन्डस्ट्री	Mehsi Button Industry .	1068
9878.	समस्तीपुर से नरकटियागंज की बड़ी लाइन	Broad Gauge Line from Samastipur to Narkatiaganj . .	1069
9879.	आयातित ऊन का आवंटन	Allocations of Imported Wool	1069–70
9881.	कारों और स्कूटरों की बुकिंग	Booking for Cars and Scooters	1070
9882.	क्रोम लैदर का उत्पादन	Production of Leather Chrome	1070
9883.	जूतों का निर्यात	Export of Shoes . .	1071
9884.	वाणिज्यिक क्षेत्र में रेलवे के कार्यकलापों के बढ़ाने का अभियान	Drive to increase Railway Activities in Commercial Field	1071
9885.	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसियेशन	All India Station Masters' Association	1071–72
9886.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation . . .	1072
9887.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation . . .	1072
9888.	औजारों और धातु मिश्रित इस्पात के रद्दी टुकड़ों का निर्यात	Export of Tool and Alloy Steel Scrap	1073
9889.	रद्दी लोहे के निर्यातकों को आयात लाइसेंस देना	Issue of Import Licences to Scrap Exporters . . .	1073–74
9890.	बाटा शू कम्पनी द्वारा जूतों का निर्यात	Export of Shoes by Bata Shoe Co.	1074
9891.	बिहार में रेलवे स्टेशनों के नाम लिखना	Writing of names of Railway Stations in Bihar . .	1074
9892.	सरकारी उपक्रमों द्वारा कोयले की खरीद	Purchase of Coal by Public Undertakings	1075
9893.	कोयले का मूल्य	Price of Coal . . .	1075–76
9894.	सरकारी क्षेत्र में कताई मिलें	Spinning Mills in Public Sector	1076
9895.	स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन	Steel Re-rolling Mills Association	1076–77
9896.	इंडिया बैल्टिग एंड काटन मिल्स, लिमिटेड, सीरामपुर	Indian Belting and Cotton Mills Ltd., Serampore . . .	1077
9897.	मद्रास में माइक्रो-वेव रेडियो टेलीफोन लिंक	Micro-Wave Radio Telephone Link in Madras . . .	1077–78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9898.	गाय बैल की चर्बी का निर्यात	Export of Bovine Fat .	1078
9899.	खालों और चमड़े का निर्यात	Export of Hides and Skins	1078
9900.	जापान से इस्पात का आयात	Import of Steel from Japan .	1079
9901.	पूर्वोत्तर रेलवे की रेलवे पयोक्ता सलाहकार समितियां	Railway Users Consultative Committee of North Eastern Railway . . .	1079
9902.	रद्दी लोहे का निर्यात	Export of Scrap . . .	1079–80
9903.	ढोलों का निर्माण	Manufacture of Barrels . .	1080
9904.	कोयले के वैगन	Coal Wagons	1080–81
9905.	कीमती पत्थरों की बरामदगी	Recovery of Valuable Stones	1081
9906.	भारत-रूस व्यापार	Indo-Soviet Trade . . .	1081
9907.	निर्यात की नई वस्तुएं	New Items of Exports . .	1081–82
9908.	दिल्ली में भूमिगत रेलवे	Underground Railway in Delhi	1082
9909.	उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय के मशीन सेक्शन में कनसोल आपरेटर	Console Operators in Machine Section of Northern Railway Headquarters . . .	1082–83
9910.	10 डाउन एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ी	10 Down Express Passenger Train	1083
9911.	खेत्री तांबा परियोजना को डबला में मेन लाइन से जोड़ने के लिये रेलवे लाइन	Railway line connecting Khetri Copper Project with Main line at Dabla	1083–84
9912.	खड़ियाल रोड स्टेशन	Kharjar Road Station . .	1084
9913.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड	Durgapur Project Ltd. . .	1085
9914.	आयातित वस्तुओं के स्थान पर उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन	Import Substitution . .	1085
9915.	लघु उद्योग	Small Scale Industries . .	1085–86
9916.	आयात की नई नीति का हीरे जवाहरात के व्यापार पर प्रभाव	Impact of New Import Policy on Jewel Trade . . .	1086
9917.	गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा लाभ की राशि को पुनः उद्योगों में लगाना	Ploughing back of Profits by Private Sector Industries .	1086–87
9918.	समस्तीपुर जिले में रेलवे लाइनों का विस्तार	Extension of Railway lines in Samastipur District . .	1087
9919.	सियालदाह-पठानकोट एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लग जाना	Burning of a bogie of Sealdah-Pathankot Express . .	1087–88
9920.	छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries .	1088

अता० प्र० संख्या U.S. . Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9921.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	H.E.C. Ranchi .	1088
9922.	मध्य प्रदेश को अल्यूमीनियम की सप्लाई	Supply of Aluminium to Madhya Pradesh . .	1089
9923.	मध्य प्रदेश के लिये अल्यूमीनियम का कोटा	Quota of Aluminium for Madhya Pradesh	1089
9924.	मध्य प्रदेश के लिये स्टैनलैस स्टील का कोटा	Quota of Stainless Steel in Madhya Pradesh . .	1089-90
9925.	भूमिगत जल संसाधन	Underground Water Resources	1090
9926.	बैलाडिला में लोहे अयस्क का उत्पादन	Production of Iron Ore in Bailadila . . .	1090-91
9927.	चर्चगेट तथा विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनों का भूमिगत सम्पर्क	Underground Link-up of Churchgate and Victoria Terminus Station	1091
9928.	रेलवे भोजन व्यवस्था तथा यात्रियों की सुविधाओं सम्बन्धी समिति	Committee on Railway Catering and Passenger Amenities .	1091-92
9929.	समवाय सचिवों की संस्था	Institute of Company Secretaries	1092-93
9930.	गोवा में रेलवे का हस्तान्तरण	Transfer of Railway in Goa .	1093
9931.	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये अर्जित भूमि	Land Acquired for Public Sector Projects	1093-94
9932.	बाक्साइट के निक्षेप	Bauxite Deposits . . .	1094
9933.	रेलवे के सहायक इंजीनियर	Assistant Engineers on Railways	1094-95
9934.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1095
9935.	यवतमाल से अचलपुर छोटी लाइन सेक्शन	Yeotmal Achalpur Narrow Gauge Section . . .	1095-96
9936.	उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa	1096
9937.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings .	1096-97
9938.	मध्य रेलवे में पदों का भरा जाना	Filling up of Posts on the Central Railways	1097-98
9939.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आयात किये जाने वाले पुर्जों और उपकरणों के स्थान पर देशी पुर्जों और उपकरणों का प्रयोग	Import Substitution on Public Sector Undertakings . .	1098
9940.	निर्यात लक्ष्य	Export Targets . . .	1098-99

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9941.	कोट्टायम के निकट अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory Near Kottayam	1099
9942.	विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना	Special Alloy Steel Plant . .	1099
9943.	सूडान में हुई भारतीय व्यापार तथा औद्योगिक प्रदर्शिनी	Indian Trade and Industrial Exhibition held in Sudan .	1099–1100
9944.	लौंग का आयात	Imports of Cloves . . .	1100
9945.	पश्चिम रेलवे के खजांची	Cashiers on Western Railway	1100–01
9946.	टायर तथा ट्यूबों का निर्माण	Production of Tyres and Tubes	1101
9947.	अपर इंडिया एक्सप्रेस में विदेशियों का लूटा जाना	Looting of Foreigners in Upper India Express . . .	1102
9948.	अपर इंडिया एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	Derailment of Upper India Express	1102
9949.	रेलों में लूटपाट, डकैती, अपहरण तथा हत्याओं की घटनाएं	Looting, Dacoity, Kidnapping and Murder Incidents on Railways	1102–03
9950.	मुरादाबाद में व्यक्तियों से फिश प्लेटों का बरामद किया जाना	Recovery of Fish Plates from Persons in Moradabad . .	1103
9951.	समाजवादी देशों के साथ व्यापार	Trade with Socialist Countries	1103
9952.	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel . .	1103–04
9953.	अशोधित पेट्रोलियम कोक का निर्यात	Export of Raw Petroleum Coke	1105
9954.	अशोक पेपर मिल्स	Asoka Paper Mills . . .	1105–06
9955.	कपास पैदा करने वाले किसानों को मूल्य के सम्बन्ध में गारन्टी	Price Guarantee to Cultivators of Raw Cotton . . .	1106
9956.	कम्पनियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Companies	1106
9957.	कुछ कम्पनियों को नियत की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Allotted to Certain Companies . .	1107
9958.	कुछ कम्पनियों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Allotted to Certain Companies . .	1107
9959.	कुछ कम्पनियों को नियत की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Allotted to Certain Companies . .	1108
9960.	हिन्दुस्तान सेन्ट्रल इंडस्ट्रीज लिमिटिड, नागलोई, दिल्ली	. . . . .	1108
9961.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings .	1108
9962.	कपड़े के मूल्य	Prices of Cloth . . .	1109
9963.	रेयन कपड़े के निर्यात मूल्य	Export Price of Rayon Textiles	1109

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECTS	पृष्ठ/ PAGES
9964.	उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर को दिया गया लोहे और इस्पात का कोटा	Quota of Iron and Steel given to Uttar Pradesh and Jammu & Kashmir . . .	1109
9965.	छोटी कार परियोजना	Small Car Project . .	1110
9966.	जमालपुर वर्कशाप में खलासी	Khalasis in Jamalpur Workshops	1111
9967.	मैसर्स कूपर ऐलन कम्पनी, कानपुर	M/s. Cooper Allen Co. of Kanpur . . .	1111
9968.	हिन्दुस्तान स्टील द्वारा निर्मित माल के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of Prices of Hindustan Steel Products . . .	1111
9969.	रेलवे के स्टालों में बिकने वाली चाय और काफी के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Tea and Coffee sold at Railway Stalls . .	1112
9970.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration .	1112
9971.	अलौह धातुओं की कमी	Shortage of Non-Ferrous Metals	1112–15
9972.	रूस से रासायनिक उर्वरकों का आयात	Import of Chemical Fertilizers from U.S.S.R. . . .	1115–16
9973.	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters .	1116
9974.	नीवेली में उत्पादित यूरिया	Urea Produced at Neyveli	1116
9975.	कलमास्सेरी में परीमियर टायर	Premier Tyre Factory at Kalamassery	1117
9976.	टाइटेनियम प्रोडक्ट्स, त्रिवेन्द्रम	Titanium Products, Trivandrum .	1117–18
9977.	रेलवे के माल डिब्बों से राशन वाली वस्तुओं की चोरी	Theft of Rationed Items from Railway Wagons . . .	1118
9978.	रेलवे के बिजली कर्मचारियों के अभ्यावेदन	Representations from Railway Electrification Staff . .	1118
9979.	कांगड़ा चाय विपणन सहकारी समिति	Kangra Tea Marketing Co-operative Society . .	1118–19
9980.	प्रथम श्रेणी के रेलवे अधिकारियों द्वारा सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में ज्ञापन	Memorandum from Class I Railway Officers *Re.* conditions of Service	1119
9981.	रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंस प्राप्त कुली तथा विक्रेता	Licensed Coolies and Vendors at Railway Stations . .	1119–20
9982.	टोंक, राजस्थान में चमड़ा कारखाना	Leather Factory in Tonk, Rajasthan . . .	1120
9983.	कोयले का निर्यात	Export of Coal	1120
9984.	नरसिंहपुर जिले में खनिजों का सर्वेक्षण	Survey of Minerals in Narsinghpur District	1120–21

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9985.	आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड	Invention Promotion Board	1121
9986.	अखिल भारतीय गार्डस परिषद्, बीकानेर डिवीजन से ज्ञापन	Memorandum from All India Guards' Council, Bikaner Division	1121–22
9987.	टेलीफोन आपरेटरों की पदालि	Cadre of Telephone Operators	1122
9988.	नई दिल्ली में डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट के कार्यालय के टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगना	Fire in Telephone Exchange of D. S. Office, New Delhi .	1122–23
9989.	तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों का द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिये चयन	Selection of Class III staff for promotion to Class II . .	1123
9990.	सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र	Steel Plants in Public Sector	1123
9991.	केरल में टाइटेनियम उद्योग समूह	Titanium Complex in Kerala .	1123–24
9992.	रबड़ के मूल्य	Prices of Rubber .	1124
9993.	रबड़ का आयात	Import of Rubber . . .	1124
9994.	पटसन और रूई के व्यापार के लिये राज्य निगम	State Corporations for Jute and Cotton Trade . . .	1124–25
9995.	'सेफ्टी ग्लास' के निर्माता	Manufacture of Safety Glass	1125
9996.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट, कानपुर	Electroplating Plant, Kanpur .	1125–26
9997.	कलकत्ता में चाय क्रय बोर्ड	Tea purchasing board at Calcutta	1126
9998.	उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम रेलवे की सिग्नल दूर संचार शाखा में रेलवे कर्मचारी	Railway employees in Signal tele-communication branches of Northern, Southern and Western Railway . . .	1126
9999.	अफगानिस्तान से फलों का आयात	Import of fruit from Afghanistan	1126–27
10000.	उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता	Unutilised capacity of Industries	1127
10001.	कपड़े की मिलों को लाइसेंस दिया जाना	Licensing of Textile Mills	1127
10002.	बरवाहा स्टेशन के निकट दुर्घटना	Accident near Barwaha Station	1127
10003.	मथुरा और वृन्दावन के बीच मीटर लाइन	Metre Gauge Line between Mathura and Brindaban .	1128
10004.	यालाविगी तथा भरवारी स्टेशनों पर दुर्घटनायें	Accident at Yalavigi and Bharwari Stations .	1128
10005.	उत्तर प्रदेश को नालीदार चादरों का कोटा	Quota of corrugated sheets to U.P.	1129

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
10006.	उत्तर प्रदेश में उद्योग	ndustries in U.P. .	1129–30
10007.	दक्षिण मध्य रेलवे जोन	South-Central Railway Zone .	1130
10008.	दक्षिण मध्य रेलवे जोन	South-Central Railway Zone .	1130–31
10009.	श्रीकाकुलम जिले में भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Underground water survey in Srikakulam District . .	1132
10010.	स्टील का फर्नीचर	Steel Furniture . .	1132
10011.	तिरुनेलवे जंकशन के रेलवे फाटक पर उपरि पुल	Overbridge on Railway Level Crossing in Tirunelveli Jn.	1132–33
10012.	सितारं का निर्यात	Export of Sitars . . .	1133
10013.	दिल्ली में स्कूटर टायरों की कमी	Shortage of Scooter tyres in Delhi	1133–34
10014.	संकटग्रस्त सूती कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills . . .	1134–35
10015.	पूर्व रेलवे के परिवहन तथा वाणिज्यिक विभाग के अधिकारी	Officers of Transportation and Commercial Department of Eastern Railway . . .	1135–36
10018.	त्रिपुरा में कागज का कारखाना	Paper Plant in Tripura . .	1136
10019.	त्रिपुरा में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Tripura .	1136–37
10020.	त्रिपुरा में पटसन की मिल	Jute Mill in Tripura .	1137–38
10021.	औद्योगिक पारेषण पट्टियां	Industrial Transmission Belts .	1138
10022.	आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Import Licences	1138–39
10023.	आयात लाइसेंस जारी करना	Issue Import Licences	1139–40
10024.	बम्बई केरलीय समाजम् के प्रतिनिधियों का ज्ञापन	Memorandum by Bombay Keraleeya Samajam . . .	1140
10025.	आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import Licences .	1140–41
10026.	आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Import Licences	1141–42
10027.	आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import Licences .	1142
10028.	आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import Licences .	1142–43
10029.	पटसन के आयात के सम्बन्ध में राज सहायता की अदायगी	Payment of subsidy on jute imports . . .	1143–44
10030.	मैसर्स निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी को ठेके	Contracts to M/s. Nippon Electric Company	1144–45
10031.	निदेशकों का पारिश्रमिक	Remuneration of Directors	1145–46
10032.	अम्बाला शहर के रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बिक्री	Sale of tickets at Ambala City Station . . .	1146

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
10033.	वायदा व्यापार के लिये बम्बई में फर्मों पर छापे	Raids on firms in Bombay for Forward Trading . .	1146–47
10034.	वायदा व्यापार के विरुद्ध बम्बई में फर्मों पर छापे	Raids on firms in Bombay for Forward Trading . . .	1147
10035.	वैगन बनाने वाले उद्योगों को दिये गये आर्डर	Orders on Wagon Building Industry	1148
10036.	काली मिर्च का निर्यात	Exports of Black Pepper .	1148–50
10037.	दक्षिण मध्य रेलवे में रेल पथ निरीक्षकों का चयन	Selection of Permanent way inspectors on S.C. Rly. . .	1150
10038.	दिल्ली में टायरों का भण्डार रखना	Shortage of Tyres in Delhi .	1150–51
10039.	गंगापुर नगर में व्यापारियों द्वारा बुक कराये गये मालगाड़ी के डिब्बे	Railway Wagons Booked by Traders at Gangapur City .	1151
10040.	पश्चिम रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर माल डिब्बों का नियतन	Allotment of Wagons at Railway Stations on Western Railway	1151–52
10041.	माइक्रोवेव टावरों के निर्माण के लिये ठेकों का दिया जाना	Contracts awarded by Railways for Erecting Microwave Towers	1152–53
10042.	हिमालयन पेपर बोर्ड मिल्ज प्राइवेट लिमिटेड	Himalayan Paper Board Mills Private Ltd. . . .	1153–54
10043.	दक्षिण कोरिया को मनुष्यों के बालों की सप्लाई	Supplly of Human Hair to South Korea	1154
10044.	हिन्दुस्तान मोटर्स	Hindustan Motors . .	1154–55
10045.	पटसन आयुक्त के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the Jute Commissioner . . .	1155
10046.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	British India Corporation . .	1155–56
10047.	औद्योगिक क्षमता	Industrial Capacity . . .	1156
10048.	टैक्सी किराया मीटरों का आयात	Import of Taxi Fare Meters .	1157
10049.	मध्य प्रदेश से चने तथा बाजरे का लदान	Despatch of Consignments of Gram and Bajra from Madhya Pradesh	1157
10050.	सेफ्टी ग्लास बनाने वाले समवाय	Safety Glass Manufacturing Companies	1158
10051.	इस्पात से बनी वस्तुओं का लाया-ले-जाया जाना	Movement of Steel Products .	1158–59
10052.	संसद् सदस्यों के लिये टायरों का कोटा	Quota of Tyres for M. Ps. .	1159–60

संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
10053.	उत्तर रेलवे का दिल्ली अस्पताल	Northern Railway Delhi Hospital	1160
10054.	रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के क्लर्क तथा सब-हैड	Clerks Grade I and II and Sub-Heads in Railway Accounts Department . .	1160
10055.	अखिल भारतीय श्रेणी वाह्य (अनग्रेडेड) रेलवे लेखा कर्मचारी संघ	All-India Ungraded Railway Accounts Staff Association .	1160
10056.	उत्तर तथा पश्चिम रेलवे के लेखा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता	T.A. to Northern and Western Railway Accounts Staff .	1160–61
10057.	दिल्ली के उपनगरीय स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का रुकना	Stoppage of Trains at Delhi Suburban Stations . .	1161
10058.	रेलवे बोर्ड में माल डिब्बा निर्माण विभाग का भूतपूर्व निर्देशक	Ex-Director of Wagon Production, Railway Board . .	1161–62
10059.	धोतियों की कमी	Shortage of Dhotis . . .	1162–63
10060.	पूर्वोत्तर रेलवे में ब्रांच लाइन	Branch Line on North-Eastern Railway	1163
10061.	रेलगाड़ियों में विना टिकट यात्रा	Ticketless travel on Railways .	1163–64
10062.	खंडीय (ज़ोनल) रेलों के संचालन में कार्य-कुशलता	Efficiency in working of Zonal Railways . . .	1164
10063.	लघु उद्योग सेवा संस्थायें	Small Industries Service Institutes	1165
10064.	मैसूर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in Mysore	1165
10065.	ग्रामीण औद्योगिक सम्पदा	Rural Industrial Estates . .	1166
10066.	स्टेशनों पर कार्य सम्भालने हेतु श्रम सहकारी समितियां	Labour Cooperative for Handling Works at Stations . .	1167
10067.	राज्य व्यापार निगम में संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक	Joint Divisional Managers in S.T.C.	1167
10068.	पूर्व रेलवे के फायरमैनों द्वारा 'नियमानुसार काम करो' तरीका अपनाया जाना	Observance of Work-to-Rule by Firemen on Eastern Railways	1168
10068ए.	तारकोल से रसायनों का निकाला जाना	Recovery of Chemicals from Coal Tars	1168–69
10068बी.	मूंगफली के दाम	Prices of Groundnut	1169
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1169–70
	जम्मू तथा काश्मीर में तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने के लिये उद्यत पाकिस्तान में घुसपैठियों के एक नये संगठन का कथित अस्तित्व	Reported existence of a new body of infiltrators in Pakistan to carry out sabotage activities in Jammu and Kashmir . . .	1169–70

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
बम्बई के महाराष्ट्र टाइम्स के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege Against the Maharashtra Times, Bombay	1170–71
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	1171–73
सभा का कार्य	Business of the House . .	1173–74
एकाधिकारात्मक तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं विधेयक	Monoplies and Restrictive Trade Practices Bill . . .	1174
संयुक्त समिति की नियुक्ति	Appointment to Joint Committee	1174
सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक पुर: स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव	Estate Duty (Amendment) Bill Motion for leave to introduce	1174–75
सिविल प्रतिरक्षा विधेयक	Civil Defence Bill . . .	1175–77 1178–81
विचारार्थ प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री प० गोपालन	Shri P. Gopalan . .	1175–76
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	1176–77
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	1177
श्री के० एस० रामास्वामी	Shri K. S. Ramaswamy .	1177
खंड 2 से 20 तथा 1	Clauses 2 to 20 and 1 .	1179–80
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended .	1181
शपथ-पत्र के परिचालन के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement *Re.* Circulation of Affidavit	1178
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon .	1178
पांडिचेरी (विधियों का विस्तारण) विधेयक	Pondicherry (Extension of Laws) Bill	1181–91
विचारार्थ प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	1181–82
श्री जेवियर	Shri S. Xavier . .	1182–83
श्री न० सेतरामान्	Shri V. N. Sethurama . .	1183
श्री० वी कृष्णमूर्त्ति	Shri V. Krishnamoorthi .	1183
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	1183–84
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	1184
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	1184
श्री इसहाक सांभली	Shri Ishaq Sambhali	1185
श्री रमानी	Shri K. Ramani . .	1185–86
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	1186
खंड 2 से 7 तथा 1	Clauses 2 to 7 and 1 . .	1188–90

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
संशोधित रूप में विधेयक पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	1190–91
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	1190
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu . . .	1190
संविद श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) विधेयक	Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill . .	1191–92
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee	
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	1191–92
केन्द्रीय विधियों (जम्मू तथा काश्मीर पर विस्तारण) विधेयक	Central Laws (Extension to Jammu & Kashmir) Bill .	1193–98
विचारार्थ प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	1193
श्री ब्रज भूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal .	1193
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita .	1193
श्री उमानाथ	Shri Umanath . .	1193–94
श्री पे० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	1194
श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	1194–95
डा० मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu	1195
श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A. K. Sarma .	1195
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav . .	1195–96
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur . .	1196
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	1196
	Shri Kushok Bakula	1196–97
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra .	1197
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok .	1197–98
गोवा, दमन और दीव (समाविष्ट कर्मचारियों की सेवा शर्तें) संशोधन नियम में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव—वापस लिया गया	Motion Re. Modifications to Goa, Daman and Diu (Absorbed Employees conditions of Service) Amendment Rules—withdrawn	1198–1202
श्री सेक्वीरा	Shri Erasmo de Sequeira .	1198–1200
श्री शिंकरे	Shri Shinkre . .	1200

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री उमानाथ	Shri Umanath	1200–01
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	1201
कच्छ में संसद् सदस्यों के अवरुद्ध किये जाने और रोके जाने के बारे में चर्चा तथा कच्छ निर्णय के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिये गये वक्तव्य पर प्रस्ताव	*Re*: Discussion on Restraint and Removal of M.Ps. in Kutch and Motion on statement made before Delhi High Court about Kutch Award	1202–04
कच्छ जिले के खावड़ा में कुछ संसद् सदस्यों के अवरुद्ध किये जाने और हटाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा	Discussion *Re*: Restraint and Removal of some Members of Parliament at Khavda, Kutch District . . .	1204–05
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	1204
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	1204
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	1205

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 7 मई 1968/17 वैशाख, 1890 (शक)

Tuesday, May 7, 1968/Vaisakha 17, 1890 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये।]
[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Confiscation of Shares of Indian Hotels by Pakistan

***1677. Shri Yashpal Singh : Shri Hardayal Devgun : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Pakistan had declared the shares of Five Indian hotels confiscated during the 1965 Indo-Pak conflict as enemy property;

(b) whether it is also a fact that now Pakistan has permitted an International Airways Company to purchase the said shares; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) & (b). According to the Pakistan Press Reports, the Government of Pakistan have declared four hotels in West Pakistan owned by an Indian company as "enemy property". In a Gazette Notification of 3rd November, 1967, the Pakistan Government have vested the Indian shares of another hotel in West Pakistan in the Custodian of Enemy Property (Pakistan). The Press reports further reveal that the Government of Pakistan have allowed the Pakistan International Airlines Corporation to purchase all the Indian shares of these hotels as well as the shares of the Pakistanis if they are willing to part with their shares.

(c) The Government of India have protested against the illegal utilisation, transfer and disposal of Indian properties/assets and reserved their rights to full compensation for the loss and damage of properties and assets of Indians. The Government have called upon the Pakistan authorities to discuss the question of return of properties and assets taken over by either side at an early date. Their reply is still awaited.

Shri Yashpal Singh : I want to know why did the Government adopt a policy of playing second fiddle when our shares were confiscated and why their shares were not confiscated and why their property worth Rs. 2 arabs was returned to them particularly when Pakistan was playing mischief ? After all, what will be the results of this policy of playing second fiddle ?

M 29LSS(CP)/68—3

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, I have submitted that the property of Indians there was declared as "enemy property" by Pakistan and in spite of our protest they have declare it as "enemy property" and they have authorised the Airlines to purchase shares of those properties. So, it does not mean that we have not done any thing in this direction and that we accepted it. We too have put the immovable property of Pakistan under the custody of the Custodian of Enemy Property for the time being.

Shri Yashpal Singh : I want to know that as the hon. Prime Minister talks about Tashkent every now and then, whether you have signed any such treaty to the effect that even if Pakistan violates the Tashkent Agreement you shall still worship that Agreement ?

Shri Dinesh Singh : No, Sir.

Shri Hardayal Devgun : Sir, Pakistan declares the property of Indians as "enemy property" and confiscates the same, whereas our Government return their property *i.e.*, the property belonging to Pakistan Airlines and Pakistan Telecommunications. You have returned, in turn, the Pakistani boats which you captured in the Rann of Kutch area. So, in view of Pakistan's policy which has been prevailing for the last 20 years, may I know whether the Government will ensure to act upon a policy of 'resprocity' and 'tit for tat' towards Pakistan; and that no Pakistani property will be returned to them until they are prepared to release Indian property ?

Shri Dinesh Singh : If the hon. Member wants to express that we should adopt a strong policy in this regard, then, Mr. Speaker, I agree with him and we do have a strong policy in this connection. So far as the policy of 'tit for tat' is concerned. I do not think that we tie our policy with that of others so as to start following then in whatever they do.

Shri Ram Gopal Shalwale : Since her very birth, Pakistan has been using mischievious political tactics in order to destroy or confiscate Indian property. Could the Indian Delegation know about the confiscation of the shares of these five hotels by Pakistan at the time of this Agreement which came into being under certain conditions of cease-fire after Pakistan's attack in 1965 ? If yes, then I want to know what was decided in this regard while executing this Agreement ? If not, what is the Government doing in regard to getting back the shares of those hotels ?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member is reading very fast.

Shri Ram Gopal Shalwale : Besides this,how much of the 230 crores rupees, given to Britain on account of dues towards Pakistan, has been recovered from Pakistan ? If none, then what is the amount, including interest for the last 20 years outstanding against Pakistan, and what arrangements were made to recover this money ?

Shri Dinesh Singh : I have submitted that the hon. Member is reading very fast and I am unable to follow it. Anyhow, so far as the Tashkent declaration is concerned, it was placed on the Table of the House and the whole House is fully aware of it.

Shri Deven Sen : I want to know as to how worth property and cash was confiscated ?

Shri Dinesh Singh : By whom ? I don't follow. From our side or theirs ?

श्री हेम बरुआ खड़े हुए

श्री नाथ पाई : माननीय सदस्य श्री देवेन सेन ने प्रश्न किया जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वयं प्रश्न कर दिया। स्वभावत: ही, पाकिस्तान ने सम्पत्ति जब्त की है।

श्री दिनेश सिंह : प्रवास के समय पाकिस्तान ने जो भारतीय नागरिकों से अचल सम्पत्ति जब्त की उसका मूल्य 2,74,060 रुपये था। भारतीयों द्वारा पाकिस्तान में गृहीत अचल सम्पत्ति, जिसे पाकिस्तान ने जब्त कर लिया, उसका मूल्य 10,28,41,050 रुपये है। पश्चिमी बंगाल, असम के मध्य लाते-लेजाते समय पाकिस्तान द्वारा जब्त माल का मूल्य 4,00,13,810 रुपये था और भारतीय समुद्री-जहाज़ों, मोटर द्वारा चालित जलयान, फ्लेटों तथा साईट-पैडल्ड स्टीमरों आदि का मूल्य 6,73,30,656 रुपये था। पश्चिमी बंगाल से असम लाते-लेजाते समय पाकिस्तान द्वारा जब्त भारतीय पटसन माल का मूल्य 2,26,15,536 रुपये था।

श्री नाथ पाई : इसे जोड़िये तथा ठीक-ठीक आंकड़े बताईये।

श्री दिनेश सिंह : मैं यह जानकारी पहले ही सदन को दे चुका हूं। मैं इसे फिर क्यों शुरू करूं?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न होटलों के बारे में था। पांच भारतीय होटलों के बारे में। अब श्री हेम बरुआ।

श्री हेम बरुआ : ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत, भारतीय और पाकिस्तानी वाणिज्य मन्त्रियों की एक बैठक रावलपिन्डी में हुई थी। क्या यह सत्य है कि वहां पर पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति के प्रश्न पर चर्चा हुई थी? क्या यह भी सत्य है कि सम्मेलन में निश्चय किया गया था कि पाक द्वारा हस्तगत भारतीय सम्पत्ति के प्रश्न पर बात-चीत का एक और दौर होगा?

श्री दिनेश सिंह : जैसाकि मैंने अपने उत्तर के मसौदे में कहा, हम लगातार पाकिस्तान पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वह जब्त किये गये भारतीय माल को लौटाये। जब भी मुझे वाणिज्य मंत्री से मिलने का अवसर मिला। मैंने उनसे कहा कि हमें इस मामले को यथासम्भव शीघ्रता से निपटाना चाहिये। परन्तु हमें पाकिस्तान की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री चप्पला कांत भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा कि पाकिस्तान के साथ वह 'जैसे को तैसा' की नीति पर चलने को तैयार नहीं हैं। तो क्या वह पाकिस्तान के साथ तुष्टिकरण की नीति पर चलना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री मधोक!

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि पाकिस्तान ने हमारी 22 करोड़ रुपय की सम्पत्ति जब्त कर ली है जबकि हमने केवल 2 लाख तथा कुछ हजार रुपये की ही सम्पत्ति जब्त की है।

Shsi Dinesh Singh : When did I say so?

Shri Balraj Madhok : What you stated just now that totals to Rs. 22 crores. You see yourself and speak out the total.

Shri Dinesh Singh : I could not read that in full.

श्री बलराज मधोक : उन्होंने कहा है कि हमने तो पाकिस्तान की अचल सम्पत्ति जब्त की है जबकि पाकिस्तान ने हमारी दसियों करोड़ रुपये की चल-सम्पत्ति जब्त की है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार क्या है? क्या केवल देने का और वापस न लेने का है? यह आधार लेन और देन की नीति का होना चाहिये। यदि पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब नहीं आता, तो क्या वह इस बात के लिये तैयार है कि (1) भारत में स्थित पाक नागरिकों की सारी चल सम्पत्ति जब्त कर ली जाये; (2) अस्थायी अथवा स्थायी बीसों पर आये सारे पाकिस्तानी राष्ट्रकों को भारत से निकाल दिया जाये; क्या वह इस नीति का अनुसरण करने को तैयार है ताकि पाकिस्तान भी भारत के प्रति अपने रवैये को परिवर्तित करने को मजबूर हो; (3) ताशकन्द घोषणा के अनुसार हमें पाकिस्तान के साथ अपने सारे झगड़े शान्ति के तरीक़ों से हल करने हैं, परन्तु पाकिस्तान तो हमारे साथ बराबर युद्धकारिता का वातावरण तथा लड़ाई का रवैया बनाये रखता है। इस दृष्टि से क्या फिर भी सरकार ताशकन्द समझौते से चिपके रहना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के केवल प्रथम भाग का ही उत्तर दिया जाये।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक प्रथम भाग का सम्बन्ध है मुझे भय है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर से एक बड़ा ही भ्रमात्मक अर्थ लिया है। कस्टोडियन आफ़ एनिमी प्रापरटी हमारे द्वारा लगाई गई सम्पत्ति के मैंने कोई आंकड़े नहीं दिये हैं। मैं तो केवल जब्त की गई सम्पत्ति के बारे में आंकड़े दे रहा था और वे भी पूरे नहीं क्योंकि मैं बीच में रुक गया था। जहां तक हमारे द्वारा निहित सम्पत्ति का सम्बन्ध है, उसकी राशि तो 27,15,00,000 रुपये होती है।

श्री कृष्ण कुमार चेटर्जी : क्या यह ताशकन्द समझौते का घोर उल्लंघन नहीं है कि इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने हमारी सम्पत्ति जब्त कर ली? इसको देखते हुए क्या पाकिस्तान को यह कहा गया था कि वह इसका मुआवज़ा दे?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ताशकन्द समझौते का उल्लंघन हुआ है। जहां तक सम्पत्ति को वापस करने का सवाल है, हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि उसके द्वारा जब्त यह सारी सम्पत्ति वापस की जानी चाहिये और उनके द्वारा जब्त किये जाने के अधिकार को स्वीकार नहीं करते।

Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the hon. Minister be pleased to state whether Pakistan Govt. has ever returned the property or given any satisfactory answer in reply to the protest notes sent by Government of India ? The hon. Minister may please also state whether the Government of India are taking certain steps to compensate those Indians whose properties have been confiscated by Pakistan ?

Shri Dinesh Singh : No satisfactory answer has been received, and that is why this discussion is going on. We are assessing the quantum and worth of the properties about which we have been receiving intimations that those properties are being confiscated.

Shri Shashibhushan Bajpai : How worth investment and industry does Mr. Isphabani, the former Indian Banker and the present Pakistani Industrialist, have

in India ? How much investment did he have in the Lailpur branch of Delhi Cloth Mills ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रिजर्व बैंक के सेवा निवृत्त गवर्नर श्री पी०सी० भट्टाचार्य

***1678. श्री जुगल मण्डल** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक के सेवा निवृत गवर्नर तथा केन्द्रीय सरकार के भूत-पूर्व सचिव श्री पी० सी० भट्टाचार्य इस समय किन-किन कम्पनियों के निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन पदों से उन्हें कितना वेतन आदि मिल रहा है; और

(ग) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को ऋण की स्वीकृति देने से पहले इस फर्म के बोर्ड तथा सम्बद्ध प्रबन्ध अभिकरणों में श्री भट्टाचार्य के सम्मिलित किये जाने पर जोर दिया था ?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रैड्डी) :

(क) जहां तक हमारी जानकारी है, "किसी के नहीं" ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री जु० कि० मंडल : क्या भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी अथवा इसके अभिकर्त्ताओं मैसर्ज़ मार्टिन बर्न ने विश्व बैंक ऋण के लिये प्रार्थना की है ? यदि हां, तो उसकी क्या राशि थी, कब यह ऋण स्वीकृत हुआ तथा श्री पी० सी० भट्टाचार्य की किस तारीख को निदेशक के पद पर नियुक्ति हुई ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, नाग्ग
अन्य ब्योरा निम्न प्रकार है :—

आई० आई० एस० सी० ओ०-I : संयंत्र का संक्षिप्त विवरण इस्पात संयंत्र को आधुनिक बनाना तथा उसका विस्तार करना है । समझौते की तिथि 18-12-52, लागत : 2 करोड़ 90.2 लाख अमरीकी डालर ।

दूसरा ऋण, आई० आई० एस० सी० ओ० II : संयंत्र वही है; समझौते की तिथि : 19-12-56 ऋण की धनराशि : 1 करोड़ 99.5 लाख डालर ।

आई० आई० एस० सी० ओ III : संयंत्र : समवाय के कोयला उत्पादन की समथता को बढ़ाना तथा कोयला ढोने के लिये रस्से के मार्ग बनाना । समझौते की तिथि : 22-12-61 : ऋण की धनराशि : एक करोड़ 95 लाख डालर ।

आई० आई० एस० सी० ओ० IV : संयंत्र : इस्पात बनाने की क्षमता को बढ़ाना और वर्तमान रोलिंग मिल तथा फिनिशिंग लाईनों में सुधार करना तथा उन्हें उपयोग करना । समझौते की तिथि : 7-7-67, ऋण की धनराशि : 3 करोड़ डालर ।

जहां तक इस मंत्रालय को जानकारी प्राप्त है तथा जहां तक इस मंत्रालय को स्वयं श्री भट्टाचार्य से मालूम हुआ है, वह मार्टिन एण्ड बर्न, जो कि भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी के प्रबन्धक-अभिकर्त्ता हैं के कभी निदेशक नहीं रहे।

श्री जु० कि० मंडल : इसी प्रकार संघ जन सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी नियमों के अनुसार अवकाश-प्राप्ति के बाद किसी गैर-सरकारी संस्था में कार्य नहीं कर सकते, न ही कोई व्यापार कर सकते हैं तथा न ही सरकारी सेवा में पुनः प्रवेश कर सकते हैं; तो क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनायेगी कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर को भी अवकाश-प्राप्ति के बाद किसी ग़ैर सरकारी संस्था में काम करने की अनुमति न हो?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य के साथ में पूरी तरह सहमत हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, it has been seen that the Secretaries in the Government of India, chairman or Members of Railway Board and similarly the Judges of High Courts and Supreme court, while in service, favour certain big industrial house to appease them....

अध्यक्ष महोदय : इस वृहत् प्रश्न का उत्तर यह मंत्रालय नहीं दे सकता। वह रेलवे तथा अन्य मंत्रालयों के बारे में उत्तर नहीं दे सकते।

Shri Ram Charan : Under the Government Service Conduct Rules, Shri P. C. Bhattacharya, after his retirement, could have not join any private concern upto two years from the date of his leaving Government service. I want to know from when Shri P. C. Bhattacharya had taken permission of the Government of India before joining this Company and had requested the Government to grant the permission by relaxing the rules and thus keep aside the binding of two years? Had the Government permitted him to take up this appointment?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने निवेदन किया था कि श्री भट्टाचार्य कभी भी इस कम्पनी के निदेशक के पद पर नहीं रहे। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है वह भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेखा-सेवा से सम्बन्धित रहे थे तथा उन्होंने इस सेवा से प्रथम मार्च, 1958 को अवकाश प्राप्त किया। बाद में वह रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए।

कम्पनी सचिव डिप्लोमा

1679. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी-सचिव डिप्लोमा प्राप्त बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी सचिव डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की अपेक्षा ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास यह डिप्लोमा नहीं है, रोजगार देने में प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कुछ कम्पनी सचिवत्व में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें निगम क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त नहीं हुई है तथा सरकार मामले पर विचार कर रही है।

(ख) सरकार के पास डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों तथा डिप्लोमाहीन व्यक्तियों के रोजगार के बारे में अभी सूचना प्राप्त नहीं है। फिर भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ मामलों में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति, कम्पनियों के सचिवीय विभागों में नियुक्त करने के लिये चुन लिये गये हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, जिसके अन्तर्गत सरकार अथवा कम्पनी विधि बोर्ड, एक कम्पनी को, केवल कम्पनी सचिवत्व में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति को ही नौकरी देने के लिये बाध्य कर सके। पुनः कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा ही केवल एक ऐसी परीक्षा नहीं है, जो कम्पनियों में सचिवों के पदों के लिये उम्मीदवार तैयार करती हो। कानून स्नातक, अथवा जिन व्यक्तियों ने चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान, लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान, तथा चालू व्यापार प्रबन्ध पाठ्यक्रम संस्थान द्वारा ली गई परीक्षायें पास कर ली है, को भी ऐसे पदों की नियुक्ति के उपयुक्त समझा गया है। फिर भी कम्पनी विधि बोर्ड कम्पनी सचिवत्व में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को, विशेषतः सरकारी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार सुनिश्चित करने के लिये, प्रयास कर रहा है।

Shri Hardayal Devgun : These examinations for company secretaryship started in 1961 and 245 people have passed these examinations; but only 127 of them have been awarded Diploma by the Government. Even then you have not any provision in the company laws so that the companies could be able to appoint them to the post of company Secretary. The companies and the Public Undertakings also have not prepared any plan to secure jobs for them. I, therefore, want to know whether Government will formulate any plan in order to secure jobs for there qualified Secretaries even by amending the Company Act or by giving arbitration to the Public Undertaking if necessary ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर मुझे पता लगता है कि इस परीक्षा में 131 व्यक्ति ही उत्तीर्ण हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, कम्पनी कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जोकि किसी सरकारी क्षेत्र की अथवा किसी गैर-सरकारी कम्पनी को बाध्य कर सके कि वे केवल इन्हीं व्यक्तियों को सचिव के पदों पर नियुक्त करें तथा अन्य विषयों में शिक्षित दूसरे व्यक्तियों को नहीं।

श्री रंगा : क्या आप उनको ऐसी सलाह नहीं दे सकते कि वे उनको प्राथमिकता दें क्योंकि आपने विशेष रूप से उनको प्रशिक्षित किया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम तो केवल सरकारी अनुष्ठानों के कार्यालयों को ही सलाह देते हैं तथा उन लोगों को रोजगार देने के उद्देश्यों से पत्र-व्यवहार के अन्य माध्यमों द्वारा ही ऐसे तत्वों पर प्रभाव डालते हैं, हम अभी एकदम और नया कुछ शायद न कर सकेंगे। हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है। मैंने इंग्लैंड में भी इस स्थिति का अध्ययन किया है। यू० के० कम्पनी अधिनियम के खण्ड 177(1) के अन्तर्गत, उनका कहना है कि एक सचिव होगा तथा एक निदेशक सचिव न होगा। वहां ऐसा कोई विधान नहीं कि केवल किसी विशिष्ट

परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही सचिव बनना चाहिए। मुझे इन व्यक्तियों से निश्चय ही सहानुभूति है जिन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर हम विचार करेंगे।

Shri Hardayal Devgun : My question was that when these examinations were started to get such qualified Secretaries then will there be any plan to fetch these persons employment by amending company Act if found necessary ? Secondly, when it is a convention that the companies recruit the Government servant the Government servants after or prior to their retirement will the Government, then, amend the company Act so as to stop this bad convention of recruiting such people and to provide for recruiting these qualified personnel only ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा तथा माननीय सदस्य के सुझाव का अध्ययन किया जायेगा।

श्री स० कुन्डू : यह मामला केवल कम्पनी सचिवत्व का ही नहीं है। अनेक विषयों के विकास से सम्बन्धित अन्य विभिन्न पाठ्यक्रम भी हैं—जैसे निर्यात-उन्नति पाठ्यक्रम, औद्योगिक इन्जिनियरों के लिए पाठ्यक्रम, औद्योगिक प्रबन्ध आदि। विकासशील देशों में कुल व्यय-राशि का 3 प्रतिशत अनुसन्धान और विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है, जब कि भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में कुल व्यय-राशि का केवल 0.5 प्रतिशत ही इन पर खर्च किया जाता है। क्या मन्त्री महोदय ऐसा कोई निर्देश जारी करेंगे कि अनुसन्धान और विकास कार्यों पर कुल व्यय-राशि का कम से कम तीन प्रतिशत खर्च किया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : यहां यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री स० कुन्डु : जब तक उन पर यह प्रतिबन्ध न होगा तब तक वे इन नवयुवकों को प्रशिक्षण देने के पश्चात् नौकरियों पर न रखेंगे। अनुसन्धान के लिए कुछ धन तो अवश्य ही निर्धारित किया जाना चाहिए अन्यथा सचिव, औद्योगिक इन्जिनियर आदि को रोज़गार न मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह अनुसन्धान के विषय में उत्तर नहीं दे सकते। प्रश्न तो डिप्लोमाधारियों की बेरोज़गारी के बारे में है। मैं नहीं समझता कि यह इस प्रश्न में से उत्पन्न होता है तथा हमें इस बारे में विवाद करके सदन का समय नहीं नष्ट करना चाहिए।

Shri Ram Charan : Does the Government have the figure as to how many students came from abroad after getting Diploma in Company Act but returned back to foreign countries like America, England etc. as they could not get employment here, and how many of them have so far been provided with employment by the Government ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री जहां तक हमारे द्वारा आयोजित परीक्षा का सम्बन्ध है, उसमें कम्पनी सचिवों के लिए डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए 131 व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं। इंग्लैंड उत्तीर्ण हुए लोगों के मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

Pilfering of Railway Property Near Gaya

***1681. Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Police has unearthed a gang near Gaya engaged on pilfering the Railway property to the tune of lakhs of rupees:

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the places to which they belong: and

(c) the action taken by Government against them and the extent of the pilfered goods recovered :

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी नहीं। सच बात यह है कि पूर्व रेलवे में गया के पास मानपुर में माल डिब्बों का दूसरे स्टेशन पर भेज देने का एक मामला हुआ है, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के सीतामढ़ी स्टेशन से पूर्व रेलवे के चितपुर स्टेशन के लिए अलसी के माल डिब्बे बुक किए गए थे। इन माल डिब्बों का गड़हरा स्टेशन पर यानान्तरण कर धोखेधड़ी से मानपुर भेजा गया और जाली रेलवे रसीद पर माल छुड़ा लिया गया।

(ख) दो। ये क्रमश: ग्राम-मेवी, थाना-मेजू, जिला--इलाहाबाद और गया के रहने वाले हैं।

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस, गया, ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419/420/467/468 के अन्तर्गत मुकदमा नं० 6 दायर किया है और इस मामले की अभी जांच जारी है।

Shri Sheopujan Shastri : I want to know as to how many of these criminals are local persons ?

श्री परिमल घोष : पूर्वी रेलवे के महा प्रबन्धक से प्राप्त जानकारी तो यह है कि वास्तव में, गया स्टेशन पर धोखधड़ी से डिब्बों के यानान्तरण का कोई मामला नहीं हुआ है; परन्तु गया स्टेशन के समीप मानपुर में इस प्रकार के दो मामले हुए हैं तथा हमारी जांच बताती है कि इससे गया का एक स्थानीय व्यक्ति सम्बन्धित है और उसे बन्दी बना लिया गया है तथा मामले की जांच हो रही है।

Shri Sheopujan Shastri : Are there certain Railway employees also involved in it ?

श्री परिमल घोष : हमने इस मामले में बिस्तृत जांच की थी तथा यह पता लगा है कि इसमें कुछ रेल कर्मचारियों का भी हाथ है।

Shri K. N. Tiwariy : I want to know whether the Government of Bihar has not claimed five to six crores of rupees from the Railways for loss of food-grains only ? I want to know how much the Government has to pay every year to the Bihar Government on account of pilferage occurring in course of the transportation of goods by Railways ? Also I want to to know as to how many persons of this area have been arrested during last three years and what punishment has been given to them ?

श्री परिमल घोष : इस समय मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं इसकी जांच करने तथा उन्हें जानकारी देने को तैयार हूं।

श्री रंगा : प्रश्न यह है कि क्या बिहार सरकार ने रेलवे बोर्ड से कोई दावा किया था।

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : हर प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में हमारे पास तुरन्त ही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य इस बारे में अलग से प्रश्न रखते हैं तो मैं उन्हें अवश्य जानकारी दूंगा।

श्री रंगा : यह तो केवल तथ्य का प्रश्न है।

श्री चे० मु० पुनाचा : मूल्य और धन के बारे में दावे?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के पास आंकड़े न होंगे परन्तु सामान्यतः क्या उस सरकार ने कोई दावा किया है?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास वह जानकारी नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा तथा माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : विभिन्न स्थानों पर तथा विशेषकर मुगलसराय में माल की चोरी करने वाला एक संयोजित गिरोह है तथा इसमें प्रशासन, रेलवे पुलिस तथा अन्य व्यापारियों का भी हाथ है। क्या यह सत्य है कि प्रशासन के ज्ञान में रहते हुए वस्तुएं नियमित रूप से चुराई जाती हैं और यदि हां, तो क्या रेल मन्त्री को इसकी जानकारी है और इसको रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

श्री परिमल घोष : कुछ चोरी के मामले थे जिनमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल थे। हमने इस मामले पर विचार किया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है; रेलवे सुरक्षा दल को वहां नियुक्त कर दिया गया है तथा हम हर आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न है कि क्या उन्हें इसकी जानकारी कि वहां एक गिरोह है तथा रेलवे पुलिस तथा रेलकर्मचारियों का भी इसमें हाथ है। क्या उन्हें यह मालूम है?

श्री परिमल घोष : हमें कुछ इस प्रकार के मामलों के बारे में मालूम है जिसमें रेलवे कर्मचारियों का हाथ है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : इसके लिए आप ने क्या किया है।

Shri Achal Singh : Is it not true that thefts take place in almost all the goods-sheds at all the important stations like Kanpur etc. and that goods worth crores of rupees are stolen away from there every year? If so, what Government has done to check it?

श्री परिमल घोष : कई स्थानों पर ऐसी बातें किसी सीमा तक ही रही हैं। परन्तु बहुत से उन स्थानों पर जहां से भारी मात्रा में माल का लाया ले जाना होता है, उन सब क्षेत्रों में विशेष रूप से वहां जहां इस प्रकार की चीजों की चोरी करने वाले कुख्यात लोग है, हम रेलवे सुरक्षा दल के लोगों को गश्त लगाने के लिए नियुक्त कर रहे हैं।

श्री दिनकर देसाई : ऐसी एक भावना व्याप्त है कि पिछले कुछ वर्षों से रेलवे में चोरियां बढ़ रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भावना सही है; और यदि हां, तो इन चोरियों को कम से कम करने के लिए सरकार, रेलवे बोर्ड तथा मन्त्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि रेलवे को इन वर्षों में हुई चोरियों से औसतन हर वर्ष कुल कितनी हानि हुई है ?

श्री परिमल घोष : जहां तक चोरियों का सम्बन्ध है, रेलवे को हर वर्ष पांच करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। जैसा कि मने कहा है ऐसी चोरियां हर यार्ड में हो रही हैं। कई स्थानों पर इनमें वृद्धि की भी जानकारी मिली है। हम इससे अवगत हैं और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री कन्डप्पन : यह घाटा तो अति व्यय-पद्धतियों के कारण होने वाले कुल घाटे के समान है।

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसी समानता की जा सकती है।

Shri Sayyad Ali: I want to know whether members of Railway Protection Force are also involved in these thefts: if so, what has been in this behalf ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं और बहुत ही सख्त कार्यवाही की गई है और रेलवे सुरक्षा दल के जिन लोगों के इन असामाजिक कृत्यों में हाथ सिद्ध होता है, उनको तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाता है।

Shri O. P. Tayagi : There is no coal-depot in Mughalsarai city and Railway junction but all the people of the colony use coal. From where does this coal come? Is it not a fact that the entire coal comes by theft from Mughalsarai yard ? Whether it has come to the notice of the Government ? And if so, whether the Government is considering to appoint an Enquiry Commission for this or whether the Government has made any enquiry in this regard and if any enquiry has been made: What is its report ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस प्रकार कोयले की चोरी का सम्बन्ध समस्त कानून और व्यवस्था की स्थिति से जरूरी है। ये छुटपुट चोरियां रेलों में और रास्ते में माल की होती हैं। रेलवे विभाग अच्छी तरह इन बातों को राज्य-सरकारों के ध्यान में ला सकता है और रेल-स्थानों में होने वाली ऐसी छुट-पुट चोरियाँ रोकने में उनकी (राज्य-सरकारों की) मदद ले सकता है। रेलवे सुरक्षा पुलिस की शक्तियां और कार्य सीमित हैं और रेलवे सुरक्षा पुलिस रेल-सम्पत्ति की रक्षा तो करती है, परन्तु शिकायतों का पंजीकरण और दोषियों की गिरफ्तारी केवल स्थानीय पुलिस के हाथ में है, रेलवे सुरक्षा पुलिस के हाथ में नहीं। रेलवे सुरक्षा पुलिस पहरा और निगरानी का कार्य अच्छी तरह कर सकती है। इससे परे, गवर्नमैन्ट रेलवे पुलिस को इन बातों का अधिकार है और हमें उनकी सहायता लेनी पड़ती है। वे हमें सभी सहायता देती रही हैं और राज्य सरकारें तथा हमारा रक्षा-पहरा संगठन रेलों में होने वाली छुटपुट चोरियां रोकने का भरसक प्रयत्न करती रही हैं।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : सन् 1947 से पहिले छुटपुट चोरियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तब से रेलसम्पत्ति की रक्षा करने के लिए कौन-कौन से अतिरिक्त उपाय किए गए हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पहिले हमारा रक्षा और पहरा सामान्य था। वह यह कि रेलवे सुरक्षा पुलिस नहीं थो। बाद में संसद् अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा पुलिस शुरू हुई।

श्री कन्डप्पन : और छुटपुट चोरियां बढ़ गई हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा: और इसके साथ ही यातायात-परिमाण बढ़ गया है। यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। हर एक वस्तु बढ़ गई है और इसी अनुपात में ये छोटी-मटी चोरियां तथा ऐसी ही और चीजें भी बढ़ गई होंगी। (**व्यवधान**) इसके मानी यह नहीं हैं कि मैं इसके बचाव की कोशिश कर रहा हूं। इसकी देश में समस्त कानून और व्यवस्था की स्थिति पर छाया पड़ती है। हमें भली प्रकार से देखना है कि ऐसी चीजें न बढ़ने पावें और इसे कम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। आगे और हमारे पास डाग-स्क्वाड (कुत्तों का दल) है। हमारी रेलवे सुरक्षा पुलिस के कुत्ते कुछ रेल-यार्डों में पहरा देते हैं। उसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ है। दो या तीन महीनों में जब से ये कुत्ते पहरा देते रहे हैं बड़ी ही दिलचस्प बात हुई है। इन कुत्तों ने हमारे कुछ रेल-कर्मचारियों को पकड़ा है। यह भी सच बात है। इस लिए इस ओर जो कुछ भी आवश्यक है, किया जा रहा है।

Amendment of rules in frorce on Railways

***1682. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the Rules now in force on the Railways were framed in 1880.

(b) if so, whether Government propose to amend the said Rules in the context of recent accidents as also the increase in traffic, and

(c) if not, the reasons therefor ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पूनाचा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भारत में सरकार द्वारा प्रशासित रेलों की सभी चालू लाइनों के सामान्य नियमों से है। ये नियम 1929 में बनाए गए थे न कि 1880 में।

(ख) और (ग) इन नियमों की बराबर समीक्षा की जाती है और जब और जैसी आवश्यकता होती है इनमें तदनुकूल संशोधन किए जाते हैं। ऐसा करते समय संरक्षा का ध्यान सर्वोपरि रखा जाता है।

SHRI ONKAR LAL BERWA: Honourable Minister has stated that these rules were framed in 1929. I do not agree with it. These rules which were framed in 1880 are being used till now. According to those rules there are three bells when the train starts before three stations; when the train leaves the last station, there are five bells; when the train reaches the station, there is one bell; when the train has taken water, there are seven bells and when the train starts, there are two bells. The same old Table-control-system is coming into use so far. The change has come only to this extent that the signal is done to upward instead of downward. No instruction is given by the controller. Hon. Minister himself does not know the meaning of the three bells, five bells and seven bells. Previously when the signal came to down, all came to know that the signal is down but instead of that the new arrangement which has been made, Drivers and Guards etc. can not see the signal by this system. I want to know

whether it is not a fact that no modifications have been made in these 88 old years orules and the modifications which have been made are increasing Railway accidents instead of decreasing ?

श्री परिमल घोष : सन् 1929 में जब ये नियम लागू हुए उससे पहिले सन् 1906 में बने हुए नियमों का अनुकरण किया गया (पालन किया गया) तत्पश्चात् आधुनिक सिगनल-प्रणाली के साथ नियमों में परिवर्तन किया है। उसके बाद भी सन् 1966 में नियमों में बहुत से परिवर्तन और संशोधन हो गए हैं। परिवर्तन यन्त्रों और आधुनिक गजेट्स (मशीनो पुर्जे) के चालू होने से हमनें नियमों में परिवर्तन करना जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा उन सभी नियमों में परिवर्तन किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि सन् 1906 में बने हुए नियम, जिनका कि सन् 1929 में अल्प संशोधन किया गया, अभी चले आ रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: It appears from honourable Minister's reply that the Railways intend to do work under "work to rule". I want to know when the Railway employees such as Station-masters, Guards etc. want to do work under "work to rule", why Railways Administration disallows them.

श्री परिमल घोष : यदि वास्तव में रेलवेज के कर्मचारी **'वर्क टू रूल'** (नियमानुसार काम करना) करना चाहते हैं तो रेलवे-प्रशासन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Shri Onkar Lal Berwa : It is quite wrong. Some days ago a number of employees have been suspended due to working "work to rule" and those poor employees are still under suspension. Railways Administration disallow them to do work under "work to rule".

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस विषय में पता नहीं है। अगली बार आप रेल-बजट को अस्वीकार कर सकते हैं।

श्री नम्बियार : इस बात का विचार करते हुए कि मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि ये नियम सन् 1929 में बनाए गए थे और बाद में उसमें कुछ परिवर्तन किए गए तो क्या अब यह आवश्यक नहीं है कि समस्त नियमों को पूर्णरूप से ढाला जाये जिससे सारे नियम नवीनतम हो जाएं ?

इसके अतिरिक्त नियमों के जो संशोधन जारी किए जा रहे हैं वे नियमों की पुस्तक में इस प्रकार चिपकाए जाते हैं कि ये संशोधन एक फकीर की न बनी हुई दाढ़ी से दिखाई समझ देते हैं, इसी कारण रेलवे अधिकारी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा नियम पालन करें और कौन सा नहीं पालन करें। आधुनिक विकास और परिवर्तनों का विचार करते हुए क्या ये नियम नए सिरे से ढाल जाएंगे जिससे परिचालन स्टाफ (अमला) ठीक तरह से चला पाएं ?

श्री परिमल घोष : वैसी एक सिफारिश है कि सामान्य नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। परन्तु इस विचार के उपरांत हमें यह पता लगा है कि इन नियमों का कुल परिवर्तन लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि अधिक समय से काम कर रहे रेलवे कर्मचारी उन नियमों को पालन करने को अभ्यस्त बना दिए गए हैं और कोई तीव्र परिवर्तन गड़बड़ी

पैदा कर सकता है। परन्तु जब कभी हम नियमों में परिवर्तन आवश्यक समझते हैं, तभी संशोधन किए जा रहे हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न वर्गीय स्टेशनों के स्टाफिंग पैटर्न सम्बन्धी नियम रेलों में होने वाली दुर्घटनाओं की आवृत्ति के लिए कहां तक उत्तरदायी हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : रेलों में होने वाली घटनाओं के कारण बहुत अधिक हो सकते हैं परन्तु निश्चय ही इनमें से हर एक स्टेशन में प्रचलित नियम दुर्घटनाओं के कारण नहीं हैं। ये नियम कतिपय सिगनल सामग्री और अन्य संस्थापनों के संबंध में बनाए जाते हैं। ये नियम रेलों के संचालन और रेलगाड़ियों के गुजरने के लिए हैं। ये नियम विशेष प्रकार की सिगनल-सामग्री और अन्य संचार तरीकों के अनुसार प्रदेशों, रेलों और स्टेशनों में हेरफेर करते हैं। दुर्घटनाएं केवल इन नियमों और अनुबन्धों की उपेक्षा के कारण घटती हैं। नियमों और रेलवे दुर्घटनाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स० कुन्दू : छुटपुट चोरी आदि रोकने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न समाप्त हो गया। अगला प्रश्न उत्तर के लिए है।

श्री स० कुन्दू : महोदय, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप धैर्य धरें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि आपको पता नहीं है कि अब अगला प्रश्न उत्तर के लिए है।

श्री स० कुन्दू : मुझे पता है। रेलों में छुपपुट चोरी, हानि, टुटफूट आदि रोकने के लिए कठोर व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। अतः रेल नियमों में तीक्षण परिवर्तन होना जरूरी है। उदाहरणार्थ भारतीय दण्ड संहिता में दी गई लोक सेवक की परिभाषा रेलवे अधिकारियों पर लागू नहीं है क्योंकि रेल अधिनियम में स्वयं यह व्यवस्था है कि भारतीय दण्ड संहिता में दी गई वह परिभाषा रेलकर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। कुछ समय पीछे जब रेल के डिब्बों आदि के जलाने की चर्चा हो रही थी माननीय मन्त्री ने एक राष्ट्रीय समिति बनाने के लिए कहा था। यह समिति लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए थी कि रेलें राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। उस समिति का भी क्या हुआ ?

श्री चे० मु० पुनाचा : रेल अधिनियम और ऐसे ही अन्य संबद्ध अधिनियमों, प्रक्रियाओं तथा नियमों से संबंधित विषयों में रेल मण्डल का ध्यान लगा हुआ है। तथा इस विषय में हम अब विधि मन्त्रालय से एक वरिष्ठ अधिकारी की सेवाएं देने के लिए कह रहे हैं जो कि इन मामलों का अध्ययन कर सकेगा और आवश्यक परिवर्तनों के विषय में सुझाव देगा। विधि मन्त्रालय की मन्त्रणा लेने के बाद हम आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री स० कुन्दू : राष्ट्रीय समिति के निर्माण के बारे में क्या हुआ है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : राष्ट्रीय समिति के निर्माण का मामला श्री के० एल० गुप्ता के सुझाव के संबंध में था। मैंने कहा था कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं भिन्न-भिन्न

दलों के नेताओं की बैठक बुलाऊंगा ऐसी एक बैठक हुई थी जिसमें रेल-दुर्घटनाओं और अन्य बातों पर विचार किया गया था। हमें ऐसी बठकें करते रहना चाहिए। मुझे ऐसे ही और अवसर पाकर प्रसन्नता होगी।

श्री मनुभाई पटेल : सामान्य प्रशासन और अन्य बातों के अतिरिक्त सवारी सेवाएं बिल्कुल बिगड़ गई हैं। कभी-कभी हम प्रतीक्षा-सूची में होते हैं, परन्तु यदि आप स्टेशन पहुंचते हैं तो सीट किसी और को ही मिल जाती है। रेल के डिब्बे में कोई प्रकाश या पानी नहीं होता है। क्या माननीय मन्त्री जी इन सब बातों में सुधार करने के लिए नियमों में संशोधन कराएंगे ?

श्री परिमल घोष : यह यात्री-सुविधा के विषय से सम्बन्धित है तथा इसका नियमों के संशोधन से कोई मतलब नहीं है।

Shri Meetha Lal Meena : Will the Hon. Minister be pleased to state the number of such type of railway-accidents, taken place last year that the Railway employees wanted to do work under "work to rule", and wanted to obey the rules, but their officers compelled them not to obey the rules ? As the railway accidents which has taken place in Ratlam the reason was that the maximum overtime work which is done by the Driver, more than the maximum overtime duty was given to the driver. How many cases of these types happened and what action has been taken against the authorities concerned ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री चेंगलराया नायडू : अब भी रेलमण्डल के सदस्य और मन्त्री कर्मचारियों को नियमों का पालन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इस समय वे कर्मचारी नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार की इस नीति के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वे दोषियों का भी अनुसरण नहीं कर पाते हैं और नियमों के अन्तर्गत उन्हें मुअत्तिल नहीं करते हैं। आजकल तो मन्त्री भी रेलों में यात्रा नहीं करते हैं क्योंकि रेल यात्रा संकटपूर्ण मानी जाती है। वे हमेशा हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। जब नए नियम बनाए जाएं तो क्या सरकार यह विचार कर पूर्वोपाय करेगी कि मन्त्री भी रेलगाड़ियों से यात्रा करें ताकि जनता का रेलों से यात्रा करने में विश्वास बढ़ जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री कृ० गु० देशमुख : मुझे बताया जाये कि क्या अखिल भारतीय नमूना के मानक नियम हैं, यदि हैं तो वे नियम कब बनाए गए थे ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यथार्थत : यह सूचना दी गई है कि सामान्य नियम सन 1929 में बने थे और समय-समय पर परिवर्तित किए गए। नवीनतम परिवर्तन सन् 1906 में हुआ है।

श्री कृ० गु० देशमुख : उस समय विभिन्न कम्पनियों के अन्तर्गत विभिन्न रेलें थीं और हर एक कम्पनी के विभिन्न नियम थे। अब सभी रेलें भारत सरकार के अधीन हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अखिल भारत के लिए मानक नियम हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : देश में वर्तमान नियम भारतीय रेलों में लागू होते हैं।

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

†1683. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकारी पूंजी और मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्त प्राप्त करने में कपड़ा मिलों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए कोई कार्यकारी दल स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के निर्देश पद क्या होंगे और इस दल के सदस्य कौन-कौन होंगे और यह दल अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक कार्यकारी दल की स्थापना की है ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय ये हैं :—

(1) उन सूती कपड़ा मिलों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार करना जो साधारण लाभ कमाने में असमर्थ हैं परन्तु आधुनिकीकरण के लिए अथवा कार्यकारी पूंजी के लिए उधार सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उनकी वित्तीय अवस्था अन्यथा अच्छी हैं, (2) कम लाभ स्वीकार करके तथा /अथवा स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन अपना कर, जो भी ठीक हो, जिन मिलों को अतिरिक्त उधार देने में जो जोखिम रहती है उसके लिए वाणिज्यिक बैंकों को उचित संरक्षण प्रदान करने की व्यावहारिकता की जांच करना, और (3) सिफारिशें करना जिनमें इस उद्देश्य के लिए एक योजना भी शामिल हो ।

2 इस कार्यकोरी दल का संघटन निम्नलिखित होगा :—

1.	श्री एम० ए० रंगस्वामी, वस्त्र आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री एन० एस० नंदकणी, उप-प्रमुख अधिकारी, रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया	सदस्य
3.	श्री डी० एस० हरवथे, अधीक्षक (पेशगियां) स्टेट बैंक आफ इंडिया	सदस्य
4.	श्री वाई० एम० केदारे, प्रबन्धक (स्थानापन्न) इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट बैंक आफ इंडिया	सदस्य
5.	श्री एस० बेंकटारमन, प्रबन्धक (उधार) बैंक आफ इण्डिया	सदस्य
6.	श्री गोपाल राव, सहायक महा-प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा	सदस्य
7.	श्री मदन मोहन मंगलदास/श्री राधाकृष्ण आर० रुइया, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ	सदस्य
8.	श्री बी० जी० काकतकर, महासचिव, भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ	सदस्य
9.	श्री आई० बी० दत्त, औद्योगिक सलाहकार, वस्त्र-वस्त्रायुक्त का कार्यालय, बम्बई	सदस्य

10. श्री टी० एस० कुंचिदापदम्, राष्ट्रीय वस्त्र निगम सदस्य

11. डा० एम० एस० श्रीनिवासन्, निदेशक (अर्थ तथा सांख्यिकी), वस्त्रायुक्त का कार्यालय, बम्बई। सदस्य-सचिव

कार्यकारी दल को अपना प्रतिवेदन लगभग एक महीने के अन्दर प्रस्तुत कर देने की आशा है।

श्री हिम्मत सिंहका : मुझे बताया जाये कि क्या यह सच है कि कुछ समय पहिले कुछ समितियां नियुक्त की गई थीं और उन समितियों ने वस्त्र-उद्योग का आधुनिकीकरण पर प्रतिवेदन दिए थे, यदि हां तो उन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो अधिक समितियां बनाने से क्या लाभ है?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को यह पता है कि समितियां समय-समय पर विशेष वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई हैं। रामास्वामी मुदालियर वस्त्र कार्यकारी समिति ने जो सन् 1950 में बनाई गई थी, कपड़े की मशीनरी के प्रश्न का अध्ययन किया था कि ये मशीनें कितनी पुरानी हैं तथा इसके संबंध में अन्य बातों पर भी विचार किया। उस समय एक औद्योगिक विकास समिति थी और एक जोशी समिति भी थी। जहां तक इस समिति का सम्बन्ध है विशेष अभिप्राय यह देखना था कि वस्त्र उद्योग को बैंक संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को कैसे उदार बनाया जा सके।

श्री हिम्मत सिंहका : मुझे बताया जाए कि क्या यह सच है कि उच्चतर मध्यम किस्म का कपड़ा तैयार करने वाली मिलों को जिनका कि हिस्सा कुल उत्पादन का लगभग 65 प्रतिशत है चालू सुस्ती के कारण गहरा धक्का लगा है और उन पर पड़ने वाला यह संकट वस्त्र नीति में हाल ही में संशोधन होने पर और भी अधिक गम्भीर बन गया है क्योंकि विनियन्त्रण के परिणामस्वरूप उन मिलों को केवल अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ही नहीं देना पड़ेगा परन्तु दूसरी मिलों को नियन्त्रित वस्त्र कोटा स्थानान्तरित करने में उन्हें प्रति मीटर छः पैसे भी देने हैं। यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार उन मिलों को इस कठिनाई से मुक्त करने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है?

श्री दिनेश सिंह : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य उस समय कपड़े के विनियन्त्रण के पक्ष में थे जब विनियन्त्रण किया गया था।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्रीमान् जी पुरानी मशीनरी के आधुनिकीकरण और पुनः स्थापन के अभाव में बहुत सी मिलें बन्द हो गई हैं या भारी नुक्सान उठा रही हैं। पहले एन० आई० डी० सी० (NIDC) नामक एक निगम स्थापित किया गया था और इस निगम का कार्य संकटग्रस्त मिलों की आवश्यकताओं को पूरी करना तथा पुनः स्थापन के लिए धनराशि (फंड) प्रदान करना था। तब व्यापारिक बैंकों ने आधुनिकीकरण के लिए वित्त दिया। अगर वे पुनः स्थापन के उद्देश्य से निधि (फंड) प्रदान करते तो उनके पास एक ऐसी राशि की

योजना थी जो कि भारत के रिजर्व बैंक से आपूर्ति की जाती । क्या माननीय मन्त्री जी कृपया विचार करेंगे या हमें बतलाएंगे कि क्या वह एन० आई० डी० सी० (NIDC) को धनराशि देने के लिए प्रयत्नशील हैं या इन बैंकों को रिजर्व बैंक से धन राशि लेने के लिए कहें और इन मिलों को धन प्रदान करें ताकि वे मिलें अपनी मशीनरी पुनः स्थापित कर सकें।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक इस विशेष समिति का सम्बन्ध है विचारार्थ विषय बहुत स्पष्ट रूप से रख दिया गया है। और मैंने इसका जिक्र सदन की पटल पर रखे गए विवरण में कर दिया है । अर्थात् उन सूती कपड़ा मिलों द्वारा अनभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार करना जो साधारण लाभ कमाने में असमर्थ हैं, परन्तु आधुनिकीकरण के लिए अथवा कार्यकारी पूंजी के लिए उधार सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उनकी वित्तीय अवस्था अन्यथा अच्छी है।

श्री रमानी : वस्त्र उद्योग कठिन समय से गुजर रहा है । विशेषरूप से कताई मिलें। यह बात सर्व विदित है। यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें आधुनिकीकरण की अपेक्षा है । कल ही एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि गत बारह महीनों में सूत का स्टाक दुगुना हो गया है और मांग को उत्तेजित करने के लिए कतिपय उपाय किए हैं। पिछले बजट में विशेष आकार के सूत पर उत्पादन शुल्क पांच गुना बढ़ गया था। यद्यपि कुछ कटौती की गई है, क्या मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूं कि वह सूत पर उत्पादन शुल्क में कुछ सहायता देने के लिए विचार करें ताकि मांग बढ़ सके ? इस समय उत्पादन शुल्क वर्तमान कीमत का तीस प्रतिशत आता है। मिलों को बन्द होने से बचाने के लिए और उन मिलों को आधुनिकीकरण करने में सहायता देने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि माननीय मन्त्री उत्पादन शुल्क को कम करने के लिए कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री रमानी : श्रीमान् जी, दो अप्रैल को इसी सदन में माननीय मन्त्री जी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले पांच वर्षों में इस उद्योग के आधुनिकीकरण के एक मामूली कार्यक्रम पर लगभग 200 करोड़ रुपए व्यय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी ओर, इस उद्योग से धन लिया जा रहा है और दूसरे उद्योगों जैसे रसायनों और अन्य उद्योगों में लगाया जा रहा है। समस्त लाभ लेने के बाद और उसे दूसरे उद्योगों में लगाकर के उच्चतर लाभ कमाने के लिए मिल-मालिकों ने इस उद्योग को संकट में डाल दिया है और वे कोई आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं। अब वे आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजी प्राप्त करने के लिए सरकार के पास आ रहे हैं। क्या माननीय मन्त्री जी अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था करने के लिए कठोर कदम उठाएंगे कि वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण करने के लिए निश्चय ही मिल-मालिकों के लाभ का एक अंश अलग रखा जाए अन्यथा यह संकट गम्भीर ही होगा ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय मन्त्री के द्वारा प्रकट किए गए विचार से मैं पूर्णतया सहमत हूं । मैंने यह स्वयं कहा है कि कठिनाइयां जो हम झेल रहे हैं इस कारण हैं कि इस उद्योग को आधुनिकीकरण बनाने की अब बहुत आवश्यकता है। अगर मिल मालिक इसे कर सकने में असमर्थ है। हमारी अर्थव्यवस्था और श्रम पर इसका जो सामान्य प्रभाव पड़ेगा हमें वह भी देखना है । इसलिए हम स्वयं कुछ सहायता देने के लिए विचार कर रहे हैं। हम इतनी सहायता देंगे जितनी व्यवहार्य होगी परन्तु मुख्य उत्तरदायित्व उद्योग का है और हम उन्हें आधुनिकीकरण करने और उनको अपने आप इसमें धन लगाने के लिए कहने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री राजशेखरन : मुझे यह भी बताएं कि क्या यह सच नहीं है कि व्यापारिक बैंक कुछ मिलों को कार्यकारी पूंजी को पूरा करने के लिए साख सुविधाएं बढ़ाने को तैयार नहीं हो रही हैं जब कि तथ्य यह है कि राज्य सरकारें गारण्टी देने को तैयार थीं। अगर ऐसी बात है तो इस मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे ऐसी किसी विशेष मामलों की जानकारी नहीं है जहां कि बैंक इस हैसियत से राज्य सरकारों की गारन्टी न मान रही हों । अगर यह मेरे ध्यान में लाया जाता है तो मैं निश्चय ही इसका अध्ययन करुंगा । परन्तु यह समिति व्यापारिक बैंकों के द्वारा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध अधिक सुविधाएं प्रदान करने के बारे में अध्ययन कर रही है।

श्री कन्डप्पन : म यह जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही की ऋण सुविधा जो कि शिखर सोसाइटियों को कताई मिलों से जहां कि अधिक भंडार हैं सूत खरीदने के लिए दी गई थी, मिलों को केवल, इस हद तक सहायता देगी कि सूत जोकि हथकरघा उद्योग के लिए है, भंडार से मुक्त हो जाएगा ? मैं माननीय मन्त्री से यह बताने के लिए अनुरोध करता हूं कि क्या यह सत्य है कि मिलें संकट का सामना कर रही ह क्योंकि विशेष प्रकार का सूत जोकि विद्युत चालित क्षेत्र के लिए उचित समझा जाता है दी गई सहायता के कारण नहीं उठाया जा रहा है। यदि ऐसी बात है तो मुझ बताया जाए कि उस अंक तक सहायता देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

श्री दिनेश सिंह : वह विचार था। क्योंकि एक विशेष प्रकार के सूत के भण्डार का संचय हो गया है अतः शिखर सोसाइटियों को सहायता करना सम्भव हो सकता है । मैंने उनके लिए वैसा करने के लिए अधिक धनराशि रखी है। परन्तु मैं इस बात से पूर्णरूप से सहमत हूं कि यह अपने आप से प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। प्रश्न हथकरघा और विद्युत चालित क्षेत्र में भंडार के चले जाने का है । हम अनुभव करते हैं कि यह एक रास्ता है जिसमें कि हम सहायता कर सकते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

युगोस्लाविया में कुश्ती क्लिनिक

+

अ० सू० प्र० 32 श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय कुश्ती महा संघ ने रैफरियों के लिए यूगोस्लाविया में एक क्लिनिक आयोजित किया था,

(ख) क्या उस क्लिनिक में भारत ने भाग लिया था, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत सरकार ने, भारत के कुश्ती संघ द्वारा प्रायोजित चार रेफरियों के भाग लेने के लिए मंजूरी देदी थी और उनके लिए विदेशी मुद्रा देने के लिए भी आदेश जारी कर दिए थे। किन्तु इन सब उपायों के बावजूद भारत के कुश्ती संघ ने रेफरियों को नहीं भेजा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, the Secretary General of the wrestling Federation of India did not send these wrestlers to the wrestling clinic in yugoslavia even after giving foreign exchange, because he takes money from those whom he wants to send. There are also a number of charges of embezzlement and corruptions against him and also he has no means of livelihood. His one son reads in England. and he has many expenses. A number of allegations of corruption have been received by the Government against him. I want to know that the charges of corruption, malpractices which are against him, the Government instead of sending these charges to his President will arrange to make an enquiry through C.B.I. about these charges ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is a fact that the complaints have been received by the Government against Shri Diwan Pratap Chand, the General-Secretary of the wrestling Federation of India. These Complaints have been sent to the Chairman of the Federation for making an enquiry. I have not the information on all matters the hon. member has stated that he sends the people only after taking bribe from them. The complaints have been received by me as have been referred by the hon. member. We shall try to make an enquiry relating to all these matters. Also that was the reason why we did not allow Shri Diwan Pratap Chand to go to Yugoslavia. But we allowed four persons of the Sports Council to go but they did not go.

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to know whether you will get an enquiry made by C.B.I. ? Please reply to this.

Shri Bhagwat Jha Azad : We will get an enquiry made by the C.B.I. If the C.B.I. can go into these types of charges, we will certainly hand over these charges to the C.B.I.

Shri Kanwar Lal Gupta : As I have started here that the Secretary-General send the wrestlers outside taking money from them. Shri Chandgi Ram who very

recently won 'Bharat Kesari' title, was not sent and instead two other wrestlers have been sent. One of them is Shri Ganpat Andalkar who did not come in the gymnasium and did not take part even in wrestling.

The other is Shri Jit Singh, who came in the gymnasium but who did such immoral acts while going to Japan, due to which the Japan Government had to send him back from there. Really due to him India has earned a very bad name and got and 16th position in the wrestling there. I want to know that instead of getting 16th position to send such people outside the country and India earns a bad name, the Government should produce best wrestlers in order to develop Indian wrestling. Such wrestlers should be among educated persons. What steps the Government are taking in this connection ? Whether the Government will arrange for constructing Stadium or give scholarships or any other steps that the Government propose to take in this connection.

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, it is clear that we are trying for the last a few days and months to this fact that the Indian system of wrestling should get encouragement and in view of this we have decided linking of the Indian system of wrestling Federation with the Wrestling Federation of India. We have arrived at the decision that Free-style wrestling, Greek, Roman for which we have separate Federations will remain and the Federation of Indian system of wrestling will be separate on the basis of this formula an Indian Kesari gymnasium took place and I understand that the honourable members know clearly that our policy is quite clear in this matter. We have asked the world Federation of India not to interfere in this matter. Our Indian system of wrestling is in villages and the same will remain and we will try fully to encourage them.

Shri Kanwar Lal Gupta : What are the efforts of the Government.

Shri Bhagwat Jha Azad : For instance we had a Indian Kesar gymnasium. We accepted their suggestion of the sanction of money. In this connection the suggestions given by honourable member will also be taken into consideration.

Shri Onkar Lal Berwa : Hon.Kanwar Lal Guptaji did not make his point very clear. I want to tell clearly that being a General-Secretary of wrestling Federation he sent his eldest son for training to America. His eldest son took a job in America. After that he sent his second son on a scholarship to England but he also stayed there. He put a ban on Shri Chandgi Ram to go abroad for six years. The members of the Federation want a fresh election of General-Secretary. I would like to know from the Government that an election did not take place for the last six years and will the expenditure incurred on their sons be recovered by the Government. There is also a case against him in Punjab High Court.

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, I want to make it clear that all the Federations of National games in India are autonomous and independent, only then we can press them when they come to me to take the grants. I have started clearly to the Federation if they do not come to me we cannot take any action against them. They are independent but if they approach us for grants then certainly it is my directive that we have some norms and we will not give them grants if they don't obey the norms. We have given a grant of Rs. one lac to the world Federation of India. Certainly we want that they may remain independent but inspite of this if there are serious charges which have been mentioned here and some of charges are also with me, then before giving any grants to them we will desire to make an enquiry into it. Recently the olympic team is going outside the country, we will see this time that these facts which have been mentioned here may be cleared and only then something may be done in this direction.

Shri Chandra Jeet Yadav : Is it a fact that Shri Diwan Pratap Chand himself wanted to go to the clinic of Yugoslavia and there were very serious charges against him and he violated the rules ? Recently in the last February he declared championship against the rules in the oriental championship in Ajmer and the Government did not allow him to go outside the country as there were serious charges against him. He put a ban on the four famous referees of this country to go abroad. The referees could learn from the leaders of the world institution and he did not allow them to go outside the country. I would like to know whether it is a fact that he has been working on this post for the last ten years and whether the Government will suggest to change its rules. Nobody may remain on this post for more than four years on two term. There are charges against him and he did not allow the Indian wrestlers to go abroad, what action the Government is going to take for those charges.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is a fact that in the list of names which was sent to me by the world Federation for going to Yugoslavia clinic, the first name was of Shri Diwan Pratap Chand, and there were four other names. As I have stated that a grant of Rs. one lac was given by me to Shri Diwan Pratap Chand for world Federation of India. There was a provision in it that all the audited accounts will be furnished within two months. Not only two months but several months have passed but so far he has not furnished the accounts. We made it clear that until the accounts are not cleared he cannot go.

It is a fact that recently the wrestling which he arranged in Ajmer was an Indian wrestling in spite of directions. He gave it the oriental name. He did not let four Referees go to outside India and India has borne he loss. If those four Referees had gone there in wrestling clinic they would have been raised from second grade to first grade and this it would have been a matter of convenience to us. But we regret that he did not do this.

Shri Maharaj Singh Bharti : Whether it is a fact that the number of Deputations that went abroad included generally the sons and relatives of the General-Secretary, and whether it is also a fact that the military Personnels cannot take part in these, international competitions, and there is a ban for them to take part in these wrestling competitions ?

Shri Bhawat Jha Azad : It is not possible for me to state the number of the relatives of Shri Dewan Chand and the time when they went abroad. But certainly we shall investigate into this matter and only allow those to go out who are really qualified to do this job gracefully.

Shri Maharaj Singh Bharti : Whether there is a restriction upon our Military Personnel to participate in like wrestling competitions.

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री इन्दर मल्होत्रा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

[केन्द्रीय वक्फ परिषद्

***1680 श्री एम० एल० सोंधी :** क्या **औद्योगिक विकास और समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वक्फों की कुल संख्या कितनी है और वक्फों के अधीन सम्पत्ति का कुल मूल्य कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वक्फ़ अधिनियम, 1954 के होते हुए भी वक्फ़ों का प्रशासन घटिया रहा है और राज्य वक्फ़ बोर्डों का काम सन्तोषजनक नहीं रहा है;

(ग) केन्द्रीय वक्फ़ परिषद् बनाने के क्या उद्देश्य थे और क्या उसे सरकार से कोई सहायता मिली; और

(घ) क्या केन्द्रीय वक्फ़ परिषद् ने अपने उद्देश्य पूरे कर लिए ह और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) प्राक्कलन किया गया है कि देश में वक्फ़ों की कुल संख्या 31-3-1967 को 81086 थी और मूल्य 79,60,50,336 रु०।

(ख) वक्फ़ समवर्ती विषय है। मोटे तौर पर, वक्फ़ अधिनियम, 1954 को प्रशासित करने की शक्तियां राज्य सरकारों में निहित हैं । वक्फ़ अधिनियम, 1954 के अधिनियमित किए जाने के फलस्वरूप वक्फ़ों के प्रशासन में पर्याप्त सुधार हुआ है तथापि उसमें और सुधार किए जाने की काफी गुंजाइश है । वास्तव में कुछ वक्फ़ बोर्ड, जैसे आंध्र प्रदेश और मद्रास के वक्फ़ बोर्ड जिन्होंने संतोषपूर्ण रूप में कार्य नहीं किया, वक्फ़ अधिनियम, 1954 की धारा 64 (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा अतिष्ठित कर दिए गए थे।

(ग) केन्द्रीय वक्फ़ परिषद्, केन्द्रीय सरकार को वक्फ़ बोर्डों के कार्यकरण और वक्फ़ों के सम्यक् प्रशासन के सम्बद्ध मामलों पर सलाह देने के प्रयोजन के लिए, वक्फ़ अधिनियम 1954 की धारा 8क के अधीन गठित की गई है । केन्द्रीय वक्फ़ परिषद् के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि सहायक अनुदान के रूप में मंजूर की गई थी जिससे कि वह आरम्भिक स्थापन एवं अन्य व्यय तथा परिषद् के सदस्यों के यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों पर होने वाले व्यय की पूर्ति कर सके।

(घ) परिषद् की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई है वे दीर्घावधि प्रकार के हैं और परिषद् इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करती रही है।

Amendment of Indian Railways Act

***+1684 Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board have amended the Indian Railways Act without the approval of Parliament;

(b) whether it is also a fact that the Commissioner of Railway Safety had mentioned this fact in his Annual Report for 1966-67, which has not been presented to Parliament;

(c) if so, whether Government propose to present the said report to Parliament; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) and (b) No Act on the statute book can be amended without the approval of Parliament and it is not clear which amendment is referred to by the Hon'ble Member. However, it has been suggested in the draft report on the working of the Railway Inspectorate (Commission of Railway Safety), for the year 1966-67 that the powers under Section

84 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890) of make rules regarding Notices of, and Inquiries into Accidents should be vested in the Ministry under whose administrative control the Commission of Railway Safety functions.

(c) As is customary, the Annual report of the Commission of Railway Safety will be placed before the House by the Ministry of Tourism and Civil Aviation under which the Commission of Railway Safety functions, when finalised.

(d) Does not arise.

मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल कम्पनी

+1685. **श्री सं० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 2 अप्रल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6038 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्टण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल कम्पनी के लाइसेंस मंजूर करने से पहले औद्योगिक सलाहकार लाइसेंसिंग समिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी;

(ख) मैसर्स हिन्द गैल्वानाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी की तारकोल के ढोल बनाने के लिए दिया गया लाइसेंस कब मंजूर किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्द गैल्वानाइजिंग ने तारकोल के ढोल बनाने की नई क्षमता की व्यवस्था की है जिसे सरकार द्वारा मान्यता दी गई है जब कि इस उद्योग का नाम "अस्वीकृत सूची" में दर्ज था;

(घ) क्या सरकार तेलशोधक कारखानों, तेल कम्पनियों को उनकी तारकोल के ोलों सम्बन्धी आवश्यकता के हेतु तारकोल के ढोल चादरें देने के लिए बाध्य है; और

(ङ) पिछले सात वर्षों में लाइसेंस प्राप्त कारखाने की कितनी प्रतिशत क्षमता का एक पारी तथा बहु पारी आधार पर उपयोग किया जा रहा है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम ऐण्ड बैरल कम्पनी को औद्योगिक लाइसेंस दिनांक 20 जुलाई 1959 को जारी किए जाने से पूर्व लाइसेंस समिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी।

(ख) और (ग). मैसर्स हिन्द गैल्वानाइजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी को बिटूमन ड्रम का निर्माण करने के लिए कोई भी औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया था। पार्टी को पहले से ही प्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार उस की उत्पादन में 40/50 गैलन क्षमता के इस्पात के ड्रमों को छोड़ कर इस्पात के सभी प्रकार के ड्रमों का निर्माण सम्मिलित था। नई क्षमता की स्थापना के लिए यह वस्तु रद्द की जाने वाली वस्तुओं की सूची में थी और फर्म ने कोई नई क्षमता स्थापित नहीं की। केवल फर्म के निवेदन पर उस की 40/50 गैलन की क्षमता के इस्पात के ड्रमों को छोड़कर इस्पात के ड्रम बनाने की उसकी क्षमता को नवम्बर, 1966 में निम्न प्रकार अलग की गई थी :—

अस्फाल्ट एवं बिटूमन ड्रम	200 मी० टन प्रति वर्ष
छोटे ड्रम	1400 मी० टन प्रति वर्ष

(घ) बिटूमन ड्रमों के उत्पादन के लिए पट्रोल तथा रसायन मंत्रालय द्वारा सहायता के नमूने के आधार पर बिटूमन ड्रम की चादरें तेल शोधक कारखाने तेल कम्पनियों को दी जाती है।

(ङ) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

हैवी इंजीनियारग प्लाट तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर

+1686. श्री वि० कु० भोडक :
श्री गणेष घोष :
श्री भगवान दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 26 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 842 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग प्लांट तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर सम्बन्धी रूसी विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण रूप से विचार कर लिये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के मामले में रिपोर्ट संयंत्र अधिकारियों को विचार और कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई है। क्योंकि अधिकांश सिफारिशें लागू करना उनकी क्षमता के अन्तर्गत आती हैं। अन्तिम निर्णय शीघ्र ही किए जाने की आशा है। माईनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपो रेशन लि० दुर्गापुर के मामले में भी दौरा करने वाले सोवियत दल द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें ऐसी हैं जिनमें संयंत्र अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है। कारपोरेशन के निदेशक बोर्ड ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है और इस सम्बन्ध में जिस प्रकार कार्रवाई की जानी है वह प्रबन्ध निदेशक को बता दी है।

चित्तरंजन लोको वर्क्स प्लांट

***1687. श्री बाबू राव पटेल : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में एक बामपंथी साम्यवादी के चित्तरंजन लोको वर्क्स प्लांट को उड़ा देने के षड़यंत्र का पता चला था;

(ख) उस बामपंथी साम्यवादी कार्यकर्त्ता का नाम क्या है जिसके मकान में 25 बम और बम बनाने का काफी सामान पाया गया था; और

(ग) इस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में तोड़फोड़ के ऐसे षड़यंत्रों की रोकथाम के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी नहीं। सही स्थिति यह है कि 1-1-1968 को रेलवे के एक क्वार्टर में, जिसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के हैवी मशीन शाप के मिस्त्री, श्री अमूल्य रतन रे रहते थे, 10.00 बजे एक बम फट गया। उसके क्वार्टर से 32 भरे हुए बम और अन्य सामान बरामद किया गया।

(ग) चित्तरंजन पुलिस ने भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत 1-1-1968 को अपराध सं० 1 के रूप में एक मामला दर्ज किया। 10 रेल कर्मचारी और अमूल्य रतन रे के परिवार के सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। पुलिस ने 24-3-68 को श्री अमूल्य रतन रे और लाइट मशीन शाप के एक ड्रिलर के विरुद्ध, जिन्हें बम तैयार करते समय गंभीर चोटें आयी थीं, चार्जशीट पेश की। अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण चार्जशीटें नहीं दी गयीं। पुलिस अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है कि रेलवे कालोनी में ऐसी घटनाएं न होने दें और कानून और व्यवस्था बनाये रखें।

अनिवार्य निर्यात

+1688. **श्री कामेश्वर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात लाइसेंस देने के साथ निर्यात की शर्त लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रथम तीन मास में हमारा निर्यात कितना बढ़ जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त अवधि में आयात में कितनी बचत होने का अनुमान है?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चालू आयात नीति में निर्यात उत्पादन के पक्ष में केवल कुछ सुविधा दी गयी है। संभरण के स्रोतों एवं उत्पादन क्षमता के विस्तार की सुविधाओं के मामले में, छोटे तथा बड़े पैमाने के दोनों ही प्रकार के औद्योगिक कारखानों को, जिनका निर्यात निष्पादन वर्ष 1967–68 में उनके उत्पादन का 10 प्रतिशत अथवा अधिक रहा है, अन्य कारखानों की अपेक्षा, अधिमान व्यवहार प्रदान किया जायेगा। प्राथमिकता प्राप्त कुछ विशिष्ट उद्योगों के मामले में, जो वर्ष 1967–68 के अपने उत्पादन के 5 प्रतिशत का न्यूनतम निर्यात करने में भी असफल रहेंगे, उनकी आयात हकदारी में कटौती की जा सकेगी। वे अपने चुने हुए स्रोतों से आयात करने की सुविधाओं और अपनी उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के भी पात्र नहीं होंगे।

(ख) तथा (ग) नई आयात नीति के प्रभाव को इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता।

Saltpetre Refinery at Mehsi

*1689. **Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) since when the saltpetre refinery at Mehsi in District Champaran has been functioning under the control of Central Government and with Central assistance;

(b) if so, the progress made by the said refinery;

(c) whether the said refinery is running at profit;

(d) if so, the main features thereof; and

(e) if not, the action Government propose to take in regard to its problems and to avoid its running in loss?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (e) The information is being collected and it will be palced on the Table of the House.

श्रृंगार-सामग्री के सम्बन्ध में भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानक

+1690. **श्री रवि राय :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नकाम संस्था ने श्रृंगार-सामग्री के सम्बन्ध में मानक निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे मानक क्या हैं;

(ग) इस बात को देखते हुए कि इसमें से अधिकतर वस्तुए बढ़िया किस्म की नहीं होती और घटिया किस्म की ये वस्तुएं श्रृंगार-सामग्री उद्योग के असंगठित क्षेत्र से निकलती है सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार औषधि तथा श्रृंगार-सामग्री अधिनियम 1964 में इन विशिष्ठ-विवरणों का समावेश करने का है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1206/68]

टूल तथा अलाय स्टील की रद्दी का निर्यात

*1691. **श्री नवदेव स्नातक :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धातु रद्दी व्यापार निगम लिमिटेड ने उन के द्वारा दी गई जानकारी के विपरीत कि जून, 1968 तक टूल तथा अलाय स्टील रद्दी तथा स्टेनलेस स्टील की रद्दी के निर्यात की अनुमति दी जायेगी, रद्दी के व्यापारियों को इस रद्दी का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी है अपितु उनसे पुनः यह कहा है कि उसे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को बेच दें;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस तरह की शर्तें रखी हैं जैसे कि रद्दी के व्यापारियों को भुगतान के लिये तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक

कि रद्दी इस्पात कारखाने की सुविधा के अनुसार पिघला न ली जाये और उसके पिण्ड न बना लिये जायें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इन व्यापारियों को बेकार परेशान न करें ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Accident at Luckeesarai Station

*1692. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have ordered departmental inquiry into the railway accident which took place in Luckeesarai in District Monghyr (Bihar) during January, 1968;

(b) if so, whether the inquiry has been completed;

(c) if so, the outcome thereof; and

(d) the action taken by Government on the Enquiry Committee's Report ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The incident which took place at Luckeesarai station on 14-2-1968 has been enquired into by the Additional Commissioner of Railway Safety, Calcutta.

(b) to (d) In his provisional finding, the Additional Commissioner of Railway Safety has stated :—

"From the evidence available before me, I have arrived at the conclusion that the accident which occurred at Luckeesarai station on the night of 14th February 1968, was caused by the prospective rail-travellers in attempting to cross the railway line in the face of approaching train No. 12 Down Delhi-Howrah Express. The above persons are only to be blamed for the accident, since they risked their lives due to their own action by not using the foot-overbridge provided nearby for the purpose of crossing the lines safely."

The final report has not yet been received.

राज्य व्यापार निगम द्वारा मनुष्य के बाल का निर्यात

+1693. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा, जब से इसने मनुष्य के बाल का व्यापार करना शुरु किया है तब से अब तक प्रति वर्ष मनुष्य के बाल की कितनी मात्रा का निर्यात किया;

(ख) इन वर्षों में गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा किये गये व्यापार की मात्रा की तुलना में ये आंकड़े कम है या अधिक

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम और गैर सरकारी व्यापारियों की आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है;

(घ) क्या भारत को मनुष्य के बाल के निर्यात के मामले में इंडोनेशिया की ओर से भी प्रतियोगिता का मुकाबला करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप भारत के हाथ से कौन कौन सी विदेशी मन्डिया निकल गई हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी व्यापारियों के सहयोग से विदेशों में भारतीय उत्पादों के संयुक्त प्रचार और निर्यात संवर्धन अभियान के लिए कोई व्यवस्था बनाई है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

खेतरी तांबा परियोजना

*1694. **श्री रामानी :**

श्री उमानाथ :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 26 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी तांबा परियोजना, राजस्थान के सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में मस्टर रोल के गबन के मामले में शामिल व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा कितनी धन राशि का ग़बन हुआ ;

(ख) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने जांच पूरी कर ली है तथा यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) उपस्थिति नामावली (मस्टररोल) के ग़बन के मामलों में अन्तर्गस्त व्यक्ति यह है सर्वश्री जी० एन० पी० गुप्त, सर्वेक्षक (ओवरसियर), सांवरमल, हरि सिंह और मजधेजे, मेट, और टी० के० चौपड़ा, इंजीनियरिंग सहायक । ग़बन की कुल राशि 481.28 रुपये हैं।

(ख) विशेष पुलिस संस्थापन ने सर्वश्री जी० एन० पी० गुप्त, सांवरमल, हरि सिंह और मजधेजे के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है और प्रायोजना प्रधिकारियों को इन व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई शुरु करने की सिफारिश की है। इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। श्री चौपड़ा के विरुद्ध मामलों में विशेष पुलिस संस्थापन के द्वारा अभी जांच की जा रही है।

काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

*1695. **श्री नम्बियार :**

श्री चक्रपाणि :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 20 फरवरी 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस अधिनियम के अन्तर्गत काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) (क) और (ख) बोनस अधिनियम 1965 के अन्तर्गत काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस की देयता के प्रश्न पर सरकार अभी विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न के कानूनी पहलुओं पर, जो कि पेचीदा किस्म के हैं, विचार किया जा रहा है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

Factories in U. P.

***1696. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of factories attached or auctioned by the Government of Uttar Pradesh from the 10th April, 1967 to 30th May, 1967 due to the non-payment of Government loans or any other amount due to Government; and

(b) the income accrued to Government as a result thereof?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) The information is being collected and it will be placed on the table of the House.

रद्दी लोहे के निर्यात के लिये नकद सहायता

+1697. **श्री शिव नारायण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी लोहे का निर्यात करने पर गत सितम्बर में 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सरकार द्वारा नकद सहायता में कटौती किये जाने के फलस्वरूप रद्दी लोहे के निर्यात के क्रयादेश बहुत कम हो गये हैं;

(ख) क्या रद्दी लोहा बेचने वाले व्यापारियों ने सरकार से प्रार्थना की है कि इस सहायता को बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया जाय; और

(ग) यदि हां, तो रद्दी लोहे के निर्यात से होनी वाली विदेशी मुद्रा की आय में इतनी अधिक कमी न हो इस के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह : (क) हाल के महीनों में रद्दी लोहे की निर्यात संविदाओं में गिरावट आई है। इसका कारण जापान में रद्दी लोहे की खपत में गिरावट आना है क्योंकि जापानी इस्पात निर्माता उद्योग ने मूल खुली भट्टी प्रक्रिया के स्थान पर एल० डी० प्रक्रिया अपना ली है। एल० डी० प्रक्रिया से रद्दी को इस्पात में परिवर्तित करने में अपेक्षाकृत अधिक बचत होती है। जापान में कच्चे लोहे का उत्पादन भी बढ़ गया है और यह इस्पात बनाने के लिये रद्दी लोहे के स्थान पर वैकल्पिक सामान है।

(ख) जी, हां।

(ग) रद्दी धातु व्यापार निगम को, जिसके माध्यम से सभी रद्दी धातुओं का निर्यात होता है, भारतीय रद्दी धातुओं के लिये वकल्पिक बाजारों का पता लगाने के लिये

सरकार प्रोत्साहन दे रही है। वास्तव में इस निगम का एक प्रतिनिधिमण्डल विभिन्न दक्षिण-पूर्वी एशियाई बाजारों का सर्वेक्षण करके अभी हाल में ही वापस आया है।

ढोल बनाने वाले कारखाने

+1698. श्री सीताराम केसरी: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 2 अप्रैल, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढोल बनाने वाले कारखानों की क्षमताओं का उस समय अनुमान लगाने के क्या कारण हैं जब कि इस्पात की चादरों की कमी थी;

(ख) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रक ने इस्पात की चादरों की अधिक सप्लाई की थी;

(ग) यदि हां, तो 1964-65 से अब तक इसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने इन सुझावों को मानकर कि विस्तार और नयी क्षमताओं की अनुमति देने की बजाय बहुपारी के आधार पर उद्योग के कच्चे माल का नियतन करके वर्तमान क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जाय, पेट्रोलियम उद्योग और अन्य सरकार विभागों की तेल के ढोलों की मांग को आसानी से पूरा किया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जब कि इस्पात की चादरों की कमी थी और उसका सामना अलग से उपयुक्त पग उठा कर किया जाना था 1963-64 में क्षमता का आंकन बैरलों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था। तेल कम्पनियों तथा बैरल उत्पादकों के प्रतिनिधियों की दिसम्बर, 1963 और अप्रैल, 1964 में हुई बैठकों के फलस्वरूप यह पता लगा था कि बैरलों की क्षमता उस समय 3,000 मी० टन प्रति मास थी और इसलिए यदि विद्यमान क्षमता में वृद्धि न की जाती या नई क्षमता स्थापित न की जाती तो तेल पैट्रोल उद्योग तथा अन्य उपभोक्ताओं की 4,700 मी० टन प्रति मास की आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में पेट्रोल तथा रसायन मंत्रालय ने अनुरोध किया था कि व्यवसायिक निर्माताओं की क्षमता का पुनरीक्षण करने के लिये किये गये उपायों का शीघ्र पुनरीक्षण किया जाय जिस से बैरल के उचित सम्भरण का सुनिश्चय किया जा सके।

(ख) और (ग) ब्योरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(घ) इस में कोई विस्तार या नई क्षमता का प्रश्न नहीं था। जैसा कि 2 अप्रैल, 1968 को प्रश्न संख्या 1009 के उत्तर में बताया जा चुका कि क्षमता का पुनर्निर्धारण विद्यमान क्षमता का और अधिक उपयोग करने और कच्चे माल का समान वितरण करने के प्रयोजन से किया गया था।

हथकरघा उद्योग में संकट :

+1699. **श्री वि० ना० शास्त्री**
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री चेंगलराय नायडू :
श्री दीवीकन
श्री न० कु० सांघी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री किसत्तिनन :
श्री नारायण राव :
श्री नायनार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र सोसाइटी के सभापति ने मंदी के कारण हथकरघा उद्योग में उत्पन्न संकट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है;

(ख) क्या उन्होंने यह अनुरोध किया है कि सरकार बुनकरों और सहकारी समितियों को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता दे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :—

(1) रिजर्व बैंक द्वारा हथकरघा को वित्त-पोषण सम्बन्धी पुरानी पद्धति को पुन: लागु किया जाना चाहिए क्योंकि हथकरघा उद्योग नयी व्यवस्थाकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई अनुभव करता है।

(2) हथकरघे के सामान की बिक्री पर 5 पैसे प्रति रुपये की अतिरिक्त छूट तीन और महीने के लिये भी बढ़ा दी जानी चाहिए।

जहां तक पहले सुझाव का सम्बन्ध है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों तथा बैंकिंग संस्थाओं से बातचीत करके यह मालूम करें कि हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों का वित्त-पोषण करने की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की विद्यमान योजना को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं और अधिक व्यावहारिक विकल्प सुझायें जिन पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ बातचीत की जा सके। जहां तक दूसरे सुझाव का सम्बन्ध है सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान

*1700. **श्री टी० पी० शाह :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले दान पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को सरकार का विचार संसद के चालू सत्र में लाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Electric Train Between Calcutta and Delhi

+*1701. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the time by which the arrangements in regard to the running of electric trains between Calcutta and Delhi are likely to be completed;

(b) the names of the other prominent cities which Government propose to connect with Delhi by electric trains; and

(c) the details of the scheme in this regard and the progress made in respect thereof?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Of the Calcutta-Delhi section, the section between Calcutta and Kanpur has already been electrified and a large number of trains are being run on electric traction between Calcutta and Kanpur. The electrification of the section Kanpur to Tundla is included in the programme for electrification during 4th Five Year Plan and the field work is in progress and is expected to be completed by 1970-71. There is at present, no proposal for extending electrification from Tundla to Delhi.

(b) For the present, there is no proposal to connect Delhi with other prominent cities by electric trains.

(c) Does not arise.

Indian Standards Institution

*1702. **Shri Ramavtar Sharma :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Standards Institution propose to set up a Standards Training Centre for Engineering students with the assistance of and grants from U.N.O.; and

(b) if so, when the said Centre is likely to be set up?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal is at very preliminary stage.

विदेशों में आम के अचार की मांग

+1703. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आम के अचार की विदेशों में काफी मांग है;

N29LSS(CP)/68—5

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) विदेशी बाजारों में आम के अचार की मांग का कोई औपचारिक आकलन नहीं किया गया है परन्तु निर्यात का रुख देखते हुए मांग में कोई अधिक वृद्धि नहीं दिखाई देती।

आम के अचार का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(क) अचार तथा चटनी बनाने के लिये कच्चे आमों की प्राप्यता में सुधार करने के लिये लवणित आम की फांकों के निर्यात के सम्बन्ध में प्रतिबन्धात्मक नीति आरम्भ की गई है।

(ख) निर्यात के लिये माल तैयार करने वालों को नियंत्रित मूल्य पर चीनी दी जाती है।

(ग) मीठे अचार के निर्यात के लिये 6 प्रतिशत का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(घ) पंजीकृत निर्यतकों की चालू नीति के अन्तर्गत आम के अचार के निर्यातक कच्चे माल, पैकिंग के सामान आदि के आयात के लिये 10 प्रतिशत के लिये आयात पुनर्भरण लाइसेंस पाने के पात्र हैं।

संयुक्त राष्ट्र व्यापर तथा विकास सम्मेलन का भारत के निर्यात पर प्रभाव

+1704. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के परिणाम-स्वरूप, विकसित देशों द्वारा कुछ भारतीय सामान खरीदने के लिये सहमत हो जाने से भारतीय निर्यात व्यापार कितना बढ़ जाने की संभावना है;

(ख) किन-किन देशों के साथ पहले ही करार किये जा चुके हैं और अन्य देशों के साथ करार की कैसी संभावनाएं हैं; और

(ग) विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता के लिये रजामन्द करने के लिये क्या अनुवर्ती बैठकों तथा विचार विमर्श किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) 1 फरवरी से 29 मार्च, 1968 तक नई दिल्ली में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के दूसरे सत्र के कार्य के बारे में 1 अप्रैल, 1968 को लोक सभा के सभा पटल पर मेरे द्वारा रखे गये विवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है। जिस मूल उद्देश्य को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वह यह था : विकास में सहायक एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को तैयार करना तथा क्रियान्वित करना। अतः विकसित देशों द्वारा विशेषरूप से भारतीय माल खरीदने के लिए सहमत होने का अथवा हमारे द्वारा उनके साथ विपक्षीय करार करने का कोई प्रश्न नहीं था।

फिर भी, अंकटाड द्वारा किये गये निर्णयों के, विशेषत: पण्य एवं अधिमान्यताओं के क्षेत्र में, उन्हें क्रियान्वित करने के फलस्वरूप यह आशा है कि विकासशील देशों के जिनमें भारत भी शामिल है, निर्यात व्यापार में वृद्धि होगी, हालांकि इस प्रकार की वृद्धि का परिमाण बताना संभव नहीं है।

अंकटाड की स्थायी व्यवस्था में, जिसमें व्यापार तथा विकास बोर्ड और उसकी स- तिया शामिल हैं, अनुवर्ती बैठकें और विचार-विमर्श किये जाने हैं ताकि विकसित देशों क उन उपायों तथा समाधानों के सम्बन्ध में सहमत होने के लिए राजी किया जा सके जो विकासशील देशों के लिए सहायक सिद्ध होंगे।

भारतीय रेलवे का प्रशिक्षण स्कूल

*1705. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के विभिन्न प्रशिक्षण स्कूलों के प्रशिक्षकों प्रधानाचार्यों तथा सुपरिटेंडेंटों को विशेष वेतन भी मिलता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रधानाचार्यों तथा सुपरिन्टेंडेंटों के मामले में पेंशन निर्धारित करने के लिये इस विशेष वेतन को भी उपबन्धों में शामिल किया जाता है और प्रशिक्षकों के मामले में ऐसा नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस भेदभाव को समाप्त करने तथा प्रशिक्षकों के मामले में भी पेंशन निर्धारित करने के लिये विशेष वेतन की उपलब्धियों में शामिल करने के आदेश जारी करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी हां, बशर्ते कि कुछ निर्धारित शर्तें पूरी होती हों और वे व्यक्ति अवर प्रशासन ग्रेड से ऊंचे ग्रेड में न हों।

(ख) और (ग) जी नहीं। पेंशन के लिए विशेष वेतन की गणना करने के नियमों में प्रधानाचार्यों, अधीक्षकों और प्रशिक्षकों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता।

National Coal Development Corporation

*1706. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Coal Development Corporation has not achieved even 50 per cent of its target of production ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the measures proposed to be taken for rationalisation of the working of the said Corporation and for running its on commercial basis?

The Minister of State in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) For the Third Five Year Plan, the National Coal Development Corporation was originally set a target of producing 30·5 million tonnes of coal. This target was, however, reduced to 22·5 million tonnes after the midterm appraisal of the Third Plan. But as a result of further slackening in the demand for coal in the country, the NCDC had to take immediate steps to restrict its production further consistent with the demand. Accordingly, the MCDC produced only 9 ·65 million tonnes of coal in 1965-66. In 1966-67 and 1967-68 as

against the targets of 11·07 (later reduced to 9·80) and 11·26 million tonnes, there was a production of about 9·49 and 10·35 million tonnes respectively.

(b) The demand for coal largely remained stagnant and production was restricted to the demand.

(c) For rationalisation of the working of the NCDC and for improving its performance, Government have already set up an Enquiry Committee under the Chairmanship of Shri G. R. Kamat. Further steps will be taken as necessary in the light of the recommendations of the Committee.

Refusal to Work by Station Masters on Kotah Division

9813. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Station Master in the Kotah Division of the Western Railway refused to work on the 8th and 9th March, 1968 on the pretext on sudden Illness and if so, the reasons threfor;

(b) the loss suffered by Railways as a result of the said incident;

(c) the number of passenger trains and goods trains which were delayed as a result thereof; and

(d) the action which Government have taken or propose to take in the matter?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. The reason for refusal to work is under- stood to be the suspension of the Station Master, Chhoti Oodai, a wayside station;

(b) Nil.

(c) 10 Passenger and 3 goods trains were delayed.

(d) The matter is under investigation.

सरकारी प्रकाशन

9814. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें वार्षिक अथवा आवधिक प्रकाशन छापती हैं, जिनमें उन विभिन्न सोसाइटियों संस्थाओं, आदि का विवरण दिया जाता है, जिनका पंजीयन सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन वर्ष प्रतिवर्ष होता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम है तथा क्या वे प्रकाशन संसदीय पुस्तकालय में आते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे दस्तावेज प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को सोसाइटियों के रजिस्ट्रारों से कोई वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन मिलते हैं ?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 की विषय वस्तु संविधान की अनुसूची सात में, सूची 2, की प्रवृष्ठि 32 के अनुसार एकमात्र रूप से राज्य सूची के अन्तर्गत आती है। निर्देशित प्रकार के वार्षिक अथवा आवधिक प्रकाशनों के प्रेषण के लिये

अधिनियम में व्यादेश नहीं है। केंद्रीय सरकार को इस प्रकार के प्रकाशनों को प्रकाशित करने का अवसर नही मिला । केन्द्रीय सरकार को यह सूचना नहीं है कि किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत केवल अनेक सोसाइटियों आदि के ब्योरों से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रकाशित हुई है । फिर भी अवबुद्ध है कि कुछ राज्य सरकारें, सोसाइटयों से सम्बन्धित सूचना, अपनी सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट में सम्मलित करती हैं ।

(घ) नहीं, श्रीमान । केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

महताब समिति

9815. श्री मुरासोली मारन : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महताब समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): महताब समिति की मुख्य सिफारिशें इस्पात के बड़े-बड़े कारखानों के परिचालन में सुधार करने के बारे में है और ये सिफारिशें आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उनको बता दी गई हैं। धमन भटठी और इस्पात पिघलाने वाले कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, बेलन मिलों का अधिकतम उपयोग करने, आयात किये जाने वाले पुर्जों के स्थान पर देश में बने हुए पुर्जो से काम चलाने और कारखानों की मरम्मतशालाओं में अधिकतम उत्पादन करने, कोयला-शोधनशालाओं के उत्पादन को बढ़ाने और उनको अधिक कुशल संचालन करने, बारीक कोयले का अधिक से अधिक उपयोग करने, रक्षित खानों में खनन लागत को कम करने, कर्मचारियों पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण करने, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने हेतु अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशालाओं में तकनीकी सुधार करने के विचार से विभिन्न प्रकार के परीक्षण करने और मार्केट की बदलती हुई मांगों की पूर्ति हेतु नये सेक्शनों का विकास करने और उत्पादों में विभिन्नीकरण लगाने आदि-आदि जैसे मामलों में सतत कार्रवाई की जा रही है।

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 के अन्तर्गत मुकदमे

9816. श्री बाबू राव पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों में आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत आयातित वस्तुओं का अवैध व्यापार तथा चोरबाजारी करने के मामलों में जिन फर्मों अथवा व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये, उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में क्या क्या परिणाम निकला ;

(ख) प्रत्येक मामले में किस प्रकार की और कितने मूल्य की वस्तुएं शामिल हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि में अवैध व्यापार करने के कारण आयात/निर्यात लाइसेंस, सीमा शुल्क भुगतान पर्मिट तथा राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयातित वस्तुओं के नियतन से जिन फर्मों तथा व्यक्तियों के नाम निकाल दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक फर्म या व्यक्ति कितनी-कितनी अवधि के लिये इन लाभों से बहिष्कृत किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० .1207/68]

(ग) 1965, 1966 तथा 1967 के दौरान जिन फर्मों तथा व्यक्तियों को आयात लाइसेंस, सीमा-शुल्क निकासी परमिट प्राप्त करने अथवा राज्य व्यापार निगम खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयातित वस्तुओं के नियतन से वंचित किया गया है, उन के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1207/68]।

ऊन का आयात

9817. श्री बाबूराव पटल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से भारतीय उद्योग ऊन के आयात पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक उद्योग को प्रति वर्ष कितने मूल्य की ऊन की आवश्यकता होती है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम ने वर्ष-वार कितनी और कितने मूल्य की ऊन का आयात किया और उसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य कितना-कितना था;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने किन-किन उद्योगों को ऊन की सप्लाई की और उद्योग-वार प्रति वर्ष कितने मूल्य की ऊन सप्लाई की; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में अमृतसर और पंजाब में गालीचा उद्योग को प्रति वर्ष कितनी और कुल कितने मुल्य की ऊन दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) भारतीय ऊन उद्योग के विभिन्न क्षेत्र जो अधिकांशत: आयातित ऊन पर निर्भर रहते हैं यें हैं : ऊन के टाप्स के निर्माता, विभिन्न किस्म के वर्स्टेड धागे के निर्माता, शाडी कताई उद्योग, हेअर बेल्टिंग तथा फेल्ट उद्योग । मिलाने के लिये संश्लिष्ट रेशों के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इन सभी क्षेत्रों की तीन पालियों के आधार पर अनुमानित वार्षिक आवश्यकता लगभग 24 करोड़ रुपये की ऊन की है।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने सितम्बर 1966 से अगस्त, 1967 की अवधि में आस्ट्रेलिया से कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कच्ची ऊन पूल के लिये 92.93 लाख रुपये की 16.26 लाख पौण्ड कच्ची ऊन का आयात किया। इस पूल के निर्माता-निर्यातकों को निकासी के समय चालु अन्तर्राष्ट्रीय भाव पर ऊन दी जाती है। लगभग 5 1/4 प्रतिशत लदाई तथा उतराई तथा निकासी प्रभार इसके अलावा होते हैं।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने पंजीकृत निर्यातकों की नीति के अन्तर्गत वर्स्टेड कपड़ा तथा होजरी निर्माताओं को उनके पुनर्भरण लाइसेंसों पर कच्ची ऊन के पूल से 14.95 लाख रुपये की 1.77 लाख पौण्ड ऊन दी है।

(घ) अमृतसर तथा पंजाब के कालीन उद्योग को आयातित ऊन में से कोई वास्तविक उपयोक्ता कोटा नहीं दिया गया परन्तु पंजीकृत निर्यातकों की आयात नीति के अन्तर्गत कालीनों के निर्माता-निर्यातक 25-11-1967 तक अपने पुनर्भरण लाइसेंसों पर ऊन और रंजक तथा रसायन प्राप्त करने तथा आयात करने के लिये पात्र थे।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

9818. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम का गठन किस तारीख को किया गया था, उसमें कितनी पूंजी का विनियोजन किया गया था और 31 मार्च, 1967 तक इसे वर्षवार कितनी शुद्ध आय हुई ;

(ख) निगम के कितने कार्यालय हैं, वे कहां-कहां स्थित हैं उनमें कुल कितने कर्मचारी हैं और 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में वार्षिक मजूरी-खर्चा और दफ्तरी खर्चा कितना-कितना था ;

(ग) 30 उच्च अधिकारियों के नाम, पदनाम, वार्षिक वेतन तथा परिलब्धियां क्या-क्या हैं और 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक अधिकारी ने यात्रा भत्ते के रूप में कितनी-कितनी राशि प्राप्त की ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में बाहर भेजे गये अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की और प्रत्येक मामले में यात्रा-खर्चा और खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्योरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिनकी पत्नियां अथवा अन्य सम्बन्धी ऐसे दौरों पर उनके साथ गये थे और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोरट्टी के निकट रेल गाड़ी की दुर्घटना

9819. **श्री मंगलाथुमाडोम** :

श्री विश्वम्भरम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण रेलवे पर कोरट्टी के निकट हुई रेलगाड़ी की दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ख) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कुल कितनी क्षति हुई, जिसमें दुर्घटना के परिणामस्वरूप आग लगने के कारण पड़ोस की फसलों की क्षति भी शामिल है; और

(ग) आग लगने के परिणामस्वरूप किसानों और उस क्षेत्र के व्यक्तियों को, जिनकी फसल को क्षति पहुंची है, क्या कोई मुआवजा देने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे. मु० पुनाचा : (क) जी हां। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) इस दुर्घटना के कारण लगभग 1,96,045/- रुपये की क्षति होने का अनुमान है जिसमें धान की फसल को होने वाले नुकसान के 1,300 रुपये शामिल हैं।

(ग) जी हां, दावा मिलने पर प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर।

रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

9820. श्री मुरासोली मारन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समानता लाने के लिये सब मीटर गेज और नैरो गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) अगले पांच वर्षों में जोनवार कितनी रेलवे लाइनों/मार्गों तथा पटरियों को बड़ी लाइनों में बदला जायेगा; और

(घ) दक्षिण ज़ोन में जो लाइनें बदली जायेंगी, उनके नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

रुपये के अवमूल्यन के बाद की अवधि में निर्यात

9821. श्री लोबो प्रभु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात के आंकड़ों को लगाये गये निर्यात शुल्कों से सम्बद्ध करने का प्रयास किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि 6 जून, 1966 को 2 रुपये प्रति किलो की दर से निर्यात शुल्क लगाये जाने से आगामी छः महीनों में चाय का निर्यात 1965 की उसी अवधि में 117,705 हजार किलो की तुलना में कम होकर 93,827 हजार किलो हो गया था ;

(ग) क्या 11 नवम्बर, 1966 को उस शुल्क का पुनरीक्षण होने के पश्चात् आगामी छः महीनों में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में निर्यात में लगभग 10,000 हजार किलो वृद्धि हुई;

(घ) क्या 25 मई, 1967 को शुल्क में अग्रेतर पुनरीक्षण होने से आगामी छः महीनों में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में लगभग 35,000 हजार किलो की और वृद्धि हुई ;

(ङ) क्या 19 नवम्बर, 1967 को पौण्ड के अवमूल्यन के फलस्वरूप आगामी तीन महीनों में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 66,588 हजार किलो का निर्यात कम होकर 48,070 हजार किलो रह गया; और

(च) पौण्ड के अवमूल्यन के प्रभाव को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निर्यात में घट-बढ़ का सम्बन्ध प्रत्येक मामले में उल्लिखित कारणों के ही साथ जोड़ना सही नहीं होगा। अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ा है।

(ङ) और (च) : थोड़ी-थोड़ी अवधि में निर्यात में हुई कमी से वास्तविक प्रवृत्तियों का सर्वदा सही रूप में मान नहीं होता। अतः सरकार स्थिति पर कुछ और समय के लिये ध्यान देना चाहेगी।

Export of Bananas

9822. Shri R. S. Vidyarthi : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7279 on the 28th July, 1967 and state :

(a) the loss suffered by Government on the export of bananas from the 1st April, 1966 to the 31st March, 1968;

(b) the reasons, other than the export of bananas, due to which the prices of bananas have risen in the country; and

(c) the rates at which bananas were exported during the year 1966-67 to each country?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There are no export of bananas by the Govern- ment. Export of bananas to the USSR and Japan was made by the State Trading Corporation. The total loss, which included mainly developmental expenditure, incurred by the Corporation during April 1966-March 1968 on export of 5366 tonnes of bananas to the USSR was Rs. 14·96 lakhs, and on export of 1065 tonnes to Japan was Rs. 2·80 lakhs.

(b) The prices of bananas increased mainly due to drought conditions in the last two years.

(c) It is not in the business interest of the Corporation to disclose details regarding the export prices to various destinations.

तामिलनाड में लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास

9823. श्री किरुतिनन: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968–69 में तामिलनाड में लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) योजनायें क्या-क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 277.04 लाख रु०।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1208/68)

तामिलनाड में बुनाई मिलों के लिये लाइसेंस

9824. श्री कारुतिनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाड के कपड़ा मिलों ने बुनाई मिलों के लिये लाइसेंस जारी करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ग) क्या कोई आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफीकुरैशी) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य ऐसी कताई मिलों की संख्या जानना चाहते हैं जिन्होंने करघे लगाने के लाइसेंसों के लिए आवेदन किया था। तृतीय योजना की अवधि में ऐसी मिलों में से 24 आवेदन प्राप्त हुए और सभी को लाइसेंस दे दिये गये थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से रोहतक तक रेलगाड़ी

9825. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रातः 11 बजकर 10 मिनट से सायंकाल 4 बज कर 40 मिनट के बीच दिल्ली से रोहतक के लिये कोई गाड़ी नहीं जाती;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन शहरों के बीच के स्टेशनों के लोग पिछले कई वर्षों से इस बात के लिये अभ्यावेदन करते आ रहे हैं कि उपरोक्त समय के बीच दिल्ली से रोहतक के लिये एक रेलगाड़ी चलाई जाय; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यह रेलगाड़ी कब तक चालू हो जायेगी ?

रेलवे मंत्री **(श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हां, शनिवार को छोड़कर।

(ख) जी हां।

(ग) हाल में दिल्ली किशनगंज-शकूरबस्ती खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने का जो काम पूरा हुआ है उसके सन्दर्भ में इस मामले पर विचार किया जा रहा।

रेलवे में आधुनिक ढंग के सुरक्षा यंत्र

9826. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी रेलों में मानवीय गलती या असमर्थता की संभावना को दूर करने के लिये आधुनिक ढंग के सुरक्षा यंत्र प्रयोग यें लाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और वे किन-किन स्थानों में लगाये गये हैं; और

(ग) क्या 26 मार्च, 1968 को यालविगी रेलवे स्टेशन पर, जब पूना से बंगलौर जाने वाली दक्कन एक्सप्रेस मुख्य लाइन पर खड़ी हुई बिरूर-हुबली पैसेन्जर गाड़ी से टकरा गई थी, ऐसा कोई सुरक्षा यंत्र लगा हुआ था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां। उन्नत किस्म के यंत्रों से मानवीय त्रुटियां कम हो तो जाती हैं, लेकिन बिलकुल समाप्त नहीं होती।

(ख) इस सम्बन्ध में किये जाने वाले विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:—

उच्चतर मानक के सिगनल और अन्तर्पाश ब्लाक उपकरण, रेलपथ परिपथन, रूट रिले अन्तर्पाश और केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण व्यवस्था। भारी यातायात वाली सभी व्यस्त मुख्य लाइनों पर उच्चतर मानक के अन्तर्पाश और ब्लाक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण शाखा लाइनों पर भी ब्लाक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। सभी मुख्य मार्गों पर निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर छोटे स्टेशनों की मुख्य रनथ्रू लाइनों के रेल-पथ परिपथन की व्यवस्था की जा रही है। खासतौर पर उपनगरीय खण्डों के महत्वपूर्ण व्यस्त स्टेशन-यार्डों, में रूट रिले अन्तर्पाश और पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-छपरा खंड पर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) यालविगी रेलवे स्टेशन पर उपर्युक्त यंत्रों में से मानक 1 के सिगनल और अन्त-र्पाश और ब्लाक उपकरणों की व्यवस्था की जा चुकी है।

नवपद से पारलाकिमिडी तक और पारलाकिमिडी से गुणपुर स्टेशनों के बीच बिना टिकट यात्रा

9827. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में पारलाकिमिडी और गुणपुर स्टेशनों पर कोई टिकट क्लेक्टर नियमति रूप से ड्यूटी पर नहीं रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्री नवपद से पारलाकिमिडी तक और पारलाकिमिडी से गुणपुर तक प्रायः बिना टिकट यात्रा करते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ यात्री जो नवपद से यात्रा करते हैं, गंगुवदा से टिकट खरीदते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि पहले दर्जे का डिब्बा नवपद से गुणपुर तक बिना टिकट अथवा बिना पास वाले रेलवे कर्मचारियों से भरा हुआ होता है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) एक महीने में नवपद से गुणपुर के बीच प्रत्येक स्टेशन से जाने वाले यात्रियों को प्रतिदिन कितने टिकट जारी किये जाते हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी हां। यात्री यातायात की मात्रा सीमित होने के कारण, सहायक स्टेशन मास्टरों और वाणिज्यिक क्लर्कों जैसे स्टेशन कर्मचारियों को टिकट इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया है।

(ख) से (घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

(च) अप्रैल 1967 से मार्च 1968 तक की अवधि में टिकटों की दैनिक औसत बिक्री इस प्रकार है :—

1. नौपाड	187
2. टेक्काली	126
3. गंगुवाड	70
4. पातपट्टणम	114
5. पारलाखेमुंडी	270
6. हेडोभंगी	107
7. काशीनगर	107
8. बंशधारा	111
9. पालासिंगी	65
10. गुणपुर	131

हावड़ा खुर्दा रोड और वाल्टेयर डिवीजनों में बी० टी० एम० और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला

9828. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967—68 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में हावड़ा, खुर्दा रोड और वाल्टेयर डिवीजनों में बी० टी० एम० और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले के कितने प्रार्थना-पत्र इस समय लम्बित पड़े हैं।

(ख) अस्थायी वाटरमैनों के रूप में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनका सेवाकाल कितना-कितना है; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों को नियमित रिक्त पदों पर पदोन्नत करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जूतों का निर्यात

9829. **श्री वि० नरसिम्हाराव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूतों का निर्यात करने के लिये किन-किन देशों से सरकार ने करार किए हैं; और

(ख) ऐसे निर्यातों से 1966—67 तथा 1967—68 में अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) राज्य व्यापार निगम की जूते-चप्पल आदि के निर्यात के लिये सोवियत रूस पोलण्ड, तथा सं० रा० अमेरिका के साथ संविदाएं हैं जो पूरी की जा रही हैं।

(ख) वर्ष 1966–67 में राज्य व्यापार निगम के निर्यातों का मूल्य 5.48 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 1967–68 में 5.08 करोड़ रुपये का निर्यात होने का अनुमान है।

ग्रेफाइट की आवश्यकता

9830. **श्री बि० नरसिम्हा राव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में ग्रेफाइट की कुल कितनी आवश्यकता है और कितनी मात्रा में ग्रेफाइट के लिये विदेशों को क्रियादेश दिये गये हैं;

(ख) वर्ष 1966 तथा 1967 में कितनी मात्रा में ग्रेफाइट का आयात किया गया था; और

(ग) ग्रेफाइट का आयात बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ग्रेफाइट क्रूसीबल्लो, पेंसिलों, मिडगेट, इलेक्ट्रोडों, चिकना करने के पदार्थों और पैंकिंग उद्योगों के लिए ग्रेफाइट की कुल आवयकता का अनुमान 2500 मी० टन प्रतिवर्ष लगाया गया है। विदेशों की ग्रेफाइट की कितनी मात्रा के लिए इंडेंट भेजा गया है, यह ज्ञात नहीं है,। फिर भी कच्चे माल, जिसमें उपर्युक्त उद्योगों के लिए ग्रेफाइट सम्मिलित है, का आयात करने के लिए वर्ष 1967–68 में 6.30 लाख रु० की कुल विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया था।

(ख) 1966 से 1967 तक आयात किए गए ग्रेफाइट की मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	**मात्रा**
1965–67	1813 मी० टन
1967–68 (जनवरी, 1968 तक)	2219 मी० टन

(ग) भारतीय ग्रेफाइट घटिया किस्म की होती है जिसमें औसतन ग्रेफाइट कार्बन का अंश 35 से 40 प्रतिशत होता है जबकि उद्योग के लिए 90 प्रतिशत शुद्धता की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर इस समय भारतीय ग्रेफाइट की किस्म में सुधार करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का विकास करने के काम में लगी है।

Minerals Found in Sawai Madhopur

9831. **Shri Metha Lal Meena :** Will the Minister of **Steel, Mines And Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large reserves of various types of minerals have been found in many hilly areas of Sawai Madhopur and Jaipur, Rajasthan;

(b) if so, the names of places and the names of minerals found and the estimated quantity thereof; and

(c) the schemes formulated by Government to mine the said minerals ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अनुसचिवीय कर्मचारी

9832. **श्री मि० सु० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1959 को और 1 अप्रैल, 1968 को मुख्यालय कार्यालयों में तथा रेलों में डिविजन-वार तथा जोन-वार, लेखा शाखाओं तथा कार्यपालिका शाखाओं दोनों में अनुसचिवीय कर्मचारियों, क्लर्कों, टाइपिस्टों, स्टेनोग्राफरों तथा अन्य वर्गों के कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या कितनी- कितनी थी ;

(ख) इस अवधि में कितने स्वीकृत पद खाली पड़े थे ;

(ग) इस अवधि में कितने पदों को समाप्त किया; और

(घ) उपरोक्त अवधि में कितने पद भरे गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा :) (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Workers' Benefit Fund of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

9833. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount deposited annually workers Benefit Fund by the Khadi Gramo dyog Bhawan, New Delhi;

(b) the items on which this amount was spent for the benefit of its workers;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) the action proposed to be taken to ensure its proper utilisation for workers' benefits; and

(e) whether there is any scheme to utilise this amount for solving accommodation problem of the workers?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Sale of Adulterated Honey in Khadi Gramodyog Bhawan

9834. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6012 on the 2nd April, 1968 and state :

(a) the time by which the decision to conduct a Departmental Enquiry against the Officers responsible for the purchase and sale of adulterated honey in the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi is likely to be taken;

(b) the reasons for the delays; and

(c) whether Government [propose to transfer the Manager of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi to some other place to enable an early enquiry?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c). The entire matter is under consideration of Government.

C. P. F. Facilities in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

9835. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3653 on the 12th March, 1968 regarding C.P.F. facilities in the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi and state :

(a) whether any demand for the extension of the Contributory Provident Fund facilities from 1957 onwards has been [made to the provident Fund Commission, Delhi by the employees of Khadi Gramodyog Bhawan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir; the employees of the Khadi Gramodyog Bhavan have claimed Contributory Provident Benefit facilities from 1st April, 1957 in accordance with the provisions of the Khadi & Village Industries Commission (Contributory Provident Fund) Amendment Regulations, 1964;

(b) The matter is under consideration of the Government.

Bonus to Employees of Khadi Gramodyog Bhawan

9836. Shri. Sundar Lal : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the existing Bonus Act is applicable to the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi;

(b) if so, whether bonus is being given to the employees of the said Gramdoyog Bhawan under the Bonus Act;

(c) if not, the reasons therefor and the persons responsible therefor; and

(d) the steps proposed to be taken by Government or the Khadi and Village Industries Commission for ensuring payment of bonus to the said employees from the date from which they are entitled to get bonus?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (d). The entire matter is under consideration of Government.

आयात लाइसेंस

9837. श्री जुगल मण्डल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कम्पनियों को गत पांच वर्षों में कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस तथा निर्यात हकदारी दी गई तथा निर्यात करने के लिये कुल कितनी सहायता दी गई (एक) ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड (दो) ईस्टर्न सर्विसिस एण्ड मार्किटिंग कम्पनी लिमिटेड (तीन) भारत बेरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड (चार) गोल्डन तम्बाकू कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड (पांच) बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड (छः) मैटल डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, कलकत्ता, (सात) मोदी स्टील लिमिटेड, मोदी नगर (आठ) मोदी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मोदी नगर और (नौ) एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, केरल;

(ख) इन लाइसेंसों को जारी करने, निर्यात हकदारी देन तथा उन्ह सहायता देने का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि इन कम्पनियों ने विनियमों का कोई उल्लंघन किया है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) फर्मों को दिये गये आयात-लाइसेंसों का ब्योरा 'वीकली' बुलेटिन आफ़ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज़, इम्पोर्ट लाइसेंज़ तथा एक्स्पोर्ट लाइसेंसिज़ में प्रकाशित किया जाता है जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है। निर्यात सहायता के विषय में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती।

(ख) पुनर्भरण तथा सहायता योजना के अधीन जारी किय गये लाइसेंसों का उद्देश्य भारत का निर्यात बढ़ाने के लिये प्रतियोगी दरों पर विदेशी बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में निर्यातकों को समर्थ बनाना था।

(ग) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

आयात लाइसेंस जारी करना

9838. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कम्पनियों को गत सात वर्षों में कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस तथा निर्यात सहायता दी गई तथा कितने मूल्य की निर्यात हकदारी दी गई (एक) अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी (दो) थैकरसे एण्ड मूलजी एण्ड कम्पनी (तीन) क्रोम्पटन एण्ड पटकिन्सन वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड (चार) शाह वैल्स एण्ड कम्पनी (पांच) उत्कल मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, खरकेला (छः) इंटरनैशनल कम्बसंन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता (सात) हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई (आठ) श्रम इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता (नौ) सदर्न रोडवेज लिमिटेड, मद्रास (दस) सरसिल्क लिमिटेड, आंध्र प्रदेश;

(ख) इन लाइसेंसों को जारी करने, निर्यात हकदारी देने तथा उन्हें सहायता देने का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) विनियमों का उल्लंघन करने के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) फर्मों को दिये गये आयात-लाइसेंसों का ब्यौरा 'वीकली' बुलेटिन आफ़ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज़, इम्पोर्ट लाइसेंसिज तथा एक्स्पोर्ट लाइसेंसिज़, में प्रकाशित किया जाता है जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है। निर्यात सहायता के विषय में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती।

(ख) पुनर्भरण तथा सहायता योजना के अधीन जारी किये गये लाइसेंसों का उद्देश्य भारत का निर्यात बढ़ाने के लिये प्रतियोगी दरों पर विदेशी बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में निर्यातकों को समर्थ बनाना था।

(ग) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयात लाइसेंस

9839. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कम्पनियों को गत छः वर्षों में कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस तथा निर्यात हकदारी दी गई तथा निर्यात के लिये कुल कितनी सहायता दी गई (एक) जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (दो) बरतानिया बिस्कुट्स लिमिटेड, (तीन) लारसेन एण्ड टानबरो लिमिटेड, बम्बई (चार) बम्बई गैस कम्पनी (पांच) यूनियन कार्बाइड लिमिटेड (छः) फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (सात) जानसन एण्ड जानसन इंडिया लिमिटेड (आठ) मार्टिन एण्ड हैरिस लिमिटेड, कलकत्ता ;

(ख) इन लाइसेंसों को जारी करने, निर्यात हकदारी देने तथा उन्हें सहायता देने का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) यदि इन कम्पनियों द्वारा विनियमों का कोई उल्लंघन किया गया है, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) फर्मों को दिये गये आयात-लाइसेंसों का ब्यौरा 'वीकली' बुलेटिन आफ़ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज़, इम्पोर्ट लाइसेंसिज तथा एक्स्पोर्ट लाइसेंसिज में प्रकाशित किया जाता है जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है। निर्यात सहायता के विषय में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती।

(ख) पुनर्भरण योजना के अधीन आयात लाइसेंस जारी करने का उद्देश्य उद्योग को उस कच्चे माल तथा उपकरणों आदि का आयात करने में समर्थ बनाना है जो स्थानीय

M29LSS(CP)/68—6

रूप से प्राप्त नहीं है; निर्यातकों को नकद सहायता इसलिए दी जाती है कि वे अपने उत्पाद विदेशी बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर बेच सकें।

(ग) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

खामगांव-जालना रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण

9840. **श्री अ० श्री कस्तूरे :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व खामगांव-जालना रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन के निर्माण का वास्तविक कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) खामगांव से चिकली तक बड़ी लाइन बनाने के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण क्रमश: 1912–13 और 1933–34 में किये गये थे। रेलवे लाइन को चिकली से आगे जालना तक बढ़ाने के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल नहीं की गयी है।

(ख) अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव नहीं है। ये प्रस्ताव अलाभप्रद पाये गये हैं।

Dehradun Express

9841. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Conductor is provided in the first class compartment of Dehradun Express, Western Railway although there is a large number of seats in the said compartment;

(b) if so, whether it is also a fact that a Conductor is provided in the First Class compartments of other trains in spite of comparatively less number of seats;

(c) if so, the time by which a Conductor is likely to be posted in the first class compartment of the said train; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes; but Guards of the trains and Attendants provided in corridor type first class coaches look after the needs and comforts of passengers.

(b) Conductors have been provided only on certain important Mail and Express trains where considered necessary.

(c) and (d). Provision of Conductors on these trains has not been found necessary as the Guards of the trains, Travelling Ticket Examiners in Third Class sleeper coaches and Coach Attendants in corridor type first class coaches can look after the needs and comforts of the passengers travelling by these trains.

रूस को रेलवे माल डिब्बों का सम्भरण

9842. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्माताओं द्वारा रूस को रेल के माल डिब्बों तथा अन्य पुर्जों की बिक्री के बारे में भारत सरकार तथा रूस के बीच हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) क्या उस करार में उल्लिखित माल डिब्बों की संख्या सोवियत संघ द्वारा बताये गये चार पहियों वाले 10,000 माल डिब्बों के वार्षिक मूल अनुमान की तुलना में बहुत कम हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या करार की एक प्रति सभापटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्म सफ़ी कुरैशी) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा सोवियत रूस की एक क्रय संस्था वो/ओ मशीनोइमपोर्ट के बीच, सोवियत रूस के रेल प्राधिकारियों द्वारा दी गई माल डिब्बों की विशिष्टियों की एक सम्मत समयानुक्रम के अनुसार निर्यात के लिये, 13-3-68 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ख) माल डिब्बों का संभरण, जैसा कि करार में तय हुआ है, निम्नलिखित समयानुक्रम के अनुसार होने की आशा है :—

वर्ष	मात्रा
31 मार्च, 1969 तक	10--12 प्रोटोटाइप
1969–70	2000
1970–71	4000
1971–72	8000
1972–73	10000
1973–74	10000
1974–75	10000
1975–76	10000
1976–77	10000

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उपर्युक्त समयानुक्रम के अतिरिक्त अभी तक कोई अन्य प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है।

(घ) करार, सरकारी स्तर पर न होकर दोनों देशों की व्यापार संस्थाओं के बीज हुआ है। अतः इसे करार में भाग लेने वालों की विशिष्ट अनुमति लिये बिना सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता। तथापि राज्य व्यापार निगम ने 13-3-68 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके करार में सन्निहित महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित कर दी है। इस प्रेस

विज्ञप्ति की एक प्रति को अनुबंध (अंग्रेजी में) के रूप में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1209/68]**

केरल में लघु उद्योग

9843. श्री प्रदिचन : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 1968-69 में लघु उद्योगों के विकास की कोई योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसे मंजूर कर लिया है और यदि हाँ, तो किन संशोधनों के साथ; और

(घ) राज्य में लघु उद्योगों की वर्तमान नियोजन क्षमता कितनी है और वर्ष 1968-69 में कितने अतिरिक्त लोगों के नियोजन के अवसर उपलब्ध होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1210/68]**

(ग) केरल सरकार ने लघु उद्योगों के लिए वर्ष 1968-69 में 75 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिए निवेदन किया है जिसके लिए ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के कार्यकारी दल और योजना आयोग सहमत हो गए हैं। फिर भी इन उद्योगों के विकास के लिए बजट में राज्य सरकार द्वारा कितने वास्तविक खर्च की व्यवस्था की गई है यह ज्ञात नहीं है।

(घ) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

जेनेवा में व्यापार तथा विकास बोर्ड की बैठक

9844. श्री प्रदिचन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 और 3 मई, 1968 को जेनेवा में हुई व्यापार तथा विकास बोर्ड की पिछली बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने अधिमानों सम्बन्धी एक विशेष समिति स्थापित करने के लिए एक संकल्प पर बल दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव के बारे में उस बैठक में क्या प्रतिक्रिया रही थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). व्यापार तथा विकास बोर्ड की बैठक 6 तथा 7 मई, 1968 को ही होनी थी। व्यापार तथा विकास बोर्ड के एक सहायक अंग के रूप में अधिमानों सम्बन्धी एक विशेष समिति स्थापित करने का निर्णय फरवरी/मार्च, 1968 में नई दिल्ली में हुए द्वितीय विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन में पहले ही किया जा चुका है। परन्तु इसके गठन तथा विचारार्थ विषयों पर बोर्ड के वर्तमान अधिवेशन में विचार किये जाने की आशा है।

तिरुवैशम्बूर में उच्च दबाव वाला बायलर संयंत्र

9845. **श्री प्रदिचन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा सम्वाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुवैशम्बूर (तिरुचिरापल्ली) में चेकोस्लोवाकिया की अध्यक्षता में उच्च दबाव वाले बायलर संयंत्र की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है और इसके लिये चेकोस्लोवाकिया में अब तक कितनी सहायता प्राप्त हो चुकी है;

(ग) कब तक उसके पूर्ण हो जाने की संभावना है; और

(घ) क्या आँशिक रूप से स्थापित किये गये संयंत्र में बायलरों का निर्माण आरम्भ हो चुका है और यदि हाँ, तो कब तक कितना उत्पादन हुआ है और उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) कारखाने का सभी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ।

(ख) इस परियोज़ना पर 31 दिसम्बर, 1967 तक लगभग 23 करोड़ रु० खर्च हुआ था । चेक सहायता मशीनों, उपकरणों, पुर्जो का सम्भरण और तकनीकी सहयोग तथा संयंत्र लगाने में चेक विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करने तथा उनकी सहायता उपलब्ध कराने एवं चेकोस्लोवाकिया में भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण देने के रूप में मिली है ।

(ग) योजना लगभग पूरी हो गई है ।

(घ) कारखाने में अब मद्रास राज्य के एन्नूर तापीय बिजली घर के लिए 60 मेगावाट के दो बायलर लगाने का काम हो रहा है । 86 प्रतिशत सम्भरण पूरा हो चुका है ।

काजू का निर्यात

9846. **श्री प्रविचन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 की पहली तिमाही में प्रत्येक देश को अथवा साझा बाजार व्यवस्था वाले देशों के समूह को काजू का कितना निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1968-69 में काजू का कितना निर्यात होने की संभावना है;

(ग) कौन-कौन से देश काजू का आयात करते हैं; और

(घ) चालू वर्ष में काजू का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ग). अप्रैल 67—जनवरी 68 की अवधि के निर्यातों के सम्बन्ध में एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1211/68)]** ।

(ख) वर्ष 1968-69 में कुल प्रत्याशित निर्यातों का अनुमान 52 हजार मे० टन है ।

(घ) अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) कच्चे काजू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं आरम्भ की गयी हैं ।

(2) काजू उत्पादक क्षेत्रों से कच्चा काजू एकत्र करने की विधियों के सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ;

(3) कच्चे काजू के आयात को खुले सामान्य आयात लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है और पैकिंग के लिए उपयुक्त सामान प्रदान करने के उद्देश्य से काजूगिरी के निर्यात से होने वाली जहाज तक नि:शुल्क आय का 5 प्रतिशत तक टिन प्लेटों के आयात के लिए दिया जाता है; और

(4) काजू परिषद् द्वारा वर्ष 1968–69 में जापान तथा सं० रा० अमरीका में काजू के खोल में से निकलने वाले द्रव्य पर बाजार सर्वेक्षण करने का विचार है।

केरल में रबड़ के बागान

9847. श्री अदिचन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने एकड़ भूमि में रबड़ के बागान हैं ;

(ख) वर्ष 1968–69 में राज्य में रबड़ बागानों के विकास के लिये यदि केरल सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तुत की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या योजना का अनुमोदन किया गया है और यदि हां, तो किन परिवर्तनों के साथ; और

(घ) उस राज्य में इस उद्योग की रोजगार सम्बन्धी वर्तमान क्षमता कितनी है और 1968–69 की योजना के अन्तर्गत रोजगार सम्बन्धी कितने अतिरिक्त अवसर उपलब्ध किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद सफ़ी कुरैशी): (क) 1966–67 के अन्त में 3,98,023 एकड़।

(ख) तथा (ग). 1968–69 में रबड़ बागान के विकास के लिये केरल सरकार से भारत सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, सिवाय इसके कि केरल रबड़ बागान निगम लि० द्वारा पहले लगाये गये अपरिपक्व रबड़ के पेड़ों के पोषण के लिये ऋण सहायता के लिए एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी जिसके लिये 1968–69 में 50 लाख रु० तक की ऋण सहायता देने का निर्णय किया गया है।

(घ) केरल में रबड़ बागान उद्योग की रोजगार सम्बन्धी वर्तमान क्षमता के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Clash Between Passengers and Police at Sealdah Station

9848. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ten persons were injured in a clash between the Police and passengers which took place at Sealdah Station and twenty persons were arrested connection therewith as reported in the Hindustan of the 26th February, 1968;

(b) if so, the cause thereof; and

(c) the extent of damage caused to Railway property as a result thereof?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) and (b). No. The correct position is that in the course of massive check against ticketless travel on 24-2-68, B8 DN was raided at Sealdah by the ticket checking staff of Sealdah with the assistance of Government Railway Police. A few passengers were arrested by Government Railway Police for travelling in ladies compartment. Subsequently it became known that one of the said passengers who was taken to G.R.P. Thana at Sealdah was a student. Thereafter a mob of about 200 men mostly students surrounded the Government Railway Police Station and demanded the unconditional release of the arrested student. On refusal they resorted to violence and the Police had to make lathi charge to disperse the mob. 15 persons including three G.R.P. personnel were injured. The injured persons were rendered medical aid. 20 persons were arrested and released on bail.

(c) There was no damage to Railway property.

कृषि उपकरणों के सीमा शुल्क मुक्त उपहार

9849. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले अपने सम्बन्धी भारतीयों से किसानों को भारत में आने वाले कृषि उपकरणों, जिनमें ट्रैक्टर भी शामिल हैं, के उपहारों को सरकार ने सीमा शुल्क से हाल में मुक्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों के उपहार को मंगवाने की मंजूरी के लिये प्रत्येक राज्य में अब तक कितने-कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत सीमा-शुल्क मुक्त कितने ट्रैक्टर तथा विद्युत-चालित हल मंगवाने की मंजूरी देने का विचार है; और

(घ) ट्रैक्टरों तथा कृषि उपकरणों का सीमा-शुल्क मुक्त आयात करने की इस योजना का गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग न होने देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). मामला अभी विचाराधीन है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा

9850. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के हाल के अधिवेशन से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास-सम्मेलन पर हुए कुल व्यय में भारत का भाग कितना था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी : (क) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्बन्धी द्वितीय-सम्मेलन के सम्बन्ध में आगन्तुकों के आने के परिणाम-स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के बीच करार की शर्तों के अनुसार भारत सरकार को, जेनेवा की अपेक्षा नई दिल्ली में सम्मेलन करने से हुए अतिरिक्त व्यय की संयुक्त राष्ट्र को प्रतिपूर्ति करनी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिये गये अनन्तिम आंकड़ों की जांच की जा रही है और भारत के भाग का निश्चय जांच पूरी हो जाने के पश्चात् तथा आगे बातचीत आरम्भ होने पर ही किया जा सकता है।

Industries in Co-operative Sector

9851. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the small and big industries organized in the co-operative sector and the details of the Central and State assistance granted to these industries with their names during the year 1966-67 and 1967-68;

(b) the amount provided for the small scale and medium scale industries in the co-operative sector in the next year; and

(c) the names of the big industries in cooperative sector for which the direct central assistance is given and the manner thereof?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Fire in Chemical Factory, Calcutta

9852. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire broke out in a Chemical factory of Calcutta;

(b) if so, the loss to life and property as a result thereof;

(c) the names of the chemicals manufactured in the said factory; and

(d) the amount of assistance given to this factory by Government ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

फाउन्डरी फोर्ज प्लान्ट

9853. श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री उमानाथ :

श्री पी० राममूर्ति :

श्री पं० गोपालन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित फाउन्डरी फोर्ज प्लान्ट के क्रेन आपरेटर 26 मार्च, 1968 से "औजार छोड़" हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है; और

(ग) सरकार ने विवाद को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के ढलाई-गढ़ाई संयंत्र के क्रेन चालकों ने 27 मार्च से 20 अप्रैल, 1968 तक 'औजार छोड़ो' हड़ताल की थी।

(ख) उनकी मांगें ये थीं :—

1. निर्माण के वेतन क्रम निश्चित करना जिनमें मध्यवर्ती क्रमों को लांघना शामिल है;

2. हर तीन साल बाद पदोन्नति करना तथा कार्य प्रारम्भ करने की तारीख से 6 माह के पश्चात् उत्पादन के काम में पदोन्नति करना;

3. प्रत्येक दो घंटे काम करने के पश्चात् 15 मिनट का अवकाश;

4. अगले उच्च वेतन क्रम के लिए कोई भी व्यावसायिक परीक्षा न रखना;

5. गरम धातु के क्रेन चालकों के लिए चश्मों, दस्तानों, पीने के पानी और पंखों का प्रबंध करना;

6. ऊष्मा भत्ता मंजूर करना;

7. शिफ्ट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् परिवहन की सुविधाएं देना।

(ग) यह हड़ताल गैर-कानूनी थी। चालकों ने 20 अप्रैल, 1962 को बिना किसी शर्त के हड़ताल समाप्त कर दी। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० उनकी मांगों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार कर रहा है।

भारत-अफगानिस्तान व्यापार

9854. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-अफगानिस्तान व्यापार में बैरिंग की समुचित सुविधायें न मिलने के कारण भारत का रिजर्व बैंक विभिन्न गैर-सरकारी व्यापारियों को अनेक बार अपने निर्यात को आयात के साथ संतुलित करने की अनुमति देता है;

(ख) क्या अफगानिस्तान से बिल्टी के आधार पर अथवा सीधी खरीद के आधार पर माल का आयात करने वाला आयातक किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किये गये निर्यात के मुकाबले अपने आयात का संतुलन करता है;

(ग) यदि हां, तो भारत के रिजर्व बैंक ने भारत तथा अफगानिस्तान के बीच कब से इस प्रकार आयात तथा निर्यात को संतुलित करने की अनुमति दी है;

(घ) क्या इन आयातों तथा निर्यातों के संतुलन पर भी कोई विशिष्ट प्रतिबन्ध लगे हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहमद शफी कुरैशी) : (क) भारत-अफगानिस्तान व्यापार प्रबन्ध के अन्तर्गत अफगानिस्तान से भारत के आयातों को, कुछ को छोड़कर, समान मूल्य की अनुमेय भारतीय वस्तुओं के निर्यात द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाना

आवश्यक होता है। आयातों तथा निर्यातों को सदृश बनाना कोई नई क्रियाविधि नहीं है परन्तु भारत तथा अफगानिस्तान के बीच प्राचीन काल से सुस्थापित वस्तु विनिमय व्यापार को केवल मान्यता देना एवं जारी रखना है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1957 में दोनों देशों के बीच व्यापार प्रबन्ध के शुरु से।

(घ) और (ङ). मुख्य प्रतिबन्ध ये हैं कि अफगानिस्तान से किये गये आयातों तथा उस देश को किये गये निर्यातों के संतुलन की अनुमति केवल भारत-अफगान व्यापार प्रबन्ध में उल्लिखित मदों के विषय में दी जाती है, और भारत का रिजर्व बैंक अफगानिस्तान को निर्यात की तभी अनुमति देता है जबकि पहले ही किये गये आयातों के आधार पर निर्यातक के लेखे में बराबर की धनराशि हो।

M/s. Bharat Fritz Werner Ltd.

9855. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that M/s. Bharat Fritz Werner Limited started by Shri Mathulla, Ex.Chairman of the Hindustan Machine Tools Ltd., has gone in the hands of another person;

(b) whether Government have conducted any enquiry into the conduct of Shri Mathulla in regard to remitting foreign exchange to foreign countries under his import licence and collaboration agreement in the capacity of a partner of Bharat Fritz Werner Company; and

(c) if so, the findings thereof ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Enquiries have revealed that against licences issued to the Company for import of capital equipment against incoming foreign investment, goods have been imported without the corresponding foreign investment coming in. Thus the terms and conditions of the licences have not been complied with. It is now proposed to pay for the goods partly by issue of shares to the foreign collaborators and partly by a loan from the suppliers. There has been no alleged malpractice in regard to remittance of foreign exchange abroad.

Co-operative Cotton Mill, Bulandshahr

9856. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about two lakhs of rupees have been spent on levelling the land allotted to the Co-operative Cotton Mill in Bulandshahr; and

(b) if so, the reasons for selecting such a piece of land on the levelling of which an amount of Rs. two lakhs had to be spent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Broad Gauge Line from Pathankot to Jawanwala City

+9857. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to lay broad-gauge line from Pathankot to Jawanwala City;

(b) if so, when the work is likely to start there; and

(c) the amount allocated therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

Reopening of Old Lines in District Saharsa

+9858. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to reopen the old lines connecting Supaul and Bhaptihai, Bhaptihai and Pratapganj and Pratapganj and Forbesganj in District Saharsa adjoining Nepal territory in view of the difficulties being experienced by the people of North Bihar;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the expenditure involved in reopening these lines ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) A portion of the old abandoned line from Supaul to Thurbhita (12·78 Kms.) was restored at a cost of Rs. 21·73 lakhs, and opened to traffic in October, 1967. It is now proposed to watch and study the working of the restored portion of the line for sometime before considering the extension of the line beyond Thurbhita, upto Bhaptihai and onwards.

Deposits of Fluoride in Gujarat

9859. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the deposits of Fluoride have been discovered in Bharuch District, Gujarat;

(b) if so, the estimated quantity of Fluoride likely to be available;

(c) the amount of foreign exchange likely to be saved and the number of persons to be employed on the project; and

(d) the likely date by which the work is likely to start ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a), (b) & (d) It is reported that scientific workers of Bombay University have located an occurrence of fluoride over four hundred feet near Hingoria. The Geological Survey of India proposes to undertake investigation in the area shortly to assess the quantity and quality of the occurrence.

(c) It is premature to say anything in this regard at present.

Agency for Sale of H.M.T. Watches

9860. **Shri Onkarlal Berwa** : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme to give agencies to private shopkeepers at reasonable commission for selling the watches manufactured by the Hindustan Machine Tools, Ltd.; and

(b) if so, the procedure to be adopted for giving agencies?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

शालीमार स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के कर्मशियल क्लर्क

9861. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 तक दक्षिण-पूर्व रेलवे के शालीमार स्टेशन पर कर्मशियल क्लर्कों के नाम कितना लागत ऋण (कास्ट डेबिट) लिखा गया;

(ख) उन कर्मशियल क्लर्कों की संख्या कितनी है जिनके नाम यह लागत ऋण लिखा गया;

(ग) क्या इन कर्मशियल क्लर्कों के अपने मामले डिविज़नल सुपरेन्टेन्डेन्ट, चीफ कामर्शियल सुपरेन्टेन्डेन्ट और जनरल मैनेजर को ले जाने के पूरे अवसर प्रदान किये गये थे;

(घ) यदि हाँ, तो जनरल मैनेजर या चीफ कर्मशियल सुपरेन्टेन्डेन्ट को अब तक कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उनका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उन रकमों से है जो वाणिज्यिक क्लर्कों के नाम खाते में उनकी चूकों के लिए डाली गयीं जिनके कारण रेलों को क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान करना पड़ा।

दो वर्षों, अर्थात् 1966 और 1967 में शालीमार स्टेशन के वाणिज्यिक क्लर्कों के नाम खाते में 34,040 रुपये 52 पैसे की रकम डाली गयी।

(ख) जिन वाणिज्यिक क्लर्कों के नाम खाते में ऐसी रकमें डाली गयीं, उनकी संख्या ग्यारह है।

(ग) नाम खाते में डाली गयी रकम की वसूली का निर्णय करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी के नाम एक आरोप-पत्र जारी किया जाता है और उसे यह बताने का मौका दिया जाता है कि क्यों न उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई की जाये। उसके नाम जारी किये गये दण्ड सम्बन्धी नोटिस में उसे यह सूचित किया जाता है कि यदि वह चाहे तो उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के पास एक निर्धारित अवधि के भीतर अपील कर सकता है। जहाँ तक उपर्युक्त मामलों का सम्बन्ध है, इन मामलों में से केवल एक में मंडल अधीक्षक अपीलीय प्राधिकारी थे और इनमें से किसी भी मामले में मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक और महाप्रबन्धक अपीलीय प्राधिकारी नहीं थे।

सम्बन्धित कर्मचारियों ने मण्डल अधीक्षक से कोई अपील नहीं की।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में जो कुछ बताया गया है, उसे देखते हुए महाप्रबन्धक या मुख्य वाणिज्य अधीक्षक को कोई अपील नहीं लिखी।

चार वाणिज्य क्लर्कों ने भारत संघ के विरुद्ध, जिसका प्रतिनिधित्व दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक करते हैं, अदालत में मुकदमे दायर कर दिये और मामला अदालत के विचाराधीन है।

तीन कर्मशियल क्लर्कों की ओर से वकील का एक नोटिस मिला है और मामले की जाँच हो रही है।

(ङ) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में जो कुछ बताया गया है, उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता।

लौह अयस्क का मूल्य ढांचा

9862. **श्री हिम्मत सिंहका : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के मूल्यों के सम्बन्ध में कलकत्ता में हाल में धातु तथा खनिज व्यापार निगम, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लौह अयस्क खनन हितों का एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) लौह अयस्क के मूल्य ढांचे में परिवर्तन किन कारणों से आवश्यक समझा गया है ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग). खान मालिकों ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम दोनों से मूल्य में वृद्धि की माँग, प्रमुखत: लौह अयस्क खनन मजदूरों के लिये केन्द्रीय वेतन बोर्ड के अन्तिम निर्णय के आधार पर की थी। चूंकि इसी बीच वेतन बोर्ड के निर्णय को कार्यान्वित करने में खान मालिकों की कथित असफलता के मामले को श्रम मंत्रालय ने कुछ खानों की श्रमिक यूनियनों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों के फलस्वरूप न्यायाधिकरण को सौंप दिया है, इसलिये खान मालिकों ने अनुरोध किया है कि लौह अयस्क के मूल्य में वृद्धि पर विचार-विमर्श को स्थगित रखा जाये क्योंकि सम्बद्ध मामले अभी न्यायाधिकरण के विचाराधीन हैं।

सलाहकार संगठन

9863. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबंध अभिकर्ताओं के स्थान पर बड़े उद्योग समूहों में सलाहकार संगठन बन गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय किसी न किसी रूप में कितने प्रबंध अभिकर्ता हैं और उनकी वार्षिक आय कितनी-कितनी है ?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) सरकार के नोटिस में यह आया है कि वृहद व्यापार समूहों द्वारा, अभिवृद्धि किये गये कुछ सलाहकार संगठन, आगे आ रहे हैं। वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है, कि यह सलाहकार संगठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं का स्थान ले रहे हैं। फिर भी, कम्पनी कार्य विभाग के अनुसंधान एवं सांख्यकी प्रभाग ने, सलाहकार संगठनों का मृतप्राय प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साथ संबंध का पता लगाने का व्यापक अध्ययन प्रारंभ कर दिया है।

(ग) वर्तमान में, 672 कम्पनियों का प्रबन्ध करने वाले, 430 प्रबन्ध अभिकर्ता हैं। इन 430 प्रबन्ध अभिकर्ताओं में से, 194 स्वामित्व वाली अथवा साझेदारी फर्म है, 180 प्राइवेट लिमिटेड, तथा शेष, 56 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में किये गये अध्ययन के अनुसार, 1960–61 से 1965-66 जो अंतिम वर्ष है; जिसके बारे में सूचना प्रकाशित हो चुकी है (भारतीय रिजर्व बैंक बुलैटिन दिसम्बर, 1967) के मध्य के समय में प्रति वर्ष, प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से, जिनका वह प्रबन्ध कर रहे हैं, प्राप्त कमीशन 12.95 करोड़ रुपये से 12.97 करोड़ रुपया है। प्रदत्त पूंजी की शर्तों में भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन कुल के लगभग 69 प्रतिशत को आवृत करता है।

औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति

9864. श्री हिम्मत सिंहका : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगलौर में 8 अप्रैल, 1968 को मैसूर के उद्योग मंत्री श्री आर० के० हैगडे द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जो उन्होंने औषधियों तथा औषध निर्माण सम्बन्धी पुनर्गठित विकास परिषद का उद्घाटन करते समय दिया था ;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने आयात नीति को उदार बनाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव पेश किये हैं, जो उस राज्य के उद्योग मंत्री के उक्त वक्तव्य से मेल खाते हों; और

(ग) उक्त मंत्री के मतानुसार लाइसेंस नीति की समीक्षा की जाने की मांग के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जब कि मैसूर सरकार से औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाने के लिए कोई भी औपचारिक निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी भेषजों तथा रसायनों की पुनर्गठित विकास परिषद् का बंगलौर में 8 अप्रैल, 1968 को उद्घाटन करते हुए मैसूर सरकार के वित्त तथा उद्योग मंत्री का भाषण और उससे संबंधित अखबारों में प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ग) सरकार औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया का समय-समय पर पुनरीक्षण करती रहती है और लाइसेंस देने की प्रक्रिया में काफी हद तक सुधार कर इसे विभिन्न दिशाओं में उदार बनाया गया है। कुछ विशिष्ट उद्योगों में लगे एककों को छोड़ कर सभी औद्योगिक एककों,

जिनकी चल पूंजी 25 लाख रुपये तक है, को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है। कुछ उद्योगों को जिन में पुर्जों तथा कच्चे माल का अधिक आयात नहीं करना पड़ता इस अधिनियम के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से बिलकुल मुक्त कर दिया है। सरकार ने विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों में बिना लाइसेंस प्राप्त किए अपने कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत तक विविधता लाने की अनुमति दे दी है और यदि वह कुछ शर्तें पूरी कर ले तो उन्हें अपनी लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीकृत क्षमता के 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की भी अनुमति दी है। लाइसेंस नीति तथा प्रक्रिया की इस समय औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है। इसमें यदि आगे कोई परिवर्तन किया गया तो समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही उस पर निर्णय किया जायेगा।

भारतीय रेलों में बुकस्टाल

9865. श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में व्हीलर/हिग्गिनबोथाम्स के तथा अन्य बुक स्टालों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इन स्टालों को किन शर्तों पर खोलने और चलाने की अनुमति दी गई है;

(ग) उन बुक-स्टाल एजेंटों की संख्या क्या है जिनको व्हीलर/हिग्गिनबोथाम्स द्वारा ये स्टाल पट्टे पर दिये गय हैं;

(घ) क्या बुकस्टाल एजेंटों से कोई शिकायतें मिली हैं कि मुख्य पट्टेवाले उनसे अनुचित लाभ उठा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मू० पुनाचा) : (क) भारतीय रेलों में मेसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी, हिग्गिनबोथम्स और अन्य कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे बुकस्टालों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

(i) मेसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कं० (प्रा०) लिमिटेड 375

(ii) मेसर्स हिग्गिनबोथम्स 55

(iii) अन्य 185

(ख) जिन निबन्धनों और शर्तों पर ये बुकस्टाल दिये गये हैं, उनका उल्लेख दुकानों के ठेकेदारों और सम्बन्धित रेल-प्रशासनों के बीच हुए लम्बे करारनामों में किया गया है, फिर भी, इस तरह के ठेके को सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तों और निबन्धनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 12/2/68)

(ग) बुक स्टाल के ठेकेदारों ने एजेंटों को दुकानें पट्टे पर नहीं दी हुई हैं, बल्कि एजेंट मुख्यतः कमीशन पर काम करते हैं।

(घ) जी हां, कुछ अभ्यावेदन मिले हैं।

(ङ) बुकस्टालों के ठेकेदार किन निबन्धनों और शर्तों पर एजेंटों को नियुक्त करते हैं, इसका फैसला इन्हें आपस में करना होता है और रेल प्रशासन इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। उनके द्वारा निष्पादित करार के निबन्धनों के अनुसार लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू सभी वैधानिक अधिनियमों, जैसे मंजूरी/देनगी अधिनियम (1936 का अधिनियम iv), न्यूनतम मजूरी अधिनियम (1948 का अधिनियम xi) और बाल नियोजन अधिनियम (1938 का अधिनियम xxvi) आदि के उपबन्धों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होता है और इस सम्बंध में कोई उल्लंघन होने पर रेल प्रशासन उपयुक्त कार्रवाई करते हैं। बुकस्टालों के ठेकेदारों और उनके एजेन्टों के बीच होने वाले अन्य विवाद उन्हें आपस में सुलझाने होते हैं।

"डाई राउरकेला डेंचेन" नामक पुस्तक

9866. **श्री मधु लिमये :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "डाई राउरकेला डेंचेन डेन्चे वेरलैग ग्रोसटाल्ट, लेखक, बोडो "पेलिंग, स्टटगार्ट, 1965" नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस पुस्तक की एक प्रति/ सारांश भारतीय भाषाओं/ अंग्रेजी में उपलब्ध है;

(ग) इसका अध्ययन करने से क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) इसके बारे में सरकार की तथा हिन्दुस्तान स्टील की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या भविष्य में परियोजनाएं बनाते समय उन सुझावों को ध्यान में रखने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां

(ख) यह मालूम नहीं है कि आयाकि उक्त पुस्तक किसी भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी में उपलब्ध है या नहीं।

(ग) से (ङ) बोडो पेलिंग, जो 1963 और उससे पूर्व राउरकेला में जर्मन सामाजिक केन्द्र के स्थानिक प्रबन्धक थे, को "डाई राउरकेला डेंचेन" (राउरकेला के जर्मन) नामक पुस्तक में अधिकांश उन जर्मन नागरिकों के जीवन के सामाजिक पहलुओं का विवेचन किया गया है जो एक मिलियन टन क्षमता के कारखाने के निर्माण/उत्पादनारम्भ करने के सम्बन्ध में राउरकेला आये थे। इस पुस्तक में लेखक ने अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट किये हैं।

दुर्गापुर में जाली कारखाने

9867. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 बी, लैंस्डाउन प्लेस, कलकत्ता-29 में स्थित एस्बेस्टोस ग्रेफाइट एण्ड एलाइड प्राडक्ट्स द्वारा दुर्गापुर में स्थापित जाली कारखानों के बारे में सरकार को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तावल इस्टेब्लिशमेंट, प्रतिरक्षा मंत्रालय (प्रोडक्शन) नई दिल्ली से उन्हें कोई क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या ये क्रयादेश पूरे किये गये थे और यदि नहीं, तो क्या इस मामले में कोई जांच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हा, श्री मान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) तथा (घ) कुछ आदेशों का पालन नहीं किया गया है । जांच-पड़ताल के केन्द्रीय कार्यालय ने, 2-5-1968 को एक मामला पंजीकृत किया है। परिणाम केवल जांच के पूर्ण होने के पश्चात् ही ज्ञात होगा ।

लक्कीसराय स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त के आरम्भिक तथा अन्तिम प्रतिवेदन

9868. श्री मधु लिमये : क्या **रेलवे** मंत्री लक्कीसराय स्टेशन पर हुई दूसरी दुर्घटना के बारे में 22 फरवरी, 1968 को लोक सभा में हुई चर्चा के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन की रिपोर्ट में प्रकाशित हुए पैराग्राफ अक्तूबर, 1966 में लक्कीसराय में हुई दुर्घटना के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त के प्रारम्भिक तथा अन्तिम प्रतिवेदनों का पूर्ण विवरण देते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार से प्रारम्भिक तथा अन्तिम प्रतिवेदनों का पूर्ण पाठ सभा-पटल पर रखने की अपेक्षा नहीं की जाती;

(ग) यदि नहीं, तो इन प्रतिवेदनों के सभा-पटल पर न रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि अन्तिम प्रतिवेदन में रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का सुझाव दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा : (क) अक्तूबर, 1966 में लक्कीसराय की दुर्घटना के बारे में भारतीय रेलों पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट 1966–67 में जो पैरा दिया गया था उसमें रेल सुरक्षा आयुक्त का केवल अनन्तिम निष्कर्ष दिया गया है ।

(ख) और (ग) जैसा की नाम से ही लक्षित होता है, प्रारम्भिक रिपोर्ट केवल एक प्रारम्भिक रिपोर्ट ही है, जिसमें अनन्तिम निष्कर्ष के साथ एक संक्षिप्त विवरणात्मक रिपोर्ट दी गयी है ।

रेल संरक्षा आयुक्त की अन्तिम रिपोर्ट मिल जाने और इस बात का इत्मीनान कर लेने पर कि पुलिस द्वारा मुकदमा चलाये जाने के फलस्वरूप मामले के अदालत में जाने की कोई सम्भावना नहीं है, सरकार इसे सभा-पटल पर रख देगी।

(घ) अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

H.M.T. Watches

9869. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme for inscribing in Hindi the words and figures on watches manufactured by the Hindustan Machine Tools Ltd.;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that Government are making a net profit of Rs. 50 per watch; and

(d) if not, the cost prices of each watch ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Hindustan Machine Tools Limited are not equipped for manufacture of watches with Devanagri script on them.

(c) & (d) It is not in the interest of the Company to disclose the profit and loss made on different items of manufacture and the cost of production.

स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल रिफाइनरी

9870. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 2 अप्रैल 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6039 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल रिफाइनरी ने स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी को अपने तारकौल के ढोल बनाने वाले कारखाने को सेवरी से ट्राम्बे स्थानान्तरित करने के लिये एक लाख रुपये दिये हैं;

(ख) क्या इस फर्म ने मई, 1959 से जुलाई, 1961 के बीच स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल रिफाइनरी के लिये 14,66,799 तारकोल के ढोलों का निर्माण किया और उनकी सप्लाई की;

(ग) क्या वे विकास विभाग से तेल के ढोल बनाने के लिये इस्पात की चादरों का कोटा लेते रहे, हालांकि उनका कारखाना पूर्णरूपेण तारकोल के ढोल बनाने में लगा हुआ था जिसके लिये रिफाइनरी द्वारा चादरें सप्लाई की जा रही थी;

(घ) क्या इस कारण से लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने किसी समय उनकी चादरों की सप्लाई बन्द की थी; और

(ङ) क्या यह सच है कि उन्होंने अपने तेल के ढोल बनाने के कारखाने को पूर्णरूपेण तारकोल के ढोलों के लिये प्रयोग किया और बाद में तेल के ढोलों की क्षमता के लिये नई लाईन का दावा किया, जो 1961 में 6,100 टन निर्धारित की गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कच्चे माल का नियतन

9871. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माता कारखानों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने के तुरन्त बाद उनके अपने कारखानों में प्रयोग के लिये कच्चे माल का आवंटन करने के सम्बन्ध में तुरन्त सिफारिशें की जाती है अथवा कच्चे माल का आवंटन करने से पहले उनकी क्षमताओं का अनुमान लगाना आवश्यक होता है; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को क्षमता का निर्धारण करने तथा उसके परिणाम सूचित करने में, जिसके आधार पर उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है, सरकार को प्राय: कितना समय लग जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद : (क) तथा (ख) निर्माण एककों को कच्चे माल के आवन्टन की सिफारिशें औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने के तुरन्त पश्चात् नहीं की जाती। यह सिफारिशें उन एककों में जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाते हैं या तो आवश्यक मशीनों के लग जाने या मशीनों और स्थान मिल जाने तथा बिजली आदि की पक्की व्यवस्था हो जाने के पश्चात् की जाती है। तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में सम्मिलित नए एककों को आरम्भ म उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के क्रमानुगत उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर 6 महीनों की आवश्यकता के लिए कच्चे माल के आवन्टन की सिफारिश की जाती है।

इसके बाद की सिफारिशें एकक के उत्पादन आरम्भ करने तथा उनकी वास्तविक खपत के आधार पर की जाती है यदि वह एकक प्राथमिकता प्राप्त उद्योग एकक हो और यदि वह गैर-प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक एकक हो तो उनके पिछले लाइसेंस के 90 प्रतिशत के पक्के आर्डर दिये जाने या 60 प्रतिशत के वास्तविक आयात अथवा 70 प्रतिशत के बराबर माल द्वारा भेजे जाने के आधार पर की जाती हैं।

तेल तथा तारकोल के ढोलों का निर्माण

9872. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा तारकोल के ढोलों का निर्माण करने के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 1231 में पूछी गई बातों के उत्तर में एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1213/68]**

सिगनल इन्टरलाकिंग मेन्टेनर

9873. श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :
श्री नाम्बियार :
श्री भगवान दास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों तथा सिगनल इन्टरलाकिंग मेन्टेनर तथा पूर्वी रेलवे के सिगनलों और दूर-संचार विभाग के खलासियों की सेवा की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें अपने ड्यूटो के समय के पश्चात् भी अपने क्वार्टरों में रहना पड़ता है ताकि किसी भी समय उन्हें ड्यूटी के लिये बुलाया जा सके;

(ग) क्या ऐसी विषमताओं को समाप्त करने के बारे में सरकार को उनकी ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इन कर्मचारियों को सरकारी सेवा से सम्बन्धित सामान्य नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर लागू किये जाने वाले आदेशों का पालन करना पड़ता है ।

(ख) जी नहीं । काम के घंटों के उपरान्त कर्मचारी अपना पता बता कर अपने क्वार्टर से बाहर जा सकते हैं ताकि आपात की स्थिति में उनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Rail Concession to Visitors to Sinhasth Fair at Ujjain

9874. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railways have decided to give concessions for the facility of the visitors to the Sinhasth fair being held in Ujjain; and

(b) if so, the details therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No concession in passenger fares has been granted.

(b) In view of the answer to part (a), the question does not arise.

लक्कीसराय स्टेशन पर दुर्घटना

9875. श्री बाबूराव पटेल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन पर पटना से 120 किलोमीटर दूर लक्कीसराय में 14 फरवरी, 1968 को 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी के तीर्थयात्रियों की एक भीड़ पर चढ़ जाने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति जख्मी हुए;

(ख) क्या 24 अक्तूबर, 1966 को इसी स्थान पर हुई इसी प्रकार की दुर्घटना, जिसमें 32 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, की जांच करने वाले आयोग ने इस दुखद घटना की पुनरा-

वृत्ति को रोकने के लिये निश्चित निवारक उपायों की सिफारिश की है और यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं और उन्हें अब तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत वर्ष की गम्भीर दुर्घटना के बाद दोनों रेलवे लाइनों के बीच सीमेन्ट कंकरीट की एक रेलिंग न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस दुर्घटना में 18 व्यक्ति मारे गये और 11 को चोटें आयीं।

(ख) और (ग) रेल संरक्षा के आयुक्त ने 24-10-1966 की घटना की जांच की थी और नीचे लिखी सिफारिशें की थीं :—

(i) आने वाली गाड़ियों के गन्तव्य स्थानों के बारे में लक्कीसराय स्टेशन पर लाउडस्पीकर द्वारा घोषणा;

(ii) रेल इंजनों की सामने की बिजली की बत्तियों की शक्ति और उनके फ़ोकस की जांच करने के काम में सुधार।

इन सिफारिशों को मान लिया गया है और इन पर अमल करने के लिए कार्रवाई की गयी है।

(iii) जिन स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुल हैं और जहां यात्रियों द्वारा लाइन पार करने की घटनाएं होती हैं, वहां इस अनधिकृत कार्य को रोकने के लिए लाइनों के बीच उपयुक्त प्रकार का रोक जंगला बनाया जाये।

इसे स्वीकार नहीं किया गया। कारण संलग्न विवरण में बताये गये हैं।

विवरण

सिफारिश

रेल संरक्षा के आयुक्त ने जो सिफारिश की थी वह इस प्रकार है :—

"जिन स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था है और जहां यात्रियों द्वारा रेलवे लाइन पार करने की घटनाएं होती हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ, वहां इस तरह के अनधिकृत कार्य को रोकने के लिए उपयुक्त प्रकार के रोक जंगले की व्यवस्था की जाये।"

की गई कार्रवाई

इस सिफारिश पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और यह सोचा गया कि जंगले से कोई खास प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि जंगले में से रास्ता बनाने के लिए छड़ों को हटाकर जगह जरूर बना ली जायेगी। तब यह सीमित रास्ता वास्तव में एक खतरनाक फंदा सिद्ध होगा क्योंकि दोनों ओर चालू लाइनें होंगी। लक्कीसराय जैसे छोटे स्टेशनों पर जहां से गाड़ियां बिना रुके निकलती हैं, मुख्य लाइनों के बीच जंगला लगाना खतरनाक होगा और खास तौर पर इस खण्ड में बहुत अधिक संख्या में फुट-बोर्ड पर यात्रा करने वालों को देखते हुए यह जंगला जनता के लिए एक स्थायी खतरा बन जायेगा। इस लिए इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया।

सूती कपड़ा उद्योग

9876. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं कि सूती कपड़ा उद्योग प्राप्त लाभ का उतना अंश उद्योग के विकास के लिए विनियोजित करे जितना ऐसा करने के लिए आवश्यक हो; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) इस समय ऐसे किन्हीं उपायों पर विचार नहीं हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता की मेहसी बटन इन्डस्ट्री

9877. श्री क० मि० मधुकर : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहसी बटन इन्डस्ट्री (चम्पारन में स्थित) के कामकाज की जांच करने तथा इसके विकास के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने 1955-56 में लघु सेवा संस्थान की कलकत्ता शाखा के श्री एस० देव को प्रतिनियुक्त किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार में चम्पारन जिला में मेहसी नामक स्थान पर बटन उद्योग के विकास के लिये 1956 में केन्द्रीय सरकार की सहायता के साथ पर्लस बटन इन्डस्ट्री के लिये उसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप एक सामान्य सेवा संगठन स्थापित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तब से अब तक उस सामान्य सेवा संगठन की कार्यवाहियों के क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चम्पारन जिले के मेहसी बटन उद्योग की स्थिति का सर्वेक्षण लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा 1959 में किया गया था। विशेष जानकारी न होने के कारण यह बता सकना सम्भव नहीं है कि श्री एस० देव० ने भी 1965-66 में सर्वेक्षण किया था या नहीं। राज्य सरकार द्वारा पर्ल बटन उद्योग के लिए एक सामान्य सेवा संगठन की स्थापना निर्माण में लगे कारखानों के लिए आवश्यक कच्चे माल का सम्भरण करने तथा सम्बद्ध एककों का उत्पादन उचित विपणन के लिए अपने हाथ में लेने की दृष्टि से की गई थी। यह बता सकना सम्भव नहीं है कि वास्तव में इस संगठन की स्थापना श्री एस० देव की सिफारिशों के आधार पर की गई थी या नहीं।

(ग) सामान्य सेवा संगठन ने सम्बद्ध एककों को मूल भूत कच्चे माल का संभरण करके (अर्थात् पर्ल शेल्स) और उनके उत्पादों का विपणन करके लाभदायक सेवा की है।

Broad Gauge Line from Samastipur to Narkatiaganj

9878. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have ever conconducted a survey for extending the broad gauge line from Samastipur to Narkatiaganj or from Samastipur to Raxaul *via* Darbhanga, if so, which of the two is more economical and advantageous from the point of view of border security and trade;

(b) whether it is a fact that the extension of broad gauge line from Samastipur to Narkatiaganj is more essential and

(c) if so, the action Government propose to take in this connection ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). There are two metre gauge routes from Samastipur to Narkatiaganj, one *via* Darbhanga and Raxaul, and the other *via* Muzaffarpur and Sagauli. No surveys have been carried out in the past for extension of the broad gauge line from Samastipur to Narkatiaganj by either of the routes mentioned above. Only preliminary investigations were carried out which showed that conversion of this section to broad gauge would not be financially justified. The proposal, is, therefore, not being pursued at present.

आयातित ऊन का आवटंन

9879: श्री जुगल मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांक्ति प्रशन संख्या 29 के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किन फर्मों को आयातित ऊन अधिकतम कोटा दिया गया तथा कितनी मात्रा का; और

(ख) उनको अधिकतम कोटा देने के क्या कारण हैं ?

श्री वाणिज्य उप-मंत्री (मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले तीन वर्षों में जिन प्रथम चार ऊनी मिलों ने आयातित ऊन का सर्वाधिक कोटा प्राप्त किया उनके नाम और उनकी स्थापित क्षमता निम्नलिखित हैं :—

मिल का नाम	तकुओं की संख्या	अक्तू०/सित० 1964-65	अक्तू०/सित० 1965/66	अक्तू०/सित० 1966-67 (लाख रुपयों में)
1. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन (कानपुर तथा न्यू-इगरटन) .	32,268	53.44	6.16	108.78
2. बम्बई फाइन वर्स्टेड मैन्यू० (कैसल्स मिल्स, बम्बई)	16,112	25.67	3.52	67.10
3. रेयमंड वूलन मिल्स, बम्बई	15,080	33.02	3.80	64.52
4. दिग्विजय वूलन मिल्स, जामनगर	9,162	16.19	1.86	35.54

(ख) आवंटन कच्चे माल के वितरण की सामान्य नीति के आधार पर किया गया था। इस नीति में इन मिलों की विगत खपत और आधारभूत अवधि में स्थापित क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है।

कारों और स्कूटरों की बुकिंग

9881. **श्री जुगल मण्डल : क्या औद्योगिक विकास तथ. समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1968 को किस अम्बैसैडर और स्टैण्डर्ड कारों के लिये कुल कितने क्रयादेश बुक थे;

(ख) 1 अप्रैल 1968 को लेम्बरेटा, वेसपा, फेंन्टाबुलस् के लिये कितने क्रयादेश बुक थे;

(ग) 1 अप्रैल 1968 को रायल इन्फील्ड तथा राजदूत मोटर साइकलों के लिये कितने क्रयादेश बुक थे; और

(घ) क्या इन क्रयादेशों को बुक करने के वर्तमान तरीके में संशोधन करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : निर्माताओं से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायगी।

(घ) कारों तथा स्कूटरों के बुक किए जाने की प्रक्रिया में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी सरकार ने 22 अप्रैल 1968 से मोटर साइकिलों की बिक्री तथा वितरण से कानूनी नियंत्रण हटाने का निश्चय किया है। इस निश्चय से मोटर साइकिल निर्माताओं को सूचित करते समय उन्हें यह बता दिया गया है कि उनके व्यापारियों को नियंत्रण हटाये जाने के पश्चात् भी बुक किए जाने की निर्धारित प्राथमिकताओं की प्रणाली का पालन करते रहना चाहिये और उपभोक्ताओं को मोटर साइकिलों की बिक्री "पहले आओ पहले लो" के नियम पर होती रहेगी।

Production of Leather Chrome

9882. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the superior quality leather (chrome) being produced by the Chinese in Calcutta with small machines as a cottage industry is also being produced in any other parts of the country by non-Chinese; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes Sir. Chrome Upper Leather is produced by Chinese Tanners and othrs in Calcutta by use of machines. It is also produced by a number of large and small scale units in Bombay, Kanpur, Madras, Bangalore, Vinnamangalam (Madras State), Gwalior, Coimbatore and Bihar States.

(b) Does not arise.

Exports of Shoes

9883. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the profit earned by the State Trading Corporation and the contractors on each pair of shoes exported is more than the labour charged earned by a shoe-maker on each pair;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir. (b) Does not arise.

(c) The State Trading Corporation is realising only a nominal service charge to meet its operational expenses.

वाणिज्यिक क्षेत्र में रेलवे कार्यकलापों के बढ़ाने का अभियान

9884. श्री रवि राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने वाणिज्यिक क्षेत्र में अपने कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए एक सर्वतोमुखी अभियान आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने प्रमुख निर्यातकों तथा आयातकों के साथ सम्पर्क करने के लिये विशेष सम्पर्क विभाग स्थापित किये हैं; और

(ग) उनका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : यद्यपि इस तरह के विशेष सम्पर्क कक्षों की स्थापना नहीं की गयी, लेकिन प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे का विपणन और बिक्री संगठन व्यापार और उद्योग से निकट सम्पर्क रखता है ताकि रेल से भेजे जाने के लिए यथा-संभव अधिक से अधिक यातायात मिल सके। इस क्रियाविधि में, प्रमुख निर्यातकर्ताओं तथा आयातकर्त्ताओं से भी सम्पर्क रखा जाता है ताकि निर्यात तथा आयात माल को जल्द भेजने के लिए विशेष प्रबन्ध किये जा सकें।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसियेशन

9885. श्री रवि राय :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 30,000 स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों ने यह निर्णय किया है कि यदि अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन को दुर्घटना-निवारक अभियान में विश्वास में नहीं लिया गया, तो वे "नियमानुसार काम करने का" अभियान चलायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि दुर्घटनाओं सम्बन्धी कुंजरू समिति ने इस एसोसिएशन को विश्वास में नहीं लिया था, सरकार का विचार इस एसोसिएशन की मांगों को स्वीकार करने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री श्री चे० मु० पुनाचा : (क) इस के बारे में सरकार के पास कोई अधिकारिक सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

9886. **श्री रवि राय** : क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और सिंगरैनी कोयला खानें इस्पात कारखानों की कोयले की मांग को पूरा कर सकेंगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) इस्पात संयंत्र मुख्यतः धातुकर्मीय कोयलों का प्रयोग करते हैं, जो कि सिंगरैनी कोयला खानों में उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम धातुकर्मीय कोयले की क्षमता का विकास कर रहा है परंतु विकास की जा रही यह क्षमता निकट भविष्य में इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं से बहुत कम रहेगी। इसके अतिरिक्त, कोकिंग कोयले के लिये भी गैर-सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता विकसित की जा चुकी है। वर्तमान काल के लिए दोनों क्षेत्र--सरकारी तथा गैर-सरकारी इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

9887. **श्री रवि राय** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के भूतपूर्व सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यों की जांच करने के लिए नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय।

(ख) समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को दे दी है।

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशों/निर्णयों पर विचार किया जा रहा है।

औजारों और धातु मिश्रित इस्पात के रद्दी टुकड़ों का निर्यात

9888. श्री नरदेव स्नातक : क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (मिश्रधातु इस्पात परियोजना), दुर्गापुर के अनुरोध पर औजारों और धातु मिश्रित इस्पात के रद्दी टुकड़ों के निर्यात पर 1 अप्रैल, 1967 से प्रतिबन्ध लगाया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि परियोजना को जब रद्दी इस्पात के टुकड़ों के व्यापारियों ने रद्दी इस्पात टुकड़ों की पेशकश की थी, तो उन्होंने उसे इस आधार पर ठुकरा दिया था कि औजारों और धातु मिश्रित इस्पात के रद्दी टुकड़ों और मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निग और बोरिंग के रूप में स्टेनलैस स्टील के रद्दी टुकड़े उनके लिय बेकार हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने रद्दी इस्पात के टुकड़ों के इन व्यापारियों को सलाह दी कि जून 1968 तक उपरोक्त रद्दी इस्पात के टुकड़ों को निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात की अनुमति देने में विलम्ब क्यों किया गया है तथा मैटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन लिमिटेड ने निर्यातकों को प्राधिकार पत्र क्यों जारी नहीं किये हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 18 मई 1967 को अप्रैल, 1967--मार्च, 1968 की अवधि के लिए रद्दी लोहे के लिए निर्यात-नीति की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार कुछ शर्तों के अधीन रद्दी किस्म के औजारी और मिश्र-इस्पात पर बिना किसी मात्रा संबंधी रुकावट के निर्यात की अनुमति दी गई थी। इस नीति के अनुसार ऐसे रद्दी मिश्र-इस्पात के निर्यात की आज्ञा नहीं दी गई थी जिसमें टंगस्टन, मोलिब्डिनम, वैनेडियम, क्रोमियम और निकल धातु, जो मिश्रण के काम आती है, शामिल हों। रद्दी मिश्र-इस्पात के जिसमें मिश्रण-धातुएं मिली हुई हो, निर्यात पर प्रतिबन्ध था क्योंकि न केवल दुर्गापुर मिश्र-इस्पात कारखाने को अपितु देश के औजारी और मिश्र-इस्पात निर्माताओं को सामान्यतः अपने उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता थी।

(ख) दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने से पता चला है कि एक पार्टी की टर्निग, बोरिंग और मिलिंग किस्म के रद्दी औजारी इस्पात की पेशकश स्वीकार नहीं की गई थी क्योंकि उसकी शर्तें अनुकूल नहीं थी। कारखाने ने कुछ मात्रा में हाई स्पीड स्टील का टर्निग और बोरिंग और रद्दी स्टेनलेस स्टील लिया है। कुछ दूसरी पार्टियों द्वारा इस प्रकार के रद्दी लोहे की पेशकशों पर कारखाने द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रद्दी लोहे के निर्यातकों को आयात लाइसेंस देना

9889. श्री नरदेव स्नातक: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने रद्दी लोहे के निर्यात को, उनके द्वारा रुपये के अवमूल्यन से पहले रद्दी लोहे के निर्यात द्वारा प्राप्त की गई हकदारी में से माल का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस नहीं दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) रद्दी लोहे के निर्यातकों को ये लाइसेंस कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) (क) और (ख) : लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने रद्दी लोहा निर्यात करने के उन सभी मामलों में आयात लाइसेंस जारी किये जिनमें रद्दी लोहे के निर्यातकों द्वारा आयात-आवेदनपत्र यथ समय भेज दिये गये थे। समय-बाधित आवेदनपत्रों के दावे नियंत्रक द्वारा रद्द कर दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Export of Shoes by Bata Shoe Co.

9890. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of Commerce be pleased to state the names of the countries to which shoes manufactured by Bata Shoe Company are exported and the number of pairs of shoes exported annually ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): The Direcotorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta, which is the main source of export statistics, does not maintain and publish export statistics firmwise.

Writing of names of Railway Stations in Bihar

9891. Shrs Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is the policy of Government to write the names of the Railway Stations in Bihar on name plates in Urdu also along with English and Hindi;

(b) whether a Circular has been issued to this effect to all the Railway authorities concerned;

(c) if so, whether it is a fact that on the name plates of the important Railway stations, like Sakrigali Ghat junction, Kotalpukur, Tilbhita, Barharwa and Pakaur in District Santhal Pargana in Bihar, names of railway stations have either not been written in Urdu or have been wiped off;

(d) whether Government propose to take appropriate action against those violating their orders and to get the names of the said Stations written in Urdu; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). In regard to the use of script for writing the names of railway stations on station name boards, the instructions to the Railway Administrations are to adopt the following policy :—

(i) Where Hindi is the regional language	English and Hindi in Devnagri script to be used.
(ii) Where Hindi is not the regional language	English, Hindi in Devnagri script and regional language) to be used.

Use of Urdu script for writing station names is governed by the policy indicated against item (ii) above.

(c) The station name boards at Sakrigali Junction, Sakrigali Ghat, Kotalpukur, Tilbhita, Barharwa and Pakaur stations are written in Hindi in Devnagri script, English and Bengali. These scripts are in existence since a long time and no complaint has so far been received in regard to use of these scripts, nor names written in Urdu have been wiped out at these stations.

(d) and (e). Do not arise.

सरकारी उपक्रमों द्वारा कोयले की खरीद

9892. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया: क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने पिछले 9 महीने में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की तुलना में गैर सरकारी मिल-मालिकों से अधिक कोयला खरीदा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अकेले रेलवे ने पिछले दो महीने में कोयले की सप्लाई के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को दिये जाने वाले क्रयादेश में 30 प्रतिशत कटौती कर दी है;

(ग) सरकार को किन कारणों से बाध्य हो कर गैर-सरकारी मिल मालिकों से कोयला खरीदना पड़ा है और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को दिये गये क्रयादेशों में क्यों कटौती की गई है; और

(घ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यकरण में क्या खामियां हैं जिसके कारण सरकार को उपरोक्त निर्णय लेने के लिये बाध्य होना पड़ा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) 1967-68 में 103.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की तुलना में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 81.0 लाख मैट्रिक टन कोयला सप्लाई किया। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों से क्रय किये गये कोयले की राशि के विषय में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) नहीं, महोदय।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों का कुल उत्पादन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कोयले की आवश्यकताओं के एक तिहाई भाग से भी कम है। अत: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास इस के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं कि वे अपनी आवश्यकताओं के बड़े भाग को गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों से पूरा करें। इसके अतिरिक्त रेलवे युक्तिकरण योजना के अंतर्गत कोयले के संच पर कुछ प्रतिबन्ध है, जो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयले के विभिन्न सरकारी क्षेत्र के एककों को भेजे जाने के रास्ते में बाधक है।

कोयले का मूल्य

9893. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत अधिक कोयला खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की लागत में वृद्धि करने के लिये कोयला खान के मालिकों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये सरकार ने एक समिति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या है और उस समिति के निर्देश पद क्या है; और

(ग) इस संबंध में समिति द्वारा कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). विषय पर उपलब्ध सब तथ्यों को ध्यान में रख कर, उनकी जांच करने तथा रेलवे विभाग तथा इस्पात संयंत्रों द्वारा देय युक्ति युक्त तथा उचित मूल्य की सिफारिश करने के लिए अधिकारियों की एक छोटी सी समिति स्थापित की गई है। यह समिति रेलवे, इस्पात, खान तथा धातु, सिंचाई तथा बिजली, वित्त और श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों से युक्त है।

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अति शीघ्र दी जानी अपेक्षित है।

सरकारी क्षेत्र में कताई मिलें

9894. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये कताई मिल किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे और इनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य चतुर्थ योजना की अवधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित तीन निर्यात अभिमुख कताई मिलों की स्थापना के सुझाव का उल्लेख कर रहे हैं। इस मामले में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

स्टील रीरोलिंग मिल्स एसोसिएशन

9895. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील रीरोलिंग मिल्स एसोसिएशन क्षेत्रीय ढलाई कारखानों की स्थापना के लिये सरकार से अनुरोध करती आ रही है ताकि रीरोलर्स देश में मुख्य उत्पादकों को इस्पात की सप्लाई में बिना किसी बाधा के अपने विदेशी वायदों को पूरा कर सकें;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उद्योग ने सरकार से निवेदन किया है कि उनके निर्यात के उत्पादों पर राज सहायता की दर में वृद्धि की जाये;

(ग) क्या उद्योग की प्रार्थना पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). 1–2–1968 से लेकर पुनर्बेलकों को प्रमुख उत्पादकों द्वारा सप्लाई किये गये बिलेट से तैयार किये गये छड़, गोल छड़ चपटी वस्तुओं, वायर राड आदि के निर्यात पर फ्रेट डिफरेंशिल के रूप में 44.86 रूपये प्रति टन की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सभी निर्यातक (पुनर्बेलक भी शामिल है) 1-3-1968 से 28-2-1969 को अवधि में निर्यात को जाने वाली छड़ों और गोलछड़ों के पोत पर्यन्त मूल्य पर $2\frac{1}{2}\%$ की दर से अतिरिक्त/नकद सहायता ले सकते हैं बशर्ते कि इस अवधि में निर्यात की गई छड़ों/गोल छड़ों का पोत पर्यन्त मूल्य इस अवधि के पहले बारह महीनों के निर्यात से 10% अधिक हो।

इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स, लिमिटेड, सीरामपुर

9896. **श्री गार्डालिंगन गौड :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1959 में अथवा उसके आस-पास इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड सीरामपुर (पश्चिम बंगाल) के तत्कालीन प्रबन्धकों के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया था क्योंकि उन्होंने एक आयात लाइसेंस का जाली प्रयोग किया था;

(ख) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने उक्त कम्पनी के कब्जे से कुछ दस्तावेज तथा कागज पत्र पकड़े थे और वे कागज अभी तक उसके पास हैं;

(ग) यदि हां तो क्या इस मामले में अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी, हां। दिनांक 28-12-1961 को मुख्य प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट, कलकत्ता के न्यायालय में आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत मैसर्स इंडिया बैल्टिंग एंड काटन मिल्स लि०, सीरामपुर के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ). अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गयी पुनरीक्षण की याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 4-9-1963 को सब कार्यवाही रद्द कर दी। उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए अनुमति देने से 19-10-1964 को इन्कार कर दिया गया। बाद में फर्म का परिसमापन आरम्भ हो गया। परन्तु रिसीवर को जो दस्तावेज लौटाए गये उन्हें उसने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। अब एक रजिस्टर्ड पत्र रिसीवर को यह जानने के लिए भेज दिया गया है कि जिस पार्टी को ये दस्तावेज लौटाए जाने हैं उसका नाम और पता क्या है।

मद्रास में माइक्रो-वेव रेडियो टेलीफोन लिंक

9897. **श्री चित्ति बाबू :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में माइक्रोवेव रेडियो टेलीफोन लिंक स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्य रूप दे दिया जायेगा; और

(ग) इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : जी हां। दक्षिण रेलवे के मुख्यालय, मद्रास तथा उसके मण्डल मुख्यालय मदुरै, तिरुचिरापल्लि, ओलवक्कोट, मैसूर और गुन्तकल्ल तथा दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाडा और हुबली के बीच एक मल्टीचैनल माइक्रोवेव संचार की व्यवस्था की जा रही है।

इस काम को कई चरणों में किया जा रहा है और काम प्रगति पर है। संभवतः यह काम मार्च, 1969 तक पूरा हो जायेगा। (ग) 87.48 लाख की लागत के इस काम की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने 1965 में दी थी। मुख्य रूप से अवमूल्यन तथा सीमा कर की ऊंची दर के कारण इसकी अनुमानित लागत बढ़ गयी है और रेलवे प्रशासन ने हाल ही में इसके लिए 1.575 करोड़ रुपये का एक संशोधित अनुमान पेश किया है जिस पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है।

Export of Bovine Fat

9898. Shri Swami Brahmanand Ji : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity and value of bovine fat being exported abroad annually;

(b) the quantity and value of fat of useless bovine out of the above; and

(e) the names of the slaughter houses from which the above bovine fat is obtained and the quantity of fat obtained from each of them every year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There is no item as bovine fat in the revised Indian Trade Classification and hence no export is recorded by the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta; and

(b) and (c) Information is not available.

Export of Hides and Skins

9899. Shri Swami Brahmanandji : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of hides and skins of cows, buffaloes and calves which are exported abroad each year;

(b) the value of hides and skins obtained from the slaughtered animals and from the dead ones separately; and

(c) the respective number and value of cows, buffaloes and calves exported during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Value of exports of raw hides and skins and leather of bovine and equine cattle during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 (upto January 1968) stood at Rs. 6·82 crores, Rs. 11·20 crores and Rs. 8·77 crores respectively.

(b) Information is not available; and

(c) While there was no export of bulls and cows during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 (upto January, 1968), export of other bovine cattle (including buffaloes) stood at 1171, valuing Rs. 12·86 lakhs during April 1967 January 1968.

जापान से इस्पात का आयात

9900. श्री उमानाथ :
श्री अब्राहम :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 26 मार्च 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5223 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोल्ड इस्पात के आयात के संबंध में जापानी इस्पात मिल के साथ करार अन्तिम रूप में हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किन-किन श्रेणियों के रोल्ड इस्पात का आयात किया जायेगा, और प्रत्येक वर्ग के इस्पात के आयात के लिये कुल कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Railway Users Consultative Committee of North Eastern Railway

9901. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the region-wise names, designations and addresses of members of Zonal Railway Users Consultative Committee of North Eastern Railway;

(b) the number of sittings of the above Committee held and the dates on which they were held from March, 1967 to March, 1968 ;

(c) the names of the members present in each sitting; and

(d) the proposals on which concrete suggestions were given by the Committee and the proposals out of them implemented or proposed to be implemented ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d). A statement giving the information is attached. (*Please in library See No.* LT. 1214/68)

रद्दी लोहे का निर्यात

9902. श्री शिव नारायण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में देश से कितने रद्दी लोहे का निर्यात किया गया था तथा उसका जहाज तक निःशुल्क मूल्य क्या था;

(ख) इस वर्ष कितने रद्दी लोहे के निर्यात की आशा है;

(ग) क्या सरकार का पुर्वानुमान है कि रद्दी लोहे का निर्यात कम हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वर्ष 1967 में 5.8 लाख मे० टन रद्दी धातु का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 12.25 करोड़ रुपये था।

(ख) इस वर्ष 4 लाख मे० टन रद्दी धातु के निर्यात की आशा है।

(ग) जी, हां।

(घ) नए बाजारों को निर्यात में विविधीकरण के लिये प्रयत्न किये जाते हैं--इस समय जापान प्रमुख खरीदार है। फारमूसा, जापान तथा दक्षिण कोरिया में नए बाजारों का पता लगाने के लिये हाल में ही एक प्रतिनिधि मण्डल प्रायोजित किया गया है।

ढोलों का निर्माण

9903. **श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 2 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2848 के उत्तर में दिये गये विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सरकार मूल निर्माताओं को उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता के शत प्रतिशत आधार पर, 1964 में मूल्यांकन करने से पूर्व, कच्चा माल न दे सकी थी और अवांछनीय मूल्यांकनों के आधार पर कुछ निर्माताओं की क्षमता को मान्यता दी गई तथा कुछ की क्षमता को बढ़ाया गया था जिनसे उन एककों को जिन्हें पहले अधिक माल मिलता था, कम माल मिलने लगा और वे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की स्थिति में न रहे;

(ख) क्या 1965 में किये गये अन्य निरीक्षण के आधार पर अधिष्ठापित क्षमता बढ़ी हुई पाई गई और क्या इसका कारण मूल निर्यातकों द्वारा अनधिकृत रूप से विस्तार किया जाना था; और

(ग) 1963–64 में मूल्यांकन करते समय इस्पाती चादरों के अभाव की ओर ध्यान न करने और 1965 में दूसरा मूल्यांकन करते समय इस पर ध्यान देने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग). जहां इस्पात की चादरों का आवन्टन किसी एकक की निर्माण क्षमता के आधार पर करना पड़ता है वहीं क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता बैरलों की बढ़ी हुई जरूरत के कारण हुई है। इस्पाती चादरों की कमी होते हुए भी स्थापित क्षमता का और अधिक प्रयोग करते हुए उत्पादन को अधिकतम करने की आवश्यकता अनुभव की गई थी। स्थापित क्षमता आंकने की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव हुई थी जिससे कच्चे माल का सामान वितरण किया जा सके। 1965 में क्षमता का निरीक्षण करना फलस्वरूप जिन्हें अधिक समझा गया था इन पर सरकार ने स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप उन एककों के वस्तार पर विचार नहीं किया गया है।

कोयले के वैगन

9904. **श्री संजी रूपजी :**
श्री कंवर लाल गुप्ता :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में हरियाणा में मध्य रेलवे के स्टेशनों में विभिन्न कोयला खानों से कोयले के कितने वैगन भेजे गये;

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में वैगन उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली मथुरा सेक्शन पर कुछ नगरों को साफ्ट कोक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० म० पुनाचा) : (क) फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1968 में इन स्टेशनों को कोयले के 1452 माल-डिब्बे भेजे गये।

(ख) इस तरह की कोई रिपोर्ट रेल प्रशासनों के नोटिस में नहीं आयी है।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता।

Recovery of Valuable Stones

9905. Shri O.P. Tyagi : Will the Minister of STEEL MINES AND METALS be pleased to state the average quantity and types of valuable stones like diamond and emerald being mined in India per year and figures thereof from 1960 to 1967.

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi) : A statement giving the required information is attached.

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 12/5/68]

Indo-Soviet Trade

9906. Shri O.P. Tyagi : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the goods supplied by the U.S.S.R. on barter system are priced at a very high rate in comparison to the prices paid for them by the European countries;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have brought to the notice of U. S, S. R. Government; and

(d) if so, the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

निर्यात की नई वस्तुएं

9907. श्री श्रीचंद गोयल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार चालू वर्ष में किन किन नई वस्तुओं का निर्यात करने का विचार कर रही है; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात से अनुमानत कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). सरकार स्वयं निर्यात नहीं करती; अधिकांश निर्यात गैर-सरकारी निर्यातक करते हैं; कुछ निर्यात राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम जैसे सरकारी उपक्रम करते हैं। विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यातकों को विविध रूपों में सहायता देती रहती है। इंजीनियरी माल, लोहा तथा इस्पात, रसायन, तथा सम्बद्ध उत्पादों आदि जैसी अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात में हाल के वर्षों में पर्याप्त सफलता मिली है। निर्यातक तथा सरकार नई वस्तुओं के निर्यात के लिये अवसरों की ताक में रहते हैं और जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं, इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। फिर भी, यह नहीं बताया जा सकता कि चालू वर्ष में किन किन वस्तुओं के लिये अवसर प्राप्त होंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उपार्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

Underground Railway in Delhi

+9908. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the statement made by the Minister for Transport and Shipping in which he has given a suggestion for the construction of underground Railways in order to solve the transport problem of Delhi; and

(b) if so, the reaction of Government there to ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय के मशीन सेक्शन में कनसोल आपरेटर

9909. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के मशीन सैक्शन में कुल कितने कनसोल आपरेटर हैं;

(ख) क्या इन पदों के लिये कोई चयन किया गया था और यदि हां, तो बोर्ड द्वारा चयन के लिये पात्र होने के लिये कम से कम क्या योग्यता निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या कुछ मामलों में निर्धारित योग्यता में ढील दे दी गई थी या उसे ध्यान में नहीं रखा गया था; और

(घ) क्या उस बारे में कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक।

(ख) प्रवरण काम हो रहा है। जो आदेश जारी किये गये थे उनमें कसोल आपरेटरों के पदों पर प्रवरण के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गयी थीं :–

(1) प्रथम श्रेणी या अच्छे अंकों से उत्तीर्ण द्वितीय श्रेणी का स्नातक, जिसका शैक्षणिक रिकार्ड अच्छा रहा हो।

(2) आयु 40 वर्ष से ऊपर न हो।

(3) संगणक पर काम करने के लिए उच्चस्तर की अभिरुचि रखता हो।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछ अभ्यावेदन मिलें हैं जिन पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है।

10 Down Express Passenger Train

9910. Shri Atal Bihari Vaj Payee : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 10 Down Express Passenger train of North Eastern Railway would leave Gonda at 4·05 p.m. according to the new Railway Time Table;

(b) if so, the reasons for change in the timings;

(c) whether Government are aware that the passengers intending to go to Maskanwa, Mankapur and Bhabnan stations after finishing their work in Gonda district court, would be faced with difficulties as a result of this change;

(d) whether it is also a fact that North Eastern Railway authorities have received suggestions from the citizens of the area about departure of 10 Down Express after 5·00 p.m. and 34 Down Janta Express at 8 p.m. from Gonda; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha : (a) and (b). Apparently the reference is to the advancing by about one hour of the schedule of 10 Dn. Kanpur-Barauni Express from 1-10-67 which is still current. This change was effected to retain connection with 3 Dn. Assam Mail running from Barauni to Dibrugarh Town which was in turn put forward by 1′-15″ due to security reasons. The connection between these trains at Barauni is vital for passengers from or via Kanpur/ Lucknow etc. travelling to distant stations in West Bengal and Assam.

(c) Yes.

(d) Yes.

(e) Re-timing 10 Dn. Express is not possible in view of the need to maintain connection with 3 Dn. Mail at Barauni. It is also not possible to reschedule 34 Dn. Janata Fast Passenger as it will present adverse repercussions in other areas and to a majority of its users, besides operational difficulties.

खेत्री तांबा परियोजना को डबला में मेन लाइन से जोड़ने के लिये रेलवे लाइन

9911. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवाड़ी-रींगस सेक्शन पर खैत्री तांबा परियोजना को डाबला में मेन लाइन से जोड़ने के लिये एक रेलवे लाइन का निर्माण करने का निर्णय किया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन का निर्माण-कार्य अब प्रारम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :(क), (ख) और (ग). चिरावा/डाडला-खेत्री रेल सम्पर्क परियोजना की यातायात सम्बन्धी संभावनाओं की जो संशोधित रिपोर्ट पश्चिम रेलवे द्वारा पेश की गयी है उसकी जांच की जा रही है । इस रेल सम्पर्क को बनाने या न बनाने का निर्णय इस जांच के पूरा हो जाने के बाद किया जायेगा ।

खड़ियाल रोड स्टेशन

9912. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़िआल रोड जनरल ट्रेडर्स एसोसियेशन ने (1) रूरकेला गाड़ी की टिटलागढ़ पर समाप्त करने की बजाय बरास्ता टिटलागढ़-खड़िआल रोड रायपुर तक चलाने, (2) खड़ियाल रोड स्टेशन के मालगोदाम में पेय जल की व्यवस्था करने, (3) दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली चार गाड़ियों में से एक गाड़ी को वरास्ता वाल्टेयर, रायपुर तक कटनी चलाने तथा (4) आने तथा जाने वाले सामान के रखने की व्यवस्था में सुधार करने के बारे में एक ज्ञापन पेश किया है;

(ख) क्या इन मांगों की जांच की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (i) और (iii) राउरकेला-टिटलागढ़ सवारी गाड़ी नं० 457/458 को रायपुर तक या रायपुर से खड़ियाल रोड के रास्ते चलाने और वर्तमान मद्रास-दिल्ली सीधी जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी का वाल्टेर, रायपुर और कटनी के रास्ते ले जाना न तो व्यावहारिक पाया गया है और न उसका औचित्य है ।

(ii) स्टेशन के प्लेटफार्म पर पानी के पांच नल लगे हैं और वहां पर पानी देने के लिए एक स्थायी पानी वाला भी है । गर्मी के मौसम में एक अतिरिक्त पानी वाले को भी नियुक्त किया जाता है । चूंकि माल गोदाम खड़ियाल रोड स्टेशन के प्लेटफार्म के आखिर में अवस्थित हैं इसलिए मालगोदाम आने वाली जनता स्टेशन प्लेटफार्म पर उपलब्ध पानी की सुविधाओं का वे रोक टोक इस्तेमाल करती है । इसके अतिरिक्त, मालगोदाम में भी जनता के इस्तेमाल के लिए घड़ों का प्रबन्ध किया गया है । माल गोदाम में पानी का एक नल लगाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

(iv) मालगोदाम में आगत और निर्गामी माल का चट्टा लगाने के लिए अपेक्षित स्थान मौजूद है, साथ ही इस स्टेशन पर मौजूदा यातायात को सम्हालने के लिए जो व्यवस्था है वह पर्याप्त समझी जाती है ।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड

9913. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सारे कर्मचारियों को पालतु घोषित करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आयातित वस्तुओं के स्थान पर उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन

9914. श्री स० चं० सामन्त : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपक्रमियों और उद्योगपतियों को आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उपयोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है या दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1967-68 के अन्त में कितनी आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है और भविष्य के लिये क्या सम्भावनाएं हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) आयातित माल के स्थान पर देशी साधनों से निर्मित माल बनाने के लिये व्यावहारिक सुझाव देने वाले या योजनायें बनाने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को पुरस्कार देने की योजना पहले से ही लागू है।

(ख) आयात प्रतिस्थापन का कार्य बरा-बर चलते रहने वाला है और इसमें उद्योग का समूचा क्षेत्र आ जाता है। सुनियोजित कदम उठाए जाने के कारण आयातित पुर्जों तथा कच्चे माल में उल्लेखनीय कमी करना सम्भव हा सका है। 1967 में इसके द्वारा विदेशी मुद्रा की अनुमानित बचत 32 करोड़ रुपये है। आशा है कि आयात प्रतिस्थापन के लिये उठाए गए पगों के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा में होने वाली बचत प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी।

लघु उद्योग

9915. श्री स० चं० सामन्त : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी मंडियों के लिये अपेक्षित माल का उत्पादन करने के लिये लघु पैमाने के उद्योगों द्वारा आयातित कच्चे माल की मांग किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। यह समस्या गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एककों के सामने है जिन्हें लगाई गई मशीनों के मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर विदेशी मुद्रा दी जाती है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में इसकी मांग नहीं है क्योंकि उनकी आवश्यकता सम्पूर्ण रूप से पूरी की जा रही है।

(ख) विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण रूप से कमी होने के कारण गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

Impact of New Import Policy on Jewel Trade

9916. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have received a representation from the Jeweller's Union, Jaipur drawing attention to the adverse effect on diamonds industry as a result of the new import policy;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the action taken by Government to develop this industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The diamond industry is an export-oriented industry and its existence rests on exports. Following steps are envisaged to develop its exports :

(i) Under the Import Policy for Registered Exporters import of raw materials, viz., rough diamonds and rough precious/semi-precious stones etc. is allowed on replenishment basis;

(ii) Efforts are being made to ensure continuous flow of supplies of imported rough diamonds precious stones etc. which are the raw material for the industry;

(iii) A proposal is under consideration for setting up a testing laboratory, to enable a proper assessment of quality and value.

(iv) The Gems & Jewellery Export Promotion Council has proposed export promotional measures, such as conducting of market surveys, sponsoring of trade delegations abroad, participation in trade fairs and exhibitions, dissemination of statistical and other information of trade interest amongst exporters on an intensified scale.

There will be no difficulty for exporters of diamonds to obtain rough stones as the import replenishment against diamonds has been retained at 70% in order to encourage exports.

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा लाभ की राशि को पुनः उद्योगों में लगाना

9917. श्री शिव चन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग अपने अग्रेतर विकास के लिए लाभ की पर्याप्त राशि को उद्योगों में नहीं लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि से अब तक उन्होंने कितनी राशि को पुनः उद्योगों में लगाया है और इस सम्बन्ध में चतुर्थ योजना के लिए अनुमानित लक्ष्य क्या है?

औद्योगिक विकास तथा समावाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

समस्तीपुर जिले में रेलवे लाइनों का विस्तार

9918. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्तीपुर जिले में नई रेलवे लाइनों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ख) (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में बनाई जाने वाली नई रेलवे लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए अभी यह बताना कठिन है कि निकट भविष्य में समस्तीपुर जिले में किसी नयी लाइन का निर्माण किया जायेगा या नहीं।

सियालदाह-पठानकोट एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लग जाना

9919. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सियालदाह-पठानकोट एक्सप्रेस के तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में आग लग गई थी तथा उसमें बहुत से व्यक्ति हताहत हुए थे;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के 20 मिनट बाद गाड़ी खड़ी किये जाने के क्या कारण थे तथा डिब्बों में खतरे की जंजीर को न लगाए जाने के क्या कारण थे; और

(ग) इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि ऐसी घटनाएं पुनः न हों तथा प्रत्येक रेलगाड़ी में खतरे की जंजीर लगाई जाए।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) 13-4-1968 को 17 अप सियालदह पठानकोट एक्सप्रैस गाड़ी के हजारीबाग पहुंचने से पहले उसके तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में आग लग गयी। जिस डिब्बे में आग लगी उससे बाहर कूदने के परिणामस्वरूप 7 व्यक्ति मारे गए। 20 व्यक्ति घायल हो गए जिनमें 9 गम्भीर रूप से घायल हुए।

(ख) गाड़ी के सहायक ड्राइवर को आग उस समय दिखायी पड़ी जब चिचाकी स्टेशन से जहां कि स्टेशन के कर्मचारियों ने आग देखी थी, लगभग 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसने पीछे की तरफ देखा, अर्थात चिचाकी पर आग देखे जाने के समय से तीन-चार मिनट बाद। सहायक ड्राइवर ने इसकी सूचना ड्राइवर को दी जिसने तत्काल आपाती ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी।

गाड़ी में खतरे की जंजीर की व्यवस्था थी लेकिन यह देखकर कि जंजीर खींचने की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं इस डिब्बे से और कुछ अन्य डिब्बों से जंजीर निकाल दी गयी थी।

(ग) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सभी सवारी डिब्बों में खतरे की जंजीर की व्यवस्था होती है और रेल प्रशासनों को यह हिदायत भी दी गयी है कि जिन अनुपनगरीय गाड़ियों में से खतरे की जंजीर निकाल दी गयी थी उन सब में जंजीर फिर से लगा दी जाये।

छोटे पैमाने के उद्योग

9920. **श्री स० कुण्डू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सारे भारत में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत छोटे पैमाने के कितने उद्योग पंजीकृत हैं और उन में से कितने उद्योग इस समय चालू अवस्था में हैं;

(ख) 1958 के बाद ऐसे कितने उद्योग भिन्न भिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं;

(ग) ऐसे उद्योगों में राज्य-वार कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(घ) ऐसे छोटे पैमाने के उद्योगों से निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और किन-किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

9921. **श्री स० कुण्डू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने कुछ समय पहले सीरिया में आयात की किसी कम्पनी अथवा मध्य पूर्व के कुछ देशों को तैयार माल सप्लाई करने का ठेका लिया था;

(ख) यदि हां, तो टेंडर की राशि कितनी थी तथा क्या मध्य पूर्व में सम्बन्धित सरकार ने इसे निम्नतम होने के नाते स्वीकार कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस टेंडर को कार्य रूप दिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जाएगी और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Supply of Aluminium To Madhya Pradesh

9922. Shri G. C. Dixit Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that aluminium is supplied to Madhya Pradesh through Messrs Madras. Aluminium Corporation, Coimbatore and Messrs. Hindustan Aluminium Corporation, Mirzapur, whereas Assam, Bihar, Himachal Pradesh and Tripura have obtained the entire quantity of aluminium from the Indian Aluminium Calcutta which is the cheapest; and

(b) If so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi): (a) and (b). There is at present no distribution control over aluminium and the industrial units are at liberty to purchase their requirements of the metal from anyone of the producers.

Quota of Aluminium for Madhya Pradesh

9923. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the reasons for reducing the quota of indigenous aluminium from 392 to 135 tonnes for Madhya Pradesh whereas such quota has been raised for Maharashtra, Uttar Pradesh, Punjab and Gujarat and other States; and

(b) whether the said quota for Madhya Pradesh is proposed to be increased?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi): (a) Following representations from a number of States regarding the basis adopted in allocating Electrical Grade Aluminium metal to the Small Scale Industries, a review was undertaken by the Development Commissioner, Small Scale Industries. As a result of the review, some States got reduced quota for the year 1967-68. In the case of Madhya Pradesh the initial allotment was 135 tonnes as against the previous year's allotment which was 362 tonnes (and not 392 tonnes as stated in the question). It may, however, be stated that subsequently further allotment orders had been issued in favour of the State by the Development Commissioner, Small Scale Industries and the final allotment for the year 1967-68 stood at 292 tonnes. It has been reported that even this allotment of 292 tonnes has not been lifted in full.

(b) The informal control on the distribution of Electrical Grade Aluminium has recently been lifted and the question of allocation of quotas to the States does not arise now.

Quota of Stainless Steel in Madhya Pradesh

9924. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the quota of stainless steel has not been given to Madhya Pradesh for the last several years inspite of the fact that the small scale industries require 1,500 metric tonnes of stainless steel for manufacturing utensils and whether the Government of Madhya Pradesh has requisitioned for the same;

(b) whether Government propose to supply stainless steel to Madhya Pradesh; and

(c) if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines & Metals (Shri P. C. Sethi): (a) A few years back indents for stainless steel sheets had been asked for from the Directorate of Industries of all the States, by the Iron & Steel Controller. The Government of Madhya Pradesh had sponsored a demand of tonnes. As the import of stainless steel for utensil manufacture has been very much restricted, allocations were made to the States on pro-rata basis. The allocations to Madhya Pradesh during the last few years have been:—

1961-62—13 tonnes

April-September, 1964—13 tonnes

(b) & (c): While allocation will be made to Madhya Pradesh to the extent possible, as and when imported materials are available the requirements of States other than Madhya Pradesh will have also to be kept in view.

Underground Water Resources

9925. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to include the underground water resources in the 'Operation Hard Rock' to be conducted in Madhya Pradesh; and

(b) If so, the areas selected for the purposes ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) & (b): The main objective of the project 'Operation Hard rock' is to look for new resources of base metals in three selected promising areas of the country *viz.* Andhra Pradesh, Rajasthan and Bihar. Geophysical records obtained as a result of the airborne surveys, after proper interpretation, can also be indirectly applied in the search of ground water resources. Madhya Pradesh is however not included in the present programme of aerial survey being carried out under the Project 'Operation Hard Rock'.

Production of Iron Ore in Bailadila

9926. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the production of iron ore in the Bailadila mines (M.P.) has been started and it is expected that by 1970-71 the export of pig iron would reach 60,000 lakh tons per year and it is planned to raise this export to one crore tons per year during the Fourth Five Year Plan period; and

(b) if so, whether Government propose to set up a factory for manufacturing the blue dust lamps, the production of which would increase along with the production of iron, and if so, by when ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) Presumably, the Hon'ble Member seeks information regarding the export of iron ore from Bailadila area. The National Mineral Development Corporation has developed a mechanised mine based on deposit No. 14 in the Bailadila area for the production of 4 million tonnes of sized ore per annum for export to Japan. Trial production was started in April 1968. The mine is expected to reach its rated capacity by 1969-70.

In the meantime, production of float ore by manual mining was started in September 1967 and about 3·73 lakh tonnes of float ore have been supplied to Japan upto the end of March, 1968.

In addition, the National Mineral Development Corporation is developing another mine based on deposit No. 5 in the Bailadila area for the production of 2 million tonnes of sized ore per annum in the first phase. The mine at deposit No. 5 is ultimately proposed to be developed for the production of 4 million tonnes of sized ore per annum. On completion, it is planned to export 10 million tonnes of iron ore as below:—

Deposit No. 14	Lump 4 million tonnes	Fines	1 million tonnes.
Deposit No. 5	Lump 4 million tonnes	Fines	1 million tonnes.
	TOTAL		10 million tonnes

(b) The National Mineral Development Corporation has undertaken techno-economic feasibility studies on pelletisation of blue dust and iron ore fines. The question of setting up of pelletisation plant will depend on the out-come of such studies.

चर्चगेट तथा विक्टोरिया टर्मिनेस स्टेशनों का भूमिगत सम्पर्क

9927. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान चर्चट तथा विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनों की भूमि के नीचे मिलाने के बारे में बम्बई के एक इंजीनियर श्री आर० एन० जोशी द्वारा पेश की गई योजना की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी स्तर पर इस प्रस्ताव का आगे अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना का अच्छी तरह अध्ययन करने के लिए सम्बन्धित हितों की एक बैठक बुलाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). जनवरी, 1966 में बम्बई के एक इंजीनियर, श्री आर० एन० जोशी की ओर से बम्बई में अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आया था, जिसमें एक भूमिगत रेलवे लाइन का बनाया जाना शामिल था। उस समय तक योजना की देख-रेख में महानगर परिवहन के सम्बन्ध में एक अध्ययन दल संगठित किया जा चुका था, जिसका उद्देश्य भारत के महानगरों, जैसे कलकत्ता, बम्बई मद्रास और दिल्ली में परिवहन समस्या की जांच करना था। इसलिए श्री जोशी को सूचित किया गया कि वे इस अध्ययन दल से सम्पर्क स्थापित करें और बम्बई क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अपने विचार उसके सामने रखें। प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए अध्ययन दल की अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। इस सम्बन्ध में अन्तिम सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति इसकी जांच कर रही है।

रेलवे भोजन व्यवस्था तथा यात्रियों की सुविधाओं संबंधी समिति

9928. **श्री द० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में भोजन व्यवस्था तथा यात्रियों की सुविधाओं सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कौनसी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है?

रेलवे-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, हां।

(ख) अब तक जिन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है, उनका विवरण साथ नत्थी है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 12/6/68]

(ग) कुछ सिफारिशों पर अमल करने के लिए रेल प्रशासनों को आवश्यक हिदायतें जारी की गयी हैं। अन्य के संबंध में विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

समवाय सचिवों की संस्था

9929. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री वेद व्रत बरुआ :
श्री वेगलराया नायडू :
श्री दीवीकन :
श्री न० कु० सांगी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय- कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शीघ्र ही समवाय सचिवों की एक संस्था की स्थापना करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था की स्थापना कब की जाएगी और इसका संवैधानिक ढांचा क्या होगा;

(ग) समवाय सचिव के सरकारी डिप्लोमा धारियों के हितों की रक्षा कैसे की जायेगी; और

(घ) प्रस्तावित संस्था के हितों की रक्षा के लिए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इस संस्था की स्थापना के बाद विदेशी निकायों को इस व्यवसाय के लिए परीक्षाएं करने की अनुमति न दी जाए जैसा कि भारत की चार्टर्ड लेखापाल और लागत लेखापाल संस्था के मामले में किया गया था।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत एक कम्पनी के समान, संस्थान स्थापित करना, प्रस्तावित है। अधिकतम 15 सदस्यों के सामंजस्य से एक समिति बनेगी, जिनमें से 7 संस्थान के सदस्यों द्वारा, अधि सदस्यों में से निर्वाचित किए जायेंगे, तथा 8,

जिनमें कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा प्रदान किये गए उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले कम-से-कम 1 व्यवित को सम्मिलित कर, सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। संस्थान की सम्पूर्ण शक्तियों समिति में निहित होंगी। समिति अपने सदस्यों में से, वार्षिक साधारण बैठक में, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी। यह भी प्रस्तावित है कि किसी ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों व परिश्रमिक पर जैसा कि सरकार निर्धारित करे, संस्थान के कार्य, मनोनीय सदस्यों में से एक द्वारा संचालित होंगे, जो कार्यवाही उपाध्यक्ष से नामोद्दिष्ट होगा। एक पूर्ण- कालिक सचिव भी रहेगा।

(ग) संस्थान प्राथमिक रूप से, भारत में कम्पनी सचिवों के व्यवसाय का विकास करने तथा कम्पनी सचिवों के व्यवसाय, के साथ संबंधित, अथवा में लगें हुए व्यक्तियों के हितों से प्रभावित सम्पूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए, निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है।

(घ) संस्थान की समिति, अपने नियमों तथा विनियमों का स्वयं निर्माण करेगी। प्रस्तावित संस्थान के निर्माण के पश्चात् यह सरकार के साथ परामर्श करके इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि क्या भारत में इस व्यवसाय के लिए, परीक्षा लेने के लिए, विदेशी निकायों को अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं।

गोवा में रेलवे का हस्तान्तरण

9930. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में रेलवे का हस्तान्तरण सम्बन्धी विवाद का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यह मामला इस समय किस अवस्था में है?

रेलवे मंत्री (श्री च० मू० पुनाचा): (क) भारत सरकार ने जो यह विनिश्चय किया है कि गोआ स्थित रेल परिसम्पत्तियों का स्वामित्व रेल मन्त्रालय में निहित होगा, उस सम्बन्ध में मार्मगोआ पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कुछ वैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) यह मामला अभी विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अर्जित भूमि

9931. **श्री कार्तिक ओराओं : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची बोकारो स्टील प्लांट, रूरकेला स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के लिए अर्जित की गई बहुत एकड़ भूमि अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की थी; और

(ख) यदि हां, तो (एक) प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई;

(दो) अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की कुल कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई;

(तीन) इन परियोजनाओं के कारण कुल कितने परिवार विस्थापित हुए;

(चार) इन परिवारों में कितने परिवार परियोजनावार अनुसूचित आदिम-जातियों के थे; और

(पांच) क्या सभी विस्थापित व्यक्तियों को बसा दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

बाक्साइट के निक्षेप

9932. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बतने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रांची जिले के चैनपुर पुलिस स्टेशन के अधीन क्षेत्र में बाक्साइट के निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि रांची जिले के दुमोई खण्ड के भीखमपुर क्षेत्र में मिट्टी के तेल के स्रोत पाये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :
(क) इस क्षेत्र में बाक्साइट निक्षेपों के पाए जाने का पहले ही पता है। उपलब्ध अनुमानित राशि लगभग 30 लाख मैट्रिक टन है।

(ख) नहीं, महोदय।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के सहायक इंजीनियर

9933. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में 13 से 15 वर्ष के अनुभवी सहायक इंजीनियरों को जिस में लगभग 8 से 10 वर्ष का रेलवे का अनुभव भी शामिल है, या तो स्थायी नहीं किया गया है या उनकी पदोन्नति के संबंध में विचार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहायक इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उनकी नियुक्तियों को निमित करने और रेलवे में पदोन्नति के संबंध में उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) ऐसे अस्थायी सहायक इंजीनियर 82 हैं जिन्होंने 8 वर्ष से अधिक रेल सेवा की है और जो स्थायी रूप से संमाहित नहीं हुए हैं । इन 82 में से 57 प्रवर वेतनमान में स्थानापन्न रूप में पदोन्नत हो चुके हैं।

(ग) प्रथम श्रेणी की सेवाओं के लिए भर्ती के नियमों के अन्तर्गत अस्थायी अफसर स्वतः प्रथम श्रेणी की सेवा में समाहित नहीं किये जा सकते हैं। जैसी कि नियमों में व्यवस्था है, वे रिक्त स्थानों के एक निश्चित कोटा के हकदार हैं। इस कोटा के अनुसार उन्हें प्रथम श्रेणी में तभी समाहित किया जाता है जब वे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत चुन लिए जाते हैं ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

9934. श्री कार्तिक ओराओं : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में भर्ती, तैनाती तथा पदोन्नति के मामलों में बिहारी कर्मचारियों के साथ भेद भाव किया जाता है;

(ख) 1000 तथा उनसे अधिक वेतनमान वाले विभागाध्यक्षों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें बिहारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त वेतनमानों में ऐसे विभागाध्यक्षों की संख्या कितनी है जो (एक) छोटा नागपुर (दो) अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकी है । सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष ग्रेडों को छोड़कर अन्य स्थानों पर भर्ती सारे देश में विज्ञापनों के द्वारा की जाती है ।

यवतमाल से अचलपुर छोटी लाइन सेक्शन

9935. श्री देवराव पटिल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के यवतमाल-अचलपुर छोटी लाइन सेक्शन पर पिछले बीस वर्षों में लाइन या रेल डिब्बों आदि के स्टाक की क्षमता जिसमें इंजन या स्टेशनों पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं भी शामिल हैं, में कोई सुधार नहीं हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पुराने रेलवे उपकरणों के नवीकरण न किए जाने तथा अथवा उनके न बदले जाने के परिणामस्वरूप इन लाइनों पर गाड़ियां चलाना यात्रियों और सामान की सुरक्षा के लिए खतरनाक है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). यह लाइन सेन्ट्रल प्राविंसिज़ रेलवेज़ कम्पनी लिमिटेड की सम्पत्ति है और इसे सरकार मध्य रेलवे द्वारा चलाती है। पिछले बीस वर्षों में चल-स्टाक में परिवर्तन किए गए हैं और इसके उपयोग को देखते हुए स्टाक यथेष्ट है। कम्पनी के साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार अनुमेय लाइन-क्षमता के विकास तथा यात्री सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य का निम्नतम कार्यक्रम, समय-समय पर, हाथ में लिया जाता रहा है। लेकिन बड़े स्तर पर सुधार के काम नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि करार की शर्तों के अनुसार उनके लिए धन की व्यवस्था कम्पनी ने करनी है और कम्पनी ने धनाभाव के कारण ऐसा करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की है। रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा इस लाइन का नियमित निरीक्षण होता रहा है और इस लाइन की संरक्षा स्थिति के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट अभी हाल में नहीं मिली है।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

9936. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को 1966–67 और 1967–68 में कुल कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) क्या यह सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार थी?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

9937. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम, जिन्होंने असेम्बल करने वाले प्रत्येक कारखाने द्वारा अपेक्षित पूंजी और उपकरणों को देसी उत्पादन से बढ़ा कर और आयात द्वारा प्राप्त करके उनकी पूर्ण जांच पड़ताल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है उपरोक्त पहलुओं के बारे में अपनी छः मासिक रिपोर्ट तकनीकी विकास महानिदेशक को और लघु उद्योगों के विकास आयुक्त को नहीं भेज रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं और इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य रेलवे में पदों का भरा जाना

9938. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 250–380 रु० या इससे ऊपर के वेतन क्रमों में एस० एम०/ए० एस० एम०/ वाई० एम०/ए० वाई० एम०/टी० एन० आई०/टी० आई० के कितने पद मध्य रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में पिछले पांच वर्षों में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से भरे गए थे;

(1) ट्रैफिक अप्रैंटिस,

(2) 205–280 रु० (ए० एस०) के वेतन क्रम में पदोन्नत,

(3) ट्रैफिक एप्रैंटिस गार्ड,

(4) 205–280 रु० (ए० एस०) के वेतन क्रम में ए० एस० एम०/एस० एम० आदि के रूप में पदोन्नत गार्ड,

(5) सिग्नलर/ए० एस० एम० के रूप में मूल रूप से भर्ती किए गए कर्मचारी, और

(6) उपरोक्त श्रेणियों से भिन्न मूल रूम में भर्ती किए गए कर्मचारी;

(ख) पदोन्नति के समय वे किस आयु ग्रुप में थे (जैसे 25 से 30 वर्ष, 30 से 35 वर्ष आदि); और

(ग) श्रेणी में पदोन्नति के समय उनके वेतन किस क्रम पर निश्चित किए गए थे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) (i) 38
(ii) 5
(iii) 55
(iv) 22
(v) 51
(vi) 5

(ख)

आयु वर्ग	संख्या
25 से 35 वर्ष	45
35 से 40 ,,	35
40 से 45 ,,	65
45 से 50 ,,	23
50 से 55 ,,	8

(ग) पदोन्नति होने पर उनका वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो में आयात किये जाने वाले पुर्जो और उपकरणों के स्थान पर देशी पुर्जों और उपकरणों का प्रयोग

9939. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई सरकारी उपक्रमों ने वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया है जिससे वे इसकी जांच कर सके कि इन उपक्रमों को बनाने के लिए कितने पुर्जों तथा उपकरणों की आवश्यकता होगी तथा इनका आयात करने से पहले इसकी भी जांच कर सकें कि क्या इनकों देश में बनाया जा सकता है; और

(ख) यदि ; हां तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात लक्ष्य

9940. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय भारत का कुल निर्यात कितना है और उसमें औद्योगिक सामान तथा कृषि सामान के निर्यात मूल्य का अनुपात क्या है;

(ख) मन्दी से प्रभावित उद्योगों के उत्पादों, क्रमशः प्रमुख पश्चिमी तथा समाजवादी देशों को कुल कितना निर्यात किया गया;

(ग) आगामी पांच वर्षों में निर्यात का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या अरब तथा अफ्रीकी देशों को निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई योजना और अभियान शुरू किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी :) (क) वर्ष 1967-68 के पहले 11 महीनों में भारत के कुल निर्यातों का मूल्य 1099.85 करोड़ रुपए था। परन्तु वस्तुवार खुलासा केवल जनवरी 1968 तक उपलब्ध है। 1967-68 के पहले दस महीनों में औद्योगिक उत्पाद अयस्क, खनिज, रद्दी धातुओं तथा हस्त-शिल्प को छोड़ कर कुल निर्यातों का 49 प्रतिशत थे जब कि कृषि तथा सम्बद्ध उत्पाद, जिन में बागान फसलें भी शामिल हैं, कुल निर्यात का 37 प्रतिशत थे।

(ख) जिन उद्योगों पर मन्दी का प्रभाव पड़ा है उनका अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्यात लक्ष्य इस समय विचाराधीन हैं।

(घ) जी, हां। सरकार ने अरब तथा अफ्रीकी देशों में से कतिपय 'विकास केन्द्रों' को चुन लिया है तथा वह उन्हीं पर ध्यान केन्द्रित कर रही हैं जो व्यापार के द्रुत विकास के सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं। नौवहन जैसी वैदेशिक व्यापार की अवस्थापनाओं का भी विकास किया जा रहा है और इसका ताजा उदाहरण पश्चिम एशिया के साथ भारतीय नौवहन निगम का दो नई नौवहन सेवाएं आरम्भ करने का निर्णय है।

कोट्टायम के निकट अखबारी कागज़ का कारखाना :

9941. **श्री न. कु० सांघी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोट्टायम के निकट अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की क्षमता तथा अनुमानित लागत क्या होगी ?

(ग) इस परियोजना पर कब तक काम आरम्भ होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). केरल में अखबारी कागज़ का एक कारखाना स्थापित करने के बारे एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जो सरकार के विचाराधीन है। जब तक इस रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय नहीं कर लिया जाता, तब तक उसकी क्षमता, परियोजना की लागत अथवा समय परियोजना में कब तक काम शुरू किया जा सकेगा, यह बता सकना सम्भव नहीं है।

विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना

9942. **श्री न० कु० सांघी : क्या इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल उद्योग मन्त्री ने कालीकट जिले में लौह-अयस्क निक्षेपों का प्रयोग करके विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर हाल ही में दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Indian Trade and Industrial Exhibition Held in Sudan

9943. **Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have received any orders for exports of Indian goods to foreign countries as a result of the Indian Trade and Industrial Exhibition held in Sudan recently; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. Sir Orders are booked by private parties participating in the exhibition.

(b) A statement showing the details of the orders booked is placed on the Table of the House. [*Placed in Liberary. Sec. No. LT-12/7/68*

लौंग का आयात

9944. श्री क० लकप्पा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्स यूनाइटिड स्पाइसेज इम्पोर्टर्स लिमिटेड, को लौंगों का कोटा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सब 748 सुस्थापित आयातकर्ता इस कम्पनी के सदस्य हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इनमें से कितने इस कम्पनी के सदस्य हैं;

(घ) वर्ष 1966-67 में कुल कितनी कीमत की लौंगों का आयात किया गया और इस कम्पनी को कितना कोटा दिया गया;

(ङ) कम्पनी ने लौंगों की बिक्री से कितना लाभ प्राप्त किया ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्स यूनाइटिड स्पाइसेज इम्पोर्टर्स लिमि०, बम्बई को लौंग के कोई कोटे नहीं दिए जा रहे हैं। तथापि सुस्थापित आयातकों को निकासी के लिए आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा आवंटित लौंग के कोटे का सुस्थापित आयातकों में वितरण राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्स यूनाइटिड स्पाइसेज इम्पोर्टर्स लिमिटेड के माध्यम से कराया जाता है।

(ख) इस समय लौंग के 782 सुस्थापित आयातक हैं और सभी कम्पनी के सदस्य हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1966-67 में राज्य व्यापार निगम द्वारा लौंग का कोई आयात नहीं किया गया।

(ङ) कम्पनी को कोई लाभ लेने की अनुमति नहीं है। उनको उनके पूंजीगत निवेश, निकासी, भंडारण तथा उनके सदस्यों को लौंग के वितरण पर हुए ऊपरी खर्च को पूरा करने हेतु प्रति 10 किग्रा० के लिए 5.00 रु० की निर्धारित दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है।

Cashiers on Western Railway

9945. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chashiers on the Western Railway who used to disburse payments to the tune of rupees one and a half lakhs previously have to disburse 2 to 3 lakhs of rupees now;

(b) If so, whether it is also a fact that in other Railways, overtime allowance is paid in case the amount of disbursement exceeds three lakhs of rupees; and

(c) If so, the reasons for which such overtime allowance is not paid to the Chashiers on the Western Railway, despite the fact that they disburse six to seven lakhs of rupees ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. The yard-sticks prescribed for each of the disbursing Pay Clerks in the scale of Rs. 60-150-(PS) and Rs. 100-185 (PS) were 1½ lakhs and 2½ lakhs cash respectively. After upgradation of these posts to the Grades of Rs. 100-185 and Rs. 160-250 (PS) the yard sticks were raised to Rs. 2½ lakhs and 3½ lakhs respectively for each.

(b) No.

(c) The employees have not been paid overtime as they have not worked beyond the prescribed hours under the Hours of Employment Regulations.

Production of Tyres and Tubes

9946. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of tyres and tubes of motor cars and scooters produced by various industrial establishments in 1966 and 1967;

(b) the target of production fixed for 1968;

(c) whether Government have given any special facilities to industrial establishments to increase the production of tyres and tubes; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The production of motor car tyres and tubes and scooter tyres and tubes during the years 1966 and 1967 was as follow:

Name of the Unit	1966				1967			
	*Car**		*Scooter*		*Car**		*Scooter*	
	Tyres	Tubes	Tube	Tyres	Tyres	Tubes	Tyres	Tubes
1. Dunlop	297349	288295	102880	120674	305540	365,467	68,930	79,153
2. Firestone	186316	137507	20086	15132	126381	217,435	11,610	297,62
3. Ceat	66962	84148	18415	28850	89636	134,307	36,416	53,338
4. Goodyear	73219	81649			90932	73,138		
5. Premier	12633	9355			30958	25,706		
6. Madras Rubber Fy.	47116	54224	9477	9157	55499	68,123	26,620	26,416
7. Inchek	39430	46229			55903	62,743		1,033
Total	723025	701407	150858	173813	754849	946,919	144,609	188,669

(Note: Includes Light truck/Jeep also)

(b) The Automobile Tyre Industry has envisaged a production of 722,100 tyres for motor cars and 252,500 tyres for scooters, during the year 1968.

(c) & (d): Government have impressed upon the Automobile Tyre Industry the need for augmenting the production. They have therefore been advised to increase the capacity by 25%. They have also been assured that for achieving this objective, Government would consider requests from Tyre Manufacturers for import of balancing equipment such as moulds, presses, etc. if found necessary. In fact the Tyre Industry has indicated production programme for manufacturing 32,94,100 nos of all types of tyres during 1968 which shows an overall increase of 5,88,361nos. over the 1967 production.

The industry has recently been removed from the banned list with a view to establishing further production capacity. The Automobile Tyre Manufacturers have been informed that for substantial expansion of existing units, consideration may be given to those units whose supplies to automobile vehicle manufacturers, Defence, etc., are satisfactory, whose export performance is commendable and who have fully implemented the schemes already licensed to them and also economic viability of the Unit.

Looting of Foreigners in Upper India Express

9947. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two foreigners had been looted in the Upper India Express between Kanpur and Etawah Railway Stations in the second half of March, 1968, as reported in the Vir Arjun of the 23rd March, 1968;

(b) if so, the value of articles stolen; and

(c) the action taken by Government to recover the stolen articles ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Two foreigners travelling by 14 Down Upper India Express lodged a complaint with Government Railway Police Kanpur regarding theft of one suit case and washing bag which were stolen from their compartment. The value of stolen property is reported to be about Rs. 500/-

Government Railway Police, Kanpur registered a case on crime No. 182 u/s 379 IPC on 22-3-68. All out efforts are being made to arrest the culprits and recover the stolen property.

Derailment of Upper India Express

9948. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the engine and 6 bogies of Upper India Express (14 Down) had derailed at Barthana, at a dis tance of 70 miles from Kanpur, as reported in the Hindustan of the 2nd January, 1968.

(b) if so, the number of persons killed and of those injured and the amount of loss suffered by the Railways as a result of the said derailment;

(c) whether Government have conducted an enquiry into the said accident; if so, the causes thereof; and

(d) whether Government suspect a hand of some foreign element behind the said accident ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Presumably the reference is to the accident in which 5 rear bogies of Upper India Express derailed at Barthana station (119 Kms from Kanpur) on 1-1-1968.

(b) In this accident, no one was killed or seriously injured. However, 11 persons sustained minor injuries.

The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 36,085/

(c) Yes. The accident was due to the breakage of the carriage under-gear.

(d) No.

Looting. Dacoity, Kidnapping and Murder Incidents on Railways

9949. **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of incidents of looting, dacoity, kidnapping and murders on the Western, Eastern, North Eastern and Central Railways since 1960, year-wise;

(b) the value of public and private property looted separately as per reports received by Government; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken by Government against them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) The information is not readily available labour involved in collecting the same will not be commensurate with the results achieved.

Recovery of Fish Plates from Persons in Moradabad

9950. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Police have arrested some persons in Moradabad from whom large number of fish plates were recovered;

(b) the number of persons arrested in Moradabad in this connection during March, 1968; and

(c) the action taken against the arrested persons and the number of fish plates recovered from them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) to (c) Yes. On 6-3-68 a Gangman was arrested and 102 Kilograms CST/9 (Karhai) valued at Rs. 200/- was recovered from his possession. The accused person alongwith the stolen property was sent to police Station Mughalpura as the place of occurrence falls in their jurisdiction. The case is still under police investigation.

समाजवादी देशों के साथ व्यापार

9951. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य मन्त्री 16 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूंजीवादी देशों में स्टर्लिंग और डालर पर दबाव पड़ने के फलस्वरूप होने वाले विपरीत प्रभावों को रोकने के विचार से समाजवादी देशों के साथ व्यापार के सम्बन्ध में कोई नयी नीति अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्रिटेन के पौंड और अमेरिका के डालर पर दबाव का भारत के व्यापार पर अनिवार्यत: कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और इन दोनों देशों के साथ भारत के व्यापार सम्बन्धों की घनिष्टता को देखते हुए समाजवादी तथा अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार की नई नीति बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है। हमारा प्रमुख उद्देश्य विश्व के सभी देशों के साथ अपने निर्यात को बढ़ाना है।

इस्पात का उत्पादन

9952. श्री म० ला० सोंधी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात का उत्पादन हाल में काफी कम हो गया है;

(ख) क्या उत्पादन में यह कमी हिन्दुस्तान स्टील लि० की तुलना में गैर सरकारी कारखानों में अधिक हुई है;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं और उद्योग को कितनी वित्तीय हानि हुई है; और

(घ) सरकार का विचार इस उद्योग को किस प्रकार पुन: सशक्त करने का है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन की मात्रा और प्रकार को निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है :—

(इस्पात पिण्ड का उत्पादन मिलियन टन में)

	1965	1966	1967
निजी क्षेत्र—	2.92	2.93	2.77
सरकारी क्षेत्र (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड)	3.37	3.53	3.45
जोड़	6.29	6.46	6.22

(ग) वर्ष 1966–67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को लगभग 20.5 करोड़ रुपए की हानि हुई। निजी क्षेत्र के दो कारखानों—टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी और इन्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को क्रमश: 7.57 और 5.54 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। चूंकि वर्ष 1967–68 का लेखा-जोखा अभी पूरा नहीं किया गया है अत: इस वर्ष की लाभ-हानि के बारे में कहना संभव नहीं है। फिर भी यह कहना ठीक नहीं है कि वर्ष 1966–67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को जो घाटा हुआ वह केवल उत्पादन में कमी होने के कारण ही हुआ।

वर्ष 1967–68 में उत्पादन में कमी का मुख्य कारण देश में फैली सामान्य मन्दी थी जिसका इन्जीनियरी उद्योगों पर बड़ा प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है जो इस्पात के प्रमुख उपभोक्ता हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और कारणों से जैसे इस्पात कारखानों में श्रमिक अशांति और सरकार द्वारा विकास संबंधी खर्च में कटौती से भी इस्पात के उत्पादन में कमी हुई है।

(घ) उद्योग को सशक्त करने के उपायों का, अर्थ व्यवस्था की वर्तमान मन्दी कर मुकाबिला करने के उपायों से घनिष्ट सम्बन्ध है। सभी इस्पात कारखानों ने बिक्री को बढ़ाने और निर्यात में वृद्धि करने के उपायों को बड़े पैमाने पर अपनाया है। विशेषत: सरकार उत्पादों के विभिन्नीकरण और उसे मांग के अनुकूल बनाने की संभावनाओं की जांच कर रही है। ऐसी आशा है कि इन उपायों के परिणाम-स्वरूप देश और विदेश में इस्पात की खपत बढ़ जायेगी।

अशोधित पेट्रोलियम कोक का निर्यात

9953. श्री स० कु० तापड़िया :

श्री रा० ढो० भण्डारे :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित पैट्रोलियम कोक के निर्यात के सम्बन्ध में तब से लेकर जब से देश में उसका उत्पादन आरम्भ हुआ है, 31 मार्च 1968 तक की अवधि में विदेशी पार्टियों के साथ किये गये करारों का व्यौरा क्या है, विशेषतः इस बात का विवरण दिया जाये कि वे करार किस-किस तारीख को तथा कितनी-कितनी मात्रा के सम्बन्ध में किए गए थे और प्रति मीट्रिक टन निर्यात मूल्य कितना तय किया गया था;

(ख) प्रत्येक करार के सम्बन्ध में इसका निर्यात किया गया और 31 मार्च, 1968 तक यदि कोई निर्यात करना बाकी है, तो कितना;

(ग) निर्यातित प्रति मीट्रिक टन अशोधित पैट्रोलियम कोक पर औसतन कितनी वास्तविक विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने कलकत्ता पत्तन को इस निर्यातित कोक के सम्बन्ध में कोई विलम्ब शुल्क और। अथवा घाट शुल्क दिया था और यदि हां, तो कितना और कितने मीट्रिक टन माल पर; और

(ङ) क्या सरकार ने अप्रैल, 1968 में कोई नये करार किए हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी) संलग्न है जिसमें राज्य व्यापार निगम द्वारा विभिन्न पार्टियों के साथ किये गये करारों के ब्यौरे तथा प्रत्येक करार के अन्तर्गत निर्यात की गई वास्तविक मात्राएं दिखाई गई हैं। मूल्य सम्बन्धी जानकारी बताना निगम के व्यावसायिक हित में नहीं है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 12/8/ 68]।

(ग) कलकत्ता में जहाज तक निःशुल्क माल पहुंचने पर औसत निवल विदेशी मुद्रा-उपार्जन 114 रु० है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं। सरकार ने निश्चय किया है कि वर्तमान में कोई और निर्यात करने की स्वीकृति न दी जाए।

अशोक पेपर मिल्स

9954. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 16 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न सं० 1253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड की अतिरिक्त धन की मांग का मिल प्रबन्धकों या बिहार सरकार से अब पता लगा लिया है या केन्द्रीय सरकार की अपनी एजेंसी द्वारा उसका अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या बिहार सरकार से ऋण दिए जाने के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मिल को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जी नहीं।

Price Guarantee t° Cultivators of Raw Cotton

9955. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is the policy of Government to give price guarantee to the cultivators; and

(b) if so, the recommendations made by the Agricultural Prices Commission in regard to the fixation of floor price for raw cotton which is to be purchased from regulated market to give incentive to the cultivators ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) : In order to assure growers of cotton a reasonable return, support prices for Indian cotton have been fixed for the current season (1967-68) at levels recommended by the Agricultural Prices Commission which are 5 to 10 per cent above the corresponding floor prices of the 1966-67 season.

कम्पनियों को विदेशी मुद्रा

9956. **श्री बे० कु० दासचौधरी:** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) व्यापार बढ़ाने, माल अथवा कच्चे माल का आयात करने के लिए गत पांच वर्षों में (1) कामेटेशन पटेल, बम्बई, (2) रैलिस इंडिया लिमिटेड, (3) मर्करी ट्रैवल्स इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता, (4) मांडय नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड, बंगलौर, (5) श्री रंगा विलास गिनिंग एण्ड स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर, (6) बंगाल ब्रादर्स लिमिटेड, कलकत्ता, (7) ओबराय होटल्स, लिमिटेड (8) ट्रैक्टर्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली. (9) मैटल डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, कलकत्ता, (10) क्लार्क्स होटल, वाराणसी, (11) इण्डिया सोमेंट लिमिटेड, मद्रास, (12) सी०ए० डुल्जे एण्ड कम्पनी, नागपुर और (13) एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, केरल के लिए कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई थी;

(ख) क्या इन फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किए जाने के किसी मामले की सूचना सरकार को मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) व्यवसाय में विस्तार, मशीनों अथवा कच्चे माल के आयात के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा के आंकड़े फर्मवार नहीं रखे जाते और इस लिए मांगी गई जानकारी प्राप्त नहीं है।

(ख) और (ग). (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कुछ कम्पनियों को नियत की गई विदेशी मुद्रा

9957. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यापार विस्तार तथा मशीनों अथवा कच्चे माल का आयात करने के लिए गत चार वर्षों में (1) कोपर्स इन्डिया लिमिटेड कलकत्ता, (2) जे० के० इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता, (3) एन्फील्ड इण्डिया लिमिटेड, (4) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर, (5) अमलगामेटिड कोल फील्ड्स लिमिटेड, (6) बी० एम० साल-गाओकर एण्ड ब्रादर्स, गोआ, (7) फोर्बेस फोर्बेस कैम्पबैल एण्ड कम्पनी लिमिटेड' (8) चौगुले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, गोआ' (9) जूली ब्रादर्स लिमिटेड, बम्बई और स्कोडा (10) इंडिया लिमिटेड, बम्बई को कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई;

(ख) क्या इन कम्पनियों द्वारा इस विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किये जाने के किसी मामले की सूचना सरकार को मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) व्यवसाय में विस्तार, मशीनों अथवा कच्चे माल के आयात के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा के आंकड़े फर्मवार नहीं रखे जाते और इसलिए मांगी गई जानकारी प्राप्य नहीं है।

(ख) और (ग). (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

कुछ कम्पनियों को दी गई विदेशी मुद्रा

9958. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) (1) सदर्न रोडवेज लिमिटेड, मद्रास, (2) ओरियेंट जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (3) बम्बई गैस कम्पनी, बम्बई, (4) बंगाल कारपोरेशन (पी०) लिमिटेड, कलकत्ता, (5) मोदी इंडस्ट्रीज, मोदीनगर, (6) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, (7) सिरसिल्क लिमिटेड, आंध्र प्रदेश, (8) डालमिया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, (9) ओगेल ग्लास वर्क्स लिमिटेड और (10) डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, नई दिल्ली को गत तीन वर्षों में कारोबार के विस्तार के के लिए माल या कच्चे माल के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है;

(ख) क्या इन फर्मों द्वारा इस विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किए जाने के किसी मामले की सूचना सरकार को मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) व्यवसाय में विस्तार, मशीनों अथवा कच्चे माल के आयात के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा के आंकड़े फर्मवार नहीं रखे जाते और इस लिए मांगी गई जानकारी प्राप्य नहीं है।

(ख) और (ग). : (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते ।

कुछ कम्पनियों को नियत की गई विदेशी मुद्रा

9959. श्री अर्जुन सिंह भदोरिया क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में (1) बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता, (2) शा बैलेस एण्ड कम्पनी, मद्रास, (3) जय इंजीनियरिंस वर्क्स, कलकत्ता (4) डब्लू, एच० बेडी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, (5) थैकरसे मूलजी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, (6) नेशनल टोबैको कम्पनी लिमिटेड, और (7) उत्कल मशीनरी लिमिटेड, रूरकेला को व्यापार के विस्तार तथा माल अथवा कच्चे माल के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है;

(ख) क्या इन फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किए जाने के किसी मामले का पता सरकार को लगा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (मुहम्मद शफी कुरैशी) : व्यवसाय में विस्तार, मशीनों अथवा कच्चे माल के आयात के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा के आंकड़े फर्म- वार नहीं रखे जाते और इसलिए मांगी गई जानकारी प्राप्य नहीं है।

(ख) और (ग). (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान सेंन्ट्रल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नांगलोई, दिल्ली

9960. श्री निहाल सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में हिन्दुस्तान सैंट्रल इंडस्ट्री लिमिटेड, नांगलोई दिल्ली को सरकार द्वारा कुल कितनी राशि दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : भूतपूर्व पंजाब वित्त निगम द्वारा 1963 में हिन्दुस्तान सेंट्रल इण्डस्ट्री लि०, नंगलोई को 25,000 रु० की राशि का भुगतान ऋण के रूप में किया गया था।

Public Sector Undertakings

9961. Shri Y. S. Kushwah: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to appoint a committee to go into the causes of losses in Industrial Undertakings in the Public Sector and to suggest ways and means to obviate such losses in future; and

(b) If so, the main features thereof ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir. The working of the Public Enterprises is however kept under constant review for improving profitability.

(b) Does not arise.

कपड़े के मूल्य

श्री म० ला० सोंधी :
श्री वीरभद्र सिंह :

9962. श्री न० कु० सांघी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 2 अप्रैल, 1968 के अतारांकित श्न संख्या 6024 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिल में बनने वाले नियन्त्रित किश्मों के कपड़े के मूल्य को बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या इससे उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो वृद्धि को उत्पादन शुल्क से होने वाली आय में किस हद तक समायोजित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह : (क) से (घ). सूती कपड़े के उत्पादन तथा विपणन के बारे में 1 मई, 1968 को मेरे द्वारा सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Export Price of Rayon Textiles.

9963. Shri Nihal Singh: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is discontentment among the traders about the prices fixed by the State Trading Corporation for the exports of rayon cloth worth 3 crorse of rupees;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to remedy the situation ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No such report has been received by Government . (b) and (c): Do not arise.

Quota of Iron and Steel given to Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir

9964. Shri Nihal Singh: Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) the names of the parties to whom stainless steel quota was given in Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir during the last for years year-wise;

(b) whether the requirements of the parties were kept in view while sanctioning the quota; and

(c) whether any inquiry has been held in regard to the proper use of the quota by the said parties and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) to (c): With effect from April-September, 1961 licensing period, the work relating to allocation of stainless steel Quotas to individual units has been entrusted to the respective State Directors of Industries. The responsibility relating to fixation of quotas to individual units and proper utilisation of the material rests with the State Government authorities.

छोटी कार परियोजना

9965. श्री जार्ज फ़रनेंडीज़ : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर की छोटी कार परियोजना समिति ने प्रधान मन्त्री को एक अभ्यावेदन दिया है, जिसमें उसने छोटी कार परियोजन को नागपुर में स्थापित किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार छोटी कार बनाने वाले कारखाने को नागपुर में या किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) छोटी कार परियोजना समिति नागपुर ने यह मांग की है कि प्रस्तावित छोटी कार परियोजना की स्थापना करने के लिए नागपुर को चुना जाना चाहिए। समिति द्वारा छोटी कार परियोजना को नागपुर में स्थापित किए जाने के लिए बताए गए प्रमुख कारण ये हैं :—

(1) आर्थिक रूप से इससे उस क्षेत्र में इंजीनियरी उद्योगों पर मन्दी के प्रभाव को कम किया जा सकेगा;

(2) औद्योगिक रूप से ऐसा होने से नागपुर और विदर्भ क्षेत्र में सहायक उद्योगों को स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा;

(3) औद्योगिक रूप से नागपुर मध्य में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि तथा आवागमन की सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त होगा;

(4) तकनोकी दृष्टि से परियोजना का कुशलता-पूर्वक संचालन किया जा सकेगा क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में योग्यता प्राप्त तकनीकी व्यक्ति उपलब्ध हैं, और

(5) नागपुर नगर द्वारा एक राज्य की राजधानी की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने के कारण इस परियोजना के नागपुर में स्थापित किए जाने से नागरिकों की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि नागपुर एक उपेक्षित नगर है।

(ग) और (घ). छोटी कार परियोजना समिति, नागपुर ने महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री के जरिए अभ्यावेदन भी दिया था। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री को सूचित कर दया गया है कि परियोजना को नागपुर में स्थापित किए जाने के सुझाव पर अन्य राज्यों से प्राप्त इसी प्रकार के निवेदनों के साथ इस तिपनीर अन्तिम निर्णय हो जाने के पश्चात कि छोटी कार परियोजना कार्यान्वित की जानी है या नहीं, विचार किया जाएगा।

जमालपुर वर्कशाप में खलासी

9966. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व रेलवे के जमालपुर वर्कशाप में कितने खलासी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर हैं;

(ग) क्या उच्चतर वर्गों में पदोन्नति के लिए इन कर्मचारियों से अभ्यावेदन मिले हैं, और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्य वाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 31–12–1967 को 1,524।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, 20–7–1967 को।

(घ) सरकार को संतोष है कि कर्मचारियों की पदोन्नति की वर्तमान सारणि पर्याप्त है। अभ्यावेदन का उत्तर भेज दिया गया है।

मैसर्स कूपर ऐलन कम्पनी, कानपुर

9967. श्री जार्च फरनेंडीज : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कानपुर औद्योगिक कार्मिक संघ ने दिनांक 20 फरवरी, 1968 का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मैसर्स कूपर ऐलन कम्पनी, कानपुर के प्रबन्धक के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाए गए हैं ;

(ख) क्या इन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्री श्री फखरुद्दिन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). धारा 209 (4) के अन्तर्गत एक निरीक्षण का आदेश दिया गया था, एवं निरीक्षकों की रिपोर्ट का, जो अभी ही प्राप्त हुई है, अध्ययन किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान स्टील द्वारा निर्मित माल के मूल्यों का पुनरीक्षण

9968. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील को घाटा होने के कारण क्या उसके द्वारा निर्मित माल के मूल्यों को बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में परिवर्तन का आधार क्या होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी); (क) और (ख). 1 मई 1967 से नियन्त्रण हटाए जाने के पश्चात् मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

रेलवे के स्टालो में बिकने वाली चाय और काफी के मूल्य में वृद्धि

9969. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों के चाय स्टालों और जलपानगृहों में मिलने वाली चाय और काफी की कीमत बहुत बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी की कमी के कारण उपरोक्त मूल्य वृद्धि स्थायी है अथवा अस्थायी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) चीनी, चाय, काफ़ी, दूध जैसी चीजों के मूल्यों और कर्मचारियों की लागत आदि में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण 10-4-68 से चाय और काफी के विक्रय मूल्यों में थोड़ी वृद्धि कर दी गयी है । ये संशोधित मूल्य रेलवे परिसरों के बाहर उसी स्तर के खान-पान संस्थानों में लिये जाने वाले मूल्यों की तुलना में कम है । समय-समय पर मूल्यों की समीक्षा की जायगी ।

विदेशी सहयोग

9970. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या औद्यो गिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्हें विदेशी सहयोग उपलब्ध है;

(ख) इन कम्पनियों की पूंजी कितनी है और प्रत्येक कम्पनी में भारत और विदेशों के अंशों का अनुपात कितना है; और

(ग) क्या विदेशी सहयोगियों को यह गारन्टी दी गई है कि उनके लाभ का अंश उन्हें विदेशी मुद्रा में दिया जायेगा और यदि हां, तो उसके क्या नियम हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1961 से 1967 के वर्षों में विदेशी सहयोग के 2038 मामलों में सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है इनमें से 709 मामले विदेशी पूंजी के बारे में थे ।

(ख) इन 709 मामलों में कुल पूंजी तथा विदेशी पूंजी के आंकड़े अलग-अलग नहीं निकाले गए हैं । फिर भी, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की जनवरी, 1967 के बुलेटिन में भारत में विदेशी विनियोजन का विस्तृत अध्ययन दिया गया है । इन मामलों में से केवल कुछ ही मामलों में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है ।

(ग) सरकार की यह नीति नहीं है कि देश में न रहने वालों को भारत में विनियोजन से हुए लाभ को भारत से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगाए जाएं बशर्ते कि विदेशी विनियोजन के लिए सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है । इस तरह के धन को करों का भुगतान और कुछ औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर लेने के पश्चात निर्बाध रूप से उसे विदेशों को भेजने की अनुमति दे दी जाती है ।

अलौह धातुओं की कमी

9971. श्री न० कु० सोमानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातुओं विशेषतया तांबा तथा जस्ता की अत्याधिक कमी के परिणाम स्वरूप कई उद्योगों को हानि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मालूम है कि प्रतिटन इस्पात बनाने के लिए चालीस-चालीस पौंड तांबें, सीसे तथा जस्ते की आवश्यकता होती है; और

(ग) 1970-71 तक मांग. तथा उपलब्धि में कितना अन्तर हो जायेगा तथा स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । तथापि, अग्रता प्राप्त उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में अलौह धातुओं के आयात करने की अनुमति दी जा रही है । अतः इन धातुओं की कमी के कारण उनके उत्पादन को कोई हानि नहीं पहुंची ।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य संयुक्त राष्ट्र की किस रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं । तथापि, उक्त रिपोर्ट का पता लगाने और उसके अध्ययन के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) विभिन्न अलौह धातुओं की 1970-71 तक की पहली अनुमानित मांग और उपलब्धि के मध्य अन्तर नीचे निर्दिष्ट है :—

धातु का नाम	अनुमानित मांग	देशीय उत्पादन (स्क्रैप उपलब्धि सहित)		अन्तर
		उत्पादन	स्क्रैप उपलब्धि	
		(मैट्रिक टनों में)		
एल्युमिनियम	2,75,000	1,50,000	25,000	1,00,000
तांबा	1,80,000	36,500	10,500	1,33,000
जस्ता	1,17,000	38,000	7,100	72,000
सीसा	1,26,000	3,000	5,000	1,18,000
टीन	9,900	—	—	9,900
निकल	15,000	—	—	15,000

1 अप्रैल, 1969, से आरम्भ होने वाली नई चौथी योजना को रूप देने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने विभिन्न उद्योगों के लिए आयोजन दल स्थापित किये हैं, जिन में से एक अलौह धातुओं के लिए है । इस समय यह दल मांग तथा देशीय उपलब्धि आदि के संशोधित अनुमान तैयार करने के कार्य में संलग्न है । इस प्रकार, अलौह–धातुओं के सम्बन्ध में स्थापित आयोजन दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह उपरिकथित अनुमान पुर्नविलोकनाधीन हैं

देश में अलौह धातुओं का **उत्पादन** बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

1. **एल्युमिनियम**—देश में एल्युमिनियम के लिये वर्तमान स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 115,800 मैट्रिक टन है। 327,500 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता (150,000 मैट्रिक टन सरकारी क्षेत्र में और 177,500 टन निजी क्षेत्र में) स्थापित किये जाने का कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है। 1972-73 तक स्थापित क्षमता को बढ़ा कर प्रतिवर्ष 443,300 मैट्रिक टन तक ले जाने की सम्भावना है।

2. **तांबा**—इस समय देश में केवल एक तांबा प्रद्रावक है जो सिंघभूम (बिहार) के तांबा निक्षेपों पर आधारित लगभग 9,000 मैट्रिक टन वार्षिक धातु का उत्पादन करता है। इस एकक को, जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में है, तांबे के उत्पादन के लिये प्रतिवर्ष 16,500 मैट्रिक टन क्षमता का एक प्रस्फुरण प्रद्रावक स्थापित करने के लिये औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत एक लाइसेंस दिया गया है। 31,000 मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता का एक तांबा प्रद्रावक सरकारी क्षेत्र में खेतड़ी (राजस्थान) में स्थापित किया जा रहा है। इन प्रायोजनाओं के 1971-72 के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, बिहार के राखा क्षेत्र में, आन्ध्र प्रदेश के अग्निगुन्दला क्षेत्र में और राजस्थान के दरीबे क्षेत्र में तांबे के निक्षेपों के विकास के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

3. **सीसा तथा जस्ता**—इस समय देश में एक मात्र सीसा प्रद्रावक टुन्डू (बिहार) में स्थित है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 5,400 मैट्रिक टन वार्षिक है। तथापि प्रद्रावक का वर्तमान् उत्पादन केवल 2,600 मैट्रिक टन के लगभग है। यह प्रद्रावक जावर खानों (राजस्थान) के सीसा-जस्ता निक्षेपों पर आधारित है।

आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित, 20,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता के एक जस्ता प्रद्रावक में, जो कि अलवेई (केरल) में गैर-सरकारी क्षेत्र में है, मई-जून 1967 में उत्पादन आरम्भ हो गया था। ज़ावर (राजस्थान) निक्षेपों पर आधारित 18,000 मैट्रिक टन क्षमता का एक और नया जस्ता-प्रद्रावक हाल ही में सरकारी क्षेत्र में चालू किया गया है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त अयस्कों की उपलभ्य राशि की मात्रा निर्धारित करने के लिये किये जा रहे प्रमाणित करने तथा पूर्वेक्षण के विस्तृत कार्यों से संकेत मिले हैं किये उपलभ्य अन्ततः 75,000 मैट्रिक टन वार्षिक से अधिक धातु उत्पादन को बनाये रख सकते हैं। अलवेई (केरल) प्रद्रावक की क्षमता के प्रतिवर्ष 60,000 मैट्रिक टन तक (दो प्रक्रमों में) विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ एक प्रस्ताव और आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित 30,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक नया जस्ता प्रद्रावक सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

4. **टीन**—इस समय भारत में टीन के आर्थिक दृष्टि से लाभकारी खनन योग्य निक्षेपों का पता नहीं है यद्यपि बिहार के हज़ारी-बाग, रांची और गया जिलों में, गुजरात में हसनीपुरा, मैसूर में धनबाल और राजस्थान में भीलवाड़ा स्थानों पर कुछ छोटे निक्षेपों का पता चला है। ये सभी निक्षेप किसी व्यापारिक मूल्य के नहीं समझे जाते। देश में इस समय प्राथमिक टीन धातु का कोई उत्पादन नहीं होता, यद्यपि रद्दी माल (स्क्रैप)

आदि से गौण टीन धातु की थोड़ी सी मात्रा पुनः प्राप्त की जाती है। इस धातु की आवश्यकताओं की पूर्ति आयात से की जा रही है।

5. निकल—इस समय देश में निकल का कोई उत्पादन नहीं होता और न ही आर्थिक दृष्टि से लाभकारी किसी निक्षेप का पता लगा है। इस धातु की आवश्यकताओं की पूर्ति आयात से की जा रही है।

आलौह धातु खनिजों की खोज :

देश में आलौह धातुओं के क्षेत्र में संभाव्यखनिज संसाधनों को ढूंढने तथा विकसित करने के लिये एक स्वीकृत हवाई सर्वेक्षण और भूमि-अनुपरीक्षण कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी कुडप्पा बेसिन में और बिहार पठार में कुल मिलाकर 120,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किये जाने का विचार है। हवाई सर्वेक्षण के अतिरिक्त, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था लगभग 234 पूर्वेक्षणों के सम्बन्ध में भू-सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लेने की आशा रखती है।

Import of Chemical Fertilizers From U.S.S.R.

9972. Shri Y.S. Kushwah : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether any agreement has been concluded between India and U.S.S.R. under which India would import chemical fertilizers from U.S.S.R. next year.

(b) the quantity to be supplied and the cost per tonne of the said chemical fertilizers on being delivered in India and the rate per tonne at which it would be sold to the farmers; and

(c) how the rates for supply of the fertilizers by U.S.S.R. compare with those of **European** countries ?

The Deputy Minister in the Ministy of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir Under an arrangement concluded on 7-1-1966 projecting the trade between India and U.S.S.R. there are provisions for the import of chemical fertilisers from U.S.S.R. next year, namely, 1969.

(b) The quantity to be supplied will be determined by the quantum of indigenous production in India and the availability from sources other than U.S.S.R. The cost per tonne of the various kinds of chemical fertilisers will also depend on the ruling market prices prevailing at the time of taking out the contracts.

Chemical fertilisers imported from U.S.S.R. will merge into the overall availabilities of these fertilisers both from indigenous and imported sources in the fertiliser pool and the retail prices for sale to the farmers on a "no profit no loss" basis is likely to be as follows :—

(1) Ammonium sulphate (50 kg. packing)	Rs.	513	per tonne
(2) Ammonium sulphate (100 kg. packing)	,,	502	,,
(3) Urea	,,	860	,,
(4) Muriate of Potash	,,	479	,,
			(exgodown at port)

(c) The rates for supply of fertilisers by U.S.S.R. compare favourably with those of European countries.

स्कूटरों का निर्माण

9973. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:
श्री देवराव पाटिल
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस देने वाली समिति ने स्कूटर बनाने का एक अतिरिक्त कारखाना स्थापित करने तथा वर्तमान कारखानों को बढ़ाने के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): लाइसेंस समिति ने एक लघु उप-समिति की नियुक्ति विचाराधीन योजनाओं की विस्तृत जांच करने और उनमें से तीन-चार ऐसी योजनाओं के बारे में जो सबसे अधिक लाभदायक हों, सिफारिश करने के लिए की थी। इस उप-समिति को इसमें कुछ समय लगा क्योंकि इस उप-समिति के सदस्यों में से एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास के दूसरे सम्मेलन से सम्बन्धित कार्य में पहले से व्यस्त था। उप-समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर लाइसेंस समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा।

नीवेली में उत्पादित यूरिया

9974. श्री किरुतिनन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीवेली में कुल कितनी मात्रा में यूरिया का उत्पादन होता है;

(ख) इस यूनिट से कितनी मात्रा में यूरिया थामीजागा अरासु (मद्रास राज्य) को आवंटित किया गया है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग आवंटित करने का निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मार्च 1966 से 28 अप्रैल, 1968, तक की अवधि में उत्पादित यूरिया की कुल मात्रा 1,42,120·880 मैट्रिक टन थी।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान 89,859,000 मैट्रिक टन।

(ग) नहीं, महोदय ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कलमास्सेरी में परीमियर टायर

9975. श्री वासुदेवन नायर : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कलमास्सेरी में परीमियर टायर फैक्टरी में स्कूटर के टायर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और स्कूटर के टायरों का उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस परियोजना से कितने अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स प्रीमियर टायर लिमिटेड, बम्बई का विचार उनके कालामासेरी स्थित कारखाने में प्रतिवर्ष 40,000 स्कूटर के टायर बनाने का है । उत्पादन इसी वर्ष आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ।

(ग) कम्पनी द्वारा उत्पादन में विविधता लाने की दृष्टि से स्कूटर के टायरों का उत्पादन शुरु किया जा रहा है । यद्यपि इससे कुछ अतिरिक्त लोगों को काम में लगाना पड़ेगा किन्तु कर्मचारियों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि की जाने की संभावना नहीं है ।

टाइटेनियम प्रोडक्ट्स त्रिवेन्द्रम

9676. श्री वासुदेवन नायर : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइटेनियम प्रोडक्ट्स, त्रिवेन्द्रम के विस्तार के सम्बन्ध में ब्रिटेन की एक कम्पनी के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस विस्तार-कार्य पर कितना धन व्यय होगा;

(घ) केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कितना अंश देगी; और

(ङ) इस विस्तार-कार्य से कितने अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं । इस विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 625 लाख रु० ।

(घ) केरल सरकार की विस्तार की वित्त व्यवस्था करने के लिए 1967-68 में 30 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया । 1968-69 में केरल सरकार को 30 लाख रुपये का ऋण देने की बजट में व्यवस्था की गई है ।

(ङ) सभी श्रेणियों को मिलाकर 198।

रेलवे के माल डिब्बों से राशन वाली वस्तुओं की चोरी

9977. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के खाद्य विभाग ने इस बात की शिकायत की है कि हाल ही में रेलवे के माल डिब्बों से राशन वाली वस्तुओं की बड़ी मात्रा में चोरियां हुई हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी, हां । अप्रैल, 1968 में पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त शिकायत में यह कहा गया था कि बंगाल को चीनी का जो कोटा दिया गया था उसका 7 से 10 प्रतिशत तक मार्ग में उठाईगीरी के कारण गुम हो गया । पूर्व रेल प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है।

(ग) नीचे लिखे निरोधात्मक उपाय किये गये हैं :—

(i) यार्डों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ii) बार-बार छापे मारे जाते हैं और चोरियों के लिए बदनाम स्थानों पर घात-टुकड़ियों की व्यवस्था की जाती है।

(iii) अपराध सम्बन्धी गति विधिओं के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए सादे कपड़ों में कर्मचारी लगाये जाते हैं।

(iv) वाणिज्यिक विभाग से निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ।

(v) खासतौर पर अनाज ले जाने वाली गाड़ियों में अनुरक्षकों की व्यवस्था की जाती है; और

(vi) कुछ यार्डों में सशस्त्र पहरे की व्यवस्था भी की गयी है।

रेलवे के बिजली कर्मचारियों के अभ्यावेदन

9978. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कार्य एककों के स्थानान्तरण के बारे में रेलवे बिजली कर्मचारियों के अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्य-वाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेल विद्युतीकरण के क्षेत्रकार्य यूनिटों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

कांगड़ा चाय विपणन सहकारी समिति

9979. श्री हेमराज : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा चाय विपणन सहकारी समिति का कार्य हिमाचल प्रदेश के चाय उत्पादकों के हाथ में है तथा वह अफगानिस्तान को चाय का निर्यात करती है;

(ख) क्या उसने सरकार से चाय के निर्यात के बदले वहां से मेवों के आयात के लाइसेंस देने के बारे में अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) कांगड़ा चाय विपणन सहकारी समिति प्रमुखत: कांगड़ा में चाय के उत्पादकों द्वारा बनाई गई एक सहकारी समिति है यद्यपि चाय के वणिक् तथा व्यापारी भी, मतदान अधिकार के बिना, इस के सदस्य बन सकते हैं । समिति स्वयं चाय का निर्यात नहीं करती ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चाय सहित अनुमेय मदों के निर्यात के बदले अनुमोदित आयातकों को अफगानिस्तान के फल तथा मेवे आयात करने के लिए लायसंस पहले से ही दिये जा रहे हैं । चालू नीति के अन्तर्गत अफगानिस्तान को अपरम्परागत मदों का निर्यात करने वाले निर्यातक भी अफगानिस्तान के मेवे अयात करने के पात्र हैं । 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान भारत से अफगानिस्तान को किये जाने वाले चाय के कुल निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है और सरकार वर्तमान नीति में संशोधन करने का कोई कारण नहीं समझती ।

प्रथम श्रेणी के रेलवे अधिकारियों द्वारा सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में ज्ञापन

9980. श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री अजमल खां :
श्री वीरेन्द्रनाथ देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम श्रेणी के रेलवे अधिकारियों ने रेलवे प्राधिकारियों को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनका ध्यान रेलवे प्रशासन और दूसरे सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में बढ़ती हुई असमानता की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

Licensed Coolies and Vendors at Railway Stations

†9981. Shri A. S. Saigal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no legal protection has been provided to safeguard the interests of licensed coolies and vendors working at railway stations; and

(b) if not, the details thereof ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b). A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-1219/68.]

Leather Factory in Tonk, Rajasthan

9982. Shri Jamna Lal : Will the Minister of Industrial Development and company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a leather factory in Tonk, Rajasthan;

(b) if so, when it is likely to be set up;

(c) the reasons for which the said factory has not been set up so far;

(d) whether it would be set up in public sector or in private sector; and

(e) the amount likely to be invested thereon by the Central and State Governments separately ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed : (a) Government of Rajasthan propose to establish a tanning unit in TONK, Rajasthan.

(b) and (c). The project is still in the planning stage, as the Yugoslavian Collborators have not yet furnished details of the machinery required for the project.

(d) The unit is proposed to be set up in the public sector.

(e) The entire expenditure of about Rs. 1 crore on the project will be met by the State Government.

कोयले का निर्यात

9983. श्री नीतिराज सिंह चौधरी क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला के बढ़ते भंडारों को कम करने के लिये, लंका, बर्मा और पाकिस्तान को छोड़कर, अन्य देशों को कोयला के निर्यात की दीर्घकालीन सम्भावना के अध्ययन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). जी, नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । परन्तु जापान, हांगकांग, सिंगापुर, सूडान तथा संयुक्त अरब गणराज्य जैसे देशों को कोयले को निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

नरसिंहपुर जिले में खनिजों का सर्वेक्षण

9984. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या इस्पात, खान और धातु मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिंपुर जिले का सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां किन खनिजों की खोज की गई है तथा वे अनुमानतः कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसका शीघ्र सर्वेक्षण किया जायेगा क्योंकि यहां पर लोहा, कोयला, चूने का पत्थर तथा तांबा जैसे बहुत से खनिज उपलब्ध हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). हां, महोदय । भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा नरसिंपुर जिले के कुछ भागों में भू-वैज्ञानिक मानचित्रण, प्रारंभिक खनिज निर्धारण और टोह सर्वेक्षण किये गये हैं और चालू क्षेत्र-कार्य मौसम के दौरान भी यह कार्य अभी प्रगति पर है । किये गये सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है कि एस्वेस्टास, लोह-अयस्क और तांबे के निक्षेप उत्साहवर्धक नहीं है । तांबे के लिये अभिस्तावित भू-भौतिकी कार्य भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा यथा-समय हाथ में लिया जायेगा । फ्लक्स श्रेणी के चूना पत्थर, डोलोमाइट, और सेलखड़ी के निक्षेप पाये जाने का भी पता चला है । लौह-अयस्क के लिये हित्थानपुर में दिलहौर, चूना पत्थर के लिये चन्दलोन, कोयले के लिये मोहपानी में गोतितोरिया नामक स्थानों पर व्यधन के द्वारा कार्य प्रगति पर है ।

आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड

9985. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड ने बहुत-से व्यक्तियों को उनके आविष्कारों के लिये पुरस्कार दिये हैं;

(ख) क्या सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लाभ के लिये दिल्ली में उन आविष्कारों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली तथा अन्य बड़े-बड़े नगरों में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिससे उद्योगपतियों में आविष्कारों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Memorandum From All India Guards' Council, Bikaner Division

9986. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum submitted by the All India Guards' Council Bikaner Division in regard to their demands; and

(b) if so, what are their demands and the action taken thereon?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes Sir.

(b) The resolutions passed by the Bikaner Divisional Meeting of the All India Guards' Council, besides reiterating the demands of the All India Guards' Council relating to Pay Scales etc. contained also certain resolutions of local nature.

In so far as the general issues are concerned, these demands have been examined by the Government but were not considered justified except that a review relating to running allowance was considered necessary. A committee has been appointed to review the Rules and rates of running allowance of all categories of running staff (including Guards) and their report is expected by the end of May, 68.

In regard to the other local grievances no action is specifically considered necessary as there are two recognised Unions functioning on the Northern Railway who discuss local issues with the Railway Administration in their meetings under the Permanent Negotiating Machinery.

टेलीफोन आपरेटरों की पदालि

9987. श्री यशपाल सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन आपरेटरों की पदालि को, जिसे पहले लिपिकों की पदालि के साथ जोड़ दिया गया था, पृथक् कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन टेलीफोन आपरेटरों का भविष्य क्या होगा जो अब नियुक्त किये गये हैं और जिन्हें इस नई नीति के कारण ही अपनी पदोन्नतियां नहीं मिल सकेंगी ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) टेलीफोन आपरेटर 110—180 रुपये के ग्रेड वाले क्लर्कों में से लिये जाते हैं और केवल 210—380 रु० के ग्रेड तक उनका पृथक् संवर्ग रहता है।

(ख) पुनर्गठन टेलीफोन केन्द्रों में कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि अनुभवी टेलीफोन आपरेटरों का उच्चतर ग्रेड वाले क्लर्कों के रूप में तरक्की पर, स्थानान्तरण हो जाने पर कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता था।

(ग) टेलीफोन आपरेटर, टेलीफोन परिचालन विभाग में 210—380 रु० तक के उच्चतर ग्रेड के पदों पर और उसके पश्चात् उच्चतर ग्रेड के क्लर्क के पदों पर तरक्की पाने के हकदार हैं। दोनों ओर उच्चतर ग्रेड के पदों का प्रतिशत एक जैसा होने के कारण उनकी पदोन्नति के अवसरों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

Fire In Telephone Exchange of D. S. Office, New Delhi

9988. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fire had broken out in the Telephone Exchange of the Divisional Superintendent's Office, New Delhi 4 months back;

(b) if so, the amount of loss sustained by the Railway Department as a result thereof;

(c) whether the causes of the fire have been ascertained; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b), (c) & (d). As the Telephone Exchange belonged to the Posts and Telegraph Department under the Ministry of Communications, the Railway did not suffer any loss. An enquiry in this case was reported to have been conducted by the P & T authorities and it is understood that no responsibility could be fixed. The cause of fire was not intimated to the Railway Administration.

तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों का द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिये चयन

9989. श्री बूटा सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) ट्रांसपोर्टेशन तथा कमर्शियल में पदोन्नति परीक्षा का परिणाम इन्टरव्यू की तिथि से दो महीने से भी अधिक अवधि के बाद अन्तिम रूप से बनाया गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार जिस परिणाम की घोषणा की गई वह चयन समिति द्वारा तैयार किये गये परिणाम से भिन्न है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र

9990. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उन इस्पात संयंत्रों की दशा में जिन्हें हाल ही में मन्दी के कारण घाटा उठाना पड़ा था, अब सुधार हो रहा है;

(ख) क्या भारत रूस को प्रति वर्ष पांच लाख टन तैयार इस्पात और तीन लाख टन कच्चा लोहा सप्लाई करने की स्थिति में हो जायेगा; और

(ग) क्या रकार इस्पात पर से पूरी तरह नियन्त्रण हटाने का विचार कर रही है;

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ऐसा कोई निश्चित संकेत नहीं मिला है जिस से कहा जा सके कि अब सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने मंदी के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस्पात के भावी मूल्य और वितरण की नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है और अभी तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

केरल में टाइटेनियम उद्योग समूह

9991. श्री वासुदेवन नायर : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में टाइटेनियम उद्योग समूह स्थापित करने के लिये लाइसेंस लेने हेतु दिया गया कोई आवेदन-पत्र लाइसेंस वाले प्राधिकारी के पास अनिर्णीत पड़ा है;

(ख) यदी हां, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि आशय-पत्र शीघ्र जारी किया जाये ताकि इस उद्योग समूह को स्थापित करने में और देरी न हो; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। भारत सरकार को केरल राज्य में टिटेनियम उद्योग समूह की स्थापना करने के लिये लाइसेंस मंजूर करने हेतु तीन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार इन प्रस्तावों की जांच कर रही है।

रबड़ के मूल्य

9992. श्री वासुदेवन नायर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों की अधिकतम सीमा को हटाने के लिये रबड़ बोर्ड से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ का आयात

9993. श्री वासुदेवन नायर :
श्री दामानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है कि वर्ष 1968-69 में रबड़ के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक आयात के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। 1968-69 में रबड़ की वस्तुएं बनाने वाले उद्योग द्वारा रबड़ की कुल अनुमानित आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक और संश्लेषित रबड़ दोनों की कुल स्वदेशी उपलब्धि का सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

पटसन और रुई के व्यापार के लिए राज्य निगम

9994. श्री दामानी :
श्री देवराव पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन और रुई के व्यापार के लिये राज्य निगमों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग). सरकार ने पटसन तथा रुई के लिये अलग-अलग दो निगम स्थापित करने का निर्णय सिद्धान्तः कर लिया है । रुई तथा पटसन की खरीद तथा सुरक्षित भंडार परिचालन का कार्य उनके सम्बद्ध निगमों द्वारा किया जायेगा । ब्यौरे तैयार करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया जा रहा है ।

'सेफ्टी ग्लास' के निर्माता

9995. श्री काशीनाथ पाण्डेय : श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री महाराज सिंह भारती : श्री विद्याधर बाजपेयी :
श्री बे० कु० दास चौधरी : श्री कु० मा० कौशिक :
श्री रा० बरुआ :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेफ्टी ग्लास निर्माताओं' ने 11 मार्च, 1968 को कोई अभ्यावेदन दिया था कि सेफ्टी ग्लास उद्योग की क्षमता न बढ़ाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स लि० कलकत्ता के पास से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) निरापद कांच (सेफ्टी ग्लास) का निर्माण उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता है । जहां तक कि शीट ग्लास जिससे वह तैयार किया जाता है उससे भी लाइसेंस हटा दिया है ।

इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट, कानपुर

9996. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट कानपुर को बन्द करने तथा सभी कर्मचारियों की छटनी करने का आदेश दिया है;

(ख) क्या इससे छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखानों को हानि पहुंचने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता में चाय क्रय बोर्ड

9997. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक सरकार का विचार कलकत्ता में चाय क्रय बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप चाय का निर्यात बढ़ने की संभावना है; और

(ग) इससे विदेशी मुद्रा कि कितनी आय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस स्थिति में यह बताना कठिन है कि कलकत्ते में एक चाय क्रय संगठन की स्थापना करने के ईराक सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप ईराक को भारत की चाय के निर्यात में कितनी सीमा तक वृद्धि होगी और उससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कितनी वृद्धि होगी ।

उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम रेलवे की सिग्नल दूर संचार शाखा में रेलवे कर्मचारी

9998. श्री क० कृ० नायर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन, काल आदि के प्रयोजन के लिये क्रमशः उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम रेलवे की सिग्नल तथा दूर संचार शाखाओं में किन-किन श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को मान्यता दी गई;

(ख) इन रेलों में पृथक-पृथक प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में छुट्टी रिजर्व के लिये नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशतता क्या है;

(घ) प्रत्येक श्रेणी में छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की वास्तविक संख्या क्या है; और

(ङ) उनकी संख्या निर्धारित संख्या के बराबर कब तक करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Import of Fruit from Afghanistan

9999. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Kashi Nath Pandey :
Shri Virbhadra Singh :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fruit worth crores of rupees is being imported from Afghanistan through Pakistan on fake licences;

(b) whether any negotiations have been held with the Governement of Afghanistan in this regard; and

(c) if so, what is their reaction ?

The Deputy Minister In The Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No, Sir. No such case has come to the notice of the Government.

(b) and (c). Do not arise.

उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता

10000. श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पालिटिक्स तथा इकानामिक्स, पूना द्वारा किए गए अध्ययन से मालूम हुए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता का कोई अनुमान सरकार ने लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Licensing of Textil Mills

10001. Shri Y. S. Kushwah: Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government propose to exempt licensing the textile mills having up to 25,000 spindles;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the criteria proposed to be adopted for licensing; and

(d) the likely effect on the production of cloth ?

The Deputy Minister In The Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (d). Whether installation of new spindleage should be allowed is under examination by Government.

Accident Near Barwaha Station

10002. Shri Y. S. Kushwah: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that after making an inquiry into the accident involving a goods train near Barwaha Railway Station of the Western Railway, the experts offered some suggestions concerning axles for preventing accidents in future; and

(b) if so, the details thereof and the extent to which they have been implemented ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. (b) Does not arise.

M29LSS(CP)/68

मथुरा और वृन्दावन के बीच मोटर लाइन

10003. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा और वृन्दावन के बीच मोटर लाइन को हटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वृन्दावन को मध्य दक्षिण तथा पश्चिम रेलवे की किसी मुख्य लाइन से मिलाने का कोई प्रस्ताव है जिससे हिन्दू तीर्थयात्री तथा विदेशी पर्यटक इस स्थान की बिना किसी कठिनाई के यात्रा कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). इस लाइन को बन्द करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

यालविगी तथा भरवारी स्टेशनों पर दुर्घटनायें

10004. श्री आगाड़ी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर यालविगी तथा इलाहाबाद के निकट भरवारी स्टेशनों पर हुई रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को प्रधान मंत्री सहायता कोष से कोई राशि दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का दान दिया है तथा इस राशि की घोषणा किन तिथियों को की गयी थी ।

(ग) क्या दोनों दुर्घटनाओं में हताहतों के बीच इस राशि के वितरण के बारे में कोई विशेष निर्देश दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उस धनराशि को कैसे बांटा गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). हाल की रेलवे दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता देने के लिए प्रधान मंत्री ने 1-4-68 को राष्ट्रीय सहायता कोष से 50,000 रुपये की रकम मंजूर की थी ।

इस रकम में से यालविगी, भरवारी, लखीसराय स्टेशनों और वेंकटाचलम् और मनुबोलु स्टेशनों के बीच के समपार पर हुई दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों तथा घायल व्यक्तियों को बांटने के लिए दक्षिण, उत्तर, पूर्व और दक्षिण-मध्य रेलों के महाप्रबन्धकों को क्रमश: 20,000, 12,000, 10,000 और 8,000 रुपये दिये गये ।

Quota of Corrugated Sheets to U.P.

10005. Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of **Steel, Mines And Metals** be pleased to state :

(a) the quota of corrugated white sheets given to Uttar Pradesh and other States respectively during each of the year from the 1st January, 1957 to 31st March, 1968;

(b) the quantity and gauge of plain G.P. sheets allocated to each of the States during the above period; and

(c) the quota allocated for various items of agricultural development, industrial development and planning out of that and the price of those sheets per tonne ?

The Minister of State In The Ministry of Steel, Mines & Metals (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). The Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Industries In U. P.

10006. Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of **industrial Development And Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to set up some large scale industries in Uttar Pradesh;

(b) if so, the names of the said industries and the Districts in which such industries are proposed to be set up;

(c) the names of industries and the places where industries are running under the Central Government in Uttar Pradesh at present and the names of the articles manufactured by them; and

(d) whether industries are proposed to be set up in any District in Eastern U. P. ?

The Minister of Industrial Development And Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) Yes, Sir.

(b) The names of the industries to be set up are given below :—

Name of the Project	*District*
(1) Heavy Pump and Compressors	Allahabad
(2) Foundry Forge (Subsidiary Plant of Heavy Electricals)	Saharanpur
(3) Tractors Manufacturing Plant	Varanasi
(4) Triveni Structurals	Allahabad
(5) Accelerated Drying Freeze	Agra
(6) Mechanised Foot Wear Factory	Kanpur
(7) Bakery Plant	Kanpur

(8) Machine Tools Factory	Location not yet decided.
(9) Cement Factory	-do-
(10) Telephone Factory	-do-
(11) Newsprint Factory	-do-

(c) The industrial undertakings under the administrative control of the Central Government are the following :—

Industry	*Plant*	*Articles Manufactured.*
(1) Antibiotics Factory	Rishikesh (Dehradun)	Antibiotic Products.
(2) Heavy Electricals	Hardwar (Saharanpur)	Electrical Machinery & Components.
(3) Fertilizer Factory	Gorakhpur	Chemical Fertilizers.
(4) Diesel Locomotives	Varanasi	Diesel Locomotives
(5) Singrauli Coal Fields	Singrauli (Mirzapur)	Coal Mining.

(d) None excepting those mentioned against (b) and (c).

दक्षिण मध्य रेलवे जोन

10007. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिकन्दराबाद में नये दक्षिण मध्य रेलवे जोन की स्थापना मंजूर करते समय यह निर्णय किया गया था कि दक्षिण रेलवे, मद्रास और मध्य रेलवे बम्बई, के संघटक डिवीजनों के कर्मचारियों को सिकन्दराबाद में खुलने वाले नये दक्षिण मध्य रेलवे ज़ोन में लगा लिया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिकन्दराबाद में स्थापित हुए नये दक्षिण-मध्य रेलवे ज़ोन म सेवा करने के विकल्प सब रेलवे ज़ोनों के सब कर्मचारियों को दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं, जिसका दक्षिण रेलवे, मद्रास तथा मध्य रेलवे, बम्बई के संघटक डिवीजनों के कर्मचारियों के न्यायोचित हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). दक्षिण मध्य रेलवे के बनने से पूर्व इसमें शामिल किये जाने वाले मण्डलों के अराजपत्रित कर्मचारियों को इस बात का विकल्प देने के लिए कहा गया था कि वे या तो :

(i) जहां कहीं काम कर रहे हों करते रहें; या

(ii) नयी रेलवे के किसी अन्य मण्डल या मुख्यालय में स्थानान्तरण करा लें; या

(iii) अवशिष्ट मध्य रेलवे या दक्षिण रेलवे में, जैसी स्थिति हो, स्थानान्तर करा लें ।

मध्य तथा दक्षिण रेलवे के अन्य मण्डलों और साथ ही अन्य क्षेत्रीय रेलों के अराजपत्रित कर्मचारियों को भी दक्षिण मध्य रेलवे में स्थानान्तरण का विकल्प देने के लिए कहा गया था । अत: किसी विनिश्चय को बदला नहीं गया ।

दक्षिण मध्य रेलवे ज़ोन

10008. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे ज़ोन की स्थापना के लिये, जिसका मुख्यालय सिकन्दराबाद में होगा, वर्ष 1968-69 के अन्त तक परियोजनावार कुल कितना धन नियत किया गया;

(ख) कर्मचारियों के क्वार्टरों और नये प्रशासनिक भवन के निर्माण और भूमि के अर्जन पर अब तक परियोजनावार मूल कुल कितना धन खर्च हुआ है और अब तक प्रत्येक परियोजना के काम में कितनी वास्तविक प्रगति हुई है; और

(ग) यह नया रेलवे ज़ोन स्थापित करने का निर्णय किन लाभों को ध्यान में रखकर किया गया था?

रेलवे मंत्री (श्री० चे० मु० पुनाचा) :

(क) क्वार्टरों का निर्माण	2.52 करोड़ रुपये
प्रशासन की नयी इमारत और कार्यालय सम्बन्धी अन्य आवास	1.24 " "
भूमि की खरीद	0.10 " "
जोड़	3.86 करोड़ रुपये

(ख) अब तक किया गया खर्च :—

क्वार्टरों का निर्माण	2.39 करोड़ रुपये
प्रशासन की नयी इमारत और कार्यालय सम्बन्धी अन्य आवास	0.78 " "
भूमि की खरीद	0.07 " "
जोड़	3.24 करोड़ रुपये

प्रत्येक परियोजना की वास्तविक प्रगति :—

क्वार्टरों का निर्माण	98 प्रतिशत
प्रशासन की नयी इमारत और कार्यालय सम्बन्धी अन्य आवास	43 प्रतिशत
भूमि की खरीद	75 प्रतिशत

(ग) परिचालन और प्रशासनिक कुशलता के हित में इससे पूर्व की मध्य और दक्षिण रेलों के क्षेत्र से दक्षिण मध्य रेलवे बनायी गयी है क्योंकि इन रेलों पर काम का बोझ बहुत अधिक था।

श्रीकाकुलम जिले में भूमिगत जल का सर्वेक्षण

10009. श्री क० नारायण राव : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हाल में भूमिगत जल का सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). हां, महोदय । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण ने प्रकट किया है कि अमुदालावलसा और सालूर क्षेत्रों में बड़े व्यास के खुले कूपों तथा फिल्टर पाइंट कूपों और उड्डानम क्षेत्र में साधारण उपज के वेध-कूपों और छिपुरापल्ली क्षेत्र में खुले बड़े कूपों का खोदना सम्भव है ।

स्टील का फर्नीचर

10010. श्री क० नारायण राव : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील के विक्रय में मंदी होने के बावजूद स्टील के फर्नीचर के निर्माण के लिये अपेक्षित इस्पात की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). मुख्यत: स्टील फर्नीचर उद्योग की आवश्यकता 16 गेज और उससे पतली चादरों की होती है । चपटे माल जैसे चादरों और प्लेटों की देश में कमी है और इनकी मांग सप्लाई से बहुत अधिक है । बाज़ार में केवल गैर चपटे माल जैसे छड़ों, गोल छड़ों और ढांचों में मन्दी आई है न कि चपटी किस्म के माल में, जिस की स्टील फर्नीचर उद्योग को आवश्यकता है ।

तिरुनेलवेलि जंकशन के रेलवे फाटक पर उपरिपुल

10011. श्री जैवियर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेलि जंकशन में रेलवे फाटक पर एक उपरिपुल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक काम आरम्भ होने की संभावना है;

(ग) इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया गया है; और

(घ) इस उपरिपुल के कब तक तैयार होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). जनवरी, 1967 में मद्रास सरकार ने अस्थायी तौर पर तिरुनेलवेलि में वर्तमान समपार की जगह एक उपरी सड़क-पुल बनाने का प्रस्ताव रखा था और तदनुसार रेलवे ने सामान्य-व्यवस्था से सम्बन्धित योजना तैयार करके सितम्बर, 1967 में राज्य सरकार को भेज दी थी।

लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक किसी ठोस निर्णय की सूचना नहीं दी है और इसलिए इस योजना पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। जैसे ही राज्य सरकार अन्तिम निर्णय कर लेगी और इस काम की लागत में सड़क-प्राधिकरण के हिस्से की रकम की व्यवस्था करने के साथ-साथ इस काम को दी जाने वाली आवश्यक प्रथमता के बारे में सूचना दे देगी, रेल प्रशासन पुल संरचना में अपने हिस्से का काम पूरा करने के लिए तदनुरूप उचित कार्रवाई करेगा।

सितार का निर्यात

10012. श्री प्र० के० देव :
श्री रा० सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र नाथ देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत प्रति वर्ष सितार का कितना निर्यात कर रहा है;

(ख) उनका निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग). सितारवाद्यों के निर्यात के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 (अप्रैल 1967 से जनवरी 1968) में तंत्रीवाद्य (जिनमें सितार भी शामिल है) का देशवार निर्यात दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1220/68]**

दिल्ली में स्कूटर-टायरों की कमी

10013. श्री म० ला० सोंधी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को केवल 200 स्कूटर-टायरों का कोटा दिया गया है जब कि उसे प्रति माह 5000 टायरों की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) क्या स्कूटर-टायरों की खरीद सम्बन्धी प्रतीक्षा सूची में लगभग 70,000 व्यक्तियों के नाम पहले ही दर्ज हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राजधानी के लिये पर्याप्त संख्या में कोटा बढ़ाने तथा उसका समुचित वितरण सुनिश्चित करने का है;

(घ) इतनी अधिक कमी के क्या कारण हैं और क्या निर्माताओं की ओर से कुछ कदाचार होता है; और

(ङ) यदि हां, तो स्कूटर-टायरों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जी, नहीं । दिल्ली प्रशासन ने स्कूटर टायरों की वार्षिक आवश्यकता 68,000 प्रति वर्ष आंकी है अर्थात लगभग 5000 टायर प्रति मास । यह कुछ अधिक समझी जाती है । अनुभव किया जाता है कि दिल्ली की आवश्यकता लगभग 2,000 टायर प्रति-मास के हिसाब से पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकती है और टायर उत्पादक भी इतना सम्भरण करने के लिए राज़ी हो गये हैं । 1967 की प्रथम छमाही में दिल्ली को 6,580 स्कूटर टायरों का संम्भरण किया गया था और कोई कमी अनुभव नहीं की गई थी । 2,000 स्कूटर टायरों का प्रस्तावित मासिक सम्भरण से दिल्ली में स्कूटर टायरों की कमी पर पर्याप्त रूप से काबू पा लिये जाने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त दो अन्य टायर कम्पनियों जैसे मैसर्स गुड इयर इण्डिया लिमिटेड और मैसर्स प्रीमियर टायर्स लिमिटेड द्वारा क्रमशः जुलाई, 1968 तथा 1968 के अन्त में स्कूटर टायरों के निर्माण शुरू करने का आयोजन किया गया है । आशा है कि इन दो कम्पनियों से स्कूटर टायर मिल जाने पर दिल्ली में इन का सम्भरण बढ़ जायगा ।

दिल्ली प्रशासन ने वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए टायरों की पूर्ति का नियमन करने के लिए पहले ही कदम उठा रखे हैं ।

(घ) तथा (ङ): स्कूटर टायरों की कमी मुख्य रूप से मैसर्स फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेड लिमिटेड जो देश के प्रमुख टायर उत्पादन करने वाले कारखानों में से एक है के कारखाने में काफी समय से चले आ रहे मजदूरों के झगड़े तथा 1967 में स्कूटरों का अप्रत्याशित अधिक उत्पादन होने के कारण हुई है । विद्यमान क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पग उठाए गए हैं । मोटर गाड़ी के टायरों के लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक भी हटा दी गयी है । स्कूटर निर्माताओं को उनकी तीन महीने की आवश्यकता पूरी करने के लिए टायरों का आयात करने की अनुमति दे दी गई है । दिल्ली में छुट-पुट समस्याओं जैसे वर्तमान कमी आदि को दूर करने के कदम उठाए गए हैं । उत्पादकों को उन के दिल्ली स्थित शाखा कार्यालयों के जरिए दिल्ली में स्कूटर टायरों का सम्भरण बढ़ाने के लिए कहा गया है । कार तथा स्कूटर टायरों की कमी शीघ्र ही दूर हो जायगी । क्योंकि फायरस्टोन कारखाने ने उत्पादन पुनः आरम्भ कर दिया है और अन्य दो कम्पनियों ने भी स्कूटर टायरों का उत्पादन इस वर्ष से आरम्भ करने का आयोजन किया है ।

संकटग्रस्त सूती कपड़ा मिलें

10014. श्री म० ला० सोंधी : क्या वाणिज्य मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8292 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र निगम द्वारा कितनी सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध हस्तगत करने का प्रस्ताव है;

(ख) बन्द मिलों का प्रबन्ध हस्तगत करने के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई है; और

(ग) सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए अनुमानतः जो 400 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्यकता है उसको वस्त्र निगम का किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य उन बन्द कपड़ा मिलों की संख्या जानना चाहते हैं जिनको राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा लिये जाने का विचार है । निगम केवल ऐसी सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध करेगा जो उसे प्रबन्ध के लिये सरकार द्वारा सौंपी जाएं ।

2. केवल वे सूती कपड़ा मिलें, जिन पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18-ए के उपबन्ध लागू होते हों, जांच के पश्चात, जैसी कि अधिनियम में व्यवस्था है सरकार द्वारा अधिकार में ली जाती हैं; यदि उन्हें सीमित वित्तपोषण से उचित समय में अर्थक्षम बनाया जा सकता है ।

3. वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण को आरम्भ को करने के लिये निगम को अधिकृत नहीं किया गया है । यह अपने कार्य-कलापों को उन कमजोर मिलों के नवीकरण तथा पुनः स्थापन तक ही सीमित रखेगा जो प्रबन्ध के लिये उसे भारत सरकार द्वारा सौंपी जाएं ।

पूर्व रेलवे के परिवहन तथा वाणिज्यक विभाग के अधिकारी

10015. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के परिवहन (यातायात) तथा वाणिज्यक विभाग और उत्तर रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारी विभाग के उन अधिकारियों का विवरण क्या है जिन्हें भारत सरकार के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर काम करते हुए स्थायी बनाया गया है और जिन्हें सम्मानार्थ प्रति वर्ष पास दिय जाते हैं यद्यपि उन्होंने रेलवे में उस तिथि को जब रेलवे सेवा से उनका पूर्वाधिकार लियन समाप्त किया गया था, 15 वर्ष की नौकरी पूरी नहीं की थी;

(ख) क्या ऐसा लाभ विभिन्न रेलवे के उन अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को दिया गया है जिन्हें अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर काम करते हुए राजपत्रित पदों पर स्थायी बनाया गया है और जो स्थायी बनाये जाने के समय 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके थे;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1221/18]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जिन अधिकारियों का उल्लेख उपर्युक्त विवरण में किया गया है उन्हें सरकार द्वारा किए गये तदर्थ विनिश्चय के अनुसार, विशेष मामले के रूप में, मुफ्त पासों की रियात दी गयी थी। ऐसा इस उद्देश्य से किया गया था कि लोक सभा सचिवालय को इन अधिकारियों का रेलवे का अनुभव उपलब्ध हो सकेगा।

त्रिपुरा में कागज का कारखाना

10018. श्री माणिक्य बहादुर : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि त्रिपुरा मुख्यतः बांस पैदा करने वाला क्षेत्र है नेशनल इंडस्ट्रियल डीवेल्पमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अप्रैल, 1965 में ही प्रति दिन 50 टन की क्षमता वाला कागज का एक सरकारी कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय करने में देरी होने के क्या कारण थे;

(ग) क्या त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र आर्थिक और औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए राज्य में एक कारखाना स्थापित करने की योजना को वरीयता वाली परियोजना के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस काम के लिये योजना के अन्तर्गत कितना धन नियत किया जा रहा है तथा परियोजना को क्या वरीयता दी जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने त्रिपुरा में कागज मिल की एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उसने 50 मीट्रिक टन प्रति दिन की क्षमता वाला कागज का एक संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना प्रकट की है।

(ख) और (ग). कागज उद्योग एक अत्यधिक पूंजी वाला उद्योग है और 100 मीट्रिक टन प्रति दिन से कम क्षमता वाला संयंत्र विशेष रूप से रुपये का अवमूल्यन हो जाने के बाद से चल सकने योग्य नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले कागज संयंत्र अधिकतर त्रिपुरा में स्थापित होने के कारण अन्य स्थानों के उत्पादों की खपत दूर की जगहों में होगी जहां ले जाने में काफी खर्च होगा। जिसका परिणाम यह होगा कि उन्हें उन मिलों से प्रतिद्वंदिता करना मुश्किल हो जायेगा जो उपभोक्ता केन्द्रों के निकट स्थित है। यदि कठिनाई को दूर करने का कोई उपाय निकाल भी लिया जाता है तो भी त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र में कागज की परियोजना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करते समय पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्दर ही इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखना पड़ेगा।

त्रिपुरा में रेलवे लाइनें

10019. श्री माणिक्य बहादुर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश तथा प्रत्येक राज्य का औसत क्षेत्र और जनसंख्या कितनी है कि जिसमें रेलवे लाइन की प्रतिकिलोमीटर आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और वे आंकड़े त्रिपुरा के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में रेलवे संचार पूरे देश की तुलना में बहुत कम है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई लाइनें बिछाने के लिये धन उपलब्ध करने के लिये और वर्तमान लाइनों को बढ़ाने के लिये चौथी-योजना में क्या आधार है; और

(घ) क्या त्रिपुरा में कम से कम अगरतला तक वर्तमान कम दूरी वाली लाइन को आगे बढ़ाया जायेगा और अगली चौथी योजना में उसके लिए धन नियत किया जायेगा और यदि नहीं, तो किन कारणों से ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). कुल मिलाकर सभी रेलों के लिए प्रति एक हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और प्रति एक लाख जन संख्या के हिसाब से रेलवे लाइनों की मार्ग किलोमीटर संख्या क्रमशः 18.03 और 11.84 है। रेलवे लाइनों की लम्बाई के बारे में सूचना केवल अलग-अलग रेलों के अनुसार संकलित की जाती है न कि राज्यों के अनुसार।

(ग) नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए साधन बहुत ही सीमित ह और इसे देखते हुए परियोजनाओं का चुनाव उनकी सामारिक आवश्यकताओं के लिए, प्रमुख उद्योगों और बन्दरगाहों के पश्च प्रदेश के विकास के लिये तथा खनिज पदार्थों के दोहन या निर्यात, आदि की अग्रताओं के अनुसार किया जाता है, न कि मुख्य रूप से जनसंख्या या उन लाइनों द्वारा सेवित क्षेत्रफल के आधार पर।

(घ) अर्थोपाय की कठिन स्थिति के कारण इस लाइन को चौथी योजना में शामिल किये जाने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि यह लाइन किसी भी अग्रता के अन्तर्गत नहीं आती।

त्रिपुरा में पटसन की मिल

10020. श्री माणिक्य बहादुर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी फर्म से पिछले वर्ष त्रिपुरा में 150 करघे वाली पटसन मिल स्थापित करने का प्रस्ताव मिला था;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में कुल कितनी क्षमता स्थापित किये जाने का विचार है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार का विचार वर्ष 1968-69 में त्रिपुरा में एक पटसन मिल स्थापित करने के लिये कुछ रियायतें देने का है जिन में आवश्यक विदेशी मुद्रा की मंजूरी भी शामिल है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ङ). मैसर्स इण्डस्ट्रियल डिवलपमेंट सिंडीकेट, अगरतला (त्रिपुरा) ने त्रिपुरा में एक नई पटसन मिल की स्थापना के लिये 1963 में लाइसेंस के लिये आवेदनपत्र दिया था। नीति के अनुसार आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिया गया था। यह नीति यह थी कि मानक माल के लिये क्षमता में विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती थी। बाद में त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्य-मन्त्री तथा उद्योग मंत्री

से विचार-विमर्श किया गया और उसी फर्म को 150 करघे लगाने हेतु 19 फरवरी, 1965 को आशयपत्र जारी किया गया जो छ: महीने के लिये वैध था। सरकार ने जिस विशेष उद्देश्य से यह अनुमति दी वह यह था कि त्रिपुरा एक अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। फर्म को ब्रिटेन से ऐसी शर्तों पर अत्यावश्यक मशीनों का आयात करना था जो सरकार को स्वीकार्य थी। चूंकि वे विदेशी मुद्रा के ऋण का प्रबन्ध नहीं कर सके और चूंकि आशयपत्र की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही इसलिये इसकी वैधता 18-2-1967 से आगे नहीं बढ़ाई गई। फिर भी, फर्म को सूचित किया गया कि यदि वे सरकार को स्वीकार्य शर्तों पर प्रायोजना के लिये पूंजीगत उपकरणों के आयात का प्रबन्ध कर सकते हैं तो वे नया आवेदन-पत्र सरकार को दें।

औद्योगिक पारेषण पट्टियां

10021. श्री लकप्पा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स किलबर्न एण्ड कम्पनी को औद्योगिक पारेषण पट्टियों के निर्माण के लिये कोई नया लाइसेंस दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है कि पश्चिमी बंगाल में विद्यमान वर्तमान उद्योगों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक पारेषण पट्टियों के सम्बन्ध में मुख्य नीति क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह उद्योग नई क्षमता के लिये लाइसेंस देने के लिये 'निषिद्ध' सूची में है।

आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना

10022. श्री रा० बरुआ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान, (एक) स्टैन्डर्ड मिल्स लिमिटेड, (दो) इण्डियन डाईस्टफ इन्डस्ट्रीज, बम्बई, (तीन) मफतलाल सर्विसिज़ (पी) लिमिटेड, (चार) ब्लेन्डेल इयोमाइट पेंटस लिमिटेड, (पांच) माण्ड्या नैशनल पेपर मिल्स लिमिटेड, बैंगलौर, (छ:) जी० सी० एडलजी एण्ड कम्पनी, नागपुर, (सात) लखोपाल लिमिटेड, (आठ) मर्फी इण्डिया लिमिटेड को कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस, निर्यात हकदारी तथा निर्यात सहायता दी गई;

(ख) इन लाइसेंसों को जारी करने, निर्यात हकदारी देने तथा सहायता देने का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की पड़ताल की है कि इन लाइसेंसों का दुरुपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) विनियमनों का उल्लंघन करने के लिये इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) फर्मों को दिये गये आयात-लाइसेंसों का ब्यौरा 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज़, इम्पोर्ट लाइसेंसिज़ तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़' में प्रकाशित किया जाता है जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। निर्यात सहायता के विषय में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती ।

(ख) पुनर्भरण योजना के अधीन आयात लाइसेंस जारी करने का उद्देश्य उद्योग को उस कच्चे माल तथा उपकरणों आदि का आयात करने में समर्थ बनाना है जो स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं है, निर्यातकों को नकद सहायता इस लिये दी जाती है कि वे अपने उत्पाद विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर बेच सकें।

(ग) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

आयात लाइसेंस जारी करना

10023. श्री महाराज सिंह भारती : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कम्पनियों को गत पांच वर्षों में कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस तथा निर्यात हकदारी दी गई तथा निर्यात के लिये कुल कितनी सहायता दी गई (एक) सीमेंटेशन पटेल, बम्बई, (दो) न्यू शांराक स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (तीन) पुलियोंलो फाइन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (चार) श्री गौरी शंकर जूट मिल्स लिमिटेड (पांच) नैशनल तम्बाकू कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड (छः) जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड (सात) इंग्लिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, (आठ) इंडिया सीमेंट लिमिटेड, (नौ) मीकरी ट्रैवल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता, (दस) बंगा ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता;

(ख) लाइसेंस जारी करने, निर्यात हकदारी देने तथा उन्हें सहायता देने का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) यदि उन कम्पनियों के विरुद्ध विनियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) फर्मों को दिये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा "वीकली बूलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज़, इम्पोर्ट लाइसेंसिज

तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़" में प्रकाशित किया जाता है जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है । निर्यात सहायता के विषय में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती ।

(ख) पुनर्भरण योजना के अधीन आयात लाइसेंस जारी करने का उद्देश्य उद्योग को उस कच्चे माल तथा उपकरणों आदि का आयात करने में समर्थ बनाना है जो स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं हैं, निर्यातकों को नकद सहायता इस लिये दी जाती है कि वे अपने उत्पाद विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर बेच सकें ।

(ग) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

बम्बई केरलीय समाजम् के प्रतिनिधियों का ज्ञापन

10024. श्री नायनार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई केरलीय समाजम् के प्रतिनिधियों ने 5 अप्रैल, 1968 को उन्हें एक ज्ञापन पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी कोई मांग स्वीकार की है और मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को उसका क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अनुदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) मांगें इस प्रकार हैं:—बम्बई और कोच्चिन के बीच एक सीधी दैनिक गाड़ी चलाना, बम्बई और कोच्चिन/मंगलुरु के बीच वर्तमान आंशिक 3 टियर शयनयानों की व्यवस्था, बम्बई और कोच्चिन के बीच सीधे जाने वाले पहले और तीसरे दर्जे के मिले-जुले डिब्बे में तीसरे दर्जे की शायिकाओं की व्यवस्था, मद्रास बम्बई सवारी गाड़ियों में अरकोणम से पश्चिमी तट जाने वाले यात्रियों के लिए एक कम्पार्टमेंट अलग से नियत करना और बम्बई-मंगलुरु के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाले 3-टियर सीधे शयनयान की जगह प्रतिदिन चलने वाले पूरे तीन टियर शयनयान की व्यवस्था ।

(ग) और (घ). इन मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

आयात लाइसेंस जारी करना

10025. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कम्पनियों को गत पांच वर्षों में कुल कितने मूल्य के आयात का लाइसेंस तथा निर्यात हकदारी दी गई तथा निर्यात के लिये कुल कितनी सहायता दी गई (एक) मदन मोहन लाल श्रीराम (प्राइवेट) लिमिटेड (दो) ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (तीन) एस्कार्टस लिमिटेड, फरीदाबाद (चार) रैलिया इंडिया लिमिटेड (पांच) वोल्टास लिमिटेड (छः) इंडियन आक्सिजन लिमिटेड, कलकत्ता (सात) सिमसन ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज मद्रास तथा (आठ) आसाम आयल कम्पनी ;

(ख) ये लाइसेंस जारी करने, निर्यात हकदारी देने तथा उन्हें सहायता देने का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) विनियमों का उल्लंघन करने के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) फर्मों को दिये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा 'वीकली बुलेटिन आफ़ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज़, इम्पोर्ट लाइसेंसिज़ तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़' में प्रकाशित किया जाता है जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है । निर्यात सहायता के विषय में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती ।

(ख) पुनर्भरण योजना के अधीन अयात लाइसेंसजारी करने का उद्देश्य उद्योग को उस कच्चे माल तथा उपकरणों आदि का आयात करने में समर्थ बनाना है जो स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं हैं, निर्यातकों को नकद सहायता इस लिये दी जाती है कि वे अपने उत्पाद विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर बेच सकें ।

(ग) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना

10026. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में (1) एस्सो स्टेन्डर्ड इस्टर्न इंकारपोरेटेड (2) काल्टेक्स (3) बर्मा शैल आयल कम्पनी, आयल कम्पनी, (4) इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी, कलकत्ता और (5) मुफतलाल [सर्वेसिस] (पी) लिमिटेड, बम्बई, को कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस और निर्यात प्राधिकार तथा निर्यात के लिये कुल कितनी सहायता दी गई;

(ख) उन्हें ये लाइसेंस जारी करने, निर्यात प्राधिकार देने, तथा सहायता देने का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) विनियमों का उल्लंघन करने के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ङ). फर्मों को दिये गये आयात-लाइसेंसों का ब्यौरा 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज़,

इम्पोर्ट लाइसेंसिज़ तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़' में प्रकाशित किया जाता है जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है । निर्यात सहायता के विषय में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती है ।

आयात लाइसेंस जारी करना

10027. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत चार वर्षों में निम्नलिखित कम्पनियों को कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस तथा निर्यात हकदारी, तथा निर्यात के लिए कुल कितनी सहायता दी गई :

(1) मारकोनिस वायरलैस टेलीग्राफ कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, (2) सराया शूगर मिल (पी०) लिमिटेड, (3) गिलेन्डर्स आर्बुथेनाट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, (4) फार्डाइन एण्ड हैन्डरसन लिमिटेड, (5) स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, (6) कोठारी एण्ड सन्स, (7) गोडफ्रे फिलिप्स (पी०) लिमिटेड (8) गुड अर्थ (पी०) लिमिटेड, फरीदाबाद, और (9) वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लिमिटेड, बम्बई;

(ख) उन्हें इन लाइसेंसों को जारी करने, निर्यात हकदारी देने तथा सहायता देने का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) विनियमों का उल्लंघन करने के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) फर्मों को दिये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा 'वीकली बुलेटिन आफ़ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज़, इम्पोर्ट लाइसेंसिज़ तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़' में प्रकाशित किया जाता है जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है । निर्यात सहायता के विषय में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती ।

(ख) पुनर्भरण योजना के अधीन आयात लाइसेंस जारी करने का उद्देश्य उद्योग को उस कच्चे माल तथा उपकरणों आदि का आयात करने समर्थ बनाना है जो स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं हैं, निर्यातकों को नकद सहायता इसलिये दी जाती है कि वे अपने उत्पाद विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर बेच सकें ।

(ग) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

आयात लाइसेंस जारी करना

10028. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित मिलों और कम्पनियों को गत चार वर्षों में कुल कितने मूल्य के

आयात लाइसेंस, तथा निर्यात की हकदारी तथा निर्यात के लिए कुल कितनी सहायता दी गई :

(एक) हीरा मिल्ज, उज्जैन, (दो) बिनोद मिल्स, उज्जैन, (तीन) एंड्रयु यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, (चार) गुप्ता मैनुफैक्चरिंग वर्कस, बम्बई, (पांच) एगफा इण्डिया लिमिटेड, (छः) हमदर्द वक्फ लैबारेट्रीज़ इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली, (सात) कोडक लिमिटेड, बम्बई, (आठ) इन्ट्रेको (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता, (नौ) इन्टरनेशनल कम्बसचन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता;

(ख) ये लाइसेंस और निर्यात हकदारी देने और उनको सहायता देने का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उन्होंने इनका दुरुपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है; और

(ङ) विनियमों का उल्लंघन करने के कारण यदि उन कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) फर्मों को दिये गये आयात-लाइसेंसों का ब्यौरा 'वीकली बुलेटिन आफ़ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज़ तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़' में प्रकाशित किया जाता है जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है । निर्यात सहायता के विषय में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती ।

(ख) पुनर्भरण योजना के अधीन आयात लाइसेंस जारी करने का उद्देश्य उद्योग को उस कच्चे माल तथा उपकरणों आदि का आयात करने में समर्थ बनाना है जो स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं हैं, निर्यातकों को नकद सहायता इसलिये दी जाती है कि वे अपने उत्पाद विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर बेच सकें ।

(ग) सरकार को किसी ऐसे मामले की सूचना नहीं मिली ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

पटसन के आयात के सम्बन्ध में राज़ सहायता की अदायगी

10029. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1967 तक के पटसन के आयात के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पटसन मिलों को दी जाने वाली राज सहायता की अदायगी अभी तक नहीं हुई है;

M 29 LSS (cp)/68

(ख) यदि हां, तो पटसन उद्योग तथा प्रत्येक पटसन मिल द्वारा पृथक रूप से किये गये राजसहायता सम्बन्धी दावों की कुल धन-राशि कितनी है;

(ग) इस प्रकार के दावों के अधीन पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा 30 सितम्बर 1967, 31 दिसम्बर 1967 और 31 मार्च 1966 तक प्रत्येक पटसन मिल को कितनी धन-राशि दी गयी है; और

(घ) प्रत्येक मिल को उन दावों में से दी जाने वाली कितनी धन-राशी अभी बकाया है; और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ). 13 जून 1966 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि में कच्चे पटसन/मेस्टा के आयातों के मामले में नगद सहायता के रूप में उद्योग ने 720.63 लाख रुपये की राशि मांगी थी और 599.89 लाख रुपए का भुगतान पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है । प्रत्येक पटसन मिल के दावों और 31 मार्च 1968 तक प्रत्येक मिल को उनके दावों पर वितरित की गयी राशि के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

Contracts To M/s. Nippon Electric Company

10030. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that contracts were awarded by the railways to a Japanese company named M/s. Nippon Electric Company, which has a liaison office at 2, Hailey Road, New Delhi, for the supply of spare parts of radios, microwave towers and other spare parts required for communications;

(b) if so, the number of contracts awarded during the last three years as well as the amount thereof; and

(c) whether it is also a fact that the said contracts were awarded to the said company only as a reward for preparing a design of the microwave tower which was to be installed at Gorakhpur ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) A contract for the provision of Multi-channel Microwave communication on the North Eastern Railway, Gorakhpur, has been awarded to M/s. Nippon Electric Co. Ltd., Tokyo, Japan, which has a Liaison Office at No. 2, Hailey Road, New Delhi, on 30-10-65. The contract includes supply of Microwave Radio, Parabolic antenna dishes, beam reflectors, wave guides, test equipment, carrier equipment telephony with spare panels and running spares. An agreement for a similar contract has been signed on 12-8-1966 by the North-East Frontier Railway Administration with the same company for the provision of Multichannel Microwave/UHF Wireless communication on sections Pandu-Lumding-Badarpur and Pandu-Katihar. The contract has not become effective and it is pending approval by the Japanese Government;

(b) During the last three years, one contract has been awarded and another contract which has been finalised is awaiting the approval of the Japanese Government. The value of the contract pertaining to North Eastern Railway is Rs. 9,65,102 including a foreign exchange content of Rs. 7,80,089 (pre-devaluation). The post devaluation foreign exchange has come upto Rs. 12,28,639.

The foreign exchange value of the contract of North-East Frontier Railway is Rs. 19-10 lakhs (post devaluation.)

(c) No.

निदेशकों का पारिश्रमिक

10031. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि प्रशासन ने हाल ही में कई मामलों में समवाय अधिनियम की धारा 309(ग) में छूट दे दी है कि किसी निदेशक को शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख बीस हजार रुपये से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिलना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). धारा 309(3) के उपबन्ध के अन्तर्गत, कम्पनी विधि बोर्ड को, प्रबन्ध अथवा पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक स्वीकृत करने के लिये, एकांकी मामलों में, 5 प्रतिशत की सीमा में रियायत देने की शक्ति है। कम्पनी विधि बोर्ड, कुछ मामलों में, विहित सीमा में, सबके साथ रियायत देता रहा है। इस नीति में, अभिनय काल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सामान्यत: यह छूट निम्नलिखित अवस्थाओं में दी जाती है :—

(1) कर मुक्त विदेशी तकनीकी, जिनके मामलों में पारिश्रमिक पहले ही औद्योगिक विकास विभाग अथवा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(2) नवीन निगमित कम्पनियों के मामले में, कम्पनी में पूर्ण उत्पादन होने तथा समुचित लाभ कमाना, प्रारंभ होने से पहले, कम्पनी के पूंजी आस्थान, परिचालन की प्रकृति, प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं के आधार पर कुछ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है।

(3) लघुतर कम्पनियों के मामलों में, विशेषत: निर्माण क्षेत्रों में, जहां कम्पनी को, एक या अधिक प्रबन्ध अथवा पूर्णकालिक निदेशकों की, सेवाओं की जो व्यवसायिक रूप से, अथवा तकनीक में योग्यता प्राप्त हैं, या पर्याप्त व्यापार अनुभव रखते हैं, उनके कुल अनुभव तथा उसी या कुछ अन्य संबंधित कम्पनियों के कार्यकारियों के पदों पर लिये गये उनके पहले वेतनों पर विचार करते हुए, काम पर लगाना होता है।

(4) शीर्षस्थ कार्यकारी के रूप में लिया गया वेतन, शीर्षस्थ प्रबन्ध में, व्यवसायवाद को प्रोत्साहन देने के हित में, बोर्ड को कार्यकारी की उन्नति पर संरक्षित करना होता है; तथा

(5) कम्पनी के नियंत्रण के बाहर, परिस्थितियां, जैसे कच्चे माल की कमी, श्रम की अड़चन, व्यापार सुस्ती आदि के कारण कुछ विशेष वर्गों में लाभ में न्यूनता आने के मामलों में। ऐसे मामलों में, केवल वेतन तथा सीमित परिलब्धियां ही न्यूनतम संरक्षित होती हैं, लाभ पर निर्भर कमीशन अथवा लाभांश नहीं। 1,20,000 रुपये या अधिक वार्षिक वेतन, केवल 30 से 40 लाख रुपयों या इनसे ऊपर, लाभ कमाने वाली अत्यंत वृहद कम्पनियों द्वारा ही दिये जा सकते हैं। ऐसे मामलों में, ऊपर (1) से

(5) द्वारा बताई गई विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय, पारिश्रमिक लाभ का अपरिवर्तनीय 5 प्रतिशत या न्यून होता है। 1,20,000 रुपयों की प्रशासनिक सीमा, जो 1960-61 के वर्ष में आरोपित की गई थी, मूल्यों में सीधी वृद्धि, करारोपण के आपात में वृद्धि, विदेशी कम्पनियों तथा पारिश्रमिक के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साथ उसी समानता के सन्धारण को विचार कर, 1965 से 1,70,000 रुपए तक आगे परिशोधित कर दी गई थी व 1966 के प्रारम्भ में पुन: 1,80,000 रुपए वार्षिक संशोधित कर दी गई। सरकार के यह दृष्टिगत भी था कि अभिज्ञेय उच्च वेतनों के अनुमोदन द्वारा करायबंचन प्रतिरक्षित होगा। 1966 में रुपये के अमूल्यन के पश्चात, कुछ विदेशों से आये हुये निदेशकों को, कर देने के पश्चात, भरण पोषण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत, उनके घर भेजे जाने वाले रुपयों को विदेशी मुद्रा में समर्थ बनाने के लिए एक अधिक भत्ते की अनुमति दी गई है। यह भत्ता, पौंड का मूल्य, रुपये में अवनति होने के कारण, कमी होने के विषय पर है।

अम्बाला शहर के रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बिक्री

10032. **श्री सूरज भान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई महीनों से अम्बाला शहर स्टेशन पर यहां से राजपुरा, सहारनपुर, लुधियाना, खन्ना और साहनेवाल तक की रेलवे की टिकटें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त स्टेशन पर, इन टिकटों की बिक्री प्रतिदिन 00 से 500 के बीच होती है और बुकिंग क्लर्कों को इतनी बड़ी संख्या में टिकट तैयार करने पड़ते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अम्बाला शहर स्टेशन पर राजपुरा, सहारनपुर, लुधियाना, खन्ना और साहनेवाल के लिए तीसरे दर्जे के साधारण टिकट और खन्ना के लिए तीसरे दर्जे के डाक गाड़ी के टिकट 20 मार्च, 1968 को समाप्त हो गए थे। सहारनपुर, लुधियाना, खन्ना और साहनेवाल के मामले में पहली अप्रैल को और राजपुरा के मामले 20 अप्रैल को टिकटों की ताजा सप्लाई प्राप्त हो गई थी।

(ख) अम्बाला शहर से इन पांच स्टेशनों के लिए टिकटों की औसत बिक्री लगभग 350 टिकट प्रतिदिन है। यह सच है कि छपे हुए टिकटों के अभाव में कर्मचारियों को पर्ची टिकट तैयार करने पड़ते हैं।

(ग) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, छपे हुए टिकटों की सप्लाई मिल चुकी है।

वायदा व्यापार के लिये बम्बई में फर्मों पर छापे

10033. **श्री श्रीगोपाल साबू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई बुलियन एसोसियेशन लिमिटेड तथा सात अन्य फर्मों और उनके कार्यालयों पर हाल ही में पुलिस द्वारा छापा मारा गया था, जिसके कारण

46 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे, क्योंकि पुलिस को वायदा बाजार आयोग से शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) ये व्यक्ति बम्बई बुलियन एसोसियेशन लिमिटेड, बम्बई के तत्वावधान में हाजिर माल के सौदों की आड़ में चांदी का कथित अवैध वायदा व्यापार कर रहे थे ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

वायदा व्यापार के विरुद्ध बम्बई में फर्मों पर छापे

10034. **श्री श्रीगोपाल साबू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सोना चांदी व्यापार संघ द्वारा, सर्वोत्तम कानूनी सलाहकारों की सलाह से, वायदा बाजार आयोग की उचित जानकारी में हाजिर माल के सौदों का व्यापार किया जा रहा था;

(ख) क्या उक्त संघ के निदेशकों ने वायदा बाजार आयोग के सदस्यों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये कई बार मुलाकात की;

(ग) यदि हां, तो अप्रैल, 1968 के पहले सप्ताह में बम्बई पुलिस द्वारा 46 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, बम्बई सोना चांदी व्यापार संघ तथा कुछ अन्य व्यक्तियों पर छापे मारने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या वायदा बाजार आयोग को भविष्य में ऐसी गैर-कानूनी कार्यवाही न करने के लिये निदेश दिये गये हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सभी जब्त बहीखातों को तुरन्त वापस करने का आश्वासन दे दिया गया है और क्या गिरफ्तार व्यक्तियों को इस बीच रिहा कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग). सही स्थिति यह है कि ये आरोप लगाये गये थे कि बम्बई सोना चांदी व्यापार संघ हाजिर माल के सौदों की आड़ में चांदी में अवैध सट्टा व्यापार कर रहा था । वायदा बाजार आयोग ने इन आरोपों की जांच शुरू कराई । इस सम्बन्ध में आयोग तथा संघ के कुछ पदाधिकारियों के बीच कुछ बैठकें हुई तथा उन पदाधिकारियों ने जो कानूनी राय प्राप्त की थी वह पेश की परन्तु वह हाजिर माल के सौदों से सम्बन्धित थी । आयोग के संकेत पर पुलिस प्राधिकारियों ने छापे मारे तथा गिरफ्तारियां कीं क्योंकि उनका समाधान हो गया था कि संघ और इसके सदस्यों द्वारा किये जाने वाला व्यापार अवैध था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) छापों में जब्त बहीखातों तथा दस्ता वेजों की जांच-पड़ताल की जा रही है परन्तु गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है ।

वैगन बनाने वाले उद्योगों को दिये गये आर्डर

10035. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन, कलकत्ता के रेलवे वेगन्स एण्ड कम्पोनेन्टस डिवीजन के अध्यक्ष ने वैगन बिल्डिंग इंडस्ट्री को दिये गये आदेशों पर पाबन्दी लगाने में कमी करने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध रेलवे मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस उद्योग को भारी आघात पहुंचने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उनके वास्तविक तक क्या है; और

(ग) उनके अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1222/68** ।]

Exports of Black Pepper

10036. Shri Virendrakumar Shah : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that exports of black pepper in the first five months of the current season since November, 1967 have been lagging behind those of the past year; despite the fact that inland prices of black pepper in India are very much competitive;

(b) if so, the comparative figures in this respect for the first five months of the current season and those for the corresponding months in the preceding two seasons;

(c) how far the heavy export duty of Rupees 1,250 per tonne on black pepper is responsible for Indian pepper being priced out of the world market; and

(d) whether it is a fact that the exports to U.S.S.R. have considerably declined and if so, how far the Soviet policy of price squeeze is responsible for it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) Figures of exports are available only upto January, 1968. A comparative statement of exports during November, 1967 to January, 1968 with those during the past two years is given below :—

Qty.—M. Tonnes
Val.—Rs./lakhs

	Total Exports		*Exports to U.S.S.R.*	
	Qty.	*Value*	*Qty.*	*Value*
(I) November, 1965 to January, 1966	330	345·6	2880	120·8
(II) November, 1966 to January, 1967	4490	251·5	400	22·4
(III) November, 1967 to January, 1968	7070	364·5	3510	179·9

(c) The export duty on black pepper has not adversely affected our total exports though there is some decline in exports to U.S.A. and Canada mainly due to price competition from Indonesia.

(d) The exports of Pepper to U.S.S.R. have not declined.

काली मिर्च का निर्यात

10036. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात के बावजूद कि भारत में काली मिर्च के आन्तरिक मूल्य बहुत अधिक प्रतियोगी हैं नवम्बर, 1967 के बाद से चालू फसल के पहले 5 महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में कम निर्यात होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में चालू फसल के पहले पांच महीनों और इससे पिछली दो फसलों में इन्हीं महीनों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) काली मिर्च पर 1,250 रुपये प्रति मीट्रिक टन का भारी निर्यात शुल्क विश्व मन्डी में भारतीय काली मिर्च को मंहगी बनाकर उसकी बिक्री समाप्त करने के लिये कहां तक जिम्मेवार हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि रूस को काली मिर्च के निर्यात में काफी कमी हो गई है और यदि हां, तो इसके लिये रूस की मूल्य को कम करने की नीति कहां तक जिम्मेवार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) निर्यात के आंकड़े केवल जनवरी, 1968 तक ही उपलब्ध हैं। पिछले दो वर्षों के साथ नवम्बर 1967 से जनवरी 1968 में हुए निर्यात का एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :—

परिमाण—10 लाख मी० टन

	कुल निर्यात		मूल्य—लाख रु० सोवियत रूस को निर्यात	
	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य
1. जनवरी, 1965 से जनवरी, 1966	8330	345.6	2880	120.8
2. नवम्बर, 1966 से जनवरी, 1967	4490	251.5	400	22.4
3. नवम्बर, 1967 से जनवरी, 1968	7070	364.5	3510	179.9

(ग) काली मिर्च पर लगाये गये निर्यात शुल्क ने हमारे कुल निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है यद्यपि इण्डोनेशिया से मूल्य में प्रतिस्पर्द्धा के कारण संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा को होने वाले निर्यात में कुछ गिरावट आई है।

(घ) सोवियत रूस को होने वाले काली मिर्च के निर्यातों में गिरावट नहीं आई।

दक्षिण मध्य रेलवे में रेलपथ निरीक्षकों का चयन

10037. श्री अगाड़ी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1967 में रेलपथ निरीक्षकों का चयन करने के लिये दक्षिण-मध्य रेलवे पर एक चयन बोर्ड का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बोर्ड के तीनों सदस्य चार डिवीजनों में से केवल एक ही डिवीजन से लिये गये थे; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर-पत्रों की जांच उसी व्यक्ति द्वारा की गई थी जिसने प्रश्न पत्र बनाया था और साक्षात्कार किया था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

दिल्ली के टायरों का भण्डार रखना

10038. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री क० लकप्पा :
श्री एम० एस० कृष्ण :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूटरों तथा कारों के टायरों की बहुत कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये टायरें ऊंचे मूल्यों पर चोर बाजार में बिक रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) सरकार को दिल्ली में स्कूटर तथा कार टायरों की कमी के बारे में जानकारी है। इस के मुख्य कारण मेसर्स फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई जो देश के टायर उत्पादकों में प्रमुख हैं के कारखाने में काफी समय से चले आ रहे मजदूरों के झगड़े तथा हड़ताल और 1967 में स्कूटरों तथा कारों का अप्रत्याशित अधिक उत्पादन थे। विद्यमान क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पग उठाए गए हैं। मोटर गाड़ी के टायरों के लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक भी हटा दी गयी है। स्कूटर निर्माताओं को उनकी तीन महीने की आवश्यकता पूरी करने के लिये टायरों का आयात करने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली में छुट-पुट समस्याओं जैसे वर्तमान कमी आदि को दूर करने के कदम उठाए गए हैं। उत्पादकों को उनके दिल्ली स्थित शाखा कार्यालयों के जरिये दिल्ली में स्कूटर टायरों का सम्भरण बढ़ाने

के लिए कहा गया है। कार तथा स्कूटर टायरों की कमी शीघ्र ही दूर हो जायगी क्योंकि फायरस्टोन कारखाने ने उत्पादन पुन: आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त गुड इयर कारखाना भी जुलाई, 1968 से स्कूटर टायरों का उत्पादन प्रारम्भ कर देगा। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में टायरों की बिक्री का आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नियमन कर दिया है। यह कदम इसका सुनिश्चय करने के लिये उठाए गए हैं कि वास्तविक मांग पर ही विचार किया जाय और इन की बिक्री में यदि कोई कदाचार हो तो उसे रोका जाय।

Railway Wagons Booked By Traders at Gangapur City

10039. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) the number of railway wagons booked by traders for loading goods at Gangapur City (Kota Division) during the period from the 26th March to the 26th April, 1968;

(b) the number of wagons made available to the traders and the quantity of goods loaded during the above period;

(c) whether it is a fact that the required number of wagons are not being made available to the traders;

(d) whether it is also a fact that the railway employees are adopting corrupt practices for making available railway wagons to the traders; and

(e) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). During the period from 26th March to 26th April, 1968, 121 wagons were loaded at Gangapur City leaving an outstanding of 476 indents at the close of the period. Subsequently, during the period from 27-4-68 to 2-5-68 when the supply of wagons was stepped up, only 56 wagons were loaded and as many as 376 indents were withdrawn or cancelled leaving an outstanding of 45 wagons only which shows that the requirements have been met satisfactorily and the demand for wagons was more inflated than real.

(d) No such complaints have been received by the Western Railway.

(e) Does not arise.

Allotment of Wagons at Railway Stations on Western Railway

10040. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of railway wagons are required for loading foodgrains at railway stations in Rajasthan, Western Railway;

(b) whether it is also a fact that corrupt practices are being adopted in allotting wagons to traders;

(c) whether it is further a fact that even more than 500 railway wagons have been booked at many stations but wagons are not being made available; and

(d) if so, the reasons therefor

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha : (a) Yes, as with the lifting of the civil ban on the movement of coarse foodgrains and pulses on trade account outside the Rajasthan State at the end of March, 1968, grain traders have been placing heavy bulk registrations to monopolise turn of registrations even though the required stock of grains may not be available with them. This will be

evident from the fact that during April, 1968, 1050 registrations on the Broad Gauge and 628 registrations on the Metre Gauge were withdrawn or forfeited;

(b) No such complaint has been received by the Railway Administration;

(c) No, except at two stations namely, Alwar and Jaipur, where the outstanding registrations as on 30-4-1968 were more than 500 wagons;

(d) There is no ceiling limit for acceptance of foodgrain traffic and registrations are accepted freely for free destinations. Food-grains on trade account are entitled to move only in item 'E' priority along with other general goods traffic in turn of registration. Efforts are, however, made to ensure supply of wagons to the maximum possible extent for clearance of this traffic, consistentw ith the Railway's commitments for movement of other higher priority traffic .During April 1968, 1214 wagons on the Broad Gauge and 1629 wagons on the Metre Gauge were loaded with foodgrains on trade account from stations on Western Railway falling within Rajasthan.

Contracts Awarded By Railways for Erecting Microwave Towers

10041. Shri Sharda Nand :
Shri Lakhan Lal Kapoor
Shri Shri Chand Goel

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1384 on the 23rd April, 1968 and state :

(a) the number and respective value of the contracts awarded by the Railways to M/s. SAAS Engineering Company (P) Ltd., SAAS Tower (P) Ltd., and SAAS Engineering Company (P) Ltd., Calcutta so far and the date on which these contracts were awarded;

(b) the dates on which these Companies were established and were registered by the Director General of Supplies and Disposals and the Railways;

(c) the period of their experience in this field and the nature of the experience;

(d) whether they have been awarded any contracts by the private sector also; and

(e) the names of the persons who have been the Directors and Managing Directors of the said Companies so far and the tenure of each of them?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha : (a) Only one contract was awarded to M/s. SAAS Engineering Company (P) Ltd., Calcutta, for Rs. 14·28 lakhs and the letter of acceptance was issued on 6-11-67. The Railway has had no dealings with any firm of the name of M/s. SAAS Tower (P) Ltd., Calcutta;

(b) The date of incorporation of M/s. SAAS Engineering Company (P) Ltd., is 13th July, 1965, as per information available. M/s. SAAS Engineering Co· (P) Ltd., are not registered with the Director General of Supplies and Disposals or the Railways;

(c) The firm M/s. SAAS Engineering Company (P) Ltd. has experience in foundation, erection and testing of microwave towers as sub-contractors of M/s. Nippon Electric Co., Japan for microwave systems of the P& T Department in Calcutta area.

(d) Not known to the Railways.

(e) The names of the Directors of M/s. SAAS Engineering Company (P) Ltd. are :—

S/Shri S. Roy Chowdhury
P. Saha
A. K. Sarkar

The tenure of the Directors is not known to the Railways.

Himalayan Paper Board Mills Private Limited

10042. Shri Lakhan Lal Kapoor :
Shri Shr i Chand Goyal :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the dates on which the two firms named Himalayan Paper Board Mills (P) Ltd., and Himalayan Paper (Machinery (P) Ltd., were registered;

(b) the number and value of the private and Government contracts obtained by the said two firms so far;

(c) the names of the Directors of the said two firms two years ago, the number of Directors who have been changed since then to-date, the names of their present Directors and the names of the persons who have been their shareholders so far; and

(d) the amount of grants, loans and permits for the supply of raw material given to both of these companies during the last three years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The question presumably refers to M/s. Himalayan Paper and Board Mills Private Limited and M/s. Himalaya Paper (Machinery) Pvt. Ltd. The dates of registration of these companies are July 6, 1960 and April 28, 1962 respectively.

(b) The information is not available.

(c) The position regarding the Directors and share-holders of these two companies as follows :—

(*i*) *M/s. Himalaya Paper and Board Mills Pvt. Ltd.*

Directors	From	To
1. Shri Kamal Ghosh	6-7-60	up to date
2. Smt. Madhuri Ghosh	6-7-60	upto date
3. Shri Diptiman Ghosh	29-5-67	upto date
4. Shri Parimal Ghosh	6-7-60	28-5-67

Shareholders

1. Shri Parimal Ghosh
2. Shri Kamal Ghosh
3. Shri Santimoy Sircar
4. Smt. Madhuri Ghosh
5. Shri Aurobinda P. Roychoudhury
6. Shri Pravash Ch. Bose
7. Shri Nalini Ranjan Ghosh

8. Shri Diptiman Ghosh
9. Shri Bimal Ghosh*

*Ceased to be a shareholder in 1967.

(*ii*) *M/s. Himalay Paper (Machinery) Pvt Ltd.*

Directors	From	To
1. Smt. Madhuri Ghosh	28-4-62	upto date
2. Shri Kamal Ghosh	28-4-62	upto date
3. Shri Parimal Ghosh	28-4-62	10-1-67
4. Shri Santimoy Sircar	28-4-62	31-12-62

Shareholders

1. Shri Parimal Ghosh
2. Shri Kamal Ghosh
3. Shri Santimoy Sircar
4. Smti Madhuri Ghosh

(d) The information is not available.

दक्षिण कोरिया को मनुष्यों के बालों की सप्लाई

10043. **श्री तैन्नेटि विश्वनाथम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री के० एल० देसाई के नेतृत्व में तीन सदस्यों का एक भारतीय आर्थिक आयोग हाल में सिओल गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक करार किया गया है जिसके अन्तर्गत दक्षिण कोरिया गर्भ निरोधक उपकरणों के बदले में मनुष्यों के 300 टन बाल खरीदने के लिये सहमत हो गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) सरकार ने कोई व्यापार वार्ता करने के लिये किसी भी प्रतिनिधि मण्डल को सिओल नहीं भेजा, और न उसे गर्भ निरोधक उपकरणों के आयात के बदले मानव बालों के निर्यात के किसी सौदे के बारे में कोई जानकारी है।

हिन्दोस्तान मोटर्स

10044. **श्री शशिभूषण बाजपेयी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1288 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों के जिन्होंने बेंकरों के माध्यम से हिन्दुस्तान मोटर्स के जाली शेयर खरीदे थे, अते-पते के बारे में जानना सम्भव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पुलिस ने उन व्यक्तियों का अब तक पता क्यों नहीं लगाया है ; और

(ग) क्या इस मामले में दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के प्रधान श्री हरबंस सिंह मेहता के विरुद्ध भारतीय दन्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उन व्यक्तियों का जिन्हें हिन्दुस्तान मोटर्स के कुछ हिस्सों की जालसाजी के लिये उत्तरदायी होने, तथा ऐसे जाली हिस्सों की बेचने के लिये, आरोपित किया गया है, पता लगा लिया है, व उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उस व्यक्ति को भी जो 6 अप्रैल, 1965 को 1000 जाली हिस्सों की बिक्री के लिये, श्री हरबंस सिंह मेहता के पास पहुंचा था, पहचान लिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) नहीं, श्री मान। वह स्वयं जालसाजी में ग्रस्त हो गये थे।

पटसन आयुक्त के विरुद्ध शिकायतें

10045. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री गार्डिलिंगन गौड;
डा० म० सन्तोषम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को वर्तमान पटसन आयुक्त के विरुद्ध कई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की शिकायतें मिली हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

10046. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा लिखित सरकार को कोई पत्र मिला है जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा नामनिर्देशित अन्य निदेशालयों के कार्य के प्रति असंतोष व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और उनके विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और

(ख) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अध्यक्ष का निर्देशित पत्र, औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्री को, जिनके नाम वह भेजा गया है, व्यक्तिगत अभिरक्षा में है। ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अध्यक्ष से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि से, प्रतीत होता है कि पत्र में निम्नलिखित मुख्य सूचि-मुख हैं :—

(1) 30 जनवरी, 1968 को, श्री प्रकाश एवं श्री बी० पी० वाजौरिया का औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्री से विचार विमर्श।

(2) मेसर्स एस० एन० बिलग्रामी एण्ड हिम्मत सिंह को अनुक्षेद की शर्त में तथा कम्पनी के निदेशक मन्डल के आधार पर, कम्पनी के निदेशक मन्डल में लेने के लिये सरकार से एक हिस्से धारी के नाते निर्गमित सुझाव, तथा कूपर अलीन यूनिट जो हानियां उठा रहा था, की कठिनाइयों को दूर करने में सरकार की सहायता करने के लिये अध्यक्ष की प्रार्थना।

(3) 22 फरवरी, 1968 को श्री प्रकाश का (औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य) मंत्री के साथ हुआ विचार-विमर्श, जबकि नये निदेशक-नामित उपस्थित थे। (संसद भवन कक्ष में)।

(4) श्री हिम्मत सिंह द्वारा, कम्पनियों के अध्यक्ष को अध्यक्ष के पद को खाली करने के लिये की गई प्रार्थना।

(5) श्री हिम्मत सिंह का अपने आप को विशेष अधिकारों सहित सरकारी निदेशक की शैली में रखना।

(6) सरकार का, एक हिस्सेदारी के नाते, भादरी के राजा को कम्पनी के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने के लिये सुझाव तथा प्रस्ताव को गिराने के लिये अध्यक्ष को परिवर्ती मौखिक सुझाव।

(7) श्री विलकौक्स द्वारा उप-प्रबंध निदेशकता से इस्तीफा तथा उनका यथापूर्व सचिव बने रहना।

(ग) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा उठाये गये सूचि-मुखों पर मंत्री जी के बाहर से वापिस आने पर विचार किया जायगा।

औद्योगिक क्षमता

10047. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में मन्दी के कारण देश में औद्योगिक क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग हुआ है, तथा क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता का उपयोग नहीं हुआ ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

टैक्सी किराया मीटरों का आयात

10048. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967–68 में सरकार ने टैक्सी किराया मीटरों के आयात की अनुमति दी है जब कि देश में ऐसे मीटरों के निर्माण की पर्याप्त क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो 1967–68 में कितने मूल्य के मीटरों के आयात की अनुमति दी गई है और इस आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) देश की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और देश की निर्माण क्षमता कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अप्रैल, 1967 तथा मार्च, 1968 की अवधि में अनुमानित मांग तथा उत्पादन के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिये सीमित संख्या में टैक्सी किराया मीटरों के आयात की व्यवस्था की गई थी। इसका अभिप्राय रख रखाव आदि के लिये विभिन्न प्रकार के फालतू पूर्जों, जिनका देश में बनाना लाभकर नहीं रहता, की मांग की पूर्ति करना भी था।

(ख) 1967–68 (अप्रैल-दिसम्बर, 1967) में लगभग 16,000 रु० मूल्य के 51 मीटर आयात किये गये थे।

(ग) तीसरी योजना अवधि के लिये 7600 मीटरों की वार्षिक मांग का अनुमान लगाया गया है। गत तीन वर्षों में उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा, अदद में
1965–66	1,920
1966–67	5,162
1967–68	5,010

मध्य प्रदेश से चने तथा बाजरे का लदान

10049. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारी मध्य प्रदेश से चने तथा बाजरे को इस राज्य से बाहर ले जाने के लिए लदान करना स्वीकार नहीं कर रहे हैं जब कि केन्द्रीय सरकार ने चने तथा बाजरे के, एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) केवल दो ऐसे मामले नोटिस में आये हैं जिनमें मध्य प्रदेश के स्टेशनों से मध्य प्रदेश के बाहर के स्टेशनों को भेजने के लिए चने के परेषणों को बुक करने के लिए रेल कर्मचारियों ने गलतफहमी में इनकार कर दिया था। कर्मचारियों को फिर से इस आशय के अनुदेश दे दिये गये हैं कि मध्य प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिये चना बुक करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जहां तक बाजरे का प्रश्न है, इसके मध्य प्रदेश से बाहर भेजने पर अब भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

सेफ्टी ग्लास बनाने वाले समवाय

10050. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : **श्री रा० बरुआ :**
श्री वे० कृ० दासचौधरी : **श्री विद्याधर वाजपेयी :**
श्री महाराज सिंह भारती : **श्री कृ० मा० कौशिक :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र तथा छोटे पैमाने के क्षेत्र में सेफ्टी ग्लास बनाने वाले समवायों की संख्या कितनी है तथा उनकी वार्षिक क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या उनका कुल उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो मेसर्स हिन्दुस्तान बिलकिंगटन कम्पनी, कलकत्ता को सेफ्टी ग्लास बनाने की अनुमति क्यों दी जा रही है ;

(घ) क्या उक्त अनुमति से वर्तमान एककों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ङ) क्या मेसर्स हिन्दुस्तान बिलकिंगटन सेफ्टी ग्लास वर्तमान एककों को उत्पादन के लिए कच्चा माल सम्भरण करते हैं; और

(च) क्या इन कारखानों के लाभ का कुछ भाग भारत से विदेशों को जायेगा और यदि हां, तो पूंजी को विदेशों में जाने को प्रोत्साहित किन कारणों से दिया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) संगठित क्षेत्र में तीन कारखाने हैं और छोटे पैमाने के क्षेत्र में दो कारखाने। उनकी वार्षिक क्षमता क्रमश: 2.10 लाख वर्ग मीटर और 0.84 लाख वर्ग मीटर है ;

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सेफ्टी ग्लास एक ऐसा उद्योग है जो औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता और इसलिये सेफ्टी ग्लास बनाने के लिए किसी लाइसेन्स अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं।

(ङ) जी, हां।

(च) इन कारखानों के लाभ का कुछ भाग भारत से विदेशों को जायेगा क्योंकि समवाय में विदेशों का भी बराबर का साझा है, यह कहा जा सकता है कि इस फर्म को सेफ्टी ग्लास बनाने के लिए पूंजी माल के आयात की अनुमति देकर अथवा कच्चा माल देकर या अन्य किसी रूप से प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

इस्पात से बनी वस्तुओं का लाया-ले-जाया जाना

10051. श्री दामानी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के उस अधिकार को वापिस लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है, जिसके अधीन वह इस्पात से बनी वस्तुओं के यातायात को जहां का तहां रोक सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लोहा तथा इस्पात नियंत्रण आदेश इस दृष्टि से संशोधित किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इस्पात की वितरण व्यवस्था का सुधार करने वाली किसी नई योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के उस अधिकार को वापिस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके अधीन वह इस्पात से बनी वस्तुओं के यातायात को जहां का तहां रोक सकता है। यदि माननीय सदस्य का संकेत राज्य सरकारों के उन अधिकारियों की ओर है जिन्हें लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश के अधीन ये अधिकार प्राप्त हैं तो स्थिति यह है कि राज्य सरकारों से पहले ही कहा जा चुका है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न प्रकार के लोहे और इस्पात की वस्तुओं की बिक्री पर किसी प्रकार की रोक या प्रतिबन्ध न हो। ऐसा नज़र आता है कि इसके फलस्वरूप बहुत से राज्यों में स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। जहां कहीं ये रुकावटें अब भी मौजूद हैं उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) इस्पात की वितरण व्यवस्था का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक और व्यवहार्य होता है वितरण व्यवस्था में सुधार कर दिया जाता है।

Quota of Tyres For M.Ps.

10052. Shri Jamna Lal : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that separate quota of Vespa Scooters, Fiat Cars and Jeeps has been earmarked for the Member of Parliament;

(b) whether it is also a fact that the Members of Parliament are experiencing great difficulty as Car and Scooter tyres are not available in Delhi because of their shortage;

(c) if so, whether Government have earmarked separate quota thereof for the convenience of the Members of Parliament as has been done in the case of Government servants;

(d) if so, the name of the firm to which the said quota has been given; and

(e) if not, the steps being taken in this regard in view of the difficulty being faced by the Members of Parliament?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed : (a) The Members of Parliament are considered for allotment of Vespa scooters and Fiat cars from the Central Government quota. There is no quota of Jeeps earmarked for the Central Government or the Members of Parliament.

(b) Yes, Sir.

(c) No separate quota of tyres has been earmarked either for Members of Parliament or for Government servants.

(d) Does not arise.

(e) Steps are being taken to increase the production of all types of tyres in order to relieve the shortage by extending the required assistance to the manufacturers.

उत्तर रेलवे का दिल्ली अस्पताल

10053. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली स्थित पश्चिमी रेलवे के फावेन ट्रैफिक अकाउन्ट्स कार्यालय के किसी कर्मचारी की ओर से, दिल्ली स्थित उत्तरी रेलवे के मुख्य अस्पताल के असिस्टेण्ट मेडिकल अफसर के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया, इसलिए किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने का सवाल नहीं उठता ।

रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के क्लर्क तथा सब हैड

10054. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1 अक्तूबर, 1962 को पदालि स्थिति बहाल करने के बारे में रेलवे बोर्ड के 4 अप्रैल 1968 के आदेशों को लागू करने से प्रत्येक खण्ड रेलवे के लेखा विभाग में अलग अलग श्रेणी एक तथा श्रेणी 2 के कितने क्लर्क थे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

अखिल भारतीय श्रेणी वाह्य (अनग्रेडेड) रेलवे लेखा कर्मचारी संघ

10055. **श्रीमती सुशीला गोपालन ।** क्या **रेलवे** मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8171 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय श्रेणी बाह्य रेलवे लेखा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों द्वारा उनको 18 फरवरी, 1968 को उनके निवास स्थान पर दिये गये संकल्प की संख्या 3 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : आल इंडिया रेलवे अनग्रेडेड एकाउन्ट्स क्लर्क की ओर से की गयी विभिन्न मांगों पर सरकार द्वारा सामूहिक रूप से विचार किया गया था और उसके परिणामस्वरूप इस कोटि के कर्मचारियों को कुछ रियायतें दी गयी थीं जैसा कि लोकसभा में 24-3-1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न 8171 के उत्तर में स्पष्ट किया गया था । 18 फरवरी, 1968 को रेल मंत्री को दिये गये संकल्प के मद 3 में की गयी मांग को स्वीकार करने का सरकार कोई औचित्य नहीं समझती ।

उत्तर तथा पश्चिम रेलवे के लेखा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता

10056. **श्रीमती सुशीला गोपालन ।** क्या **रेलवे** मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे :

अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली पश्चिम रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर और उत्तर रेलवे के यातायात कार्यालय, दिल्ली के ऐसे कर्मचारियों

के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो 1 जनवरी, 1965 से 31 मार्च, 1968 तक कार्य पर गये और प्रत्येक कर्मचारी को प्रति मास कितना यात्रा भत्ता दिया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के उपनगरीय स्टेशनों पर रेल-गाड़ियों का रुकना

10057. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेलवे मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरोजिनी नगर, लोधी कालोनी, सेवानगर, लाजपतनगर और दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के रुकने से प्रति मिनट कितना व्यय होता है ;

(ख) नई दिल्ली स्टेशन पर 2 डाउन शटल के रुकने पर प्रतिदिन कितना व्यय होता है ;

(ग) इस प्रकार प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ; और

(घ) क्या सरकार इस बर्बादी को रोकने तथा इसके लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) गाड़ियों के रुकने के कारण प्रति मिनट ठहराव की लागत का कोई पृथक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। लेकिन दिल्ली शेड के डब्ल्यू० जी० श्रेणी के भाप रेल इंजन द्वारा चलायी जाने वाली किसी सवारी गाड़ी के एक मिनट के ठहराव की अवधि में कोयले की खपत की लागत लगभग 17 पैसे है।

(ख) नयी दिल्ली स्टेशन पर 2 डी० एन० एस० शटल के ठहराव की अवधि में कोयले की खपत की लागत लगभग 5 रु० 95 पैसे प्रति दिन है।

(ग) नयी दिल्ली स्टेशन पर 2 डी० एन० एस० शटल के ठहराव की अवधि में कोयले की खपत की कुल लागत 2171 रु० 75 पैसे प्रति वर्ष है।

(घ) इस समय 2 डी० एन० एस० शटल नयी दिल्ली स्टेशन पर जितने समय तक रुकती है, उतना समय, अन्य गाड़ियों से मेल लेने और परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जरूरी है और इसमें अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी नहीं होती। अतः जिम्मेवारी ठहराने का सवाल नहीं उठता।

Ex-Director of Wagon Production, Railway Board

10058. Shri J.B. Singh :
Shri Shri Chand Goel :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there were serious charges relating to foreign exchange against the Ex-Director of Wagon Production, Railway Board, who has recently retired from service;

(b) whether it is also a fact that a letter from the wife of the said Director demanding foreign exchange was recovered in a raid conducted on an Indian Company;

(c) whether it is further a fact that the said Director has applied for permission to join TEXMECO and SIMCO concerns of the Birla Group; and

(d) whether permission has been granted or it is under consideration ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : : (a) to (d) The Central Bureau of Investigation inquired into an allegation that the ex. Director, Wagon Production, Railway Board while working as Chief Mechanical Engineer, Central Railway abused his official position and got £ 35 remitted to his son who was studying in London, through a foreign firm with whom the ex. Director had official dealings.

2. An agreement was signed between a foreign firm and the Government of India for indigenous manufacture in India of Diesel Locomotives. Orders had also been placed on this firm for the supply of Diesel Locomotives. While the ex. Director Wagon Production was working as chief Mechanical Engineer, Central Railway, Bombay, he was concerned with the mechanical aspect of the performance of Diesel Locomotives supplied by the said firm to that Railway. A local representative of this foreign firm was providing liaison between the Government of India and the foreign collaborators and had been offering consultative co-operation on behalf of the firm. He was also watching the interests of the firm.

3. During the course of the search of the office/residential premises of the firms' aforesaid local representative, the customs authorities found a letter written by the wife of the ex. Director addressed to the representative that she would be sending him a cheque for Rs. 476/-. Another letter was also found in the premises of the said representative indicating that £ 35 should be deposited in a bank in England in the account of the son of the Chief Mechanical Engineer.

4. Inquiries made by the Central Bureau of Investigation revealed that a cheque for Rs. 476/- was issued by the wife of ex. Director in favour of the aforesaid representative in India of the foreign firm from the joint account of ex. Director and his wife. The Director of Enforcement, Ministry of Finance found the wife of the ex. Director guilty of contravening the provisions of Section 5(1) (c)(i) of the Foreign Exchange Regulation Act and issued a warning to her taking into consideration that the amount involved was small and that this was a solitary instance of its type. That Directorate conducted no case against the ex-Director himself.

5. The case had also been referred to the Central Vigilance Commission prior to the action taken by the Enforcement Directorate. The Commission advised that no action apart from whatever may result from the action taken by the Directorate of Enforcement was called for. The Commission's advice was accepted by the Board.

6. The ex-Director has not sought any permission from this Ministry to join TEXMECO and SIMCO concerns of the Birla Group.

Shortage of Dhotis

10059. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of dhotis for gents in the market;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government have given an option to the mill-owners to produce or not to produce dhotis for gents?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No general shortage of such dhotis has been reported. However, there

have been reports now and again of shortages in certain areas of certain popular brands of finer dhotis produced by some of the reputed mills.

(c) Entire production of dhotis besides sarees, long cloth, shirting and drill in the mill sector has been under production and price control since October, 1964. Effective from May 2, 1968, production of these varieties in coarse and medium categories only have been kept under control. There is no variety-wise obligation and mills have the choice to fulfil the obligation by producing any one or more varieties of controlled cloth.

पूर्वोत्तर रेलवे में ब्रांच लाइन

10060. श्री राजदेव सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर उपयोग के लिये उपलब्ध प्रति इंजन के प्रति दिन चलने के घंटे अभी भी सबसे कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि शाखा लाइनों की अधिकता तथा उनके बीच कम दूरी इंजनों के कम चलने के लिये जिम्मेदार हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुछ शाखा लाइनों को बढ़ाने तथा घने बसे क्षेत्र की सेवा के लिये उन्हें, एक दूसरे से मिलाने की संभावना की जांच करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) नयी लाइनों का निर्माण कार्य जिसमें वर्तमान लाइनों को बढ़ाना भी शामिल है धन की उपलब्धता को देखते हुए उन्हीं क्षेत्रों में शुरू किया जाता है जहां उद्योग, खनिज स्रोत बड़े पैमाने पर कृषि विकास या वन उत्पादन की काफी संभावना हो। पूर्वोत्तर रेलवे में शाखा लाइनों के विस्तार का वित्तीय दृष्टि से फिलहाल कोई औचित्य नहीं दिखायी देता।

रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा

10061. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा के सम्बन्ध में नियमित रूप से छापे मारने के लिये, विशेषतय: ऐसे सेक्शनों में जो अभी हाल से बिना टिकट यात्रा के लिये बदनाम हो गये हैं सभी भारतीय रेलों पर कोई अग्रिम योजना शुरू करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो बिना टिकट यात्रा की इस बुराई को दूर करने के लिये, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषतय: परिवहन उपयोक्ता संस्थाओं की सेवाओं का लाभ उठाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या बिना टिकट यात्रा के समाज विरोधी स्वरूप से जनता को अवगत करने के लिये सरकार का केन्द्रीय तथा राज्य प्रचार संगठनों से सहायता लेने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) तीसरे दर्जे के प्रत्येक सवारी डिब्बे मे एक चल टिकट परीक्षक और रेलवे सुरक्षा दल के 2 सैनिकों की व्यवस्था करके टिकट जांचने की एक प्रयोगिक योजना चुने हुए बदनाम खण्डों पर, परीक्षण के रूप में आज़मा कर देखी

गयी है, लेकिन वित्तीय दृष्टि से इसके परिणाम सन्तोषप्रद नहीं निकले। फिर भी यह योजना असामाजिक तत्वों से निबटने में लाभदायक सिद्ध हुई। इस योजना का आगे विस्तार करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब रेलवे बोर्ड से सम्बद्ध केन्द्रीय टिकट जांच संगठन विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा की मात्रा का पता लगाने का काम पूरा कर लेगा।

(ख) जी हां। रेलों को इस बात की हिदायत है कि वे बिना टिकट यात्रा करने की बुराई को रोकने के लिए स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों का सहयोग, विशेषकर विभिन्न रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के रेल परिवहन उपयोगकर्ता संघों या यात्री संघों के प्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त करें।

(ग) बिना टिकट यात्रा कितना समाजविरोधी काम है यह बताने के लिए रेल प्रशासन प्रचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। केन्द्रीय और राज्य प्रचार संगठनों से भी इस अभियान में सहायता मांगी जा रही है।

खंडीय (ज़ोनल) रेलों के संचालन में कार्य-कुशलता

10062. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सभी खण्डीय रेलों के संचालन में समान कार्यकुशलता नहीं है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में कार्यकुशलता सब से कम है चूंकि उसकी अधिकांश व्यवस्था कम्पनी के समय से चली आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस खंड की अन्तर्हित सीमाओं, जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में शाखा लाइनों या ट्रांशिपमेन्ट प्वायंटों का होना, को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। विभिन्न रेलवे क्षेत्रों की परिचालन कुशलता की सही-सही तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सी बातों का विचार किया जाता है, जिनमें उबड़-खाबड़ भूमि के कारण होने वाली रुकावट, उस क्षेत्र में यातायात का स्वरूप और उसकी संभावना, रेल सुविधाओं का स्वरूप, कर्षण की किस्म, किस हद तक रेल मार्ग का आधुनिकीकरण हुआ है, चल स्टाक, सिगनल और अन्य उपस्कर आदि शामिल हैं। फिर भी प्रत्येक रेलवे के लिए एक वार्षिक कुशलता एवं परिचालन सूचक अंक रखा जाता है, ताकि पिछले वर्ष की तुलना में उसके काम पर निगाह रखी जा सके।

(ख) 1958–59 में पूर्वोत्तर रेलवे इसके वर्तमान क्षेत्रीय सीमा के अनुसार संगठित की गयी थी। तब से इस रेलवे के कुशलता एवं परिचालन सूचक अंक में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1966–67 में यह सूचक अंक 127 था, जबकि 1958–59 में 100 था।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, सवाल नहीं उठता। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे की परिचालन कुशलता में और सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

लघु उद्योग सेवा संस्थायें

10063. श्री राजदेव सिंह : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा तैयार की गई तथा प्रकाशित आदर्श योजनाओं के बारे में जो संबंधित क्षेत्र के उपक्रमियों को लाभ तथा व्यावहारिकता को ध्यान में रखे बिना बनाई गई हैं, जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति को किस प्रकार ठीक करने का विचार है क्योंकि आदर्श योजनाओं की संख्या प्रति वर्ष तेजी से घटती जा रही ; और

(ग) उक्त संस्था द्वारा जारी किये जाने वाले तकनीकी बुलेटिनों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हाल ही में लघु उद्योग सेवा संस्थानों ने तकनीकी बुलटिनों के स्थान पर जापानी नमूने पर "इण्डस्ट्री प्लांट गाइड" तैयार करने का काम हाथ में लिया है। यह अधिक लाभकारी तथा विस्तृत है किन्तु इनकी तैयारी में समय अधिक लगता है। इसलिए इनकी संख्या पहले के प्रकाशनों की अपेक्षा कम है।

मैसूर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

10064. श्री हिम्मत सिंहका : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को गर-सरकारी क्षेत्र के कुछ सूक्षम तथा अनुभवी उपक्रमियों को सौंपने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो सरकारी क्षेत्र के किन उपक्रमों को सौंपने का प्रस्ताव है, तथा इसकी शर्तें क्या हैं और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को भी जो घाटे में चल रहे हैं ; गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने की संभाव्यता और वांछनीयता के सम्बन्ध में अध्ययन करने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लाभ में सुधार करने की दृष्टि से सरकारी उद्योगों के कार्य संचालन की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

ग्रामीण औद्योगिक सम्पदा

10065. **श्री राजदेव सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच-वर्षीय योजना के पश्चात् ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं में वर्क्स शेडों का प्रयोग किये जाने में भारी कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन सम्पदाओं का निर्माण औद्योगिक क्षमता के पूर्व अनुमान के बिना किया गया था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बाधा डालने वाले शैडों को हटा कर खाली शेडों का प्रयोग करने और उचित सुविधाएं प्रदान करने या शेडों को किसी अन्य प्रकार से इस्तेमाल करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : कुछ ग्रामीण औद्योगिक बस्तियोंमें वर्क शेडों के इस्तेमाल में कमी का प्रमुख कारण उनके खराब स्थान में होना और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का अभाव है । औद्योगीकरण की प्रक्रिया में शीघ्रता करने के उत्साह से उन राज्य सरकारों ने जिन्होंने औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की, बहुत सी बस्तियों की स्थापना करने के मामले में वहां विकास की संभावनाओं का अच्छी तरह पता नहीं लगाया। कहीं-कहीं तो बिजली, पानी आदि की सुविधाओं की व्यवस्था शेड पूरे हो जाने के बाद भी नहीं की जा सकी। कुछ मामलों में एक या दो अवधि के लिये कच्चे माल का विशेष रूप से आवंटन किया गया था किन्तु उसके बाद बन्द कर दिया गया। आस-पास के क्षेत्रों के किराये की तुलना में कुछ ग्रामीण बस्तियों में किराया भी अधिक है।

(ग) जी, हां। राज्यों के उद्योग निदेशकों की एक बैठक में हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि विकास की संभावनाओं का पता लगाने के बाद सारी बस्तियों का निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकरण कर दिया जाना चाहिये :—

(1) बस्तियां जो संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं और जिन्हें किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है ;

(2) बस्तियां जो फिलहाल उचित ढंग से नहीं चल रही हैं किन्तु जिनके विकास की संभावनाएं हैं और जिन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देने से उन में अच्छी प्रकार काम शुरू हो जायगा ; और

(3) बस्तियां जिन में विकास की कोई भी संभावना नहीं है इसलिए भविष्य में उनकी उन्नति की आशा नहीं है।

श्रेणी (2) की बस्तियों के लिये यह निश्चय किया गया था कि अच्छी तरह जांच-पड़ताल करने के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो प्रस्तावों को किराये में राज्य सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजें जाने चाहिये। श्रेणी (3) की बस्तियों को या तो अन्य विभागों को हस्तांतरित कर दिया जाय अथवा उनका कोई और इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

स्टेशनों पर कार्य सम्भालने हेतु श्रम सहकारी समितियां

10066. **श्री ब्रह्म प्रकाश** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1958 में रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों पर कार्य संभालने हेतु श्रम सहकारी समितियों के प्रोत्साहन की नीति बनाई थी तथा ऐसी समितियों के बनाने के लिये एक विभाग भी खोला था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी श्रमसहकारी समितियां संगठित की गई हैं ; ऐसी कितनी समितियों को काम नहीं दिया गया और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ठेकेदारों के स्थान पर श्रम समितियों को काम देने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और उसके लिये क्या कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Joint Divisional Managers in S.T.C.

10067. **Shri R. K. Sinha** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the educational qualifications prescribed for the appointment of Joint Divisional Managers in the State Trading Corporation;

(b) Whether Government are satisfied with the educational qualifications of Joint Divisional Managers working in the State Trading Corporation at present and whether they are sure that they were appointed on the basis of prescribed criterion;

(c) whether there is any person among them who could not pass matriculation examination in India but after staying in America for one year, he is now working in the state Trading Corporation in the pay scale of Rs. 1100—1400; and

(d) whether there are persons among them who have not been confirmed in the U. P. cadre even on behalf of their present pay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The educational qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Joint Divisional Manager are a recognised Degree preferably Post Graduate Degree in Economics, Commerce, Statistics or Business Administration with at least 7 year's experience in a Government Organisation or a Commercial Undertaking of repute. The Degree Qualification is relaxed in the case of specially experienced candidates with minimum experience of 10 years in a Commercial Undertaking of repute. These criteria, however, do not apply to persons promoted to the post of Joint Divisional Manager or taken on deputation from other organisations.

(b) Government do not enquire into the promotions or appointments to the post of Joint Divisional Manager. This is within the competence of the Corporation. Government are, however, informed by the Corporation that in the case of direct recruits where the educational qualifications were below the prescribed standard, the special experience and technical qualifications of the candidate were kept in view.

(c) There is no J.D.M. who has not passed the Matriculation Examination.

(d) No, Sir.

पूर्व रेलवे के फायरमैनों द्वारा 'नियमानुसार काम करो' तरीका अपनाया जाना

10068. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको के कर्मचारियों, विशेषत: पूर्व रेलवे के फायरमैनों, ने "नियमानुसार काम करो" शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप झाझा-दानापुर और मुगलसराय पर कुछ गाड़ियों को बन्द करना पड़ा तथा कुछ अन्य गाड़ियों का मार्ग बदलना पड़ा जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व रेलवे के झाझा और अन्य स्थानों के कुछ फायरमैनों ने अपने स्थानापन्न पद की पदोन्नति/स्थायीकरण सम्बन्धी सेवा की कठिनाइयों की ओर रेल प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के विचार से यह ढंग अपनाया जिसे उन लोगों ने 'उच्चतर ग्रेड, में स्थानापन्नता की अस्वीकृति की संज्ञा दी है। हालांकि रेल प्राधिकारियों ने सम्बंधित कर्मचारियों को उनके प्रतिनिधियों द्वारा 30-3-1968 को विभिन्न कठिनाइयों की स्थिति की पूरी और विस्तृत जानकारी दी गयी थी लेकिन कर्मचारियों के अपनाए गये रुख के फलस्वरूप कुछ अस्त-व्यस्तता की रिपोर्ट मिली है।

पूर्व रेलवे पर दो रीजनल यूनियनें हैं जिन्हें रेलों के साथ बातचीत करने की पूरी सुविधाएं हैं। खिन्न कर्मचारियों को अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत करने के लिए यह माध्यम सदैव उपलब्ध है। रेल कर्मचारियों का अमान्य सारिणी के लिए अपनाया गया रुख उचित नहीं था।

तारकोल से रसायनों का निकाला जाना

10068-क. श्री समर गुह : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन क्षेत्रों में विभिन्न आसवन केन्द्रों में तैयार होने वाले तारकोल का उपयोग रसायन निकालने के लिये किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तारकोल से कौन-कौन से मुख्य रसायन तैयार किये जाते हैं ;

(ग) क्या तारकोल से ऐसे रसायन निकालने की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) रसायनों की उपलब्धि के लिये कोलतार अंशत: उपयोग में लाये जाते हैं।

(ख) कोलतार—आसवन और कोक-भट्टा गैसों से उत्पादित मुख्य रसायन ये हैं :—बैंज़ोन, टाल्युईन, टाल्युओल, नैफ्थेलीन, क्रिओसोट तेल, विलायक (सालवैन्ट) नैफ्था और ऐमोनियम सल्फ़ेट।

(ग) नहीं, महोदय।

(घ) क्योंकि बहुत से एकक छोटे हैं, अतः आर्थिक तथा परिचालन सम्बन्धी दोनों कारण, उन के द्वारा उपोत्पाद उपलब्धि के लिए संयंत्र स्थापित किये जाने के मार्ग में बाधक है।

Prices of Groundnut

10068-B. Shri Shri Gapal Sabao : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of groundnut have come down as a result of bumper crop of groundnut this year and the farmers are being put to considerable loss;

(b) if so, whether Government propose to open forward market in it in order to check the further fall in its prices;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the action being taken by Government to protect the farmers for any likely loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Prices of groundnut this year are lower than those prevailing this time last year.

(b) and (c). The matter is under consideration.

(d) The Government is keeping a constant watch and the prices will not be allowed to fall below the levels considered remunerative to the growers.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू तथा काश्मीर में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करने के लिये पाकिस्तान में एक नये संगठन के अस्तित्व में आने का समाचार

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"पाकिस्तान में "जम्मू तथा कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट" नामक घुसपैठियों के एक नये संगठन, जो जम्मू तथा कश्मीर में तोड-फोड़ की कार्यवाहियां करने और गुरिल्ला सशस्त्र आक्रमण आरम्भ करने की तैयारी कर रहा है, के अस्तित्व में आने का समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान 'लन्दन टाइम्स' में प्रकाशित ब्रिटिश संवाददाता द्वारा लाहौर से भेजे गये समाचार के बारे में भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है। पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर राज्य में अपने एजेंट भेज कर तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने का लगातार प्रयास करता रहा है। पाकिस्तान के इन एजेंटों के नाम अलग-अलग होते हैं। इस बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार सतर्कता वरत रही है तथा जनता के सहयोग से वे देश की सुरक्षा के विरुद्ध इन षड़यन्त्रों का सामना करने में सफल होंगी।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : सरकार ने 1965 में भी ऐसा ही कहा था कि हम सतर्क हैं। तब हमारी सतर्कता एक ही रात में समाप्त हो गई, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए

[श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा]

मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारत-विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक तत्वों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में गत दो वर्षों में दृढ़ कार्यवाही की गई है, 1965 में सतर्क होने के कारण ही हम उस समय सभी कार्यवाहियां कर सके।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मंत्री महोदय ने कहा है कि 1965 में हम सतर्क थे परन्तु 1965 में कई महीने पहले चेतावनी देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई, अब शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। 1965 में पाकिस्तान ने जो कुछ किया था, शेख अब्दुल्ला ने उसको खुले आम ठीक कहा है। इससे कश्मीर के लोगों के मन में अनिश्चितता पैदा हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 370 का निरसन तुरन्त किया जाना चाहिये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री के वक्तव्य से पता लगता कि जम्मू तथा काश्मीर प्रशासन पाकिस्तान की गतिविधियों से पूरी तरह सतर्क है। हम शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों को ध्यान से देख रहे हैं परन्तु हम इस मामले में जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते। अनुच्छेद 370 को हटाने से स्थिति में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की सम्भावना है, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, किसी मामले में कोई अनिश्चितता नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur). It is matter of great regret that we have come to know of the activities of the liberation front from a correspondent of 'London Times' and still the Government Claims that she is very vigilant in the matter. I would like to know whether Shiekh Abdullah is connected directly or indirectly with such activities.

I would also like to know whether it is a fact that while returning from his visit to Pakistan, Soviet Prime Minister Shri Kosygin handed over any resolution of the Government of Pakistan to Government of India or the Prime Minister.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ठीक नहीं है कि हमें इस बारे में जानकारी 'लन्दन टाइम्स' से प्राप्त हुई है। परन्तु क्या माननीय सदस्य हम से यह आशा करते हैं कि हम ऐसे बातों का समाचारपत्रों में प्रचार करायें।

शेख अब्दुल्ला के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि उनका तोड़-फोड़ की गतिविधियों से कोई सम्बन्ध है। जब तक कोई साक्ष्य न हो, मैं इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकता। श्री कोसीगिन का इस मामले से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : श्रीमान्, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 225 के अंतर्गत निम्नलिखित विषय पर विशेषाधिकार का मामला उठाने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

बम्बई के मराठी के एक दनिक पत्र 'महाराष्ट्र टाइम्स' ने 3 मई, 1968 के अंक में समाचार प्रकाशित किया है कि श्री परांजपे ने सोमवार को इस क्षेत्र का दौरा किया और फादर फेरर की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। उन्होंने कहा है कि उनके पास इस बात की विस्तृत जानकारी है कि फादर फेरर ने अवधि बढ़ाने के लिये आदेश प्राप्त करने के लिये कुछ संसद सदस्यों से सहायता लेने के लिये उन्हें कितना धन दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह इसकी जानकारी भारत के राष्ट्रपति को देंगे तथा मांग करेंगे कि राष्ट्रपति इन संसद सदस्यों की गतिविधियों की जांच करें।

इस समाचार का सम्बन्ध फादर फेरर के लिये भारत में ठहरने की अवधि दो महीने तक बढ़ाने के बारे में था जिसकी कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने 22 अप्रैल, 1968 को संसद में घोषणा की थी।

विभिन्न दलों से सम्बन्धित संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिये हैं। यह आरोप कि कुछ संसद सदस्यों ने अवधि में वृद्धि का आदेश प्राप्त करने के लिये उनसे नकद रुपया लिया था, न केवल अपलेखात्मक है बल्कि विशेषाधिकार का उल्लंघन तथा इस सभा का अपमान भी है। इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन करके महाराष्ट्र टाइम्स के सम्पादक, प्रकाशक तथा मालक ने इस समाचार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया है और श्री बी० बी० परांजपे के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इन सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जांच के लिये तथा लोक-सभा के आगामी सत्र के आरम्भ तक प्रतिवेदन देने के लिये यह मामला विशेषाधिकार समितिको सौंपा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कोई मतभेद हो सकता है, यह एक गम्भीर आरोप है। हम इसे सीधे विशेषाधिकार समिति को भेज दें ताकि समिति उसकी जांच कर सके।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : उठे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न अभी इस समय उठाना चाहते हैं, उन्हें इस सम्बन्ध में मुझे लिखना चाहिये ताकि मैं उस पर विचार कर सकूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस के बारे में सरकार की समीक्षा

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्रीमान्, मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक, महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1198/68]

खादी तथा ग्रामोद्योग समिति

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से खादी तथा ग्रामोद्योग समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1199/68]

उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 18-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1338 की एक प्रति जो दिनांक 10 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1200/68]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की (उपधारा) (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, के 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1201/68]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) लागत लेखा रिकार्ड (साइकिलें) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 84 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) लागत लेखा रिकार्ड (कास्टिक सोडा) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 85 म प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) लागत लेखा रिकार्ड (सीमेन्ट) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 86 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) लागत लेखा रिकार्ड (टायर तथा ट्यूबें) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1192 में प्रकाशित हुए थे ।

(4) ऊपर की मद संख्या (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण । **(पुस्तकालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 1202/68)**

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार की समीक्षा

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची का वर्ष 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) सरकारी संकल्प संख्या सीं 2-8(7)/67 की एक प्रति जो दिनांक 20 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति का अन्तिम प्रतिवेदन पेश किये जाने की अवधि बढ़ाई गई थी (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

[पुस्तकालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 1203 और 1204/68]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मुझे कार्य मंत्रणा समिति की 6 मई, 1968 की हुई बैठक में किये गये निम्नलिखित निर्णयों की सूचना सभा को देनी है :

(1) आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा हरिजनों के विरुद्ध दिये गये वक्तव्य के बारे में 6 मई, 1968 को गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा बुधवार 8 मई, 1968 को 5 बजे म० प० से 7 बजे म० प० तक की जाये ।

(2) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव के लिए एक घण्टे का समय नियत किया जाये ।

(3) यह सत्र 10 मई, 1968 के बाद यथासम्भव न बढ़ाया जाये । यदि शुक्रवार 10 मई, 1968 के लिए रखा गया अविलम्बनीय सरकारी कार्य उस दिन समाप्त न

हो तो सभा शनिवार, 11 मई, 1968 को भी ऐसा अविलम्बनीय कार्य करने के के लिये जिसे अगले सत्र तक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता, शनिवार, 11 मई, 1968 को भी बैठे।

एकाधिकारात्मक तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें विधेयक

MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES BILL

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हित के प्रतिकूल आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण में हों, एकाधिकारों के नियंत्रण, एकाधिकारात्मक तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के निषेध और तत्संक्त विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ता में सेठ अचल सिंह को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप सामान्य हित के प्रतिकूल आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण में हों, एकाधिकारों के नियंत्रण, एकाधिकारात्मक तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायों के निषेध और तत्संक्त विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ता में सेठ अचल सिंह को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक---जारी

ESTATE DUTY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): अध्यक्ष महोदय, कल सभा में यह मामला उठाया गया था कि प्रक्रिया नियमों के नियम 69 के उपनियम (1) के अनुसार, जो संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड 3 से सम्बन्धित है, इस विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये था।

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1968 का उद्देश्य केवल यह है कि राज्यों में कृषि भूमि के बारे में आपातकाल में संसद द्वारा सम्पदा शुल्क में किये गये विभिन्न संशोधनों को लागू रखा जाये। इस विधेयक के कानून बनने से यह आशा नहीं की जाती कि सम्पदा शुल्क का प्रवर्तन करने वाले आय-कर विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि करना आवश्यक होगा क्योंकि संशोधनों के परिणामस्वरूप विभाग के कुल कार्यभार में किसी तरह की वृद्धि नहीं होगी।

इस बात को देखते हुए इस विधेयक के कानून बनाने से भारत की संचित निधि से धन व्यय नहीं होगा। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक नहीं है कि इस विधेयक के साथ एक वित्तीय ज्ञापन जोड़ा जाये और इस पर विचार करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड (3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : माननीय मंत्री ने कल कही गई बात को पुनः दोहराया है। इस सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं की गई है। मैं यह नहीं समझता कि कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया है।

श्री स० कुन्दु (बालासोर) : कल इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। हमने कहा था कि नियम 69(1) व्यय से सम्बन्धित है। नियम 69(1) का संविधान के अनुच्छेद 117(3) के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

मंत्री महोदय ने सभा को यह आभास दिया है कि कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किये जायेंगे परन्तु ऐसा कहकर वह किसी अतिरिक्त व्यय की सम्भावनाओं को टाल नहीं सकते। नया कार्यालय खोलकर अधिक वसूली होगी परन्तु कम से कम लेखन सामग्री पर कुछ खर्च निश्चित है। इसलिये, कुछ व्यय अवश्य होगा इसलिये, वित्तीय ज्ञापन आवश्यक है।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): मंत्री महोदय द्वारा दिया गया तर्क दोषपूर्ण है, यदि वह यह अधिनियम अन्य राज्यों पर लागू करना चाहते हैं, तो निश्चय ही कुछ व्यय करना पड़ेगा। जैसे ही यह मान लिया जाये कि उस पर व्यय होगा तो नियम 69 लागू होगा। मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि क्योंकि वह यह व्यय पहले ही कर रहे हैं। इसलिये सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला कल भी उठाया गया था। मंत्री महोदय ने कहा है कि अधिकारी पहले ही कार्य कर रहे हैं तथा किसी नये अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जायेगी। जब वह कहते हैं कि उस पर कोई और व्यय नहीं होगा तो हमें वित्तीय ज्ञापन देने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि क्या वह व्यय करते हैं अथवा नहीं,

प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

सिविल प्रतिरक्षा विधेयक—जारी

CIVIL DEFENCE BILL—*contd.*

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं इस विधेयक द्वारा सरकार को असीमित शक्तियां दी जा रही हैं जो पहले भारत

[श्री पं० गोपालन]

प्रतिरक्षा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में प्रदान की गई थीं । इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे समय पर पूरा नहीं होगा जबकि संकट की स्थिति समाप्त की जा रही है । हमारे देश की सुरक्षा को कहीं से भी कोई खतरा नहीं है । इसलिये, इस विधेयक को अधिनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए :
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*.]

मुझे इस बात का डर है कि यदि नौकरशाहों को इतने असीमित अधिकार दिये गये जैसे कि इस विधेयक में देने का विचार है तो इस बात की बहुत सम्भावना है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जायेगा । जनता के अधिकारों के दमन के लिये आपाती अधिकारों के प्रयोग का हमें बहुत अनुभव है । चीन-भारत युद्ध के दौरान कलकत्ता के एक कारखाने के मालिक ने पुलिस के साथ मिलकर अपने सभी कर्मचारियों को देश की प्रतिरक्षा के नाम पर गिरफ्तार करवा दिया था । भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक समुदाय के कई व्यक्तियों को गिरफ्तार करा दिया गया था ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिससे इसे बनाया जा रहा है । युद्ध होने पर देश की सुरक्षा का केवल एक ही तरीका है कि जनता की सेवा बनाई जाये । समूची जनता को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । यदि आप नौकरशाही पर निर्भर करेंगे तो वे आक्रमण के समय देश की प्रतिरक्षा नहीं कर सकेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (अनंद) : भारत प्रतिरक्षा नियमों के विलम्बन के कारण, जिसके अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्रालय से कुछ शक्तियां मिली हुई थीं, यह विधेयक आवश्यक हो गया है । यदि हम देश की असैनिक प्रतिरक्षा की आवश्यकता को देखें, तो मैं यह अनुभव करता हूं कि सरकार ने इस अधिक महत्वपूर्ण मामले की उपेक्षा की है—क्योंकि दिल्ली के लोग यह नहीं जानते कि हम लासा से कुछ सौ मील ही दूर हैं । एक तेज लड़ाकू विमान दिल्ली को कुछ ही मिनटों में तहस-नहस कर सकता है । हम इस खतरे के प्रति जागरूक नहीं हैं । एक बड़ी जनसंख्या वाले तथा संसाधनों वाले हमारे जैसे विशाल देश को किसी भी चुनौती का, जिससे हमारी सीमाओं पर खतरा उत्पन्न हो, सामना करने के लिए तैयार रखना चाहिये । जनता की सेना प्रारम्भ करने का सुझाव दिया गया है । मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि हम इन असैनिक उपायों में सहयोग नहीं देंगे तो हमारे लिए जनता की सेना के बारे में सोचना बड़ा कठिन है । सन् 1962 में हमने देखा है कि जब असैनिक (सीविल) उपाय किये गये थे तो लोग उन व्यक्तियों पर हंस रहे थे जो खाइयां खोद रहे थे । इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम इन उपायों को गम्भीरता से नहीं कर रहे हैं । शत्रु अकसर बड़े-बड़े शहरों पर आक्रमण करता है, अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को आत्म-रक्षा के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दें । सर्वप्रथम हमें लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिये कि किस प्रकार उन्हें अपने आप को और घरों को बचाना चाहिये । आग बुझाने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, यह उपाय राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिये बताया गया है । इसका सम्बन्ध शासक-दल से नहीं है । जो भी सरकार पदासीन है उसे सारे आवश्यक कार्य करने हैं, अतः हम सबको इस सम्बन्ध में सहयोग देना चाहिये । यदि

कहीं कोई कमी हो तो उसे दूर करना चाहिये। हमें इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिये । हमें इसका स्वागत करना चाहिये और इसे विस्तृत बनाना चाहिये जिससे कोई भी शत्रु किसी भी समय हम पर आक्रमण करने के बारे में न सोच सके।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सामान्य रूप से विधेयक से सहमत हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि विधेयक में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाये क्योंकि यह ठीक ढंग से नहीं बताया गया है। विधेयक के बनाने वालों ने विश्व में युद्ध के सिद्धान्तों में जो आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं उनको ध्यान में नहीं रखा है। आजकल युद्ध एक ही स्थान पर सीमित नहीं रहता बल्कि सब जगह फैल जाता है, लड़ाकू और गैर-लड़ाकू वर्गों के बीच का भेद भी समाप्त हो गया है। युद्ध चालन विद्या में नया तरीका अपनाया जा रहा है अर्थात् देश द्रोहियों द्वारा आन्तरिक आक्रमण। प्रतिरक्षा संकल्पना में पूर्ण परिवर्तन हो गया है, जब तक बाह्य प्रतिरक्षा और आन्तरिक प्रतिरक्षा में उचित समन्वय नहीं किया जायेगा तब तक कोई देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिये सरकार को इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये और इस विधेयक का प्रारूप पुनः तैयार करना चाहिये। इस प्रयोजन के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा जाये। हमें इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिये कि सिविल प्रतिरक्षा दल का कार्य न केवल हवाई हमलों के दौरान आन्तरिक शान्ति, कानून और व्यवस्था स्थापित करना है बल्कि लोगों के मनोबल बनाये रखना तथा देश द्रोहियों और राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मुकाबला करना भी है जो आन्तरिक आक्रमण द्वारा देश की सुरक्षा को नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमें देश में दो तरफों से दो बड़े शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा है। हम यह भी जानते हैं कि हमारी सरकार देश की सुरक्षा पर 1000 करोड़ रुपये खर्च करना चाहती है, अतः यह विधेयक वास्तविक आक्रमण की स्थिति में सिविल प्रतिरक्षा दल को अपने कार्यों को निभाने के योग्य बनाने के लिए अपर्याप्त है। सरकार को इस विधेयक को जल्दी में पास करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। इस विधेयक को उचित मूल्यांकन के लिए संयुक्त समिति के पास भेजना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): मुझे प्रसन्नता है कि जिन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उन्होंने विधेयक का सामान्य रूप से स्वागत किया है। कुछ सुझाव भी दिये गये हैं, सरकार उन पर विचार करेगी और उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगी। सिविल प्रतिरक्षा दल कोई लड़ाकू दल नहीं है। यह जानमाल की रक्षा के लिए है। यह आन्तरिक आक्रमण के साथ लड़ने के लिए नहीं है ऐसी बात विधेयक की परिधि के बाहर है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा जाय। सरकार को यह बात स्वीकार नहीं है क्योंकि सिविल प्रतिरक्षा संगठन भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बना है, जून में प्रतिवेदन देने की हिदायतों के साथ विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये एक संशोधन पेश किया गया था, क्योंकि उस समय सत्र नहीं होगा अतः यह पास नहीं किया जा सकेगा। अतः हम इस सुझाव से सहमत नहीं हो सके। यह भी कहा गया है कि पीछे पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान 25,000 रुपये की कीमत के उपकरणों की क्षति हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपना वक्तव्य मध्याह्न भोजन के उपरान्त जारी रखें । विधि मंत्री महोदय ।

शपथ-पत्र के परिचालन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : CIRCULATION OF AFFIDAVIT

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : दो या तीन कारणों से सरकार इस दस्तावेज के परिचालन को आपत्तिजनक समझती है, पहला यह कि यह दस्तावेज अब उच्च न्यायालय के रिकार्ड में है । मूल शपथ-पत्र स्वयं उच्च न्यायालय के रिकार्ड का अंश है । मामले में तर्क पहली मई को समाप्त हुए थे और न्यायालय ने निर्णय को आरक्षित रखा है । मामला स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से न्यायनिर्णयाधीन है । इन कारणों से सरकार शपथ-पत्र के परिचालन को अनौचित्य मानती है ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

सिविल प्रतिरक्षा विधेयक (जारी)

CIVIL DEFENCE BILL (*Contd.*)

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fourteen of the clock.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए ।
Shri Thirumala Rao *in the Chair.*]

श्री के० एस० रामास्वामी : यह कहा गया है कि पीछे पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान लगभग 25,000 रुपये के सिविल प्रतिरक्षा उपकरणों की क्षति हुई थी । ये उपकरण दिल्ली में आग बुझाने वाली पार्टियों को दिये गये थे और हमने उनसे उपकरणों को लौटाने के लिए कहा है । यह कहा गया है कि डाक्टरों और सरकारी कर्मचारियों को भी सिविल प्रतिरक्षा के दौरान सहयोग देना चाहिये । डाक्टरों को तो सहयोग देना ही होगा और आपात स्थिति के दौरान न केवल सरकारी डाक्टरों बल्कि सभी डाक्टरों और इंजीनियरों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा । यह भी सुझाव दिया गया था कि विद्यार्थियों को सिविल प्रतिरक्षा की शिक्षा दी जाय । शिक्षा मंत्री महोदय ने पहले ही शिक्षा संस्थाओं को अनुदेश दे दिये हैं कि वे विद्यार्थियों को सिविल प्रतिरक्षा के उपायों से परिचित रखें । यह भी सुझाव दिया गया है कि दलों से निकाले हुए सदस्यों को कहीं भी नौकरी न दी जाये और अनुशासनहीनता सहन न की जाये । सरकार का इरादा यह है कि ठीक प्रकार के लोगों को इसमें भर्ती किया जायेगा और अनुशासनहीनता को सहन नहीं किया जाएगा । जो लोग राष्ट्र विरोधी कार्यों में पड़ते हैं उनको भी भर्ती नहीं किया जायेगा ।

केरल के सदस्य महोदय ने कहा कि पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान अल्प संख्यक जाति के कुछ लोगों को और कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया था उनको इसलिये हिरासत में लिया गया था कि उन्होंने कुछ गलत कार्य किये थे और सरकार उसके लिए बिलकुल भी उत्तरदायी नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए—श्री समर गुह द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived.

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है : "कि सिविल प्रतिरक्षा तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम इस पर खण्डवार चर्चा करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 से लेकर 11 तक विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 3 to 11 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या खण्ड 12 के लिए कोई संशोधन है ?

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस खण्ड के लिए मेरे पास संशोधन संख्या 3 है । मैंने यह मामला इससे पहले उठाया था । ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंत्रालय इस खण्ड की शब्दावली पर अधिक ध्यान दे रहा है । यदि इस अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई तो सरकार इसकी शब्दावली के कारण मुकद्दमे में उलझ जायेगी । खण्ड 12 में कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाया गया कोई आदेश प्रभावी होगा चाहे राज्य अधिनियम में कुछ भी हो । इसका अर्थ हुआ कि इससे राज्य अधिनियम का अतिक्रमण होगा क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम होने के कारण यह वैध समझा जायेगा । अतः मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ । इसका अर्थ है कि जब भी इस मामले को विनियमित करने के लिये राज्य का कोई कानून हो तो वह कानून ही रहेगा ताकि कोई झगड़ा होने की गुंजायश न रहे । मेरा उद्देश्य केवल मात्र यही है ।

श्री रामस्वामी : यह विधेयक केन्द्रीय सरकार को नागरिक सुरक्षा के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है और वे नियम सारे देश में समान रूप से लागू होंगे । यह विधेयक राज्यों को भेजा गया था और किसी भी राज्य को इसके उपबन्धों पर आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 3 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 was added to the Bill.

खंण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हू । ये शब्द जोड़ने से मेरा उद्देश्य यही है कि चोर बाजार वालों को पैसा कमाने का अवसर न मिल सके ।

श्री रामस्वामी : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 4 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was accepted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 15 to 20 were added to the Bill.

खण्ड 1

श्री रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, "1967" के स्थान पर "1968" रखा जाये (2A)

यह केवल एक औपचारिक संशोधन है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, "1967" के स्थान पर "1968" रखा जाये । (2A)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

Amendment made:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "Eighteenth" ("अठारहवां") के स्थान पर "Nineteenth" ("उन्नीसवां") रखा जाये । (1A)

(श्री रामस्वामी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पांडिचेरी (विधियों का विस्तारण) विधेयक

PONDICHERRY (EXTENSION OF LAWS) BILL.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय केन्द्रीय अधिनियमों को पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र पर विस्तारण सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक के बारे में मुझे बहुत अधिक नहीं कहना है । पांडिचेरी के लोग बहुत दिनों से इस आशय की मांग करते रहे थे और उनकी मांग को पूरा करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है । हमने पहले कहा था कि हम पांडिचेरी के लोगों को फ्रांसीसी पद्धति से भारतीय पद्धति में बदलने के लिये काफी समय देंगे ताकि उनके रहनसहन में एकाएक कोई गम्भीर परिवर्तन न हो । इसी कारण यद्यपि वास्तव में सत्ता का हस्तान्तरण 12 वर्ष पहले हो गया था किन्तु हमने इतना विलम्ब इसलिये किया कि परिवर्तन धीरे धीरे हो ।

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

किन्तु केन्द्रीय कानूनों को लागू करने की यह मांग समय समय पर की जाती रही है। इस बात पर पांडिचेरी की विधान सभा में भी चर्चा हुई थी और सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय कानूनों को यथाशीघ्र लागू किया जायेगा। इस लोकप्रिय मांग को देखते हुए 96 केन्द्रीय कानूनों को इस संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया जा रहा है।

मुझे मालूम है कि पांडिचेरी के कुछ लोग अब भी थोड़ा और समय चाहते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि इस मामले में उनकी कुछ उचित कठिनाइयां हैं। लेकिन हम जब कभी ऐसे काम करते हैं तो हमें आम जनता का हित देखना पड़ता है। यदि केन्द्रीय कानूनों को लागू करने से पांडिचेरी के लोग संतुष्ट हो सकते हैं, तो यह किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। दोनों प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं।

श्री जेवियर (तिरुनेलवेली) : गृह-कार्य राज्य-मंत्री का यह कहना कि बहुत समय से पांडिचेरी के लोग केन्द्रीय अधिनियमों को वहां पर लागू करने की मांग करते रहे हैं उचित नहीं है। वास्तव में पांडिचेरी के बहुत से लोगों ने इस विधेयक के पेश किये जाने का विरोध किया है और इसके विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में समादेश याचिका भी दर्ज की है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने इन 12 वर्षों में वहां पर अंग्रेजी का प्रचलन जारी करने के लिये क्या उपाय किये हैं। वहां के लोगों की भाषा फ्रांसीसी है और न्यायालयों आदि में भी फ्रांसीसी भाषा में ही कार्यवाही होती है। इसलिये उन पर एकाएक ये अंग्रेजी अधिनियम लागू करना क्या उचित कहा जा सकता है? क्या इससे उन लोगों को कठिनाई नहीं होगी?

पांडिचेरी के लोग इसका कट्टर विरोध कर रहे हैं। वकील, सौदागर, व्यापारी, प्रशासनिक कर्मचारी, वास्तव में सारी जनता इसका विरोध कर रही है। उन्होंने पांडिचेरी, माहे तथा अन्य स्थानों पर प्रस्ताव पास किये हैं और केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह इतनी जल्दी में यह विधान न लाए। उन्होंने कुछ समय मांगा है पर इतने विरोध के बावजूद सरकार यह विधेयक पेश कर रही है। इन परिस्थितियों इन कानूनों का पालन करने में सरकार की कौन सहायता करेगा? और यदि विधान के क्रियान्वयन में लोगों का सहयोग न होगा तो भारी अव्यवस्था हो जायेगी। इसलिये सरकार को चाहिये कि पहले वह इस विधान के लिये सारी जनता का सहयोग प्राप्त करे।

इसके अलावा हमारे सामने अनाज, बेकारी और घाटे की अर्थ-व्यवस्था की कई समस्यायें हैं। ऐसी स्थिति में इतने आवर्ती विधान को लागू करने की क्या आवश्यकता है? इस विधेयक पर जनगत जानने के लिये इसे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में परिचालित किया जाना चाहिये और परिवर्तन के लिये लगभग 10 वर्ष का समय दिया जाना चाहिये। हमें इस विधान से कोई विरोध नहीं है। हम किसी भी विधान को स्वीकार करने के लि

तैयार हैं, हमें केवल परिवर्तन के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये जिससे इस संघ राज्य क्षेत्र की जनता का जीवन, जो 250 वर्षों से फ्रांसीसी जीवन का अभ्यस्त हो चुका है, अकस्मात छिन्न-भिन्न और अव्यवस्थित न हो जाये।

श्री नं० सेतुरामन् (पांडिचेरी) : मैं सरकार को यह विधेयक पेश करने के लिये जिसके द्वारा कुछ केन्द्रीय अधिनियमों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया जा रहा है, धन्यवाद देता हूं। 1962 में सत्ता के विधिसम्मत हस्तांतरण के बाद दण्ड प्रक्रिया सहित कुछ अत्यावश्यक नियमों को पांडिचेरी पर लागू किया गया था। फिर भी इस संघ राज्य क्षेत्र की सारी जनता और अधिक नियमों को लागू किये जाने की आवश्यकता अनुभव करती रही है।

पांडिचेरी की जनता की भावात्मक एकता तब तक अपूर्व रहेगी जब तक कि वैधानिक स्वरूप में भी एकरूपता नहीं हो जाती। इन केन्द्रीय कानूनों को वहां पर जितनी जल्दी लागू किया जायेगा इस संघ राज्य क्षेत्र की जनता के लिये उतना ही बेहतर और लाभदायक होगा।

श्री कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : हम तो यह समझे बैठे थे कि केन्द्रीय कानून वहां पर कभी के लागू किये जा चुके हैं। इतना समय व्यतीत हो चुका है फिर भी सरकार इस प्रकार का विधेयक पेश करके बधाई की पात्र है।

कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। कुछ वकील और नोटरी ही इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन नियमों के लागू होने से उनका व्यवसाय छिन जायेगा। यदि सरकार उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था करे तो यह भी दूर हो सकता है।

इन उपबन्धों का लागू किया जाना वहां के प्रशासक की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। यह उचित नहीं है; जब हम एक कानून बनाते हैं तो यह विशेषकर बताया जाना चाहिये कि अधिनियम फलां तारीख को लागू होगा। यदि नोटरी तथा वकीलों के लिये कोई कठिनाई है, तो विधेयक में पहले ही इस सम्बन्ध में संरक्षण दिया गया है। किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार अथवा दायित्व का इस कानून को लागू करके संरक्षण किया जायेगा। उन्हें कोई कठिनाई नहीं होने दी जायेगी।

विधेयक को विचार जानने के लिए परिचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे एकदम पारित किया जाना चाहिये। सरकार केवल इन कानूनों को वहां लागू करने के कदम ही न उठाए अपितु पांडिचेरी, यमन तथा कराईकाल को उनसे सम्बद्ध राज्यों में अर्थात् आंध्र प्रदेश, केरल तथा मद्रास में मिलाए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Minister of State in the Ministry of Home Affairs has stated that this Bill was discussed in the Legislative Assembly of the Union territory of Pondicherry. But he did not indicate whether a resolution was passed by the Assembly in support of this Bill. If such a resolution has not been passed, it becomes necessary to circulate this Bill for eliciting public opinion thereon.

As Pondicherry and other enclaves have been merged with India, it automatically entails that the laws and judicial system of our country should be extended to those areas. But the way things are proceeding in this matter is really regrettable. The

[Shri Madhu Limaye]

official language of this French enclave has been French for the last two hundred years. If it has been replaced by another language that language should have been the regional language in vogue in those enclaves. For example, Tamil is spoken in Pondicherry. Therefore, the adoption of Tamil as the new official language should have been examined. But on the contrary Government is imposing English there which is a foreign language.

The Proposal of marger of the erstwhile French enclaves in the neighbouring states should be supported.

Government should not act in such a haste. This change should come gradually and not all of a sudden. Therefore this Bill should not be rushed through in this session. The opinion of the Legislative Assembly of the Union territory should be sought first and then a new Bill should be brought after careful consideration.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : This Bill is welcome as it is a step that promotes national integration. This Bill should have been brought long before. Such a long time should not have been allowed to elapse before the presentation of this Bill.

For the integration of country it is essential that a uniform law should be enforced in all parts of the country. No state should be given special status in this matter.

Pondicherry, Mahe, Karaikkal and Yaman should not be maintained as separate entities, but they should be merged in the neighbouring States.

If this Bill is going to be circulated for eliciting public opinion thereon, it will delay the passing of this Bill. Therefore this proposal cannot be supported. There has already been considerable delay in this.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इस विधेयक से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है जिसके लिये हम प्रयत्नशील हैं ।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि यह क्षेत्र फ्रांसीसी संस्कृति की विरासत है । हम वहां की इस संस्कृति को समाप्त नहीं करना चाहते । इस विधेयक को लाने में हमने 8 वर्ष का समय ले लिया है । हमने वहां पर अन्य कानून भी लागू किये हैं । इसलिये इन कानूनों को लागु करने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये । इस विधेयक के बारे में जनमत जानने की कोई आवश्यकता नहीं है । जनमत तो 1962 में जान लिया गया था ।

एकीकरण सम्बन्धी कार्य में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि यह किस भाषा में किया जाना चाहिये । जब तक हम इस स्थिति में नहीं आ जाते कि हम अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषा लायें उस समय तक हमें देश में लागू सभी कानून इस राज्य क्षेत्र में लागू करने चाहिए । भाषा के प्रश्न पर कोई विवाद पैदा किये बिना हमें इस बात पर सहमत होना चाहिये कि हम इन सभी कानूनों को, जो बहुत महत्वपूर्ण और अविवादास्पद हैं, वहां लागू करें ।

यह कहा गया है कि वहां के लोग इसके पक्ष में नहीं हैं । यदि किसी को आपत्ति हो सकती है तो वह उन वकीलों को ही हो सकती है जो फ्रांसीसी कानूनों के माहर हैं और जिन्हें अंग्रेजी तथा भारतीय कानूनों की अच्छी जानकारी नहीं है । हमें उनके साथ सहानुभूति है परन्तु देश की एकता के लिये सारे देश में समान कानून लागू करना आवश्यक है ।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : The Bill before the House is most welcome. It would have been better had it been brought forward earlier. The experience has shown that when our laws are extended to a new territory, restrictions and obligations involved therein become effective immediately but no attention is paid towards the facilities which should become available with the extension of the laws.

Pondicherry has a large number of workers. They are being exploited even at present. The need of the hour is that all the rights enjoyed by the working class at other places in the country are made available to the workers in Pondicherry also. Steps should be taken to provide employment to the workers there.

This argument is beyond my comprehension that the language of the people in Pondicherry is French and that is why the people are opposing the extension of the Indian laws there. It is absolutely an untenable argument. The language of the people there is Tamil and Malayalam. The local languages should therefore be developed quickly. Besides, an international language can be retained there for certain purposes. But it is not at all understandable that French should be allowed to continue there indefinitely.

There are certain minorities in Pondicherry. Government should ensure that there is no suppression of the minorities there after the extension of these laws. Steps should be taken not only to safeguard them but also to make them feel that they are safe there.

श्री रमानी (कोयम्बत्तूर) : चूंकि इस विधेयक में देश के कानून पांडिचेरी में लागू करने का उपबन्ध है इसलिये इसका समर्थन किया जाना चाहिये । स्वाधीनता के लिए पांडिचेरी की जनता ने भीषण संघर्ष किया है और अन्ततोगत्वा उन्होंने भारत के साथ अपने क्षेत्र का विलयन किया है । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जो सुविधाएं उन्हें पहले मिल रही थीं वे उस क्षेत्र में भारतीय कानून लागू होने के बाद समाप्त न हो जायें । एकीकरण, की प्रक्रिया शनैःशनैः लागू की जानी चाहिये । किसानों तथा मजदूर वर्ग को पांडिचेरी में पहले कुछ लाभ हो रहा था । उदाहरणार्थ, पांडिचेरी के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों और अन्य मजदूरों को पेंशन सुविधाएं मिल रही थीं । हमारे कानूनों के वहां पर लागू किये जाने के बाद या तो वे सुविधाएं समाप्त कर दी गई हैं अथवा उन लोगों को ऐसी स्थिति में ला दिया गया है कि उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिलेंगी । हाल ही में सरकार ने एक मिल अपने हाथ में लिया हैं । लगभग 600 मजदूर बेकार हो गये हैं । वर्ष 1963, 1964 और 1965 का बोनस नहीं दिया गया है कुछ मजदूरों को भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेच्यूइटी नहीं दी गई है ।

जिम्पर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यह अस्पताल और कालेज पिछले कुछ वर्षों से कार्य करते रहे हैं और उनके कर्मचारियों और मजदूरों को उस दिन से मकान भत्ता नहीं दिया गया है जिस दिन से कि उन्हें दिया जाना चाहिये था । सरकार को इन मामलों की ओर ध्यान देना चाहिये और उसके लिये आवश्यक उपाय करने चाहियें ।

सरकार बहुत से कानूनों को पांडिचेरी में लागू करने जा रही है । हम इसका स्वागत करते हैं परन्तु सरकार को यह कार्य पहले प्राप्त अनुभव और पांडिचेरी की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिये । हमें यह देखना चाहिये कि हम वहां के लोगों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं और किस प्रकार वहां पर विधान लागू किये जाने चाहियें ।

[श्री रमानी]

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की सरकारी भाषा तमिल होनी चाहिये । वहां पर प्रत्येक कार्य तमिल में होना चाहिये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं इस कारण से इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि स्वतन्त्र भारत में पांडिचेरी, महिम, कराईकाल और यनम में दासता के चिह्न का कोई अवशेष नहीं रहना चाहिये । इन संघ राज्य क्षेत्रों को पूरी तरह पड़ौसी राज्यों में मिला दिया जाना चाहिये ।

फ्रांसीसी भाषा से एकदम अंग्रेजी भाषा में कार्य आरम्भ करने से वकीलों और शिक्षाविदों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ उपनियम बनाने चाहियें जिससे फ्रांसीसी भाषा की बजाय शनैःशनैः अंग्रेजी में कामकाज आरम्भ किया जा सके । इससे लोगों को कठिनाई महसूस नहीं होगी । हमें अरविन्द जैसा महान सन्त तथा दार्शनिक देने के लिये पांडिचेरी का अपना महत्वपूर्ण स्थान है । अपने मूलभूत सिद्धान्तों तथा आत्मिक-बल में श्री अरविन्द का स्थान श्री शंकराचार्य के बाद दूसरा है । उनकी स्मृति को अमर बनाए रखने के लिये पांडिचेरी का नाम बदल कर श्री अरविन्दनगर या श्री अरविन्द पट्टिनामम रखा जाना चाहिये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री जेवियर की मुख्य धारणा यह है कि पांडिचेरी के लोग यह नहीं चाहते कि केन्द्रीय कानूनों को वहां पर लागू किया जाये । वास्तविकता यह है कि समय समय पर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में यह मांग की जाती रही है और विधान सभा में संकल्प पेश किये जाते रहे हैं और वहां की सरकार की ओर से ये आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि वे इस मामले में केन्द्रीय सरकार के साथ बातचीत करेंगे । उन आश्वासनों के आधार पर ही वे संकल्प वापस लिये गये थे । पांडिचेरी का केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं अपितु विरोधी दल भी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि केन्द्रीय कानूनों को वहां पर लागू किया जाये । हां, ऐसा तो सम्भव है कि केन्द्रीय कानूनों को वहां पर लागू किये जाने से वहां की जनता के एक वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना होगा । परन्तु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है । हमें आशा है कि सब लोगों के हित को देखते हुए वे भी अपने को बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेंगे ।

इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । क्योंकि हमारे पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि इस संघ राज्य क्षेत्र के लोग तथा देश के अन्य भागों के लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं । सदस्यों ने जो कुछ यहां कहा है उससे यह स्पष्ट है कि इस संबंध में लगभग सभी एकमत हैं कि विधेयक को पास कर दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

बहुत से केन्द्रीय अधिनियम तो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में वास्तव में पहले ही लागू किये जा चुके हैं । परन्तु वे विदेश क्षेत्राधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लागू किये गये थे । अब जिन केन्द्रीय अधिनियमों को पांडिचेरी में लागू किया जा रहा है उनमें से कुछ वहां के वर्तमान फ्रांसीसी अधिनियम के प्रतिकूल जाते हैं । इसलिये इन विषमताओं को दूर

करने के लिये संसद् का एक अधिनियम आवश्यक है। इस विधेयक से देश के सभी भागों के लोग, विशेषकर मद्रास के, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में जाकर वकालत कर सकेंगे और उस क्षेत्र को अपने में एकमेव करने के लिये यह एक अच्छा कार्य होगा।

मैं श्री मधू लिमये को यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक का भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो कुछ कानूनों को वहां पर लागू किये जाने से सम्बन्ध रखता है। उन्होंने पूछा है कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग होगा या स्थानीय भाषा का उपयोग किया जायेगा। इस समय न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है और हमारे प्रामाणिक कानून अंग्रेजी में हैं। इसलिये जिन कानूनों को वहां पर लागू किया जा रहा है वे निश्चित रूप से अंग्रेजी में होंगे।

पांडिचेरी की विधान सभा ने एक कानून पास करके यह निवेदन किया है कि वहां पर उत्तरोत्तर क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। पांडिचेरी में हम तामिल और कराईकल में तेलुगू के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारा यह इरादा नहीं है कि फ्रांसीसी भाषा के स्थान पर वहां सदा ही अंग्रेजी बनी रहे। चूंकि भारतीय न्यायालयों में जो भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं उनमें अंग्रेजी का मुख्य स्थान है, इसलिये वहां भी उसका उपयोग किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक प्रयोग किया जाने लगेगा।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने के बारे में विभिन्न विचार वयवत किये गये हैं। कुछ सदस्यों का मत है कि इस विधेयक को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है और कुछ सदस्यों का मत है कि इस विधेयक पर काफी समय नष्ट किया गया है। कुछ लोग परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते और वह कैसा भी परिवर्तन हो, चाहे अच्छा या बुरा, उसका विरोध करते हैं। न्यायालय में विभिन्न प्रयोजनों से जाने वाले व्यक्तियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेन्च बोलने वाले वकीलों की संख्या बहुत सीमित है और उनकी मांग बहुत अधिक है। जनसाधारण के लिये फ्रेंच बोलने वाले वकीलों की सेवाएं प्राप्त उचित पारश्रमिक देकर प्राप्त करना कठिन है। इस सम्बन्ध में पांडीचेरी के लोगों से सलाह ली गई थी और हमें विश्वास है कि वे लोग भी इस कानून के लागू किये जाने के समर्थक हैं।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : बहुत से मामलों में कानून के अन्तर्गत आवश्यक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। पुराने कानून को नये कानून में परिवर्तित किये जाने से बहुत भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है।

ये कानून कभी कभी पुराने कानून के केवल एक भाग का खंडन करते हैं समस्त कानून का नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में यह कानून फ्रेंच कानुन के केवल उन भागों को समाप्त करता है जो भारतीय कानून से मेल नहीं खाते। यदि आवश्यक हुआ तो इस सम्बन्ध में हम आगे भी स्पष्टीकरण देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मधू लिमये के प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं।

श्री मधु लिमये : मैं उन पर जोर नहीं देता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपने स्थानापन्न प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति देती है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The substitute motion was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि कतिपय केन्द्रीय अधिनियमों के पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे :

खंड 2 के बारे में कोई संशोधन नहीं है प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 2 was added to the Bill

Clause 3

खण्ड 3

Amendment No. 4

Amendment made

संशोधन किये गये

Page 2, line 5.

or "are in force" Substitute

"were in force"

संशोधन संख्या 4

पृष्ठ, पंक्ति 5,——

"लागू है" के स्थान पर 'लागू थे' रखा जाये ।

(श्री विद्याचरण शुक्ल :)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि संशोधन 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill

खण्ड 4, 5, 6 और 7 विधेयक में जोड़े गये ।

Clause 4, 5, 6 and 7 were added to the Bill

अनुसूची

Amendments made

संशोधन किये गये

Amendment No. 3

Page 13, line 23, in Column 4, for "1967" substitute "1968"

संशोधन संख्या 3 पृष्ठ 13, पंक्ति 23 स्तम्भ 4 में "1967" के स्थान पर "1968" रखा जाये

Amendment 5

Page 8, line 13, in Column 4, Omit "first"

पृष्ठ 8, पंक्ति 13, स्तम्भ 4 से "प्रथम" हटा दिया जाये

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि **अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ी गई ।

The Schedule, as amended, was added to the Bill

खंड 1

संशोधन किये गये

Amendment made

Amendment 2 Page 1, line 4—

for "1967" substitute "1968"

संशोधन 2 पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1967" के स्थान पर "1968" रखा जाये

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियम सूत्र

Enacting Formula

Amendment made

संशोधन किये गये

Amendment 1

Page 1, line 1, for "Eighteenth" *substitute* "Nineteenth"

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "अठारह" के स्थान पर "उन्नीस" रखा जाये

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was added

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया

The title was added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : पांडिचेरी का विलयन वयकतब 1952 में हुआ था पर कानूनी रूप में वह 1962 में हुआ था । 1962 से हमने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की कि सांस्कृतिक और अन्य रूप में पांडिचरी के लोग भारतीय संघ के लोगों के साथ मिलकर एक हो जायें । सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिये कि कहीं इस अधिनियम को पास करने से और जटिलताएं उत्पन्न न हो जायें । उदाहरणार्थ, जब हम अधिवक्ता अधिनियम का विस्तार वहां कर देंगे तो न्यायालय की सारी भाषा अंग्रेजी ही होगी । अब तक वहां सब कार्य फ्रेन्च भाषा में किया जाता है । इससे न तो वकीलों और न हीं जनता का भला होगा । इससे वहां सम्पूर्ण न्यायपालिका के कार्य में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । सरकार को सदन् में यह घोषणा करनी चाहिये कि सरकार इस बात को दृष्टि में रखकर पर्याप्त समय देगी कि वे लोग भी अच्छी तरह अंग्रेजी सीख सकें । सरकार को इस बारे में जल्दी नहीं करनी चाहिये । इसको लागू करने के लिये उचित समय दिया जाना चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : यह विधेयक फ्रैन्च या अंग्रेजी बोलने वालों के लाभ के लिये नहीं लाया गया है । यह विधेयक संघ शासित लोगों की सुविधा के लिये लाया गया है । वहां जो दण्ड विधान है वह भारतीय दण्ड विधान है किन्तु दीवानी विधि फ्रैंच । इसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों के लिये कई वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है । अतः यह विधेयक वकीलों के लिये इतना नहीं लाया गया है जितना स्थानीय लोगों के लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : गोवा में पुर्तगाली कानून था । वह अंग्रेजी कानून प्रणाली से भिन्न है । अंग्रेजी कानूनी प्रणाली को लागू करने में आरम्भ में कठिनाई होगी । माननीय

सदस्य का अभिप्राय इस कठिनाई का कम करने से था। मंत्री महोदय द्वारा दिया गया आश्वासन में यह व्यक्त किया गया है कि इसके लागू करने में कम से कम कठिनाई होगी।

अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं प्रश्न यह है कि

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

"प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।"

The motion was adopted

संविद श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) विधेयक

CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) BILL

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय संस्थापनों में संविद् श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने और कुछ परिस्थितियों में इसे समाप्त करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात्:—

(1) श्री आर० के० अमीन
(2) श्री एन० अम्बाजागन
(3) श्री त्रिदिव चौधरी
(4) श्री एम० देवीकन
(5) श्री के० आर० गणेश
(6) श्री श्रीचन्द गोयल
(7) श्री राम कृष्ण गुप्त
(8) श्री स० चु० जमीर
(9) श्री भोगेन्द्र झा
(10) श्री हुकम चन्द कछवाय
(11) कुमारी कमला कुमारी
(12) श्री समरेन्द्र कुन्दू
(13) श्री भजहरि महतो
(14) श्री के० आनन्द नम्बियार
(15) श्री काशीनाथ पाण्डेय
(16) श्री अनन्तराव पाटिल
(17) श्री खगपति प्रधानी
(18) श्री एस० पी० राममूर्ति
(19) श्री विश्वासराय नरसिंहराव
(20) डा० शिशिर कुमार साह
(21) श्री पी० एम० सईद
(22) श्री देवेन सेन
(23) श्री बी० शंकरानन्द
(24) श्री शशि भूषण
(25) श्री विश्वनारायण शास्त्री
(26) श्री एस० एम० सोलंकी
(27) श्री जी० वेंकटस्वामी
(28) श्री आर० एस० विद्यार्थी
(29) श्री वीरभद्र सिंह
(30) श्री दा० रा० चव्हाण, और

राज्य-सभा के 15 सदस्य हों,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन होगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

[श्री जयसुखलाल हाथी]

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

उपाध्यक्ष महोदय:--प्रश्न यह है कि कतिपय संस्थापनों में संविद श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने और कुछ परिस्थितियों में इसे समाप्त करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य अर्थात्:--

(1) श्री आर० के० अमीन
(2) श्री एन० अम्बाजागन
(3) श्री त्रिदिब चौधरी
(4) श्री एम० देवीकन
(5) श्री के० आर० गणेश
(6) श्री श्रीचन्द गोयल
(7) श्री राम कृष्ण गुप्त
(8) श्री स० चु० जमीर
(9) श्री भोगेन्द्र झा
(10) श्री हुकम चन्द कछवाय
(11) कुमारी कमला कुमारी
(12) श्री समरेन्द्र कुन्दू
(13) श्री भजहरि महतो
(14) श्री के० आनन्द नम्बियार
(15) श्री काशीनाथ पाण्डेय
(16) श्री अनन्तराव पाटिल
(17) श्री खगपति प्रधानी
(18) श्री एस० पी० राममूर्ति
(19) श्री विश्वासराय नरसिंह राव
(20) डा० शिशिर कुमार शाह
(21) श्री पी० एम० सईद
(22) श्री देवेन सेन
(23) श्री बी० शंकरानन्द
(24) श्री शशि भूषण
(25) श्री विश्वनारायण शास्त्री
(26) श्री एस० एम० सोलंकी
(27) श्री जी० वेंकटस्वामी
(28) श्री आर० एस० विद्यार्थी
(29) श्री वीरभद्र सिंह
(30) श्री दा० रा० चव्हाण, और

राज्य-सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केन्द्रीय विधियों (जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तार) विधेयक

CENTRAL LAWS (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि कतिपय विधियों के जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर विस्तारण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "कतिपय विधियों के जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर विस्तारण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये

SHRI BRIJ BHUSHAN LAL (Bareilly) : I am in favour of forth extension of this Central Act to Jammu and Kashmir. But I do not understand why this Act is being extending in piece meal. Why Article 3 70 has been kept in our Constitution ? This Article should immediately be deleted and Jammu and Kashmir should be given the same treatment of other states of the country. I want to know the reasons for extending the Central laws slowly in Jammu and Kashmir.

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कश्मीर समस्या का हल ढूंढने के लिये नई दिशा में कार्य किया जाना चाहिये। यदि कोई ऐसा सोचता है कि केवल संविधान के कुछ उपबन्ध अथवा कुछ विधियां जम्मू और कश्मीर पर लागू करने से समस्या हल हो सकती है तो वह गलती पर है।

अब हम कश्मीर की समस्या का समाधान कुछ विधियों को जम्मू और कश्मीर में अब लागू कर और कुछ विधियों को बाद में लागू कर, हल करना चाहते हैं। इससे कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी परन्तु इसके कारण और समस्या उत्पन्न हो जायेगी। जम्मू और कश्मीर को इस तरह आजादी और गठन किया जाना चाहिये कि कश्मीर के लोग मिल कर रहे और उन्हें भारत के साथ रहते हुए अधिकतम अधिकार प्राप्त हों।

भारत की यह बहुत बड़ी समस्या है। यदि भारत शान्ति और सुरक्षा चाहता है तो इस समस्या का शान्तिपूर्ण हल किया जाना आवश्यक ।

श्री उमानाथ (पुछूकोटै) इस विधेयक पर विचार करते समय हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि जम्मू और कश्मीर पर लागू की जाने वाली विधियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं और उनका किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर निवारक विरोध अधिनियम।

यह अधिनियम सादिक सरकार द्वारा श्रम संगठनों को तोड़ने और कर्मचारियों की अपनी उचित मांगों के लिये की जाने वाली आन्दोलन को असफल किये जाने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं। सरकार उसका प्रयोग लोकतन्त्रात्मक संगठनों को तोड़ने के लिये कर रही है।

देश के बाकी भागों में नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकारों से जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को वंचित रखा जा रहा है।

कुछ लोगों को सरकार ने इसलिये छोड़ दिया है कि वे व्यापार संगठन आन्दोलन से हट जायें। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां के राज्यपाल को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना जांच के सेवा से निकाल सकता है। सादिक सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर्मचारियों के लोकतन्त्रात्मक आन्दोलन को

[श्री उमानाथ]

दबाने के लिये कर रही है। गृह-मंत्री के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह कश्मीर में और अधिक विधियों के विस्तारण की अनुमति मांगे परन्तु यह भी देखना चाहिये कि जो अधिकार पहले दिये गये हैं उनका प्रयोग लोकतन्त्रीय आन्दोलन का दमन करने के लिय न किया जाय।

अनुच्छेद 370 के हटाये जाने मात्र से कश्मीर समस्या हल नहीं हो जायेगी। इस अनुच्छेद को ढीला कर हम लोगों में अविश्वास उत्पन्न कर रहे हैं। इसे तो और सुदृढ़ किया जाना चाहिये। हमें कश्मीर के लोगों को यह यकीन दिलाना चाहिये कि भारत के साथ रह कर के स्वतन्त्र अनुभव कर सकते हैं इसके लिये सरकार को अपने सम्मान के प्रश्न को छोड़कर, जम्मू कश्मीर की जनता के नेताओं को शेख-अब्दुल्ला सहित, आमंत्रित करके बातचीत करनी चाहिये। हमें एक ऐसा सूत्र निकालना चाहिये जिसमें जनता को विश्वास हो। शेख-अब्दुल्ला को जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि फिर ऐसा किया गया तो फिर तनाव की भावना उत्पन्न हो जायेगी।'

श्री पें० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : श्री उमानाथ द्वारा यह दलील दिया जाना कि शेख अब्दुल्ला को बातचीत के लिये बुलाया जाये और घाटी के लोगों को भद्र विश्वास दिलाया जाये कि वह भारत के साथ हैं, समझ में नहीं आती। यह जम्मू और कश्मीर के विलय, जो कि निश्चित तथ्य है, के आधार-भूत सिद्धान्त पर सन्देह करने के समान है। हमने वहां आम चुनाव कराये हैं, वहां पर विधान सभा का गठन किया गया है और इसके बावजूद भी अब यह कहना कि शेख अब्दुल्ला की बात का महत्व है जब कि वह पृथकता और क्रान्ति की बात करता है, की बात सुनना आश्चर्य जनक प्रतीत होता है।

शेख अब्दुल्ला कुछ आधारभूत प्रश्न उठा रहे हैं जो भारत की प्रभुसत्ता और एकता के विरुद्ध हैं। इनसे परामर्श करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कश्मीर के सम्बन्ध में अब उनका मत पूर्णतया भिन्न है।

अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कश्मीर को किस प्रकार शेष भारत के निकट लाया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिये, मेरे विचार से सरकार ने उचित कदम उठाया है कि इन विधियों का जनता में बिना किसी आक्रोश या आवेश के धीरे-धीरे कश्मीर में विस्तारण किया जा रहा है। यह दुख की बात है कि जिस व्यक्ति ने स्वतन्त्रता के आन्दोलन में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया वह अब उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है।

मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि उस क्षेत्र की जनता की भावना का आदर किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार जनता की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये पूरा प्रयास करेगी। जम्मू और कश्मीर का कई दृष्टियों में आर्थिक पिछड़ा होने के कारण उसके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त राज्य के लोगों और शेष देश के लोगों के बोध भी निकट सहयोग के लिये समय समय पर विचार विनिमय किया जाना चाहिये।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर राज्य में भी वही कानून लागू होने चाहियें जो देश के अन्य भागों में हैं। यह कहा जाता है कश्मीर का अपना अलग स्थान। ऐसे ही अन्य राज्यों का भी अपना स्थान है। एक राष्ट्र के जीवन में कुछ आधारभूत बातें

होती हैं । विश्व के सभी राज्यों में एक आधारभूत बात प्रादेशिक अखंडता है । यह सदा के लिये निर्णय कर लिया गया है कि कश्मीर भारत का अंग है । यह निर्णय नहीं बदल सकता और इस संबंध में आगे कोई बातचीत नहीं की जा सकती ।

शेख अब्दुल्ला की बातों का अब कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिये । हमें देश की इस मांग को कि, जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है की ओर ध्यान देना चाहिये ।

कुछ मामलों में केन्द्रीय विधियों का जम्मू और कश्मीर में विस्तार करने के लिये अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को रूपभेद करने का अधिकार है । परन्तु इस बारे में रूपभेद करते समय राष्ट्रपति को वास्तविकताओं की ओर ध्यान देना चाहिये । ये विशेषताएं वहां की विशेष समस्याएं हैं जैसे दूसरे राज्यों की विशेष समस्याएं होती हैं ।

बहुत से दूसरे अधिनियम जो वहां के लिये हितकर हैं उनका वहां विस्तारण किया जाना चाहिये । उदाहरण के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे हितकारी विधान को, जिससे जम्मू और कश्मीर के लोगों का हित होता है, अब तक वहां विस्तार नहीं किया गया है मेरा सुझाव है कि जम्मू और कश्मीर में सभी हितकारी विधानों को लागू किया जाना चाहिये ।

डा० मैत्रेयी बसु (दारजीलिंग) : मुझे माननीय सदस्यों के यह विचार सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि विधियों का जम्मू और कश्मीर में विस्तारण करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि वहां की 10 प्रतिशत जनता मुसलमान है । केन्द्रीय विधियों का मुस्लिम बहुल राज्य में विस्तार करने से क्या अन्तर पड़ता है ? वे सब भी भारतीय हैं ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना का जमाव होना स्वाभाविक ही है ।

काश्मीरियों की मुक्ति की बात भी की जाती है । इस संदर्भ में हमें यह बात ध्यान देनी चाहिये कि कश्मीर की समस्या, जो बीस वर्ष से हल नहीं हुई है, की लोकतन्त्रात्मक ढंग से हल किया जाना चाहिये ।

श्री अ० वि० शर्मा (भंजनगर) : इस विधेयक की आवश्यकता बहुत पहले से थी क्योंकि यह विधेयक जम्मू और काश्मीर के हित में है ।

काश्मीर के भाग्य का निर्णय किया जा चुका है और इस बारे में हमें कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है । शेख अब्दुल्ला को अनुचित महत्व दे रहे हैं । उन्हीं के कहने पर हमने काश्मीर पर करोड़ रुपया खर्च किया अब उन्होंने दूसरों के प्रभाव में आकर अपने विचार बदल दिये हैं । हमें उन की परवाह नहीं करनी चाहिये । हमारी विदेश नीति को भी बहुत से देशों ने स्वीकार कर लिया है । वे हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । पिछले चार चुनावों में वहां की जनता को जनमत की स्वतन्त्रता दी गई थी । वहां पर चुनाव निष्पक्ष हुए थे हमें यह ध्यान देना चाहिये कि हम सर्वप्रथम भारतीय हैं और हमें यह देखना चाहिये कि राष्ट्रीय हित को किसी भी कीमत पर हानि न हो । इन शब्दों के साथ में विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati): Mr. Deputy Speaker on the one hand it is said that Jammu and Kashmir is a part of India but on the other hand the laws of India are not applied on that state. Such things do not create an impression

[Shri Tulshidas Jadhav]

in the mind of the people that they are part of India. People from all parts of India can go to other parts and buy property there but they cannot buy any property in Jammu and Kashmir. If the Government of India had been frank enough in regard to this question, Sheikh Abdullah could not have dared to ask for independence for Jammu and Kashmir. In order to create sense of oneness in the nation we should do away with Article 370 of the constitution and should not care much for what others say about it.

Shri Gunand Thakur (Saharsa) : Mr. Deputy Speaker the attitude of the Government regarding Jammu and Kashmir is strange. When it has become part of India and even the State Assembly has approved of it, why it is that the laws which are applicable in other parts of India are not applied there. It appears that the Government wants to create tension there so that the congress party may remain in power there.

It is assuring that the laws which are applicable to other parts of India are not applicable to Jammu and Kashmir. When the people of India can settle in any part of India and buy land there, why it is that they cannot do so in Jammu and Kashmir. This State of uncertainty should end and Indian laws should be applicable to Jammu and Kashmir too.

Elections in Jammu and Kashmir were not fair and free as 80 percent of the nomination papers were rejected. Sadiq Government does not represent the people in true sense. There should be free elections there.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : जो चर्चा आज यहां हो रही है वह नई नही है । यह चर्चा गत कई वर्षों से हो रही है । यहां गत वर्ष भी संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के सम्बन्ध में बहुत कुछ चर्चा हुई थी । लेकिन अन्त में यही उचित समझा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं करना चाहिये । इसका अन्त धीरे-धीरे होना चाहिये ।

आज काश्मीर की आवाज गुलाम मुहम्मद सादिक हैं । अब हमारा प्रयास यह है कि भारत के कानून जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू किया जाना चाहिये । काश्मीर कानूनी रूप से हमारे साथ है और वह देश का अभिन्न अंग बन गया है । कुछ कहते हैं कि काश्मीर को एक दम अपने हाथ में लिया जाये । यह कार्य धीरे-धीरे होगा ।

कुछ सदस्य महोदय शेख अब्दुल्ला के बारे में बात करते हैं । उनकी बात समय समय पर बदलती रहती है । उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लेना चाहिये । वह कुछ बातें ऐसी करते हैं जो स्वयं उनके विरुद्ध जाती हैं । सरकार को चाहिये कि उनके ऊपर निगाह रखे । उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये ।

कुछ लोग काश्मीर की स्वतन्त्रता की बात करते हैं । समझ में नहीं आता कि वह यह क्यों कहते हैं । हम जम्मू काश्मीर को अपनी ओर कर रहे हैं तथा इसमें हमें सफलता भी मिल रही है । जिन्हें इस बात में संदेह है उन्हें स्थिति का वास्तविक ज्ञान नहीं है । यह सरकार ने अच्छा कार्य किया है कि वह अपने नियमों को काश्मीर में धीरे धीरे लागू कर रही हैं । जम्मू तथा काश्मीर हमारे देश का भाग है तथा यह रिश्ता सदा बना रहेगा ।

Shri Kushak Bakula (Ladakh) : Sir, I support the hon. minister's bill relating to Jammu and Kashmir. In 1947 Jammu and Kashmir became part of India and there can be no going back from that. Whatever Sheikh Abdullah may say now has no significance and people will not be affected by that. Today the leader of the people of Jammu and Kashmir is Shri Sadiq who is running the administration effectively We should strengthen his hands to face fissiperons tendencies.

Article 370 should be abolished but not at once. It should be done gradually. Certain other rules should be applied there at once such as rules regarding backward classes and Scheduled castes be extended in Ladakh at once.

Jammu and Kashmir has made much progress in education but it is not so in Ladakh. Ladakh is backward even economically. Hence the rules regarding Scheduled castes and backward Sections be applied to Ladakh at once.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। यदि आज कोई कानूनी अड़चन है तो इसका यह अर्थ नहीं कि जम्मू तथा काश्मीर का भारत में विलय नहीं हो सकता। अनुच्छेद 370 उस राज्य के शेष भारत के साथ मूल सम्बन्ध में किसी प्रकार बाधक नहीं हो सकता।

यह भी कहा गया है कि जम्मू तथा काश्मीर में मध्यावधि चुनाव कराये जायें। परन्तु वहां सरकार ठीक प्रकार से चल रही है और ऐसे चुनावों की आवश्यकता नहीं है।

जम्मू तथा काश्मीर पर भी चुनाव आयोग लागू है। उसके तत्वाधान में वहां भी चुनाव हुए थे। यह कहना उचित नहीं कि वहां गलती से चुनाव याचिकायें रद्द कर दी गई क्योंकि स्वयं बख्शी गुलाम मुहम्मद का चुनाव भी उसी के तत्वाधान में हुआ था।

एक सदस्य ने जम्मू तथा काश्मीर के मुक्त कराने की बात कही। उस राज्य का विलय भारत में 1947 में ही हो गया था। हां जो भाग पाकिस्तान के नीचे है उसे अवश्य स्वतन्त्र कराना चाहिये। अनुच्छेद 370 को शीघ्र समाप्त कर दिया जायेगा। भारत के कानून जो अन्य लोगों पर लागू हैं वे वहां भी लागू होंगे।

यह बात कही गई है कि वहां भारत का राष्ट्रपति भी भूमि नहीं खरीद सकता। वहां बिड़ला ने अपना कारखाना स्थापित किया है। अन्य लोगों ने भी कुछ भूमि खरीदी है।

शेख अब्दुल्ला का अब वहां महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। जो संसद-सदस्य पहले शेख अब्दुल्ला को छोड़ने के बारे में कहते थे वे अब परेशान हैं कि उन्हें क्यों छोड़ा गया। वह अब चीन समर्थक लोगों का नेतृत्व करते हैं। जनता का नेतृत्व नहीं करते। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बल राज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हू कि क्या कारण है कि सरकार संसद के सामने बार बार आती है।

मैं एक साधारण-सा प्रश्न करता हूं कि जम्मू तथा कश्मीर भारत का अंग भी है अथवा नहीं? मैं तो उसे भारत का अंग मानता हूं परन्तु प्रधान मंत्री आदि भी ऐसा मानते हैं अथवा नहीं? यदि वे ऐसा मानते होते तो अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया होता। जो कानून भारत के अन्य लोगों के लिये उचित है जिनमें भारत में रह रहे मुसलमान भी हैं, वह काश्मीर घाटी के लोगों के लिये क्यों उचित नहीं हैं? जम्मू तथा काश्मीर के भी अधिक लोग इसके हक में हैं परन्तु काश्मीर घाटी के कुछ लोग इसके विरुद्ध हैं। क्या कारण है कि भारत का संविधान वहां लागू नहीं है।

जब तक संविधान का अनुच्छेद 370 तथा जम्मू तथा काश्मीर का अलग संविधान रहता है, वहां के लोगों के मन में अनिश्चितता की भावना रहेगी। इस लिये इन दोनों बातों को समाप्त कर देना चाहिये।

[श्री बल राज मधोक]

मुझे प्रसन्नता है कि श्री सादिक अनुच्छेद 370 के समाप्त करने का समर्थन करते हैं परन्तु भारत सरकार उसका विरोध करती है । इस अनुच्छेद तथा वहां के पृथक संविधान को समाप्त होना चाहिये ।

भारत के सब लोग वहां जाकर भूमि नहीं खरीद सकते । कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा ही रहे । इस प्रकार आप जम्मू तथा काश्मीर के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं । यह अन्याय समाप्त होना चाहिये । जम्मू तथा काश्मीर भारत का ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा संवेधानिक रूप से अंग है । कुछ कानूनी रुकावटें हैं, वे समाप्त होनी चाहियें ;

गोवा, दमन और दीव (समाविष्ट कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम में परिवर्तन करने सम्बन्जी प्रस्ताव

MOTION *RE*: MODIFICATIONS TO GOA, DAMAN AND DIU (ABSORBED EMPLOYEES CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT RULES.

श्री इरास्मों डी० सेक्वीरा (मारमागोआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि गोवा, दमन और दीव (समाविष्ट कर्मचारी) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अनुसरण में गोवा, दमन और दीव (समाविष्ट कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1967 में, जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3702 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 13 दिसम्बर, 1967 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद किया जाये, अर्थात् :—

नियम 2 में —

(एक) खण्ड (2) के भाग (दो) में, वर्तमान उप-नियम (7) के पश्चात् निम्न-लिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:—

(8) इस नियम में और कहीं जो कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद :–

(1) पुर्तगाली शासन के दौरान न्यायालयों अथवा सार्वजनिक नोटरी कार्यालयों अथवा कहीं और ऐसे कर्मचारियों की सेवा को जिनके लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष वसूल किये गये धन में से भुगतान करता था, जिन पदों के लिए बाद में खजाने से भुगतान किया जाने लगा, के पेंशन प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सेवा समझा जायेगा ।

(2) गोवा, दमन और दीव में विद्यमान सेवा निवृत्ति की आयु सीमा का देश के अन्य भागों के साथ मानकीकरण किये जाने के कारण आयु-सीमा में कमी किये जाने पर जहां ऐसे कर्मचारी को, न्यूनतम पेंशन के लिये अपेक्षित सेवा के वर्षों को पूरा किये बगैर, पहले सेवानिवृत्त होना पड़ा हो, वहां ऐसे कर्मचारी को की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए, न्यूनतम पेंशन पाने के लिए अपेक्षित वर्षों द्वारा विभक्त एक के भागफल के बराबर पेंशन दी जायेगी ।

(दो) खण्ड (4) में वर्तमान मद 8 के पश्चात् निम्नलिखित मदें जोड़ी जायें अर्थात्:—

9. हासपिशियो अस्पताल :

10. कम्युनिडेडदस :

11. नगरपालिकायें :

12. सरकार के संरक्षण में अन्य कोई संगठन।'

(तीन) खण्ड (5) में नियम 20 क में 'प्रतिरक्षा' शब्द के पश्चात् जहां कहीं भी हो, अथवा रेलवे' शब्द जोड़े जायें

(चार) खण्ड (5) में, नियम 20 क में निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:—

(2) इन नियमों के उपबन्ध निर्धारित तारीख से ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो निर्धारित तारीख को पुर्तगाली प्रशासन के संरक्षण में किसी स्वायत्त निकाय, नगरपालिका अथवा संगठन में जो अब भी हैं कार्य कर रहे हों।

(3) इन नियमों के उपबन्ध निर्धारित तारीख से उन नगरपालिका और गैर-सरकारी बिजली कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें गोवा सरकार ने अपने हाथमें लिया हो' और

(पांच) खण्ड (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये,' अर्थात्:—

'(6) नियम 21 से हटा दिया जाये।'

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

महोदय, पहली दो बातों का सम्बन्ध पेंशन से है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य गोआ में कुछ कर्मचारियों की पेंशन और सेवा से सम्बन्ध रखता है। कुछ कर्मचारी न्यायालयों में, अर्थात् पब्लिक लोटरी कार्यालय में काम करते हैं। उन्हें कुछ समय तक खजाने से वेतन न देकर विभागाध्यक्ष की उपलब्धियों में से दिया जाता है। कुछ समय पश्चात् पुर्तगाली सरकार ने फैसला किया कि इन पदों के वेतन खजाने से दिये जायें और फिर ऐसा किया जाने लगा। आज स्थिति यह है कि जहां वह अवधि तो पेंशन के लिये गिनी जाती है जिसमें वेतन खजाने से दिया गया था परन्तु इस में सेवा काल को शामिल नहीं किया गया। यह तब होता है जब वेतन विभागाध्यक्ष द्वारा दिया जाये। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

मेरी दूसरी बात का सम्बन्ध उन कर्मचारियों से है जिन्हें सेवा निवृत्त होते समय 15 अथवा 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी ताकि वह न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बन सकें। पहले प्रशासन में सेवा निवृत्त होने की आयु 65 वर्ष की थी और अब सेवा निवृत्त आयु मानकीकरण के लिये निर्णय लिया गया तब सरकार ने यह आयु 65 से घटा कर 58 वर्ष कर दी। इसके परिणाम स्वरूप जिन्हें 58 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होना पड़ा और उस समय जिनका सेवा काल 10 वर्ष से कम था, पेंशन के रूप में एक भी पैसा पाये बिना सेवा से हाथ धोने पड़े। यह इस लिये हुआ कि उन्हें पेंशन का पात्र बनाने वाली सेवा की अवधि कम पड़ गई थी

[श्री इरास्मों डी० सेक्वीरा]

क्योंकि सरकार ने एक पक्षीय निर्णय इस सम्बन्ध में लिया था, इस कारण यह आवश्यक था कि सरकार अब आगे निर्णय लेकर कर्मचारियों के सेवा काल के अनुपात में उन्हें पेंशन का हकदार बनाए।

कुछ अन्य संशोधनों का सम्बन्ध उन कर्मचारियों से है जिन्हें इन नियमों के अधीन नहीं लिया गया। अब दो प्रकार के कर्मचारी ऐसे हैं, समाविष्ट कर्मचारी और असमाविष्ट कर्मचारी। इन दो प्रकार के कर्मचारियों की उपलब्धियां और अन्य सेवाओं में बड़ा अन्तर है। समाविष्ट कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा अन्य सुविधायें जैसे चिकित्सा सुविधायें, यात्रा सम्बन्धी रियायतें आदि दी जाती हैं जो असमाविष्ट कर्मचारियों को नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त असमाविष्ट कर्मचारी अपनी पेंशन निधि में अंशदान देता है जब कि समाविष्ट कर्मचारी को बिना ऐसा अंशदान दिये पेंशन मिल जाती है। जैसा कि देश के अन्य भागों में होता है। फिर असमाविष्ट कर्मचारी को कोई वार्षिक बढ़ोत्तरी नहीं मिलती। सरकार ने इन असमानताओं को दूर करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

मेरे एक और प्रश्न रेलवे कर्मचारियों के बारे में है। पहले नियमानुसार प्रतिरक्षा कर्मचारियों को इन नियमों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया था और सरकार ने एक संशोधन द्वारा अब उन्हें भी इन नियमों के क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिया है। सरकार को रेलवे कर्मचारियों को भी शामिल करना चाहिये क्योंकि इसके बिना गोआ में इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पुनः मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसके सम्बन्ध में कुछ करें। यह समस्या छोटी भी है और इस पर अधिक व्यय नहीं होगा।

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Chairman the amendments put forward by Shri Sequeira should be accepted. It will remove the difficulties of Government Servants.

The number of Government employees in Goa before its liberation was very small. But when the independence movement started there, the administration recruited many people. They were given good pay and facilities. This was done to dissuade the people of Goa from joining the independence movement there. In this way the Government servants were given more amenities.

Goa has always been a good place for Smugglers. These Smugglers, mine owners and capitalists have been always the supporters of Portuguese administration. Unfortunately these smugglers are going on very well even now. In such circumstances the Government should give its employees the amenities which they want to have. I would request the hon. minister to accept the amendment.

श्री उमानाथ (पुदूकोटै) : मैं श्री सेक्वीरा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस में कुछ सिद्धान्त की बात कही गई है। जब सरकार कोई नये नियम लाये तो उसका कर्तव्य है कि कर्मचारियों से भी उसके बारे में परामर्श करे। ऐसी स्थिति में नये नियम कम से कम हानि पहुंचाये बिना लागू किये जा सकेंगे। यह करना श्रम संगठनों सम्बन्धी सिद्धान्तों में से एक मूल सिद्धान्त है। परन्तु इस सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया जिसके कारण अनेक कर्मचारियों को हानि हुई है जब कि पहले उन्हें कई सुविधायें प्राप्त हुई थीं। कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये।

सरकार यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाये कि कर्मचारियों से बातचीत न की जाये और मनमाने ढंग से नियम बना दिये जायें जिनसे कर्मचारियों को हानि होती है

तो इस से सरकार वास्तव में गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों को भी ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित करती है। यह बात कर्मचारी-नियोजक सम्बन्धों की दृष्टि से हानिकारक है। यह त्रुटियां समाप्त करनी चाहिये ताकि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो सके, उनमें वृद्धि हो सके न कि उन्हें समाप्त कर दिया जाये।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि श्री सेक्वीरा ने इन नियमों के सम्बन्ध में इतनी रुचि ली है और यहां चर्चा कराई है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

Mr. Speaker *in the Chair*

इससे स्थिति का स्पष्टीकरण हो जायेगा। गोआ की मुक्ति के पश्चात मुख्य चीज़ हमें यह करनी थी कि हमें समाविष्ट कर्मचारियों की सेवा की शर्तें,वेतन तथा अन्य बातें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान करनी चाहियें थीं। इस निर्णय के अनुसरण में कई कार्यवाहियां वहां की गईं। पहली बात का सम्बन्ध पब्लिक नोटरियों से है। हमने निर्णय लिया है कि उन्हें समाविष्ट कर्मचारी समझा जायेगा। इस कारण इसके संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी बातों में हम सहमत नहीं हुए हैं।

दूसरी बात का सम्बन्ध भूतपूर्व पुर्तगाली कर्मचारियों से है जिन्हें इस कारण सेवा-निवृत होना पड़ा क्योंकि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष कर दी गई। जब हमने इस मामले पर आगे जांच की तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो भर्ती के समय 54 अथवा 55 वर्ष की आयु के थे। यदि उन्हें रखा जाता है तो सब के लिये दिक्कत हो जायेगी क्योंकि हम एक जैसे नियम रखना चाहते हैं। उन्हें उपदान तो मिल सकेगा परन्तु पेंशन नहीं मिलेगी।

दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के बारे में है। सारे देश में ऐसे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाता। यदि हमने इसमें कोई परिवर्तन किया तो एक कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी।

एक प्रश्न रेलवे कर्मचारियों के बारे में किया गया है। रेलवे कर्मचारियों के बारे में उनके अपने नियम हैं। और वे समाविष्ट कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। एक संशोधन गैर-सरकारी उपक्रमों तथा अन्य निकायों के कर्मचारियों के बारे में रखा गया है जिन्हें बाद में सेवा में रखा गया था। हमने अभी एक निर्णय लिया है, उसके अन्तर्गत उन्हें भी समाविष्ट कर्मचारी ही समझा जायेगा। अन्त के संशोधन में रेलवे कर्मचारियों की बात कही है जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं। मुझे आशा है कि सदस्य महोदय इससे संतुष्ट हो जायेंगे और अपना संशोधन मतदान के लिये नहीं रखेंगे।

श्री इरास्मो डि सेक्वीरा : मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। जब सरकार ने पब्लिक नोटरियों के बारे में निर्णय लिया तो उन्हें पिछली सेवा भी मिलनी चाहिये।

जो कर्मचारी नये नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत कर दिये गये हैं उन्हें अनुपातिक पेंशन दी जानी चाहिये। यदि उनकी पांच वर्ष की सेवा हो गई हो तो उन्हें न्यूनतम पेंशन का

आधा भाग मिलना चाहिये। रेलवे कर्मचारियों के बारे में जो कहा गया है उससे मैं संतुष्ट हूं। मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The Motion was, by leave, with drawn.

कच्छ में संसद् सदस्यों के अवरोध तथा हटाये जाने पर चर्चा तथा कच्छ पंचाट के बारे में दिल्लीं उच्च न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान के बारे में

RE: DISCUSSION ON RESTRAINT AND REMOVAL OF M. PS. IN KUTCH AND MOTION ON STATEMENT MADE BEFORE DELHI HIGH COURT ABOUT KUTCH AWARD

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। सरकार की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में दिये गये शपथ पत्र के बारे में प्रस्ताव सम्बन्धी उठाया जाने वाला विषय न्याय निर्णयाधीन है। साथ ही न्यायालय के अवमान का भी प्रश्न है। कोई भी कार्यवाही अथवा कही गई बात जो न्यायालय की कार्यवाही पर प्रभाव डालेगी वह न्यायालय का अवमान होगी। यदि यह प्रस्ताव पेश किया गया तो हम ऐसे शपथपत्र पर चर्चा करेंगे जो किसी व्यक्ति विशेष ने किसी दूसरे व्यक्ति के तर्क के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया है। न्यायालयों में सभी किये गये दावों के बारे में फैसला करना है, यदि उसी विषय पर यहां चर्चा की गई, तो हम न्यायिक कार्य में बाधा डालेंगे। यह न्यायालय का अवमान होगा। अध्यक्ष महोदय आपको यहां कार्यवाही चलानी है। आपको चाहिये कि यहां न्यायालय का अवमान न होने दें।

विधि-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रस्ताव यहां पेश किया जा सकता भी है। मैं विनम्र कहूंगा कि श्री मधु लिमये के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती। ऐसा कहना गलती होगी, दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन लेख याचिकायें विचाराधीन हैं। उन पर 1 मई को चर्चा हुई तथा न्यायाधीशों ने अपना निर्णय नहीं दिया। न्यायालय अब इस बात पर विचार कर रही हैं कि सरकार की ओर से श्री रंगा नायन द्वारा पेश किये गये शपथपत्र में बताई गई बातें मान्य हैं अथवा नहीं ? अतः इस विषय पर चर्चा नियम 186(viii) के विरुद्ध है और इस कारण अमान्य है। इस कारण मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री नाथपाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का निर्णय कि क्या कोई विशेष विषय न्याय निर्णयाधीन है अथवा नहीं। उसका फैसला आपने प्रत्येक मामले को गुणदोष के आधार पर कर दिया है। सदन के विनिर्णय बड़े स्पष्ट हैं तथा मद के उदाहरण भी माने हुए हैं। हम उन मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते जो न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हों। परन्तु यदि हम किसी मामले को अलग कर सकें तथा मूल बात को छोड़ कर सम्बद्ध बात पर चर्चा करें तो उस पर कोई रोक नहीं है। इस समय हम ऐसी बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जो न्यायालय में हो। न्यायालय में विचाराधीन तथ्यों के

बारे में एक लेख याचिका पेश की गई है । प्रस्ताव इस बात तक सीमित है कि सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्यों और शपथपत्र में दिये गये कथनों में मेल नहीं खाता ।

हमें अपनी स्थिति को इतना नहीं समझना चाहिये कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर आक्षेप आये । संसद द्वारा यह विश्वास करना चाहिये कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यदि इस सभा में हुई बातों को सुनेंगे तो वे अपने कर्तव्य से संभवतया विमुख हो जायेंगे । ऐसा करना अतिशयोक्ति की बात होगी । संसद का यह मूलभूत अधिकार है कि न्यायालय में किस प्रकार कार्यवाही की जाये इसके बारे में सरकार को निर्देश दे । यह तर्क देकर कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, संसद को अपने वैध कर्त्तव्यों का पालन करने से विमुख नहीं किया जा सकता । शपथपत्र एक सरकारी दस्तावेज है । इसलिये केवल संसद ही नहीं वरन कोई भी थोड़ी सी फ़ीस देकर उसका वैध उपयोग कर सकता है क्योंकि वह शपथपत्र उच्च स्तर न्यायालय के रिकार्ड का एक भाग बन जाता है । यहां हम किसी न्यायालय के प्रति कोई अपमान नहीं दिखा रहे । हम तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, the speaker had adopted a procedure that the House has a right to discuss matter of urgent public importance. No matter has been discussed here which is before a Court of law.

My matter relates to the limited question of the inconsistency in the affidavit submitted before the Court and the statements made in the House by the Government on the subject. This matter was not under adjudication before a Court. therefore, the *sub-judice* rule was not attracted in this case.

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI (Hapur): Sir in the past discussion has been allowed in similar situations. The discussion sought to be raised in the present motion would be limited to certain inconsistencies arising out of the affidavit submitted before the Delhi High Court. The issues which were under adjudication in the court would not be touched. Therefore the discussion should be allowed.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : शपथपत्र पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है और मुकदमे में फँसे प्रत्येक पक्ष को यह छूट नहीं है कि इस दस्तावेज को प्रकाशित कर दे । यह दस्तावेज नियमित मामले में वाद पत्र और दिये गये लिखित वक्तव्य के समान ही है । किसी मामले में किसी पक्ष के लिये इस दस्तावेज को प्रकाशित करना सामान्य बात नहीं । साक्ष्य अधिनियम पर टिप्पणी में बताया गया है कि दस्तावेजों के अन्तर्गत जैसे कि न्यायालय में फाइल किये गये वाद-पत्र लिखित वक्तव्य शपथपत्र और याचिकायें सरकारी दस्तावेज नहीं हैं । यह कहना ठीक नहीं है कि शपथपत्र की प्रति कोई भी ले सकता है । उसकी प्रति केवल उसी पक्ष को दी जायेगी और अन्य पक्षों को तभी दी जायेगी जब कि मामला तय हो जाय ।

न्यायालय में प्रश्न उठाया गया है कि यह शपथपत्र, गृहकार्य मंत्री द्वारा कही गई बातों से कुछ भिन्न है । यदि विधि मंत्री ने इस भिन्नता को नहीं माना है । यद्यपि यह भिन्नता है तो इस बात पर भी न्यायालय विचार करेगा । इसलिये, वह ऐसे मामले के बारे में नहीं सोच सकते जो अधिक साफ साफ तौर पर प्रत्यक्ष रूप में न्यायालय के विचाराधीन

[श्री गोविन्द मेनन]

मामले से सम्बन्धित नियम के विरुद्ध हो । इस शपथपत्र पर अब संसद में विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर न्यायालय विचार कर रहा है । जो वक्तव्य गृह कार्य मंत्री ने दिया है यह उसका भाग नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इन दोनों प्रस्तावों को अलग अलग लिया जाना चाहिये। इन्हें एक साथ नहीं लिया जा सकता । केवल श्री कंवरलाल गुप्त का प्रस्ताव लिया जा सकता है ।

मैं इस विषय पर श्री मधु लिमये के प्रस्ताव पर इस मामले की कानूनी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करके अपना विनिर्णय दूंगा । यदि माननीय सदस्य इस पर चर्चा उठाना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं ।

कच्छ जिले में खावदा में कुछ संसद सदस्यों के अवरुद्ध किये जाने और हटाये जाने के बारे में चर्चा

DISCUSSION *RE:* RESTRAINT AND REMOVAL OF THE MEMBERS OF PARLIAMENT AT KHAVDA, KUTCH DISTRICT.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, the Government has always been saying that Kutch area which they are now giving to Pakistan is our territory. But now they are saying that it does not belong to us.

The Satyagraha was resorted against this wrong Policy of the Government. There were some members of Parliament also among the satyagrahis who were arrested on 21st April. The hon. Minister stated that the members of Parliament were restrained and were taken to Gandhidham which is the nearest railway station, about 28 miles from Khavda. But in fact they were released about 80 miles away. The Government has not told the truth while giving information about its treatment of satyagrahis. The attitude of officials with satyagrahis who were not M.Ps. was not good.

The Government is treating the satyagrahis in the same manner as the British Government used to do when they were here. It is a matter of shame for our Government. I want to ask the hon. Home Minister whether the District Magistrate asked the M. P's. or not they were being arrested. under section 144. With these words I move my motion.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir I would request you to refer to Rule 229 of the Rules of Procedure of this House. The information sent to the Speaker regarding the members of Lok Sabha is not complete as required under Rule 229. The reasons for arrest should also be indicated. So in this way rule 229 has been violated. This matter should be sent to the Privileges committee.

The members of Parliament were told there that they were arrested whereas the information given to the Speaker was that they were "detained and removed". The hon. Home Minister informed that they were detained and removed. In this way there is the inconsistency in the matter. This is a complaint of the House. Apart from M. Ps., the other satyagrahis were insulted. One batch of satyagrahis was sent on the roof of the bus.

The area which is being given to Pakistan belongs to us. They cannot give to Pakistan this area without amendment of the constitution. If they do it, it will be a traitorous act. I therefore want you to send this matter to the Privileges Committee.

गृह कार्य-मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय अपने वक्तव्य में मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा कि ये संसद सदस्य गिरफ्तार किये गये हैं या नहीं किये गये हैं। राज्य सरकार अथवा पुलिस प्राधिकारी का कर्तव्य यही है कि संसद सदस्यों के विरुद्ध जो भी कार्यवाही की गई हो उसकी सूचना अध्यक्ष को दी जाये। स्वभावतः केन्द्रीय सरकार का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जो सूचना राज्य सरकार से मुझे प्राप्त हुई है उसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या कारण थे अथवा उसने क्या कार्यवाही की। उसनेकेवल यह बताया है कि ये सदस्य अवरुद्ध किये गये और रिहा किये गये। मैंने देखा है कि यह भाषा ठीक बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 69 की भाषा है। मेरी सूचना उसी पर आधारित है। इस लिये वास्तव में जहां तक मेरा सम्बन्ध है किसी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है चूंकि जो सूचना मुझे राज्य सरकार से प्राप्त हुई है वही मैंने दी है। जहां तक राज्य सरकार का अथवा पुलिस प्राधिकारियों का प्रश्न है यह ठीक है कि अपनी पहली सूचना में उन्होंने "निरुद्ध" शब्द का प्रयोग किया था परन्तु बाद में उन्होंने अध्यक्ष को एक पत्र भेजा। उनका इरादा यही है कि जो कुछ हो रहा है उसकी सूचना अध्यक्ष को दी जाये। बाद की विस्तृत सूचना में, जो उन्होंने अध्यक्ष को भेजी, उसमें कारण आदि भी दिये गये।

यह सूचना कि गांधीधाम 28 मील के फासले पर निकटतम पुलिस स्टेशन है गलत है। परन्तु यह सूचना मैंने राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर दी है। बाद में जो पत्र उन से आया था उसमें ठीक बात कही गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि क्यों अवरुद्ध किया गया। धारा 144 की बात भी उसमें कही गई है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं कहना है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir the hon. Home Minister says that he is giving whatever information he got from the Government of Gujarat. Sir it is also his duty to give correct information.

इसके पश्चात लोक सभा बुद्धवार 8 मई 1968/18 वैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 8, 1968/ Vaisakha 18, 1890 (Saka)

M29LSS/68—500—24-12-68—GIPF.